Thursday, 29 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation 17-7
Fumigated On 24.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया। *Price: One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, गुरुवार 29 अगस्त, 1968/7 भाद्र, 1890-(शक)

No. 27, Thursday, August, 29, 1968/Bhadra 7, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या — Starred Question Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
752 हिन्द महासागर में शक्तिशाली संचार उपग्रह छोड़ना	Launching of High-powered Communication Satelite on Indian Ocean	1-4
54 तेल निगमों तथा तेल कम्पनियों में औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करना	Operation of Industrial Disputes Act in Oil Corporations and Oil Companies	4-7
55 पश्चिम बंगाल में सुखसागर, नदिया तथा दोगाचिया लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ	Sukhsagar, Nadia and Dogachia Lift Irrigation Schemes, West Bengal	7-9
56 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands	9-18
57 खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Foodgrains Production	18-21
58 दिल्ली में नरैना डिपों पर खाद्यान्नों का चढ़ाना और उतारना	Handling of Foodgrains at Naraina Depot, Delhi	21-22
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	S. N. Q. Nos.	
228 डाउन छितौनी गोरखपुर पैसेंजर रेलगाड़ी का रोका जाना	Hold-up of 228 Down Chhitauni-Gorakhpur Passenger Train	22-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या	S. Q. Nos.	
51 उड़ीसा में सूखा की स्थिति	Drought in Orissa	24-25
53 बिहार में नलकूप लगाना	Sinking of Tubewells in Bihar	25
59 गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड का पंचाट	Non-Journalists Wage Board Award	25-26
760 खाद्य उत्पादन के लिये केरल को विशेष सहायता	Sepcial Aid to Kerala for Food Production	26
61 पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का आसाम में पुनर्वास	Resettlement of Refugees from East Pakistan in Assam	26-27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
762	विभिन्न राज्यों में ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र	Rugged and rough terrain in various States	27-28
763	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund	28
764	कालकाजी कालोनी (दिल्ली) में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन	Land Allotted to Displaced Persons in Kalkaji Colony, Delhi	28-29
765	चावल और गेहूँ की कमी	Shortage of Rice and Wheat	29
766	दिल्ली में दुग्ध सप्लाई व्यवस्था	Arrangements for Supply of Milk in Delhi	30
767	कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Textile Industry	30-31
768	घास तथा वृक्षों के पत्तों से प्रोटीन निकालना	Extraction of Protein from Grass and leaves of trees	31
769	वर्ष 1968-69 में खाद्य स्थिति	Food Situation in 1968-69	31-32
770	आसाम में खाद्यान्न की कमी	Food Shortage in Assam	32
771	अनाज के वसूली मूल्य	Procurement Prices of Foodgrains	32
772	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का वितरण	Milk Distribution by Delhi Milk Scheme	33
773	वनस्पति घी का मूल्य	Prices of Vanaspati	33-34
774	सुपर बाजार	Super Bazar	34
775	चीनी की कीमतें	Sugar Price	34-35
776	दिल्ली में दूध का संकट	Milk Crisis in Delhi	35
777	चीनी का आंशिक विनियन्त्रण	Partial Decontrol of Sugar	36
778	जापानी सहयोग से मतस्य पालन परियोजना	Fishery Project with Japanese Colobo-ration	36
779	सूरतगढ़ फार्म	Suratgarh farm	366
780	दिल्ली में ठेके के आधार पर चल रहे डाक तथा तार विभाग के कोष	P. and T. Treasuries being run on contract basis in Delhi	37
अतारांकित प्र० सं०		US. Q. Nos.	
6324	श्रम सम्बन्धी कानूनों की कार्यान्विति के के लिये व्यवस्था	Machinery for Implementation of Labour Laws	37-38
6325	राज्यों में राशन व्यवस्था	Rationing in States	38
6326	राज्यों को खाद्यानों की सहायता	Food Aid to States	38-39

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6327	त्रिपुरा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता	Assistance for flood-affected areas of Tripura	39
6328	आधुनिक स्वचालित चावल संयंत्र	Modern Rice Automatic Plants	39-40
6329	भारत के खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में चने की खरीद	Purchase of gram in Rajasthan by Food Corporation of India	40
6330	'भूख से मुक्ति परियोजना'	Freedom From Hunger Projects	40-41
6331	कपास आयोग	Cotton Commission	41
6332	इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि	Employees Provident Fund of Indian Electric Works Ltd., Calcutta	41-42
6333	नमक को शक्तिवर्धक बनाना	Fortification of Salt	42
6334	फल परिष्करण उद्योग	Fruit Processing Industry	42-43
6335	मक्का से तैयार किये जाने वाले पौष्टिक पदार्थ	Nutritious preparations from Maize	43
6336	उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	Arrears of Sugarcane Price in U.P.	44
6337	दिल्ली और पंजाब के सीमावर्ती नगरों के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Subscriber Trunk Dialling Service between Delhi and Punjab Border Cities	44
6338	मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास योजना	Scheme for Fishery Development in Madhya Pradesh	44-45
6339	डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का स्तर निर्धारित न किया जाना	Non-Standardization of Tinned Food Supply	45-46
6349	इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फल वालों की दुकानों में काम के घंटे	Shop Hours of Fruit Merchants in Indra Market, Delhi	46
6341	राजस्थान की चम्बल योजना	Chambal Scheme of Rajasthan	46-47
6342	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात	Import of Rice from U.A.R.	47
6343	ट्रेक्टर के पुर्जों का आयात	Import of Tractor Spare Parts	47
6344	टेलीविजन के विकास के लिये उपग्रह प्रणाली	Satellite System for Development of T. V.	47-48
6345	तमिल भाषा में टेलीफान निर्देशिका	Telephone Directory in Tamil	48
6346	संसद् भवन के स्टालों के लिये दूध की सप्लाई	Milk Supply in Parliament House Stalls	48-49

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6347	नील द्वीपों में विभाग द्वारा इमारती लकड़ी निकाले जाने पर लिया जाने वाला स्वामित्व	Royalty Charged on Timber for Departmental Extraction in the Neil Islands	49
6348	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Representation of People Act	49-50
6349	भारतीय पत्तनों की अनाज उतारने-लादने की क्षमता	Foodgrains Handling Capacity of Indian Ports	50
6350	बिहार में हरिजन परिवारों के पक्ष में भूमि का बन्दोबस्त	Settlement of Land in Favour of Harijan Families in Bihar	50-51
6351	कोकराघार, गोहाटी में उप-चुनाव	By-Election in Kokrajhar, Gauhati	51
6352	दिल्ली में छात्रों द्वारा व्यवसाय चुनने के केन्द्र	Centres to Choose the Courses by Students in Delhi	51-52
6353	बिहार में फ्लोटिंग पम्पिग सैटों द्वारा भूमि की सिंचाई	Irrigation of Land in Bihar through Floating Pumping Sets	52
6354	चीनी के कारखाने	Sugar Mills	52
6355	दिल्ली में होटलों में खाद्य पदार्थों के मूल्य	Prices of Edibles in Delhi Hotels	53
6356	टेलीप्रिंटरों का निर्यात	Export of Teleprinters	53
6357	राज्यों में भूमि सुधार कानून	Land Reform Measures in States	53-54
6358	अन्तर्जातीय विवाह	Inter-caste Marriages	54
6359	मध्य प्रदेश में होंशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिलों में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges at Hoshangabad and East Nimad Districts of M.P.	54-55
6360	मध्य प्रदेश में कार्मिक-संघ	Trade Unions in Madhya Pradesh	55
6361	मध्य प्रदेश में खेतिहर श्रमिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Agricultural Labourers in M.P.	55-56
6362	अन्दमान और निकोबार बनों के कर्मचारी	Staff of Andaman and Nicobar Forests	56
6363	कृषि विश्वविद्यालयों का योगदान	Role of Agricultural Universities	56-57
6364	आन्ध्र प्रदेश में चावल की सहकारी मिलें	Co-operative Rice Mills in Andhra Pradesh	57
6365	कृषि उपकरणों में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Agricultural Implements	57

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6366	चावल के मामले में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Rice	57-58
6367	दिल्ली में नरायणा डिपो में अनाज रखना तथा निकालना	Handling of foodgrains at Naraina Depot, Delhi	58-59
6368	दिल्ली में नरायणा डिपों पर अनाज का चढ़ाना उतारना	Handling of Foodgrains at Naraina Depot, Delhi	59
6369	होशियारपुर में निष्क्रांत सम्पत्ति	Exacuee Land in Hoshiarpur	59-60
6370	निर्यात-प्रधान सहकारी परिष्करण उद्योग	Export Oriented Cooperative Processing Units	60
6371	शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिये उपग्रह संचार व्यवस्था	Satellite Communication System for Educational T.V. Programmes	60
6372	आसाम में कचार जिले में चाटला में बसाये गये शरणार्थी लोग	Refugee settlers in Chatia in Cachar District, Assam	60-61
6373	गैर-पंजाबी शरणार्थियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Non-Punjabi Refugees	61
6374	शुद्ध घी का उत्पादन	Production of Pure Ghee	61
6375	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के विकास के लिये निगम	Corporation for Development of Terai Region of U.P.	62
6376	समुद्रपार संचार सेवा के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Overseas Communications Service Employees	62
6377	मुरादाबाद में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire in Moradabad	62-63
6378	गेहूँ का आयात	Import of Wheat	63
6379	खाद्यान्नों का रक्षित भन्डार	Buffer Stock of Foodgrains	63
6380	उड़ीसा में रायरंगूर उप-डाक-घरों के लिए भवन	Building for Sub-Post Office at Rairanghur in Orissa	63-64
6381	दिल्ली में नये डाक-घर	New Post Offices in Delhi	64
6382	हिन्द महासागर में मछलियों के मरने की संख्या	Fish Mortality in Indian Ocean	64
6383	केन्द्रीय श्रमिक कल्याण निधि	Central Labour Welfare Fund	65
6384	अधिक उपज देने वाली फसलें	High-yielding Crops	65-66
6385	केरल सरकार को उपहार-स्वरूप प्राप्त गेहूँ देना	Release of Gift Wheat to Kerala State	66
6386	आस्ट्रेलिया की भेड़ों का आयात	Import of Australian Sheep	66

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6387	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	67-68
6388	कोयला खानों में बोनस अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Bonus Act in Collieries	68-69
6389	खेती के लिये बैल	Bullocks for Cultivation	69
6390	शुद्ध घी के उत्पादन में कमी के कारण राष्ट्रीय आय में कमी	Decrease in National Income due to decline in production of pure ghee	69
6391	प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income	70
6392	सोयाबीन	Soya Beans	70-71
6393	दतिया, मध्य प्रदेशमें टेलीफोन केन्द्र के लिए इमारत	Accommodation for telephone exchange at Datia, Madhya Pradesh	71
6394	कारखाना अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Factories Act	71
6395	आश्वासनों की क्रियान्विति	Implementation of Assurances	71-72
6396	सुपर बाजार, नई दिल्ली के कर्मचारी	Employees of Super Bazar, New Delhi	72
6397	उद्योगों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग	Automation in Industry	72-73
6398	गेहूँ का बिक्री मूल्य	Issue Prices of Wheat	73
6399	चीनी पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Sugar	73-74
6400	उड़ीसा में डाक-तार विभाग के डिवीजन कार्यालय के लिए भवन का निर्माण	Construction of Building for Postal Divisional Office in Orissa	74
6401	उड़ीसा में बारबील में टेलीफोन एक्सचेंजों और उप-डाकघर के लिये भवन	Building for Telephone Exchange and Sub-Post Office at Barbil in Orissa	74-75
6402	बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons	75-76
6403	अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल	Strikes in Essential Services	76
6404	दोहरी फसल उगाना	Double-Crop Cultivation	76-77
6405	बैंकों तथा अन्य संस्थानों में 'धीरे काम करो' और 'नियमानुसार ही काम करो' आन्दोलन	"Go Slow" and "Work to Rule" in Banks and other Establishments	77
6406	अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains	77
6407	जेतसर फार्म	Jetsar Farm	77-78
6408	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission	78
6409	संचार मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी	Hindi Officer in the Ministry of Communications	78

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6410	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता	Medical Treatment allowance to P&T Employees	79
6411	समयोपरि भत्ता समाप्त करने के लिए डाक-तथा तार विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of staff in P and T Department to eliminate overtime allowance	79
6412	श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में हिन्दी अफसर	Hindi Officer in the Ministry of Labour and Rehabilitation	79.80
6413	बेरोजगार शिक्षित युवक	Educated Unemployed Youth	80
6414	अजमल खां रोड, देहली पर निष्क्रान्त सम्पति की बिक्री	Sale of Evacuee Property on Ajmal Khan Road, Delhi	80
6415	डाक टिकटों तथा मनीआर्डर फार्मों की कमी	Shortage of Postage Stamps and Money Order Forms	81
6416	दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पाद	D.M.S. Products	81
6417	पश्चिम बंगाल में गहन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agricultural Programme in West Bengal	81.82
6418	वनस्पति घी का बाजार से गायब हो जाना	Disappearance of Vanaspati from Market	82
6419	उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Cooperative Societies	82-85
6420	सामुदायिक विकास मंत्रालय का खाद्य मन्त्रालय के साथ विलय किये जाने के परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास कार्य में प्रगति	Progress in Community Development Work as a result of merger of Ministry of Community Development with Ministry of Food and Agriculture	85
6401	अनाज रखने के गोदाम	Godowns for storage of foodgrains	85-86
6422	द्वितीय श्रेणी की दूर संचार इंजीनियरी सेवा द्वारा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के विरुद्ध पारित संकल्प	Resolution Passed by T.E.S. Class II against Scheduled Castes Employees	86
6423	चीनी की मिलें	Sugar Mills	86-87
6424	चीनी का मूल्य	Sugar Price	87
6425	मजूरी बोर्ड का पंचाट	Wage Board Awards	87-88
6426	भविष्य निधि कर्मचारी	Provident Fund Employees	88
6427	कर्मचारियों का प्रबन्ध में भाग लेना	Participation of Workers in Management	88

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6428	मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Wage Board Recommendations	89
6429	कोयला खानों में सहकारी आन्दोलन	Co-operative movement in Coal Mines	89
6430	कोयला खान मजूदरों के लिए उपदान	Gratuity for Coal Mine Workers	89-90
6431	मई दिवस की सवेतन छुट्टी	May Day as paid Holiday	90
6432	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	90
6433	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा विदेश भेजे गये प्रतिनिधि मंडल	Delegations sent abroad by the Ministry of Food and Agriculture	90-91
6434	विधि मंत्रालय में सलाहकार समिति	Advisory Committee in the Ministry of Law	91
6435	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में सलाहकार समितियां और बोर्ड	Advisory Committees and Boards in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	91-92
6436	मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in the Ministry	92
6437	खेतिहर मजदूरों के लिए मकान	Houses of Agricultural Labourers	92
6438	खेतिहर मजदूरों की ऋणग्रस्तता	Indebtedness of Agricultural Labour	93
6439	बिस्फी ब्लाक का मुख्यालय	Bisfi Block Headquarters	93-94
6440	अभ्रक मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Mica Workers	94
6441	अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains	94-95
6442	अनाज के मूल्य	Prices of Foodgrains	95
6443	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी उद्योग के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Engineering Industry in West Bengal	95-96
6444	राजस्थान मरुस्थल का दिल्ली की ओर फैलना	Advance of Rajasthan Desert Towards Delhi	97
6445	श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers in the Labour and Rehabilitation Ministry	97-98
6446	आसाम में अभाव की स्थिति	Scarcity conditions in Assam	
6447	चूहों द्वारा अनाज की क्षति	Consumption of Foodgrains by Rats	98-99
6448	उत्तर प्रदेश और बिहार में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Construction of Tubewells in Bihar	99
6449	बच्चों को मजदूर रखने पर प्रतिबन्ध	Prohibitation of Child Labour	99-100
6450	बिहार के मधुबनी सब-डिवीजन में नये शाखा डाक-घर	New Branch Post Offices in Madhubani Sub-Division of Bihar	100

्० प्र० संख्या . Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	उद्योगों में युक्तीकरण तथा स्वचालित मशीनों के प्रयोग के लिए द्विपक्षीय समिति	Bipartite Committee for Rationalisation and Automation in Industries	100
452	गसरे समुद्र में पछली पकड़ने के बन्दरगाह	Deep Sea-Fishing Harbours	101
453	नई चीनी मिलें	New Sugar Factories	101-102
454	खांडसरी बनाने का नया यंत्र	New Device for Manufacture of Khandsari	102
455	टाटानगर फाऊंडरी, जमदशेपुर का बन्द होना	Closure of Tatanagar Foundry Jamshedpur	102-103
456	पश्चिमी बंगाल में कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े	Statistics regarding Agricultural Production in West Bengal	103-104
457	पूर्वी पाकिस्तान में अचल सम्पत्ति सम्बन्धी आंकड़े	Data re. Immovable Property in East Pakistan	104
458	निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम	Evacuee Property Act	104
459	उड़ीसा में झारसुगुडा में रेलवे डाक सेवा की डिवीजन	R.M.S. Division at Jharasuguda in Orissa	105
460	खरीफ फसल	'Kharif' Crop	105-106
461	किसानों के लिये ट्रैक्टरों के मामलों में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Tractors for Cultivators	106
462	चावल की पैदावार	Rice Production	106-107
463	उड़ीसा तथा राजस्थान में रेलवे के कब्जे में बेकार पड़ी खेती योग्य भूमि	Unused Cultivable Land in Prossession of Railways in Orissa and Rajasthan	107
464	राजस्थान और उड़ीसा को पशुपालन आदि के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan and Orissa for Animal Husbandry etc.	107
465	राजस्थान तथा उड़ीसा में गन्ने की खेती के विकास के लिए सहायता	Assistance for Development of Sugarcane Cultivation in Rajasthan and Orissa	107-108
466	हिमाचल प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Supply of Wheat to Himachal Pradesh	108
467	मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation Schemes in MP	108-109
468	मध्य प्रदेश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनः रोजगार देना	Re-employment of Landless Agricultural Labour in Madhya Pradesh	109

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
6469	पाकिस्तान सरकार पर देश विभाजन से पहले के मनीआर्डरों के दावे	Pre-Partition Money Order Claims Outstanding against Pakistan Government	109-110
6470	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Commission on Labour	110-111
6471	उत्तर प्रदेश में भूमि वितरण	Land Distribution in U.P.	111
6472	खाद्य विभाग से सम्बन्धित अपराध के मामले	Crime cases relating to Food Department	111
6473	नंगल फर्टिलाजर कर्मचारी संघ	Nangal Fertilizer Workers' Union	112
6474	माडर्न बेकरी में लायसीनी का प्रयोग	Use of Lysine in Modern Bakeries	112
6475	ट्रैक्टरों के साथ जोड़े जाने वाले ट्रेलरों पर सड़क कर लिया जाना	Road Tax charged on trailors attached to Tractors	112-113
6476	टाटा इलैक्ट्रिक एंड लोकोमोटिव कम्पनी के कर्मचारी	Tata Electric Locomotive Co. Workers	113
6477	टाटा कम्पनी के पास भूमि	Lands with Tatas	113-114
6478	खाद्यान्नों का संग्रह	Storage of Foodgrains	114
6479	संश्लिष्ट भोजन	Synthetic Food	114-115
6480	प्रमाणित बीज का उत्पादन	Production of Certified seed	115
6481	काले धब्बे वाला मैक्सीकन गेहूँ	Black-stained Mexican Wheat	115-116
6482	श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का पुनर्वास	Resettlement of Repatriates from Ceylon	116
6483	गंगापुर में भारतीय खाद्य निगम का गेहूँ तथा धान का स्टाक	F.C.I. stock of Wheat and Paddy in Gangapur	116-117
6484	राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज लगाना	Installation of P.C.Os. and Telephone Exchanges in Rajasthan	117
6485	हरियाणा में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Poll in Haryana	117
6486	राज्यों में खाद्य का उत्पादन	Food production in States	117-118
6487	दूध के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना	Schemes for Increasing Milk production	118-119
6488	आयशा ट्रैक्टर इंडिया लि० फरीदाबाद	Ayesha Tractor India Ltd., Faridabad	119
6489	भूमि अर्जित करने के लिये मुआवजा	Compensation for Acquiring Land	119
6490	ट्रैक्टरों का किसानों को किराये पर दिया जाना	Tractors on Hire service for Farmers	119-120

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6491	खेमकरण में लोगों को पुनर्वास	Rehabilitaions of Persons at Khem Karan	120-121
6492	भारत के विदेशों में दूतावासों में वैज्ञानिकों की नियुक्ति	Appointment of Scientists in Indian Missions abroad	121
6493	महाराष्ट्र राज्य में चावल मिलें	Rice Mills in Maharashtra State	121-122
6494	देहाती क्षेत्रों में भांडागारों का विकास	Development of Ware-houses in Rural Areas	122
6495	ज्वार का अधिकतम खरीद मूल्य	Ceiling price for the purchase Jowar	122-123
6496	दिल्ली के डाकघरों में स्थान तथा सुविधाओं का अभाव	Lack of Facilities and Accommodation in Delhi Post Offices	123
6497	वन एवं ईधन के काम आने वाले वृक्ष लगाना	Forestry-cum-fuel wood plantation	123-124
6498	श्रम अधिकारी	Labour Officers	124
6499	टेलीफोनों तथा ट्रंककालों में विलम्ब के बारे में शिकायतें	Complaints re. delay of Telegrams and Trunk Calls	124-125
6500	पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अनाज का आयात	Import of Foodgrains under PL 480	125
6501	मार्ग में खाद्यान्नों की क्षति	Damage of Foodgrains in Transit	125
6502	चीनी और गन्ने का उत्पादन	Sugar and Sugarcane Production	125-126
6503	दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियां	House Building Cooperative Societies in Delhi	126
6504	बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains in Bihar	126-127
6505	कम्प्यूटरों का आयात	Import of Computers	127-128
6506	वनों पर आधारित उद्योगों का विकास	Development of Forest-Based Industries	128-129
6507	आदिवासियों से धान की वसूली	Paddy Levy From Adivasis	129
6508	आदिम जातियों के शिक्षित लोगों के लिये चाय बागानों में और सरकारी दफ्तरों में रोजगार	Jobs for Educated Tribals in Tea Gardens and Government Offices	129-130
6509	धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उड़ीसा सरकार का विधान	Orissa Government's Legislation Prohibiting Conversions	130
6510	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मध्यावधि चुनाव	Mil-Term Elections in West Bengal, U.P. and Bihar	131-133

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6511	यू० एन० आई० न्यूज एजेन्सी की ओर टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Telephone Charges due from the Former News Agency	133
6512	राज्यों को मूल बीजों की सप्लाई	Supply of foundation seeds to States	133-134
6513	गेहूँ के मूल्य में वृद्धि	Rise in Wheat Price	134
6514	बड़े नगरों में खाद्यान्नों का राशन हटाना	Withdrawal of Food rationing from Metropolitan Cities	134-135
6515	कृषि ऋण	Agricultural credit	135-136
6516	कम्पयूटर लगाना	Installation of Computers	136
6517	विधि मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Law	136-137
6518	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की वसूली	Food Procurement in U.P.	138
6519	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भुवनेश्वर का कार्यालय	Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Bhubaneshwar	138
6520	सूखे के कारण आंध्र प्रदेश में चावल की फसल को हानि	Loss to Rice Crop due to Drought in Andhra Pradesh	138-139
6521	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of Food	139-140
6522	खेतिहर कृषि भूमि के स्वामी के रूप में	Tillers as Owners of Agriculture Land	140
6523	खेती योग्य परती भूमि	Cultivable Fallow Land	140-141
6524	चुनावों के दौरान मतदाताओं के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of transport facilities to voters during elections	141-142
6525	डाक टिकटों से आमदनी	Revenue from Postage	142
6526	चावल को विटामिनों से पौष्टिक बनाना	Fortification of Rice with Vitamins	142
6527	चावल मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Rice Mills	143
6528	दिल्ली में एक सुपर बाजार खोलना	Opening of a New Super Bazar in Delhi	143-144
6529	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुजरात का प्रादेशिक निदेशक	Regional Director of E. S. I. C. of Gujarat Area	144
6530	गन्ने का मूल्य	Sugarcane Price	144
6531	सरकारी विभागों द्वारा टेलीफोन बिल न चुकाये जाना	Non-Payment of Telephone Bills by Government Departments	145
6532	घरेलू ईधन के रूप में जलाने की लकड़ी	Fire-Wood used as Domestic Fuel	145
6533	सरोजिनी नगर नई दिल्ली में दुग्ध वितरण केन्द्र	Milk Booth in Sarojni Nagar, New Delhi	145-146

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
6534	गोरखपुर जिले में डाकघरों से सरकार को प्राप्त राजस्व तथा उन पर किया गया व्यय / Revenue Earned and Expenditure Incurred by Government on Post Offices in Gorakhpur District	146
6535	खेती योग्य भूमि के उपजाऊपन का वैज्ञानिक परीक्षण / Scientific Examination of Fertility of Cultivable Land	146
6536	दानेदार चीनी की उत्पादन लागत / Cost of Manufacture of Crystal Sugar	146-147
6537	मैसूर के रायूचर जिले में श्री लंका से प्रत्यावर्तित लोगों को बसाना / Settlement of Repatriates from Ceylon in Raichur District (Mysore)	147-148
6538	दिल्ली-भोपाल और दिल्ली इन्दौर टेलीफोन लाइन / Delhi-Bhopal and Delhi-Indore Telephone Lines	148
6539	दिल्ली के पहलादपुर गांव में पेय जल का टैंक / Drinking Water Tank in Pehldpur Village, Delhi	148-149
6540	हिन्दी में भेजे गये तार / Telegrams Booked in Hindi	149
6541	सार्वजनिक टेलीफोन घरों में ट्रंक काल की सुविधायें / Trunk Call Facilities at Public Call Offices	159
6542	कोयम्बूतर में अपना टेलीफोन रखिये व्यवस्था / O.V. Γ. System in Coimbatore	149-150
6543	झरिया में खनन कार्य / Mining Operations in Jharia	150-151
6544	वन संसाधनों में धन लगाने से पहले सर्वेक्षण करने की परियोजना में जासूसी की कार्यवाहियाँ / Espoinage activities in pre-investment Survey of forest resources project	151-152
6545	बन संसाधन परियोजनाओं का विनियोजन / Pre-investment survey of forest resources project	152-153
6546	वन संसाधन परियोजनाओं के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों को प्रतिवेदन / Report of Experts of pre-investment survey of forest resources project	153
6547	आवश्यकता पर आधारित मजूरी का मांग / Demand for need-based wages	153-154
6548	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें / Recommendations of coal mines wage board	154
6549	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें / Recommendations of Coal Mines Wage Board	154-155

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6550	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Coal Mines Wage Board	155
6551	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Coal Mines Wage Board	155-156
6552	कोयला खान मजदूरों के लिये जूते	Boots for Coal Mine Workers	156
6553	कुछ कोयला खानों में अनधिकृत खनिक होस्टल	Unauthorised Miners' Hostels in certain Colleries	156
6554	कैम्पों में कोयला खानों के मजदूर	Coal Mine Workers in Camps	156-157
6555	पंजाब में खाद्यान्नों और उर्वरकों का विक्रय	Marketing of Foodgrains and Fertilizers in Punjab	157
6556	केरल में चोरबाजार में चावल की बिक्री	Sale of Rice in Blackmarket in Kerala	157-158
6557	डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to P and T Employees	158
6558	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Representation of People Act	158
6559	समाचार-पत्र उद्योग में कार्य करने की शर्तें	Working Condition in Newspapers Industry	158-159
6560	त्रिपुरा में सहकारी समितियों का परिसमापन	Liquidation of Cooperative Units in Tripura	159
6561	एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ	Agro-Industrial Corporation, Lucknow	160
6562	बिहार में अच्छे बीजों की नयी किस्म का प्रयोग	Use of New Varieties of Improved Seeds in Bihar	160
6563	केरल की चावल की सप्लाई के बारे में केरल के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा जारी की गई कविता	Poem Issued by Public Relations Officer of Kerala on Rice Supply to Kerala	160-61
6564	कृषि अनुसंधान कार्य	Agriculture Research Work	161-162
6565	बलीहारी कोयला खान में ठेके के श्रमिक	Contract Labour in Balihari Colliery	162
6566	दिल्ली के उद्योगों में न्यूनतम वेतन	Minimum Wages in Industries in Delhi	162
6567	एन० बी० सी० सी० कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by N.B.C.C. Karmachari Union	162-163

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6568	स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation	163.164
6569	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishments in Andaman and Nicobar Islands	165
6570	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे	Provident Fund Accounts of Industrial staff in Andaman and Nicobar Islands	165-166
6571	पटना में रेलवे डाक सेवा की इमारत में स्थान की कमी	Paucity of Accommodation in R.M.S. Buildings	166
6573	चुनाव कराने के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के विचार जानना	Views of Political Parties for Conducting Elections	166
6574	कृषकों को उवरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers to Farmers	166-167
6575	युद्ध से प्रभावित लोगों को सहायता	Relief to war-affected People	167
6576	डीजल पम्पिग सैट लगाने के लिये बिहार के कृषकों को सहायता	ing Diesel Pumping Sets	167
6577	आन्ध्र प्रदेश में सूखा	Drought in Andhra Pradesh	168
6578	प्योर कापासरा कोयला खान (धनबाद) में दुर्घटना	Accident in Pure Kapasara Colliery (Dhanbad)	168-169
6579	देश में पौष्टिक भोजन तैयार करना	Preparation of Nutritious Meals in the Country	169
6580	हरियाणा में एक बूचड़खाना की स्थापना के विरुद्ध प्रदर्शन	Demonstration against setting up Slaughtering House in Haryana	170
6581	खाद्य नीति	Food Policy	170
6581-क	कृषि उद्योग निगम	Agro-Industrial Corporation	170-171
6581-ख	राष्ट्रीय वेतन आयोग	National Pay Commission	171-172
6581-ग	हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University for Haryana	172
6581-घ	कार्बेट नेशनल पार्क (उत्तर प्रदेश)	Corbett National Park (U.P.)	172
6581-ङ	वन्य पशु-पक्षी आखेट निषिद्ध क्षेत्र काजीरंगा	Kaziranga Wild Life Sanctuary	172-173
6581-च	उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवार	Applicants seeking admission in Government-aided Industrial Training Centres in Uttar Pradesh	173
6581-छ	शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed Youth	173.174

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	174-176
याचिका समिति	Committee on Petitions	176
(1) कार्यवाही सारांश	(1) (Minutes)	
(2) पहला प्रतिवेदन	(2) Third Report	
(3) दूसरा प्रतिवेदन	(3) Evidence	
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	176-177
तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Starred Question No. 539	177
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	178-179
कच्छ निर्णय के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matter Under Rule 377 re. Kutch Award	179-181
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
विदेश विवाह विधेयक पर संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	Motions re. Joint Committee on Foreign Marriage Bill	181-182
पंजाब सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प स्वीकृत तथा पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Statutory resolution re. Proclamation in relation to Punjab adopted and Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill	182-198
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	
श्री देविन्दर सिंह	Shri Devinder Singh	
श्री जे. मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री गु० सिं० ढिल्लों	Shri G. S. Dhillon	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	
श्री किकर सिंह	Shri Kikar Singh	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
सार्वजनिक दीर्घा में घटना	Incident in the Public Gallery	
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक	Criminal and Election Laws Amendment Bill	198-199
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion refer to Joint Committee	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
आंध्र प्रदेश तथा मैसूर और मद्रास के कुछ भागों में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. situation arising out of drought conditions in Andhra Pradesh and Parts of Mysore and Madras	199-218
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkata Subbaiah	
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	
श्री चेंगलराय नायडू	Shri Chengalraya Naidu	
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	
श्री किरुतिनन	Shri Kiruttinan	
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Vishwanatham	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Eswara Reddy	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	
श्री तिरुमल राव	Shri Thirumala Rao	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	
श्री एम० नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	
श्री जी० वेंकटास्वामी	Shri G. Venkatswamy	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Sinde	
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार 29 अगस्त 1968 / 7 भाद्र, 1890 (शक)
Thursday, August 29, 1968 / Bhadra 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिंद महासागर में शक्तिशाली संचार उपग्रह छोड़ना

*752. **श्री महंत दिग्विजय नाथ :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा अमरीका अगले वर्ष तक हिन्द महासागर में एक शक्तिशाली संचार उपग्रह छोड़ने के बारे में सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है और उसमें भारत का कितना भाग होगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत पूना के निकट अरबी में उसी नमुने पर एक भू-स्थित स्टेशन बना रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत की संचार तथा अन्य सेवाओं के लिये यह संचार उपग्रह कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अमरीका समेत 61 अन्य देशों सहित भारत अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संघ (इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशंस सैटेलाइट कन्सोर्टियम), का सदस्य है । इस संघ की 1969 के मध्य तक हिन्द महासागर पर एक संचार-उपग्रह छोड़ने की योजना है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संघ भूमाण्डलिक-वाणिज्यिक संचार उपग्रह प्रणाली (ग्लोबल कामर्शियल कम्यूनिकेशंस सैटेलाइट सिस्टम) स्थापित करने के एक कार्यक्रम के अधीन

संचार उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रणाली की कुल लागत 20 करोड़ डालर रहने का अनुमान है। कुल लागत में भारतीय अंश 0.5 प्रतिशत होगा।

(ग) जी हां।

(घ) उपग्रह संचार प्रणाली से भारत को जो लाभ प्राप्त होंगे वे ये हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय तार, टेलीफोन, रेडियो-फोटो और टेलेक्स परियात की भारत की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये विश्वसनीय, स्थिर तथा ऊंचे दर्जे की अन्तर्राष्ट्रीय-संचार-सुविधाओं की उपलब्धि ; और

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रमों का व्यवहार करने की क्षमता की उपलब्धि।

Shri Mahant Digvijai Nath : Mr. Speaker, Sir I want to know what effect it will have on Thumba Station and International telephone system ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि इसका टेलीफोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा में सुधार होगा।

Shri Mahant Digvijai Nath : May I know whether it is not possible to construct the ground station some where in Northern India instead of constructing it in Poona as there is danger of foreign invasion of Northern India ?

Shri I. K. Gujral : There is no likelihood of constructing this station any where else except Poona as it has been decided after considering all aspects to construct this ground station at Arvi near Poona.

श्री मनुभाई पटेल : कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में यह छपा था कि उपग्रह-स्टेशन के लिए सबसे अच्छा केन्द्र अहमदाबाद होगा और सरकार अहमदाबाद में ऐसा स्टेशन स्थापित करने के लिये तैयारी कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया जायेगा ?

श्री० इ०कु०गुजराल : माननीय सदस्य दो प्रश्नों को एक साथ मिला रहे हैं। अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए तथा प्रयोग के लिए एक प्रायोगिक स्टेशन है। और यह प्रश्न संचार उपग्रह भूस्थित स्टेशन बनाने के बारे में है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार के मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में बहुधा परिवर्तन कर देते हैं। 15 अगस्त, 1967 को श्री इ०कु० गुजराल ने घोषणा की थी कि यह उपग्रह वर्ष 1968 के उत्तरार्ध में चालू हो जायेगा लेकिन अभी उन्होंने सभा को बताया यह अगले वर्ष छोड़ा जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस एक वर्ष के विलम्ब का क्या कारण है तथा, क्या देश की विशालता को देखते हुए एक अन्तर्देशीय संचार उपग्रह छोड़ने की कोई योजना है ?

श्री इ० कु० गुजराल : देरी का कारण यह है कि क्योंकि उपग्रह केवल तभी परिक्रमा-पथ में भेजे जायेंगे जब अनेक देशों के उपयोग-स्टेशन (यूटीलाइजेशन स्टेशन) तैयार हो जायेंगे। जापान और भारत पहले स्टेशन होंगे जो वर्ष 1969 तक तैयार हो जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ कार्यक्रम में देरी का करण यह था कि उपयोग-स्टेशन तब तक उपलब्ध नहीं थे ...

श्री रंगा : अन्तर्देशीय संचार उपग्रह के बारे में क्या है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक अन्तर्देशीय संचार उपग्रह का सम्बन्ध है, हम इसकी जांच

कर रहे हैं; इस प्रकार पूछना बड़ी शीघ्रता करना है; हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यह निर्णय कर सकें कि क्या अन्तर्देशीय उपग्रह हमारे लिये लाभदायक होगा ?

श्री अनन्त राव पाटिल : मैं जानना चाहता हूँ कि पूना से अर्वी कितनी दूरी पर है क्योंकि अर्वी पूना के मानचित्र में नहीं है ?

श्री इ० कु० गुजराल : स्टेशन का नाम अर्वी है, मेरे विचार से यह पूना से कुछ ही मील दूर है ।

श्री प० गोपालन : यह समाचार था कि यह उपग्रह एक विस्तृत क्षेत्र में काम कर सकेगा अर्थात एक ओर जापान को तथा दूसरी ओर लन्दन । इस उपग्रह को प्रशान्त महासागर तथा अटलाँटिक महासागर में परिचालित दूसरे उपग्रहों को साथ जोड़ना भी सम्भव है ।

श्री इ० कु० गुजराल : यह इस योजना का एक अंग है ।

श्री प० गोपालन : मैंने अभी अपने प्रश्न को पूरा नहीं किया है । अमेरिकनों द्वारा इस उपग्रह को जासूसी के लिये उपयोग किये जाने की सम्भावना है क्योंकि इस सूक्ष्म यन्त्र विन्यास को चलाने वाले मुख्यत: अमेरिकन ही होंगे । देश की सुरक्षा के इस खतरे को ध्यान में रखते हुए तथा विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में विशेषज्ञों ने इस सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किये हैं कि आर्थिक तथा तकनिकी दोनों दृष्टियों से इस उपग्रह पद्धत्ति की अपेक्षा केबल पद्धत्ति अधिक अच्छी है, क्या सरकार हिन्द महासागर में इस उपग्रह को छोड़ने के बारे में अपने निर्णय पर पुन: विचार करेगी ?

श्री इ०कु० गुजराल : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि केबल प्रणाली उपग्रह प्रणाली की अपेक्षा अधिक अच्छी है मेरा इस बारे में माननीय सदस्य से मतभेद है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य की जानकारी सही है ।

श्री प० गोपालन : यह विशेषज्ञों का मत है ।

श्री इ० कु० गुजराल : हमेशा प्रत्येक समस्या के बारे में भिन्न-भिन्न मत होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषज्ञ भी बहुत हैं ।

श्री इ०कु० गुजराल : जहां तक जासूसी आदि का सम्बन्ध है मैं इसके बारे में नहीं जानता। जब तक माननीय सदस्य कुछ जानकारी न दें । मैं नहीं समझता कि इस उपग्रह का उपयोग जासूसी के लिये किया जा सकता है ।

श्री प० गोपालन : क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं कि इसका उपयोग जासूसी के लिये नहीं किया जायेगा ?

डा० रानेन सेन : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि वह नहीं जानते कि उपग्रहों का उपयोग जासूसी के काम के लिये किया जा सकता है अथवा किया जाता है । क्या उनको इस बात का पता है कि आज विश्व में प्रगतिशील देशों द्वारा अपने शत्रु देशों में जासूसी करने के लिये इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है ? यदि उनको इस बात की जानकारी है तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उन्होंने इस बात की पूछ ताछ की है कि अमेरिका इस उपग्रह पर खर्च होने वाली राशि का अधिकतम भाग देकर इसे स्थापित करने में इतनी रूचि क्यों दिखा रहा था जबकि भारत केवल 0.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है ? इन उपग्रहों को, स्थापित करने में अमेरिका द्वारा रुचि दिखाने का क्या कारण था ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जासूसी के कौन से तरीके हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इस समय कक्ष में कई उपग्रह हैं। मैं नहीं जानता कि कौन से उपग्रह किस काम में लाये जा रहे हैं, इसलिये मैं नहीं बता सकता कि एक विशेष उपग्रह जासूसी के काम में लाया जायेगा अथवा नहीं लाया जायेगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि अमेरिका इस कार्य में बहुत अधिक धन लगा रहा है, मेरा निवेदन है कि केवल अमेरिका से इस कार्य के लिए धन नहीं आ रहा है, यह एक शेयर होल्डिंग कम्पनी है, और इस कार्य में 62 देश भाग ले रहे हैं तथा अपने यातायात के अनुसार धन लगाते हैं और इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि केवल एक ही देश इस कार्य में विशेष रूचि रखता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या यह सच नहीं है कि बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के कई उपग्रह भारत के भीतर सक्रिय हैं ?

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, I want to know which countries are included in this agreement, which we have entered into and in which our share is 0.5 percent and whether it will be possible to exchange news and telephonic calls with all the communist and non-communist countries ; and whether it will be open to the whole world or it will be limited only to the countries participating in it ?

Shri I. K. Gujral : At present only 62 countries have signed this agreement. It is unfortunate that both the communist and non-communist countries are not participating in this satellite system but the communist countries have their own separate system. It would have been better if all have come together but it seems that both are not joining hands together.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it will not be inter-changeable ?

Shri I. K. Gujral : No, Sir.

तेल निगमों तथा तेल कम्पनियों में औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करना

*754. **डा० रानेन सेन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गये तेल शोधन तथा वितरण सम्बन्धी अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के तेल निगमों तथा गैर सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के मामले में केन्द्रीय सरकार के अधीन लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग, न कि सरकार, विचार करेगी। सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही विचार करेगी।

डा० रानेन सेन : यद्यपि यह सच है कि अध्ययन दल की सिफारिशें राष्ट्रीय श्रम आयोग के लिये थीं तथा ये सिफारिश आयोग को दी भी गई थीं ; और यह भी मन्त्री महोदय को विदित है, कि पहले भी ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं जिनके कारण भारत सरकार को विभिन्न राज्यों में

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के तेल-निगमों में उत्पन्न होने वाले विवादों में हस्तक्षेप करने से रुकना पड़ा था। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा इन सुझावों की जांच करने से पूर्व इन सुझावों को अपनाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री हाथी : ये विवाद केवल तेल कम्पनियों में ही नहीं प्रत्युत सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में भी उत्पन्न हो गये हैं। सरकारी क्षेत्र के संस्थान विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं। इनसे सम्बन्धित औद्योगिक सम्बन्धों तथा विवादों के बारे में राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं। अतः ये समस्यायें खड़ी हुई हैं तथा सरकार इस बारे में सोच-विचार कर रही है। परन्तु यह प्रश्न राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष भी है, और इसलिये हमें राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। उनकी सिफारिशों से पूर्व हम कोई निर्णय लेना नहीं चाहते।

डा० रानेन सेन : गैर सरकारी तेल-कम्पनियों में स्वचालित यंत्रों तथा अतिरिक्त श्रम के बारे में भारत सरकार ने राज्य सरकारों की प्रतीक्षा नहीं की है तथा वह कोई उपाय करती है परन्तु उन्होंने इस सारे मामले की जांच के लिये एक आयोग स्थापित कर दिया है। सरकार को यह भी मालूम है कि इस विशिष्ट उद्योग-क्षेत्र में पहले अतिरिक्त श्रम तथा स्वचालित यंत्रों आदि का प्रश्न उठा था। वास्तव में, भारत में यह प्रश्न अन्य उद्योगों की अपेक्षा पहले इस उद्योग में आरम्भ हुआ था। इस उद्योग में उत्पन्न इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार पहले ही कुछ उपाय करने को तैयार हैं ?

श्री हाथी : तेल-कम्पनियों, आयोग तथा अतिरिक्त लोगों की छटनी आदि से सम्बन्धित प्रश्न राज्य सरकारों के विषय हैं। इस विशिष्ट मामले पर राज्य सरकारों की सहमति से ही इस जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी परन्तु वह एक विशिष्ट मामले को लेकर थी। जब भी ऐसे विशिष्ट मामले पैदा होते हैं, हम विचार करते हैं कि क्या राज्य सरकार की सलाह से कोई राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु यहां प्रश्न सारे ही औद्योगिक विवादों को केन्द्र सरकार के अधीनस्थ करने का है। यह एक बड़ा प्रश्न है जिस पर कि राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है।

श्री रा० की० अमीन : इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकार ने अपने मुख्य अर्थ व्यवस्था ढांचे को मिश्रित अर्थ व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है, तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाये, क्या मैं सरकार और मन्त्री महोदय से यह आश्वासन पा सकता हूँ कि श्रम कानूनों तथा मजूरियों के बारे में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों को समान कार्य तथा व्यवहार प्रदान किया जायेगा ?

श्री हाथी : निश्चय ही, श्रम कानून सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होने चाहिये। यह प्रश्न इससे भी सम्बन्धित है कि श्रम कानूनों की दृष्टि से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के संस्थान केन्द्र सरकार के अधीनस्थ आने चाहियें। यह एक सुझाव है तथा इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के विचार से यह सच है कि सरकारी क्षेत्र को श्रम क्षेत्र में असन्तोष तथा कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के मध्य अप्रिय सम्बन्धों के,

संक्षेप में, कारण ये हैं कि भारतीय तेल निगम अथवा हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने जैसे केन्द्रीय संस्थानों के एकक विभिन्न राज्यों में हैं परन्तु श्रम सम्बन्धी जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों को दे दी गई हैं और इस हेतु वहां समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और यद्यपि केन्द्र सरकार तो एक है परन्तु विभिन्न सरकारें विभिन्न ढंग से मामले को लेती हैं। यदि वह यह स्वीकार करते हैं कि मतभेद का मुख्य कारण यही है तो क्या सरकार अनेक कर्मचारी संघों द्वारा उठाये गये इस प्रश्न पर विचार करना चाहेगी कि कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों वाले मामले सीधे ही सरकार के अधीनस्थ हों तथा इन मामलों को विभिन्न राज्यों पर न छोड़ा जाये ?

श्री हाथी : बिल्कुल ठीक है। यही उत्तर मैंने दिया था। वास्तव में, श्रम आयोग इसकी जांच कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह यह मानते हैं कि यह एक मुख्य कारण है। इस बारे में उनका क्या उत्तर है ?

श्री हाथी : मैं इससे केवल सहमत ही नहीं हूँ बल्कि मैंने इस मामले को राज्यों के श्रम मंत्रियों के समक्ष भी रखा था। मैं उनके विचार जानना चाहता था। राज्य तो अपने नियंत्रण को कम करने में हिचकेंगे। इसीलिये मैं राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

श्री रंगा : यह केन्द्र सरकार पर एक भार भी होगा।

श्री हाथी : संभव है।

श्री रमानी : क्या अध्ययन दल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के राज्य उद्योगों अर्थात, जो कि सरकारी क्षेत्र में हैं, पर लागू होने के बारे में विचार किया है ? मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे नगरों में, सरकारी क्षेत्र के तेल-उद्योग में कर्मचारी संघों तथा उनके पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। क्या अध्ययन दल ने इस बारे में, अर्थात् संघों में कार्य करने वाले संघों के पदाधिकारियों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है तथा क्या कोई सिफारिश की है ? सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : जब एक माननीय सदस्य प्रश्न कर रहा हो अथवा बोल रहा हो तो यह सब को विदित है कि उसके तथा अध्यक्ष के बीच में नहीं बोलना चाहिये। पिछले 15 मिनटों में मैंने देखा है कि कई सदस्यों ने ऐसा किया है। क्या मैं सदस्यों से प्रार्थना कर सकता हूँ कि एतत् पश्चात् इस नियम का पालन करें।

श्री हाथी : अध्ययन दल की नियुक्ति ऐसे सरकारी संस्थानों पर राज्यों और केन्द्र के क्षेत्राधिकार के बारे में जांच करने के लिए की गई थी अर्थात् ये क्षेत्राधिकार केन्द्र द्वारा ले लिये जायें अथवा नहीं। अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। मैं नहीं जानता कि अध्ययन दल द्वारा व्यक्तिगत मामलों पर भी विचार किया गया है अथवा नहीं, इसका ब्यौरा हमें नहीं मिला है।

श्री दामानी : पिछले दो वर्षों में मजूरी में वृद्धि के कारण लागत दर बढ़ गई है। क्या सरकार मजूरी को उत्पादन के साथ जोड़ने पर विचार करेगी ताकि इस प्रकार लागत में वृद्धि न हो ?

श्री हाथी : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेम बरुआ : इस देश में कार्य करने वाली 9 तेल शोधक कम्पनियों में से अधिकतर गैर

सरकारी क्षेत्र में हैं। जहां तक विदेश तेल-शोधक कम्पनियों का सम्बन्ध है, वहां पर कर्मचारियों की नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं है। जब भी चाहते हैं मालिक उन्हें निकाल देते हैं। देश में कम से कम विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा रखने के बारे में सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री हाथी : यह ऐसा प्रश्न है जिसका मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ। हमने एक जांच आयोग नियुक्त किया है जो कि इस पर विचार करेगा।

श्री हेम बरुआ : तब तक इन लोगों की सुरक्षा के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं ?

श्री हाथी : यहां फिर राज्य सरकारों से सम्बन्धित मामला आता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एतत् पश्चात श्रम सम्बन्धी सारे प्रश्न राष्ट्रीय श्रम आयोग से पूछे जायें।

पश्चिम बंगाल में सुखसागर, नदिया तथा दोगाचिया लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

*755. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में सुखसागर, नदिया तथा दोगाचिया 'लिफ्ट' सिंचाई योजनाएं पम्प तथा अन्य मूल्यवान मशीनें लगाये जाने के तीन वर्ष बाद भी पूर्ण तथा पर्याप्त रूप में नहीं चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) अब तक इन योजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रायः ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा उत्तर सुनने को मिलता है कि यह समझ में नहीं आता कि क्या करें। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, उस प्रदेश में सभी राजनैतिक दल प्रशासन हथियाने को लालायित है, परन्तु जब जनता के लिये कुछ करने की बात आती है तो उन्हें कुछ मालूम नहीं.....

श्री वासुदेवन नायर : स्वतंत्र दल को छोड़ कर।

श्री सु० कु० तापड़िया : यही कारण है कि मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं लोगों के लिये कुछ करना चाहता हूँ। उन के दल का भी शासन रहा है।

क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सिंचाई और कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली की दर भारत भर में सबसे ऊंचे है, और उसका यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में पम्पों तथा सिंचाई के अन्य उपायों के लिये बिजली का प्रयोग लोकप्रिय नहीं हो पाया है। यदि हाँ, तो ये मूल्य कम करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : यही मात्र कारण है कि पम्प क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न तो उठाऊ सिंचाई योजना को लागू करने से सम्बन्धित है। यद्यपि बिजली के प्रयोग का भी प्रश्न बीच में आता है, परन्तु उसका इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रश्न यह है कि क्या पम्प ठीक से काम नहीं कर रहे हैं यद्यपि उनको लगाये हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि वे क्यों नहीं लगाये गये हैं बल्कि वे ठीक से कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिये कि बिजली की दरें बहत ऊंची हैं? अत: यह इससे सम्बन्धित है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिम बंगाल के लिये अनेक योजनायें थी परन्तु वह पूरी नहीं हुई। इसी कारण हमने पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी है कि नई उठाऊ सिंचाई योजनाओं को लेने से पूर्व वह पहले से ही हाथ में ली जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को यह हमारी सलाह है। पश्चिम बंगाल में बिजली की ऊंची दरों के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्र की स्थिति तो सब जानते हैं। हम राज्य सरकारों को परामर्श देते रहे जान हैं कि वे इन दरों को किसी निश्चित स्तर तक रखें।

श्री सु० कु० तापड़िया : अब मैं दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकता हूँ? अध्यक्ष महोदय यह तो आप देखें कि क्या उत्तर ठीक दिया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को सलाह दी है कि उस सरकार को भविष्य में क्या करना चाहिये। मेरा प्रश्न तो जो कुछ पीछे पूछा जाचुका है उसके बारे में हैं। अब आप ही निर्णय दें।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just now said the electricity rates there are high. I want to know what are the rates in Bihar and what are in Bengal ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य यह प्रश्न सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय से करें।

श्री स०चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में उठाऊ सिंचाई योजना को छोड़ दिया गया है क्योंकि मन्त्री महोदय पश्चिम बंगाल के उन कूओं के चलने के बारे में कोई कारी नहीं दे पा रहे हैं?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को जानकारी देने के लिये कहा था। हमने उन्हें तार भेजे तथा और भी विभिन्न साधनों से सम्पर्क स्थापित किया परन्तु वे लोग कहते हैं कि वे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तथा इसमें कुछ समय लगेगा। ऐसी स्थिति में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में यह उठाऊ सिंचाई योजना प्राय: संतोष जनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है? क्या इस सम्बन्ध में निकले परिणाम लागत के अनुसार उचित हैं? क्या सरकार को इन योजनाओं के कार्य के बारे में विभिन्न राज्यों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होती है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीया सदस्या का यह अनुमान गलत है। उठाऊ सिंचाई योजनाएँ देश के अनेक भागों में बड़े संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं तथा ऐसी योजनायें हमारे खाद्य उत्पादन के कार्यक्रम में बड़ी सहायता करती हैं।

श्री जुगल मंडल : क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि मद्रास में 40,000 की तुलना में सारे बंगाल में केवल 1100 कूए लगाये गए हैं तथा 1100 में से भी प्रायः 70 प्रतिशत से भी अधिक में बिजली नहीं लगाई गई है तथा वे चालू हालत में नहीं है ? ये नलकूप पांच या छः वर्ष पहले लगाये गये थे और बहुत सम्भावना है कि वे रुद्ध हो जायेंगे । उन्हें चालू करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : छोटी सिंचाई योजनाओं को चालू करने के लिये योजना बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है । हम तो पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी राज्य सरकारों की हर सम्भव सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारी सहायता का ढंग भी इतना उदार है कि 60 प्रतिशत को अग्रिम ऋण के रुप में हम देते हैं तथा 15 प्रतिशत अनुदान के रुप में देते हैं; राज्य सरकारों को अपने बजट से केवल 25 प्रतिशत व्यय करना होता है । मेरे विचार से पश्चिम बंगाल में भी नलकूप तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कम गहरे नलकूपों के लिये एक योजना प्रस्तुत की है और मैं समझता हूँ इस के लिये 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी तथा रिजर्व बैंक को यह धन देना था । अब भूविज्ञान सर्वे रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक यह धनराशि देने को राजी नहीं है । वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इससे रिजर्व बैंक का सीधा सम्बन्ध नहीं है । कुछ एक योजनाओं की कृषि वित्त निगम द्वारा जांच की जा रही है । इन योजनाओं को लागू करने के लिए वे ऋण के लिए स्वीकृति दे देंगे ।

श्री रंगा : इस विचार से कि पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महीने और भारत सरकार का दायित्व रहेगा, तथा वहां की स्थिति के अध्ययन और जानकारी की दृष्टि से, क्या मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे तथा एक दो उच्च स्तरीय अधिकारियों को मामले का अध्ययन करने हेतु भेजेंगे और उन्हें आवश्यक आदेश देंगी कि वे इस सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण कार्यवाही करें ताकि इन कूपों में बिजली लग जाये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को अनुभव करता हूँ । मैं स्वयं कुछ दिन हुए वहां गया था तथा इस विशिष्ट समस्या पर विचार किया था । पश्चिम बंगाल में पानी तो बहुत है परन्तु उसका लाभ बहुत कम उठाया जा रहा है । हम पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं तथा उन्हें और अधिक योजानायें लागू करने के लिये फिर से याद दिलायेंगे ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : सुख सागर, नादिया तथा दोगाचिया-इन तीनों योजनाओं में पम्प बिल्कुल बेकार पड़े है तथा उन्होंने उनका कोई प्रयोग नहीं किया है। लोग जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कह देते हैं कोई कल-पुर्जा नहीं है, या कोई अन्य बात है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि उन्हें वे योजनायें पूरी करनी चाहिये जो वे पहले ही हाथ में ले चुके हैं ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास

*756.**श्री के०आर०गणेश :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है, योजना का कुल परिव्यय कितना है और इस के पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रधान मन्त्री द्वारा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह को 'विशेष क्षेत्र' घोषित किया गया है क्योंकि यह समेकित संसाधन विकास के लिए विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रमुख रूप से उचित था । कार्यक्रम का उद्देश्य उस क्षेत्र का समेकित संसाधन विकास है ।

2. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह का समेकित संसाधन विकास कार्यक्रम बनाने के लिए पुनर्वास विभाग द्वारा अन्तर विभागीय दल का गठन किया गया । दल ने अप्रैल 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । दल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम का यह अनुमान है कि मध्य 1965 की जन-संख्या, 1976 तक दुगनी होकर 75, 000 के करीब हो जाएगी, और 1976 की समाप्ति पर यह 1 लाख के करीब बढ़ जाएगी, अगले 10 से 15 वर्षों के दौरान 1.25 लाख एकड़ के करीब भूमि सुधार होगा और इसका उपयोग कृषि और रबड़, नारियल, सुपारी आदि के बागान लगाने के लिए किया जायेगा, मीनक्षेत्र विकास कार्यक्रम का ध्येय 200 टन प्रतिवर्ष मछलियों से बढ़ाकर 2000 टन प्रतिवर्ष बढ़ाना है, निर्यातोन्मुख चीनी मिल के अतिरिक्त लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी और पर्याप्त आर्थिक व सामाजिक अवस्थापना का निर्माण किया जाएगा ।

3. अन्तर-विभागीय दल द्वारा किए गए सिफारिशों के अनुसरण में विशिष्ट परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । इस पर भारत सरकार विचार करेगी और फिर निर्णय लिया जाएगा । चूंकि विभिन्न परियोजना प्रतिवेदनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतएव इस समय यह बताना कठिन है कि इस पर कितना व्यय आएगा और इसको लागू करने की अनुमानत: अवधि कितनी होगी ?

4. विभिन्न योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया हुआ है ।

(एक) बेतापुर और नील द्वीपसमूह बन्दोबस्त योजना

(क) बेतापुर बन्दोबस्त योजना

जंगलात भूमि का 2050 स्कड़ का क्षेत्र साफ किया गया है तथा उसको सुधारा गया है । यह भूमि 330 प्रवासी परिवारों को व्यक्तिगत आधार पर दी गई है और उनको पुनर्वास सुविधाएं दी जा रही हैं । जिन प्रवासियों को भूमि दी गई है, उन्होने चालू कृषि फसल के दौरान में धान, पटसन और सब्जियां बोई हैं ।

(ख) नील द्वीपसमूह बन्दोबस्त योजना :

अप्रैल-मई 1967 से इस द्वीपसमूह में गए 86 परिवारों ने नील द्वीपसमूह के जंगलात भूमि

के 1300 के करीब एकड़ में से लकड़ी निकाली है और इसमें से 200 एकड़ क्षेत्र को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है, इस वर्ष के दौरान 114 और परिवार आयेंगे। इस द्वीप में धान और सब्जी उगाई गई है।

(दो) **रबड़ अनुसंधान और विकास स्टेशन की स्थापना :**

रबड़ अनुसंधान और विकास स्टेशन के लिए 39.31 लाख रुपये की लागत की एक योजना की स्वीकृति दी गई है जिसके अन्तर्गत 500 एकड़ भूमि आएगी। 500 एकड़ की समस्त क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं। उनकी ठीक से बढ़ोतरी हो रही है। बर्मा से वापिस आए 37 परिवार उस भूमि में मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(तीन) **कच्छल व्यापारिक रबड़ बागान योजना**

कच्छल द्वीप में 6000 एकड़ भूमि में व्यापारिक रबड़ बागान लगाने की एक योजना, जिस पर 450 लाख रुपये लागत व्यय आयेगा, स्वीकृत हुई है। इस वर्ष के अन्त तक 150 एकड़ भूमि में बागान लगाने का विचार है। इसके पूर्ण हो जाने पर 1200 परिवारों के लिए रोजगार देने की सम्भावना है।

(चार) **मैंग्रूव जंगलात का सुधार**

नदी अनुसंधान संस्था, पश्चिमी बंगाल के निदेशक के अधीन एक तकनीकी दल ने द्वीपसमूहों का दौरा करके यह कहा है कि मैंग्रूव जंगलात का 230 वर्गमील में सुधार करने के बहुत अच्छे आसार हैं। मैंग्रूव जंगलात को सुधारने का कार्य करने से पहले एक अनुसंधान दल स्थापित करने का प्रस्ताव है जो आवश्यक सर्वेक्षण और अनुसंधान करेगी।

(पांच) **मत्स्य क्षेत्र**

खाद्य व कृषि मंत्रालय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सम्भावनाओं की खोज के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। समुद्र से दूर और देश के भीतरी भागों में मछली पकड़ने के कार्यक्रम पर विचार हो रहा है।

(छः) **भूतपूर्व सैनिकों को ग्रेट निकोबार द्वीप में बसाना**

ग्रेट निकोबार द्वीप में जाने के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले ही हाथ में ले लिये गए हैं। यह निर्णय किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वहाँ बसाया जाय। सौ भूतपूर्व सैनिकों के परिवार का पहला जत्था मार्च 1969 तक द्वीप में भेज दिया जायेगा।

(सात) **लिटिल अंदमान :**

लिटिल अंदमान द्वीप में नई बस्ती बनाने का निर्णय किया गया है। आरम्भ में 1500 एकड़ भूमि का सुधार किया जायेगा। पुनर्वास सुधार संस्था की पूर्ण उपकरणों से युक्त इकाई का एक भाग इस द्वीप को चला गया है और शेष आगामी सर्दियों के दौरान वहां चला जाएगा।

(आठ) **जहाजों के उतरने की व्यवस्था :**

परिवहन सुविधाओं में जो इस समय अपर्याप्त हैं, सुधार लाया जा रहा है। कच्छल द्वीप में जहाजों के उतरने की सुविधाएँ पहले ही दी जा चुकी हैं। लिटिल अंदमान, ग्रेट निकोबार, नील, हैवलोक और कमोत्रा द्वीपसमूहों में उतरने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। ग्रेट निकोबार और लिटिल अंदमान द्वीपसमूहों में अस्थायी उतरने की सुविधाएँ पहले ही दी जा चुकी हैं।

(नौ) **मुख्य भूमि द्वीप और अन्तर द्वीप समुद्र परिवहन को सुदृढ़ बनाना :**

वर्त्तमान मुख्य भूमि द्वीप और अन्तर द्वीप समुद्र परिवहन में सुधार लाया जा रहा है। सरकार ने 4 नए जहाजों के निर्माण और पुरानी यात्री तथा सामान ले जाने वाली नाव की प्राप्ति के लिए पहले से ही मंजूरी दे रखी है। एक पुराना जहाज अर्थात एस०एस० 'बम्बई' और लकड़ी ले जाने वाला जहाज अर्थात एम०वी० 'शोम्पम' प्राप्त कर लिए गए है और ये दो जहाज पहले ही चल पड़े हैं। एक सवारी जहाज के निर्माण का आर्डर मैजगान गोदी को दिया गया है। भारतीय नौ परिवहन निगम बाकी दो जहाजों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठा रहा है।

(दस) **विमान परिवहन को सुदृढ़ बनाना :**

मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर तक सभी मौसमों में विमान सेवा देने के प्रश्न को एक तकनीकी दल ने जांचा था जो कि विशेष रुप से इसके लिए गठित की गई थी। दल ने कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिशें की, अल्पकालीन उपायों में से कुछ पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है जिसमें वर्त्तमान हवाई पट्टी को 6,000 फीट तक विस्तार करना, लोकेटर बेकन और वोर की व्यवस्था करना,तथा वर्त्तमान मौसम विज्ञान सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। दूर से वायु की दिशा बताने वाले उपकरण को लगाया जा रहा है। दल की दीर्घकालीन सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

श्री गणेश : इस तथ्य को देखते हुए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 800 मील दूर है और हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेष कर जब कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में शक्ति शून्यता की चर्चा हो रही है और इस सत्य को देखते हुए कि समेकित संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना, जो सभा पटल पर रखी गई है, पर बहुत समय से निर्णय नहीं किया गया है, अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) क्या ग्रेट निकोबार द्वीप, जो हमारे देश की दक्षिण में सबसे अन्तिम चौकी है और जो केवल सुमात्रा के कोटा राजा से केवल 75 मील है, को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि पुनर्वास मंत्रालय के अधीन सम्पूर्ण संसाधन को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विकास पर लगाया जायेगा जो पोर्ट ब्लेयर से 200 मील पर है।

अध्यक्ष महोदय : शेष बातें अब वे दूसरे प्रश्न में पूछ सकते हैं।

श्री गणेश : पिछले 18 महीनों से मेरा केवल एक ही प्रश्न ग्रहीत किया गया है। आप कृपया मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ (ख) पुनर्वास मंत्रालय में जो प्रश्न विचाराधीन है, कि जंगलात साफ करने का और विभिन्न उद्योगों की स्थापना का कार्य किस एजेंसी को दिया जाये, क्या उस पर शीघ्र नीति निर्धारित की जायेगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने सभा पटल में रखे हुए लम्बे विवरण में बताया है कि ग्रेट निकोबार, जिसकी भूमि का क्षेत्रफल 400 वर्ग मील है और आबादी छितरी हुई है तथा आदि वासी बसे हुए हैं, को विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि प्रारम्भिक प्रक्रमों में भूमि का सुधार करके मार्च 1969 तक भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवारों को बसाया जाय। करीब 1500 एकड़ भूमि को सुधारने का प्रस्ताव है। इसको भी विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

श्री रंगा : उन्होंने पूछा है कि क्या इसको प्राथमिकता आधार पर लिया जायेगा । संभव है मंत्री महोदय ने प्रश्न नहीं समझा है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : ये सभी कार्यक्रम प्राथमिकता आधार पर हैं ।

श्री गणेश : अंदमान और निकोबार द्वीप में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सरकार उदार है, परन्तु हम इस द्वीप में कुछ कार्य कर रहे हैं तो दूसरे द्वीप कुछ और कार्य कर रहे है । इसके परिणाम स्वरूप शक्ति और संसाधन, जो कि पुनर्वास मंत्रालय ने अंदमान प्रशासन को दिये हैं, नष्ट हो रहे हैं । इस सत्य के बावजूद कि अंदमान और निकोबार में पर्याप्त मात्रा में धन लगाया हुआ है, वहां क्या विकास हो रहा है इसकी तस्वीर साफ नहीं है, मैं एक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ग्रेट निकोबार एक बड़ा द्वीप है जो कि सुमात्रा से केवल 75 मील दूर हैं, इस समय पुनर्वास मंत्रालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह कुछ कार्य ग्रेट निकोबार, कुछ कार्य कच्छल द्वीप, कुछ कार्य नील द्वीप, कुछ कार्य ग्रेट निकोबार द्वीप, कुछ कार्य लिटिल अंदमान आदि में करती रहे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पुनर्वास मंत्रालय के संसाधन ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास के लिए लगाए जाएंगे जिसका तात्पर्य घाट आदि बनाने से है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : अंदमान व निकोबार का क्षेत्र 3215 वर्ग मील है और जिसकी आबादी करीब 75,000 है, यह वनों से आच्छादित है, वहाँ कठिनाई उतरने की है, इन सब बातों को देखते हुए हमने यह कार्यक्रम शुरु किया है । प्रधान मंत्री ने 1964 में इसको विशेष क्षेत्र घोषित किया था, इसी बीच एक अन्तर विभागीय अध्ययन दल गठित की गई जिसने वहाँ जाकर अध्ययन किया, उन्होंने कुछ परियोजनाओं की सिफारिश की तथा कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किया जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए । ऐसा नहीं हो सकता कि एक या दो दिन में समस्त द्वीप का विकास हो सके । इस कार्यक्रम को 10 से 15 वर्ष में पूरा करना होगा । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास के प्रति पूर्ण जागरुक है, वहां पर उतरने की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी । आरम्भ में घाट के निर्माण से पहले नावों का पुल और दुसरी चीजें बनानी पड़ेगी, मेरा निवेदन यह है कि अन्तर-विभागीय अध्ययन दल के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद कई परियोजनाएँ तैयार की गई हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संसाधन नष्ट हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कच्छल द्वीप विशेष रुप से रबड़ के बागान के लिए बड़ा अच्छा द्वीप है । इसके बारे में रिपोर्ट माँगी गई और विशेषज्ञों द्वारा यह कहा गया कि यह द्वीप रबड़ बागान के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है । दूसरा इस समस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के उत्प्रवासीयों और बर्मा और लंका से स्वदेश लौटे हुए लोगों को बसाना है ।

श्री एस० कन्डप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों की समस्याओं की महत्ता को नहीं समझा है । यहाँ तक कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे तो यह पता चलता है कि वे स्वयं वहाँ की समस्याओं से परिचित नहीं हैं अथवा हो सकता है कि उनको सलाह देने वाले अधिकारियों को अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों के निवासियों की कठिनाईयों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

मुझे आशंका है कि उन्होंने जो जन संख्या के आंकड़े दिए हैं, वे गलत हैं । मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी 10 प्रतिशत संसाधन का अब तक उपयोग नहीं किया

गया है। यह एक छोटा सा राज्य है जो मुख्य आयुक्त के अधीन चल रहा है और सरकार का इस पर कुछ भी नियंत्रण नहीं है, यहां कि भूमि इतनी उपजाऊ है कि इस पर गेहूँ और धान की खेती की जा सकती है परन्तु इसके बावजूद भी अत्यावश्यक वस्तुएँ जैसे अनाज मद्रास और कलकत्ता बन्दरगाहों से आयात किये जा रहे हैं। यहां तेल निकालने का एक भी कारखाना नहीं हैं, इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस द्वीप समूह को अत्यावश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं के मामलों में आत्म निर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्न कर रही है।

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 1964 में यह कहा गया कि इस क्षेत्र को विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा सकता है इससे पहले यह पुनर्वास विभाग के अधीन नहीं था।

श्री रंगा : यह सरकार के अधीन था।

श्री दा० रा० चह्वाण : बिलकुल ठीक है, परन्तु इस विभाग से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि मैंने ही कहा है कि अन्तर विभाग अध्ययन दल 1964 में गठित किया गया था।

श्री० सु० कु० तापड़िया : क्या आप कभी वहां गए हो ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं अभी तक तो वहाँ नहीं गया परन्तु मैं शीघ्र ही वहाँ जा रहा हूँ, मैं उन द्वीप समूहों के बारे में अधिक जानता हूँ, यह सच है कि उस क्षेत्र के शीघ्र विकास के लिए अब तक कोई संगठित प्रयास नहीं किये गए हैं परन्तु अब विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है और इस पर काफी धन व्यय किया जा चुका है अतएव मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र का शीघ्र ही विकास होगा।

इस सिलसिले में आत्मनिर्भरता की बात कही गई। मैं कहना चाहूँगा कि कृषि अधीन कुल क्षेत्र 9000 एकड़ के करीब है और उत्पादन भी करीब 9000 टन है। करीब 6000 टन से 7000 टन का आयात करना पड़ता है। इसी बीच बेतरपुर के कुछ क्षेत्रों के 2000 एकड़ भूमि को सुधारा गया है और करीब 2000 एकड़ के क्षेत्र में कृषि की गई है, नील द्वीप में 2500 एकड़ अतिरिक्त भूमि का सुधार किया गया है जिस पर संभवतः कृषि की जायेगी। जब कुछ वर्षों में ये सब कार्यक्रम पूरे हो जायेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस द्वीप को मुख्य भूमि से अनाज के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम कई वर्षों से विशेष क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में सुनते आ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिए जो समेकित योजना बनाई जा रही है उसके बारे में कोई अनुमान निर्धारित किए हैं। यदि हाँ तो कार्यक्रम का रूप तैयार किया गया है जिससे हमें यह मालूम हो सके कि अगले वर्ष से तीन-चार सालों में इस समेकित योजना को कार्य रूप दिया जा सकता है। अंदमान और निकोबार बहुत आकर्षक और सुन्दर हैं, वे वहाँ कब जा रहे हैं और क्या संसद के सदस्यों में इसके लिए रुचि पैदा करेंगे और ऐसे कदम उठायेंगे जिससे यह योजना शीघ्र ही चालू हो सके।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : यह सच नहीं है कि हम इस विशेष विकास योजना के बारे में वर्षों से सुनते आ रहे हैं, वास्तव में 1964 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ क्षेत्रों का विकास किया जाय और इसके लिए यह कार्य आरम्भ किया गया। इस बात को समझ लेना चाहिए

कि किसी भी क्षेत्र में कृषि व कारखाने लगाने से पूर्व वहाँ उतरने व जाने की सुविधाएँ देनी चाहिए। फिर जंगलात को साफ करना है। यह सब काम शुरु हो गया है। जंगल को साफ कर दिया गया है और हमने घाटों का निर्माण किया है। अन्तर-संचार के लिए कुछ और स्टीमर खरीदे गये हैं। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने इस स्थान का दौरा किया था यद्यपि मेरे साथी वहाँ नहीं गए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : समेकित योजना के बारे में क्या अनुमान लगाए हैं और कार्यक्रम को क्रम बद्ध करने के बारे में क्या किया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूँगा कि वे दल के प्रतिवेदन का अध्ययन करें जो कि संसद के पुस्तकालय में रखी हुई हैं, फिर भी सभा पटल पर रखे हुए विवरण में कुछ परियोजनाओं, जिन पर कार्य आरम्भ हो चुका है, और उस पर होने वाला व्यय के बारे में कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस समय, ठीक-ठीक व्यय के बारे में कहना सम्भव नहीं है। मैं केवल अनुमानत: व्यय बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए बेतापुर में प्रति एकड़ भूमि के सुधार का औसत व्यय 700 रुपये आता है और एक परिवार को बसाने का औसत व्यय 12,000 से 14,000 रुपये आता है। नील द्वीप में भी सुधार करने का अनुमानत: व्यय करीब उतना ही आयेगा।

श्री एस० कन्डप्पन : आपका कहना है कि रबड़ के फिर से बागान बनाने में इतना अधिक खर्च किया जा रहा है। परन्तु 1940 में जो रबड़ के बागान थे वे अब खराब हो रहे हैं। फिर मैं कैसे इस वक्तव्य पर विश्वास कर सकता हूँ।

श्री दा० रा० चव्हाण : रबड़ के विकास और अनुसंधान के लिए 500 एकड़ भूमि ली गई है और उस पर रोपण किया गया है। बगान का विकास इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि विश्व के सुन्दर बागानों के साथ इसकी तुलना हो सकती है। यह कहना ठीक नहीं है कि ये बागान खराब हो रहे हैं।

श्री० एस० कन्डप्पन : ऐसा हो रहा है, यह मैंने अपने आँखों से देखा है।

श्री दा० रा० चव्हाण : रबड़ अनुसंधान विकास योजना का अन्य व्यय 39. 31 लाख रुपये है। कच्छ रबड़ बागान योजना पर करीब 4.50 करोड़ का व्यय आयेगा जहाँ 6,000 एकड़ भूमि पर रबड़ के बागान लगाये जायेंगे। क्रम बद्ध कार्यक्रम के लिए केवल 150 एकड़ भूमि का सुधार किया गया है, कुछ द्वीपों जैसे नील, टिनकट और निकोबार में घाटों का निर्माण किया गया है, पीपों के पुल को काम चलाऊ बनाने का औसत व्यय 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये आयेगा। एक छोटे घाट का निर्माण लिटिल अंदमान में किया जायेगा और इस पर व्यय 200 लाख रुपये आयेगा।

श्री समर गुह : प्रश्न केवल रबड़ उद्योग का समेकित विकास की सम्भावनाओं, गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने का और नारियल के उद्योगों का ही नहीं है अपितु भारत के लिए सामरिक नौ सेना सम्बन्धी चौकी के लिए विकसित अंदमान और निकोबार का भी है। इस बात को देखते हुए एक प्रस्ताव यह है कि यथा सम्भव पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वहाँ फिर से बसाया जाय। ये पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी तटीय प्रदेश के होने के नाते समुद्र से परिचित हैं। अतएव (क) क्या यह सच है कि यद्यपि तटीय प्रदेश से आने वाले पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी, जो

समुद्र से परिचित है और उन्हें नौसेना में भरती करना ठीक होगा, बहुत बड़ी संख्या में अंदमान और निकोबार में आने के लिए उत्सुक हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा उनके माँग के अनुपात में उन्हें अंदमान भेजने को क्यों हिचकिचा रह है ? (ख) क्या यह सच है कि यद्यपि बंगालियों की संख्या सबसे अधिक है फिर भी वहाँ 2 मिडिल स्कूल है और वे लोग यह चाहते हैं कि वहाँ कुछ उच्चतर माध्यमिक और हाई स्कूल हों परन्तु एक भी उच्चतर माध्यमिक तथा हाई स्कूल की स्थापना नहीं की गई और (ग) क्या यह सत्य है कि जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने अंदमान का दौरा किया तो वहाँ के निवासियों ने, जिनकी संख्या 75,000 नहीं तो 82,000 थी यह माँग रखी कि अंदमान की उन्नति और विकास के लिए एक प्रादेशिक परिषद की स्थापना की जाय। यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनका पुनर्वास विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है उदाहरण के तौर पर नौ सैनिक अड्डे की स्थापना। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों का सम्बन्ध है और क्या इनको वहां काफी संख्या में लिया जा रहा है तो मैं कहूँगा कि वहां सबसे अधिक बसने वाले परिवार पूर्वी पाकिस्तान के हैं और केवल 37 परिवार बर्मा से स्वदेश लौटने वालों का है। वहां लाखों व्यक्तियों को लाने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि उन व्यक्तियों को वहां बसाने की व्यवस्था नहीं हो जाती।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कई दूसरे भी ऐसे है जो वहां जाना चाहते हैं परन्तु उनको नहीं ले जाया जा रहा है। काफी समय से भारत सरकार यह दोषारोपण कर रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं परन्तु अब वे वहां जाना चाहते हैं तो आप उन्हें नहीं ले जाते।

श्री दा० रा० चव्हाण : इस पर उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। काफी संख्या में वहाँ लोग जाना चाहते हैं और भारत सरकार उनको काफी संख्या में ले जाने को तैयार है बशर्ते इन लोगों को वहां बसाने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

जहां तक शैक्षिक सुविधाओं का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहूँगा कि वहां करीब 53 प्रायमरी स्कूल, 8 मिडिल स्कूल, 3 हाई स्कूल, 32 जूनियर बेसिक स्कूल और 1 अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल हैं।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न स्पष्ट था। मैं जानना चाहता था कि क्या ऐसा भी हाई स्कूल है जहां बंगाली भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती हो।

श्री दा० रा० चव्हाण : इसके लिए मुझे सूचना मांगनी पड़ेगी।

श्री समर गुह : यह अंदमान टाइम्स के सम्पादक का पत्र है।

श्री गणेश : वहां तीन ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जहां बंगाली माध्यम से पढ़ाई होती है।

श्री तिरुमल राव : मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार अलग-अलग बातों पर कार्य करती है क्योंकि मेरे मित्र श्री गणेश ने कहा है कि इसका सामरिक महत्व को दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इंडोनेशिया द्वीप समूह के बहुत नजदीक है। क्या प्रतिरक्षा विभाग का कोई

सदस्य अन्तर-विभागीय समिति का सदस्य है जो इन द्वीप समूहों के विकास की योजना बना रही है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अन्तर-विभागीय अध्ययन दल में भारत सरकार के बहुत से विभागों का प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि इस अध्ययन दल का गठन पुनर्वास विभाग के अधिकारियों द्वारा ही हुआ है।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister has stated that the work required for the development of Andman and Nicobar has yet not materialized. The Hon. Minister has stated in his reply:

"अन्तर-विभागीय अध्ययन दल के सिफारिशों के अनुसरण में विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।"

I want to know when this report will be prepared. With a view to get the co-operation of the implementation of development programmes, will the Hon. Minister talk with the political parties, social institution and social organisation ? Or the whole work will be done through the bureaucrats ? Whether the Government have thought over it ? If so, then what ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जो भी विकास कार्य हो रहा है वह एकांत क्षेत्रों में हो रहा है। उदहारणार्थ, बेतापुर में भूमि सुधार का कार्य केवल एकांत क्षेत्रों में ही हो रहा है, इसलिये अतः वहां जो भी लोग होंगे वे वहीं के निवासी होंगे। अतः राजनैतिक दलों अथवा किसी अन्य से सहयोग प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे।

Shri Kamalnayan Bajaj : I want to know whether there is any plan to have cottage industry, Village industry and other small scale industries there. We can very well develop fishries industry there. Our neighbourers are exploiting fishries industry there. We are quite happy at this. But are we too exploiting that industry, if not, have you prepared any plan in that behalf ? Before Independence, a number of our leaders and other patriots were kept there in Andeman. Do you propose to raise any national monuments there ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य का प्रश्न वहां उद्योगों की स्थापना करने से सम्बन्धित है। लघु-उद्योग संस्थान ने वहां एक अध्ययन दल भेजा था तथा उसने कुछ सिफ़ारिशें की हैं जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। अब वहां लगभग आठ आरा घर हैं। दो सरकारी क्षेत्र में हैं तथा 6 गैर सरकारी क्षेत्र में, और इससे काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अतः यह बात सरकार के पूरे ध्यान में है। वस्तुतः इकठ्ठे विकास का अर्थ है वहां पर प्राप्य सभी स्त्रोतों का विकास करना। मत्स्य उद्योग का जहाँ तक सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने सभा पटल पर रखे गये विवरण को नहीं पढ़ा है। वास्तव में मत्स्य-उद्योग के विकास के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में है। हमने लगभग 6.74 लाख रुपये कृषि विभाग के सुपुर्द किये हैं जो कि निर्दिष्ट दिशा में इस कार्यक्रम को आगें बढ़ायेगा। इसका उद्देश्य मत्स्य उद्योग हेतु 100 देसी नावों तथा 100 मशीनी नावों का विकास करना तथा उचित अवधि में मत्स्य पकड़ने के लक्ष्य को 200 टन से बढ़ाकर 2000 टन करना है।

श्री बलराज मधोक : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा। अन्दमान द्वीप-समूह 200 द्वीपों का एक द्वीप-गुच्छ है जिसका कि बड़ा सामरिक महत्व है तथा यह महत्व और भी अधिक

होता जायेगा ज्यों ज्यों हिन्द महासागर में निर्वात उत्पन्न होता जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इन द्वीपों में से कितने द्वीपों पर अभी लोग नहीं बसे हैं। पुनर्वास योजनाओं सम्बन्धी अपने विकास कार्य में क्या आप अभी तक पूरी तरह उजाड़ पड़े उन द्वीपों में शरणार्थियों को बसाने के काम को उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं? यदि वहां पुर्नवास नहीं किया जाता तो हम उन द्वीपों को कभी भी गंवा सकते हैं। अतः क्या आप इस कार्य को उच्चतम् प्राथमिकता दे रहे हैं?

दूसरे, आपने कहा है कि अगले पाँच वर्षों में आप उन लोगों की संख्या 75,000 तक बढ़ा रहे हैं। यह द्वीप तो बहुत बड़ा है तथा वहां लाखों व्यक्ति रह सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्या आप वहां पर लोगों को लाने के कार्य को तेज करेंगे ताकि इन द्वीपों की जनसंख्या शीघ्र बढ़ाई जा सके?

श्री बा० रा० चव्हाण: माननीय सदस्य ने बड़ी ही संगत बात कही है। वास्तव में जिन द्वीपों का विकास किया जा रहा है वहां बड़ी कम जन संख्या है। उदहारणार्थ, ग्रेट निकोबार में केवल 200 लोग बसते हैं। निकोबार समूह के ही कच्चल द्वीप में केवल 900 निकोबारी रहते हैं तथा वहाँ जन संख्या अधिक नहीं है। लिटल द्वीप की जनसंख्या केवल 130 है। जिन जिन द्वीपों का विकास किया जा रहा है उन सभी की जनसंख्या थोड़ी-सी है। यह बात सरकार के खूब ध्यान में है।

श्री बलराज मधोक : द्वीपों की कुल संख्या क्या है?

श्री बा० रा० चव्हाण: द्वीपों की कुल संख्या 223 होगी। इन का अधिकतम् भाग अन्दमान द्वीप-समूह में है तथा लगभग 19 द्वीप निकोबार द्वीप-समूह में हैं। वास्तव में इन द्वीपों का बहुत बड़ा भाग अभी भली प्रकार विकसित नहीं हुआ है।

खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि

*757. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री वीरेश्वर कलिता :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) यह वृद्धि किस सीमा तक अधिक भूमि में खेती की जाने के कारण हुई है और किस सीमा तक उत्पादता में वृद्धि के कारण हुई है;

(ग) क्या कमी वाले राज्यों को अपने खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सहायता दी जा रही है?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1966-67 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी राज्य वार आंकड़े बताने वाला विवरण अनुबन्ध-I के साथ है। [पुस्तकालय में रखा

गया देखिये संख्या एल०टी० 1950-68] अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1967-68 में 28.6% की वृद्धि हुई है।

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 1967-68 के दौरान खाद्यानों के क्षेत्र तथा उपजाऊ क्षेत्र में क्रमशः 5.4% तथा 22.2% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) नये अभियान के अन्तर्गत देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु जोरदार प्रयत्न किये गये हैं। विकास के सामान्य उप-शीर्षकों के अन्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर तथा इन उप-शीर्षकों के बारे में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वर्तमान सहायता प्रणाली के आधार पर अभाव ग्रस्त तथा अतिरिक्त खाद्यान्नों वाले दोनों ही प्रकार के राज्यों को कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न 760 का उत्तर भी पढ़ सकते हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह एक अलग प्रश्न है श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गये विवरण से मुझे मालूम होता है कि प्रश्न के (ग) भाग का विशिष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया है। भाग (ग) में पूछा गया है कि क्या अभाव ग्रस्त राज्यों को कोई विशेष सहायता दी जाती है। उत्तर यह दिया गया है कि केन्द्रीय वित्त सहायता अभावग्रस्त तथा अतिरिक्त खाद्यान्नों वाले दोनों ही प्रकार के राज्यों को दी जाती है। मैंने सोचा था कि केन्द्र उन राज्यों को विशेष सहायता देने में रुचि रखता होगा जहाँ प्रत्येक वर्ष ही लगातार कमी होने के कारण उसे केन्द्रीय खाद्य भण्डारों से काफी सहायता देनी पड़ती है। ऐसे कमी वाले राज्यों को विशेष सहायता देना केन्द्र के ही हित में अच्छा होगा। परन्तु मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय स्थिति क्या है तथा यह कहने का क्या अर्थ है कि सभी राज्यों को सहायता दी जाती है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि सभा को तथा माननीय सदस्य को भी भली प्रकार ज्ञात है राज्य सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा आयोजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित स्वीकृत प्रणाली के आधार पर वार्षिक योजनायें तैयार की जाती हैं, और राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। फिर भी किसी राज्य का अभावग्रस्त होना अथवा उसका अतिरिक्त खाद्यान्न वाला राज्य होना इसका मानदंड नहीं है। परन्तु क्या मैं यह कह सकता हूँ कि सूखे आदि के कुछ मामलों में केन्द्र राज्य-सरकारों को कुछ विशेष सहायता देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि वर्ष 1967-68 के दौरान पश्चिम बंगाल को ऊर्वरक के रूप में कितने मूल्य की सहायता दी गई, तथा क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल को ऊर्वरक की जितनी भी सहायता दी गई है वह एक गैर सरकार संस्थान शाह वेलेस एण्ड कम्पनी के माध्यम से दी गई है, और यदि हां, तो क्यों ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम कि केन्द्र से राज्यों को सहायता दी जाने की क्या प्रणाली है। यह सहायता प्रणाली इस पर आधारित है : घनी खेती कार्यक्रम (एच वी पी, आइ ए डी पी, बहुमुखी फसल लगाना तथा व्यापारिक फसलें)–75

प्रतिशत अनुदान के द्वारा; इसके बाद पौध-रक्षा के मामले में, 50 प्रतिशत अनुदान के द्वारा, अन्य कार्यक्रमों के लिये 30 प्रतिशत ऋण तथा 20 प्रतिशत अनुदान (व्यवधान) मैं वह भी बताऊंगा। तदुपरान्त् छोटी सिंचाई के मामले में यह 60 प्रतिशत ऋण के रूप में है तथा 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में।

जहां तक ऊर्वरक के विवरण का सम्बन्ध है, ऊर्वरक वितरण के लिये सहायता देने की कोई केन्द्रीय प्रणाली नहीं है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, हम आयात किये हुए ऊर्वरक में से राज्यों को आबंटित करते हैं, तथा भारतीय ऊर्वरक के बारे में, इसके एक भाग को खुली मार्किट में बेचने की अनुमति निर्माता को दी जाती है, अथा शेष को केन्द्रीय पूल में लाकर बांटा जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि पश्चिम बंगाल को कितने मूल्य का ऊर्वरक दिया गया। मैंने प्रणाली के बारे में कुछ नहीं पूछा था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री को० सूर्यनारायण : क्या मैं जान सकता हूँ, कि क्या भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश की ओर से अकाल-पीड़ित लोगों के कष्टों के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो अकाल से उत्पन्न परिस्थितियों पर काबू पाने के लिये सरकार का क्या कुछ करने का विचार है ? यद्यपि अब तक वह राज्य एक अतिरिक्त खाद्यान्न वाला राज्य रहा है, परन्तु अब वर्षा के अभाव में वहां के अनेक क्षेत्रों पर कुप्रभाव पड़ा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार देश के अन्य भागों से रिग प्राप्त करके वहां भेजने को तत्पर है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे माननीय सदस्य से सहानुभूति है परन्तु यह बात इस प्रश्न से नहीं निकलती। यह मामला अपरान्ह में वाद-विवाद के लिये आयेगा।

श्री लोबो प्रभु : यहां यह दावा किया गया है कि उत्पादन में वृद्धि नये अभियान के परिणाम स्वरूप हुई है। इस मन्त्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अन्यत्र यह भी दावा किया गया है कि इस सम्बन्ध में एक क्रान्ति हुई है। इस संदर्भ में मैं विवरण के पृष्ठ पर दिये गये आंकड़ों का हवाला देता हूँ। औसत 28 प्रतिशत है। यह दावा किया गया है कि पंजाब को सरकार से सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है। जहां की क्रान्ति के बारे में सबसे अधिक कहा गया है। परन्तु पंजाब में केवल 29 की ही प्रतिशतता है। मद्रास जिसको कि अत्याधिक आदर्श राज्य माना जाता है वहां की प्रतिशतता केवल 2·4 है। मैसूर राज्य की प्रतिशतता केवल 8 है। दूसरी ओर, राजस्थान, जहाँ की भूमि अभी तक खुरची भी नहीं गई है, उसकी प्रतिशतता सबसे ऊंची अर्थात् 51 है। मैं यह मन्त्रालय अथवा किसी अन्य की कोई आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूँ बल्कि यह जताने के लिये कि हमें वर्षा और जल पर आश्रित होना पड़ता है तथा जब जब वर्षा उपलब्ध नहीं होती, तब हमें सिंचाई का सहारा लेना होता है। "सिंचाई" शब्द "झुझलाहट" में बदल गया है क्योंकि मन्त्री महोदय भूल से "झुंझलाहट" कह गए क्योंकि किसी चीज की सिंचाई के बदले उन्होंने सिंचाई के लिये धन देना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मैसूर में नलकूपों की संख्या आधी कर दी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार अपनी नीति बदलने को तथा सिंचाई पर अधिक धन खर्च करने को तैयार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार ने वरीयता के बारे में पहले ही परिवर्तन कर लिये हैं तथा सारे देश में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है।

श्री जी० एस० रेड्डी : मन्त्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु क्या यह वृद्धि आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास और मैसूर के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is really good that owing to God's grace as a result of people's hard work the production has increased. But this increase per acre is not as much as it should have been and it is much less than that of other countries. I want to know from the hon. Minister what research has been made or what steps have been taken so as to ensure more production per acre all over the country ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक हमारे देश के मेधावी किसानों द्वारा की गई प्रति एकड़ पैदावार का सम्बन्ध है वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमारी औसत बहुत कम है। परन्तु अधिक सामग्री नये तकनीक तथा नये बीजों आदि के प्रयोग से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है...

श्री कंवर लाल गुप्त : नया तकनीक क्या है ? नया परिणाम क्या निकला है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय प्रश्न काल के दौरान यह सब कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं। यह वाद-विवाद नहीं है।

Shri O. P. Tyagi : I want to know from the Government how many tubewells have been lying unused for want of power ? If the centre gives help in this regard there can be more production of foodgrains. So, I want to know the figures of the tubewells which have been lying unused for want of your help ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न में से नहीं उठता।

श्री कार्तिक उरांव : उत्पादन में वृद्धि का आधार अनुमान के अनुसार माना जाना चाहिये। कभी-कभी खेत में खड़ी फसलों को देखकर अनुमान लगाया जाता है तथा खेत में खड़ी फसल के अनुमान तथा फसल उतरने के पश्चात् उपलब्ध मात्रा में बड़ा अन्तर होता है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं।

श्री कार्तिक उरांव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें काफी सारा अन्तर है। सम्भव है सरकार की यह धारणा हो कि फसल बड़ी अच्छी और भारी है तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष के अन्त में परिणाम विपरीत होते हैं। अनुमान का आधार क्या है; यह अनुमान खड़ी फसल पर लगाया जाता है या कि फसल कटने के बाद ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्पष्ट है कि इसकी भी कोई सीमा होती है, परन्तु वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जाता है तथा मोटे तौर से अनुमान ठीक ही होते हैं।

दिल्ली में नरायणा डिपो पर खाद्यान्नों का चढ़ाना और उतारना

*758 **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नरैना डिपों पर खाद्यानों के उतारने चढ़ाने का ठेका असफल रहने पर 11 जून, 1968 को तुरन्त काम आरम्भ किये जाने के लिये नये टेन्डर मांगे

गये थे, परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने कोई टेन्डर स्वीकार किये बिना विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य कराना शुरू किया जिसके फलस्वरूप विलम्ब शुल्क, वर्षा के कारण क्षति तथा 2-6-68 को नागपुर के लिये रेलवे माल डिब्बे पुनः बुक करवाने के लिये अतिरिक्त भाड़े के दिये जाने के कारण भारी हानि हुई;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी हानि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) यह सच है कि दिल्ली में उतारने चढ़ाने वाले ठेकेदार की असफलता के कारण खाद्य निगम द्वारा दिनांक 11 जून, 1968, को नये टेन्डर आमंत्रित किये गये। परन्तु नरैना डिपो के लिये कोई भी टेंडर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि टेन्डरों की दरें बहुत ऊंची थी। अतः इस डिपो का कार्य खाद्य निगम द्वारा दिनांक 26 जून, 1968 से विभाग की ओर से दोषी ठेकेदार के खर्च पर किया गया। परन्तु इस प्रबन्ध से टूट-फूट अथवा वर्षा के कारण भारी हानि नहीं हुई। डिब्बों को नागपुर के लिये फिर से बुक किया गया जबकि दोषी ठेकेदार तब तक कार्य कर रहा था तथा विभाग के ओर से कार्य नहीं सम्भाला गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Onkar Lal Berwa : The contractor proved a failure but how much above were the new tenders and the defaulting contractor ; and how much was the loss owing to damage and demurrage ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : टेन्डरों की दरों को इसलिये ऊंचा समझा गया क्योंकि वर्तमान दरों से वे बहुत ऊंची थी तथा इसी कारण हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सके। जहां तक टूट-फूट का प्रश्न है, मेरे पास आंकड़े हैं। कुल टूट-फूट एक लाख रुपये से अधिक की रही परन्तु इसका उत्तरदायी ठेकेदार है। जब इसका विभागीयकरण किया गया तब टूट-फूट केवल 233 रुपये की रही।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

छितौनी गोरखपुर यात्री गाड़ी 228 डाउन का रोका जाना

अ० सू० प्र० 15. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 15 अगस्त, 1968 को गोरखपुर जिले के ढांडा गांव में जब भीड़ ने छितौनी-गोरखपुर यात्री गाड़ी 228 डाउन को रोका तो पुलिस ने गोली चलाई जिससे अनेक व्यक्ति घायल हो गये;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) माननीय सदस्य कदाचित उस

घटना के बारे में कह रहे हैं जो कि पिप्रेच और उनौला रेलवे स्टेशनों के मध्य खाजवा गाँव के समीप दिनांक 15 अगस्त, 1968 को हुई, जब कि गोरखपुर छितौनी यात्री गाड़ी संख्या 225 अप को लगभग साढ़े दस बजे भीड़ ने रोक लिया था जोकि हिंसा पर उतारू हो गई थी तथा रेलवे कर्मचारियों, पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल के व्यक्तियों पर पत्थर फेंकने लगी थी। परिणामतः पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे तीन व्यक्ति घायल हो गये।

(ख) यह गाड़ी विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों से खचाखच भरी थी जिनमें से अधिकतम लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे तथा फुट बोर्ड तथा डिब्बों की छतों पर चढ़े हुए थे। पुलिस ने पिप्रेच स्टेशन पर नियुक्त रेलवे सुरक्षा दल की सहायता से यात्रियों को फुट बोर्ड तथा छतों के ऊपर से उतारा। गाड़ी को खतरे की जंजीर खींच कर बार बार गाड़ी को रोका गया। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की।

(ग) पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 307/323/336/427 तथा भारतीय रेलवे अधिनियम के खण्ड 126/127/128/129 के अधीन दिनांक 15-8-1968 को अपराध संख्या 68 पंजीकृत किया गया। अब तक 130 व्यक्तियों के गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिली है। मामला अभी तक पुलिस के जांचाधीन है।

Shri Vishwa Nath Pandey : As stated by the hon. Minister, this mishap took place on the 15th August. It always happens on the Independence Day that more passengers travel in the carriages. I want to know, having been well aware of it, had the railway authorities not arranged the affairs in such a way that the rush could be controlled from very first station to avoid further heavy rush on the next stations so that there could have been no firing.

श्री परिमल घोष : भारी भीड़, छतों और फुट बोर्ड पर यात्रा को रोकने का प्रायः हर प्रयास किया जाता है। परन्तु पन्द्रह अगस्त को जब गाड़ी एक विशेष स्टेशन पर पहुँची, गाड़ी में भारी भीड़ होगई तथा लोग डिब्बों की छतों तथा फुट-बोर्ड पर यात्रा कर रहे थे। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिये पुलिस ने यात्रियों को छतों से उतार दिया तथा गाड़ी को चलने दिया। इसके तुरन्त बाद ही खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोक ली गई तथा जो व्यक्ति स्टेशन पर रोक लिये गये थे वे फिर रुकी हुई गाड़ी की छतों पर चढ़ने को लपके। एक बार फिर वही स्थिति उत्पन हो गई, खतरे की जंजीर खींची गई तथा जो व्यक्ति वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे सब आगये तथा चालक और गार्ड को गाड़ी न चलाने के लिये कहा। जब पुलिस और रेलवे कर्मचारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई और इस प्रकार पुलिस के पास कोई चारा न रहा और आत्म रक्षा के लिये उन्हें गोली चलानी पड़ी तथा इस घटना में तीन व्यक्तियों को चोटें आईं।

Shri Vishwa Nath Pandey : Among those who were injured, how many were villagers and how many are students ?

श्री परिमल घोष : अधिकतम लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। तीन व्यक्ति घायल हुए। मैं नहीं जानता कि वे भी बिना टिकट थे अथवा नहीं।

Shri Molahu Prasad : There is such a faulty attitude of the educational institutions even today, that the students think that free trains run on the 15th August, and that is why the students travel without tickets sometime from Gorakhpur to Patna or from Patna Uttar Pradesh. Would the hon. Minister instruct the educational institutions to inject true

spirit in the students ? Secondly, whether the firing was done by the civil police or the rallway police ? How many of the injured were Sohani workers and students ? Many of the injured were agricultural labourers doing sohani.

श्री परिमल घोष : मुझे ऐसे किसी आदेश का ज्ञान नहीं है।

श्री स० कुन्दु : इस घटना से दो मामलों का सम्बन्ध है, एक है बिना टिकट यात्रा करना, तथा दूसरा है कानून और व्यवस्था। यह आरोप है कि पुलिस ने गोली चलाई और लाठी चार्ज किया और कभी कभी तो पाशविक ढंग से लाठी चार्ज किया। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, वहां पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया गया है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में मंत्री महोदय अदालती जांच करायेंगे ? मैं लोगों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ। यह सामान्य कानून से हल हो जायेगा। परन्तु वह पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में अदालती जाँच करायेंगे जिससे कि 130 व्यक्ति घायल हो गये ?

श्री परिमल घोष : न्यायिक जांच के आदेश पहले से ही दिये जा चुके हैं।

श्री स० कुन्दु : यह एक घोर पाशविक कार्यवाही थी। क्या इस बारे में अदालती जांच की जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने न्यायिक जांच के बारे में कहा है, इस का अर्थ है अदालती जांच नहीं होगी।

Shri Bibhuti Mishra : After the 1942 movement, it has become a custom-like that the students travel by trains to celebrate the 15th August. May I know whether the Government propose to extend this facility to the studeuts so that there might not occur any such incident, there might be no ticket-checking, and they might be able to celebrate the Independence Day properly ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The tendency of ticket-less-travelling is so much prevalent among the people that the students want that every thing should be available free of cost on the 15th August, the National Day on which we got freedom. There is always a big rush on the 15th August, and keeping the previous experience in view, have you not tried to increase the number of trains and what steps do the Government propose to take to avoid such incidents ?

श्री परिमल घोष : हम गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा में सूखा की स्थिति

*751. **श्री अ० दीपा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में फूलवानी जिले का क्षेत्र लगातार पिछले तीन वर्षों से सूखाग्रस्त रहा है ;

(ख) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री और उद्योग मन्त्री द्वारा नवम्बर, 1967 में अपने दौरे के समय बुआनला और हरवंगा में हुई सार्वजनिक सभाओं में इस पूर्ण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित

किये जाने के बावजूद भी उड़ीसा सरकार ने इस क्षेत्र के कलक्टर के अनुमान के आधार पर इस क्षेत्र के केवल 12 प्रतिशत भाग को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में सूखे की यथार्थ स्थिति का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में यथार्थ स्थिति क्या है और इस क्षेत्र के लिए क्या सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार कमी और सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये जिम्मेदार है और सहायता सम्बन्धी कार्य करने हेतु उनके अनुमान को मान लिया जाता है । राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में फसल कटाई सर्वेक्षण से जो फसल क्षतिग्रस्त पायी गयी उसके 12 प्रतिशत के आधार पर फूलवानी जिले को सूखे से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है । राज्य सरकार जिले के किसी विशेष भाग में सहायता कार्य करने का निर्णय उक्त भाग में किस हद तक संकट है को ध्यान में रखते हुए करती है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता समस्त राज्य के लिये दी जाती है और यह राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है कि वे इस बात का निर्णय करे कि राज्य के विभिन्न भागों के लिये उसे किस प्रकार प्रयोग करना है ।

बिहार में नलकूप लगाना

*753. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने बिहार में सिचाई के प्रयोजनार्थ बड़ी संख्या में नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) से (ग)** : जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के व्यापारिक प्रतिनिधि ने कृषि विभाग एवं बिहार सरकार से नलकूपों के ड्रिलिंग के लिये एक कस्टम सर्विस स्थापित करने के हेतु तकनीकी सहायता की सम्भाव्यता पर कुछ पूछताछ की थी । वाणिज्य मंत्रालय को, जो व्यापारिक प्रतिनिधि से प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का उत्तरदायी है, इस विषय पर व्यापारिक प्रतिनिधि से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड का पंचाट

*759. **श्री यशपाल सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग पर गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड के पंचाट को कानूनी तौर पर लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य उत्पादन के लिए केरल को विशेष सहायता

*760. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से उसे विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या और कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आगामी पाँच वर्षों के लिये सहायता की प्रार्थना मुख्यत: निम्न राशियों से सम्बन्धित है :—

(1) कुट्टानद, त्रिचूरकोल भूमिया और मालाबार में कोल भूमियों जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थायी बन्धों के निर्माण के लिये 25.00 करोड़ रुपये ।

(2) योजना में सम्मिलित प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिये 35.00 करोड़ रुपये ।

(ग) केन्द्रीय बजट में राज्यों को सहायतार्थ उपलब्ध कुल धन राशि पहले ही विभाजित कर दी गई है अत: केरल को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना संभव नहीं हो सका है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का आसाम में पुनर्वास

*761. **श्री बे०कु० दास चौधरी** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार को कोई हिदायतें जारी की हैं कि पिछले कई वर्षों से आसाम के विभिन्न भागों में भूमि पर कब्जा किये बैठे पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को वही जमीनें स्थायी आधार पर आवंटित कर दी जायें ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने आसाम सरकार के माध्यम से आसाम के चाय बागान मालिकों को प्रयोग में न लाई जा रही अपनी जमीन का कुछ भाग शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये देने के बदले में बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में चाय बागान मालिकों द्वारा इस प्रकार कितनी जमीन उपलब्ध की गई है और उसमें से कितनी जमीन शरणार्थियों को दी गई है ; और

(घ) चाय बागान मालिकों को पिछले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं ।

(ख) वर्ष 1959 में आसाम में विस्थापित परिवारों को पुन: बसाने हेतु कुछ चाय-बागानों की भूमि को अधिग्रहण करने तथा मुआवजा देने के लिये 3.24 लाख रुपये स्वीकार किये गये थे। स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि वर्ष 1967 तक इस राशि में से 2.54 लाख रुपये चाय बागानों की भूमि की मांग करने तथा इसका अधिग्रहण करने के लिये स्वीकार किये गये।

(ग) स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि अब तक लगभग 13429 बीघे जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है जिस पर 2512 परिवारों को बसाया गया है।

(घ)

	रुपये
1959-60	13661
1960-61	80869
1961-62	14862
1964-65	144587
	253979 रुपये

Rugged and Rough Terrain in Various States

*762. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total area of rugged and rough terrain in the various States with their names ;

(b) the particulars of the area of rugged terrain in U.P., Madhya Pradesh and Rajasthan ; and

(c) the steps taken so far to convert this rugged land into cultivable land and forests and to make it useful otherwise ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Taking the "rugged and rough terrain" to mean ravine lands, the total area covered by such terrain which occurs in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Punjab, Haryana, Bihar, Madras and West Bengal is estimated at 48.30 lakh acres.

(b) The extent of ravine lands in the three States is given below :

State	Total ravine area (in lakh acres)
1. Uttar Pradesh	3.040
2. Madhya Pradesh	6.000
3. Rajasthan	8.000

(c) In view of the practical difficulties, the reclamation of ravines has been done on a selective basis, so as to ensure (i) treatment of cultivated table lands with contour bunding, (ii) reclamation of peripheral land and shallow ravines for agriculture and (iii) development of grasslands and afforestation in the deeper ravines.

In order to select ravine lands suitable for reclamation for agriculture and afforestation, ground surveys have been conducted over an area of 9.43 lakh acres upto the end

of 1967-68 in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Aerial photography has also been carried out in Gujarat on 9.32 lakh acres of ravine land. During the same period, ravine reclamation for agriculture was carried out over 31,000 acres. Afforestation of ravines has also been completed over an area of 1.40 lakh acres.

The Central Ravine Reclamation Board has been constituted to co-ordinate the ravine surveys and reclamation activities in various States and pilot projects of 10,000 acres each are being formulated to establish technical and economic feasibility of large scale ravine reclamation measures in the above four States.

Employees Provident Fund

*763. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Dyres Stone Lime Company (P) Limited, Calcutta, M/s. Lime and Refractors (P) Limited, Bombay and M/s. Indian Distributors (P) Limited, Katni have not deposited their employees' Provident Fund for the past many years;

(b) whether it is also a fact that facilities are not being provided to their employees as per Wage Board Award ;

(c) the number of permanent and temporary employees in these firms ;

(d) whether it is also a fact that these firms do not keep persons in their employment for long ; and

(e) if so, the number of persons removed from service and those who resigned their jobs during the last 5 years ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Land allotted to Displaced Persons in Kalkaji Colony, Delhi.

*764. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government had received a request from the displaced persons for East Pakistan that the rent and the cost of the land given to them in Kalkaji colony, Delhi may be reduced ;

(b) whether Government have rejected that demand ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement.

Request made on behalf of the East Pakistan Displaced Persons	Decision of the Government of India
(i) The price of the land which is being allotted to the displaced persons in the East Pakistan D.P. Colony should be fixed at	(i) The scheme for allotment of plots in the East Pakistan D. P. Colony has been prepared on a 'no profit no loss' basis. The

Rs. 5/- per square yard as against Rs. 30/- per sq. yard demanded from them.

(ii) The ground rent should be fixed at the rate of Re. 1/- per annum instead of 3% per annum on the premium calculated at the rate of Rs. 30/- per sq. yard.

actual cost of acquisition and development is estimated at present at Rs. 30/- per sq. yard. The request of the D.Ps. that they should be charged at the rate of Rs. 5/- per sq yard cannot, therefore, be agreed to.

(ii) The land which is being developed for the East Pakistan D.P. Colony has been acquired under the Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act of 1948. The rules framed under the Act require that ground rent shall be charged at the rate of 3% per annum on the cost of acquisition of the land plus expenditure on its development. This requirement being a statutory one, the request for charging only a nominal ground rent cannot be granted.

It is pertinent to point out in this connection that the two Press Notes, in response to which the East Pakistan D.Ps have applied for plots in the colony, expressly stated that the full cost of acquisition and development would be charged from the allottees and that they would also have to pay ground rent at 3% of the premium.

Shortage of Rice and Wheat

*765. **Shri Sharda Nand :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of those States where there is shortage of rice and wheat ;

(b) the steps taken by Government to remove the same ;

(c) whether the quota of ration has been increased in Kerala ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In an year of normal production and taking both rice and wheat together, there may be shortage in the States of Assam, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, West Bengal and Nagaland.

(b) Efforts are being made to increase the production in each State. Foodgrains are also being supplied from the Central Pool taking into consideration the overall availability with the Centre and needs of different States.

(c) and (d) The total foodgrain ration in Kerala viz. 2240 grams per adult per week is already high. The rice component of this ration has, however, been increased from June last.

Arrangements for Supply of Milk in Delhi

*766. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether arrangements for the requisite supply of milk in Delhi have been made ;

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to make these arrangements permanent ; and

(c) the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) The milk requirement of Delhi have been estimated at 5,00,000 litres per day by the Experts' Team which examined working of Delhi Milk Scheme in 1964. This demand is fully met by the D.M.S., and partly by private dairies and suppliers. The Delhi Milk Scheme is supplying about 2,28,000 litres of milk per day at present.

(b) The Government is encouraging the generation of larger quantities of milk supplies by providing various incentives to producers around Delhi. Steps are also being taken for the expansion of the supply undertaken by the D.M.S.

(c) A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

The following steps have been taken for expansion of the Scheme's operations :--

(i) A proposal for reservation of areas for exclusive procurement of milk by the Delhi Milk Scheme is under consideration in consultation with the State Governments concerned.

(ii) The area of procurement of milk is being expanded. In addition to introduction of departmental procurement in Karnal two years ago, new areas have been taken up since January, 1968, in Districts Muzaffarnagar and Moradabad in U. P., and Alwar and Bharatpur in Rajasthan. Procurement has also been expanded on Gurgaon ; Rewari Road in district Gurgaon in Haryana.

(iii) Extension activity has been started in milk shed of the Scheme on an intensive scale to ensure increase in production of milk. Four sets of Intensive Cattle Development Programme at an investment of about Rs. 80 lakhs each have been started in districts Meerut in U. P., Gurgaon and Karnal in Haryana and Bikaner in Rajasthan. These programmes are centrally sponsored and are being executed by the State Governments concerned.

(iv) Action is in hand for expansion of handling capacity of Central Dairy of the Scheme from a nominal capacity of 2,55,000 liters per day to 3,00,000 litres per day. A subsidiary dairy plant (Balancing Station) with a capacity of 50,000 litres per day in first stage is being planned at Bikaner.

Wage Board for Textile Industry.

*767. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Wage Board on Textile Industry ;

(b) if so, the recommendations made in the Report and action taken by Government for their implementation ; and

(c) if not, the time by which this report was to be submitted and the reasons for delay in submitting the report ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Wage Board's work is now in advanced stages and its report is likely to be submitted by the end of October, 1968.

घास तथा वृक्षों के पत्तों से प्रोटीन निकालना

*768. **श्री वेणीशंकर शर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र शाखा के खाद्य प्रौद्योगिकीविज्ञों के संघ की आम वार्षिक बैठक में, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था, उन्होंने वहां पर इकट्ठे हुए खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञों से आग्रह किया था कि उन्हें घास और पेड़ों के पत्तों से प्रोटीन निकालने के लिये अर्थोपाय सोचने चाहिये ;

(ख) क्या निकट भविष्य में घास तथा पेड़ों के पत्तों से प्रोटीन निकालने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इससे हमारी खाद्य समस्या को हल करने में क्या सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अनुसन्धान के संदर्भ में, प्रोटीन के परम्परागत स्रोतों की अनुपूर्ति करने हेतु नये नये स्रोतों से प्राप्य संरक्षी-खाद्य सामग्री बनाने की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, यह कहा गया था कि घास तथा पत्तों जैसी बनस्पति पदार्थों से प्रोटीन निकालना सम्भव है तथा इस क्षेत्र में आगे भी कार्य करने की गुन्जाईश है ।

(ख) इस क्षेत्र में पहले से ही हो रहे अनुसन्धान कार्य से पता लगता है कि पत्तों में प्रोटीन होता है तथा उचित तकनीक के उपयोग से पत्तों से प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है परन्तु यह अभी देखना है कि क्या बड़े स्तर पर इसका उत्पादन तथा उपयोग सम्भव है ।

(ग) यदि व्यापारिक उत्पादन हेतु ये अनुसंधान सफल होते हैं तो इससे देश में कुपोषण को समाप्त करने के लिये प्राप्त प्रोटीन की सप्लाई में वृद्धि होगी ।

वर्ष 1968-69 में खाद्य स्थिति

*769. **श्री नि०रं० लास्कर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्षा ऋतु के बाद खाद्य स्थिति के बारे में कोई अन्तिम अनुमान लगाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में अनुमानत: कुल कितने खाद्यान्न का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब

शिन्दे : (क) इस वर्षा ऋतु के बाद जो खाद्य स्थिति होगी उसका अन्तिम अनुमान अभी नहीं लगाया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में खाद्यान्न की कमी

*770. **श्री हेम बरूवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में खाद्यान्न की बहुत अधिक कमी है और हाल की बाढ़ों से स्थिति और भी खराब हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे). (क) असम की कुछ उप डिवीजनों में सूखे के कारण खाद्यान्नों की कमी सूचित की गयी थी हाल की बाढ़ों ने कुछ मैदानी जिलों में कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी है । तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि मन्डियों में नई अगेती फसल के आने से स्थिति सुगम होनी शुरू हो गयी है ।

(ख) असम को गेहूं की सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है अर्थात् लगभग 12,000 मीटरी टन प्रति मास से बढ़ाकर 35,000 मीटर टन प्रति मास से भी अधिक कर दी गयी है । केन्द्र की चावल की सप्लाई स्थिति बहुत कठिन है । इतने पर भी वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए असम को 4000 मीटरी टन चावल दिया गया है ।

अनाज के वसूली मूल्य

*771. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न राज्य में अनाज के वसूली मूल्यों में भारी अन्तर है;

(ख) क्या इसके कारण अनाज की बड़े-पैमाने पर तस्करी होती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या कृषि मूल्य आयोग विभिन्न राज्यों से मूल्यों में ऐसे अन्तर के पक्ष में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रबी के खाद्यान्नों के वसूली-मूल्य सारे देश में सामान्यत: समान हैं । खरीफ खाद्यान्नों के बारे में, राज्यों द्वारा नियत मूल्यों में कुछ अन्तर हैं । कमी वाले राज्यों के लिये नियत किये गये मूल्य आवश्यकता से अधिक वाले राज्यों के मूल्य से प्राय: अधिक हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वसूली मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय आयोग ने राज्यों में नियत किये वसूली मूल्यों के अन्तर के बारे में विचार किया था । उनका विचार है कि यह अन्तर धीरे धीरे समाप्त होना है ।

Milk Distribution by Delhi Milk Scheme

772. **Shri Yaswant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the daily capacity of milk distribution of Delhi Milk Scheme, New Delhi ;

(b) the shortfall in meeting the demand at present ;

(c) whether any scheme of expansion of the Delhi Milk Scheme is under consideration to meet this demand in full ; and

(d) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Delhi Milk Scheme has an installed capacity of approximately 2,55,000 litres per day at present.

(b) The milk requirement of Delhi was estimated at 5,00,000 litres per day by the Experts Team which examined the working of the Delhi Milk Scheme in 1964. As against this, the Scheme is supplying about 2,28,000 litres of milk per day at present:

(c) Yes, Sir.

(d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement.

The following steps have been taken for expansion of the Scheme's operations :

(i) A proposal for reservation of areas for exclusive procurement of Milk by the Delhi Milk Scheme is under consideration in consultation with the State Governments concerned.

(ii) The area of procurement of milk is being expanded. In addition to introduction of departmental procurement in Karnal two years ago, new areas have been taken up since January, 1968, in districts Muzaffarnagar and Moradabad in U.P., and Alwar and Bharatpur in Rajasthan. Procurement has also been expanded on Gurgaon-Rewari Road in district Gurgaon in Haryana.

(iii) Extension activity has been started in milk sheds of the Scheme on an intensive scale to ensure increase in production in milk, Four Intensive Cattle Development Projects at an approximate cost of Rs. 80 lakhs each have been started in the districts Meerut in U.P., Gurgaon and Karnal in Haryana and Bikaner in Rajasthan. These projects are centrally sponsored ones and are being executed by the State Governments concerned.

(iv) Action is in hand for expansion of Central Dairy of the Scheme from the present nominal handling capacity of 2,55,000 litres per day to 3,00,000 litres per day. This capacity is capable of substantial increase by provision of supplementary equipment. A subsidiary dairy plant (Balancing Station) with a capacity of 50,000 litres per day in first state is also being planned at Bikaner.

वनस्पति घी का मूल्य

*773. **श्री हेम राज :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति घी के मूल्य समय-समय पर बढ़ाये जाते रहे हैं और कुछ समय से उनमें बढ़ने की प्रवृति दिखायी दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उनको स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : वनस्पति घी के मूल्यों के बारे में उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेलों की दरों को देखते हुए समय समय पर विचार किया जाता है तथा सरकार तथा इस उद्योग के मध्य स्वीकृत फार्मूले के अनुसार इन दरों में कमी अथवा वृद्धि की जाती है। इस प्रकार जनवरी, 1968 से सभी अथवा अधिकतम क्षेत्रों में इन दरों में केवल तीन बार वृद्धि की गई है, अर्थात् प्रथम मई तथा प्रथम जून तथा 25 अगस्त को और 6 बार कमी की गई है अर्थात् प्रथम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई तथा अगस्त को।

सुपर बाजार

*774. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें बाजार की दरों के बराबर हैं और कुछ मामलों में उनसे भी अधिक हैं;

(ख) क्या इसके बावजूद 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में सुपर बाजार को घाटा हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं सामान्यत: सुपर बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें बाजार की दरों के मुकाबले में प्रतियोगी हैं।

(ख) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में सुपर बाजार को हानि हुई थी। 30 जून, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है।

(ग) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में 7.08 लाख रुपये की हानि हुई थी और यह प्रमुख रूप से प्रवर्तन, प्रशासन तथा परिचालन सम्बन्धी अधिक लागत, जिसमें कनाट सर्कस की इमारत जहां कि यह स्थित है, का अधिक किराया होना भी सम्मिलित है, के कारण हुई थी।

चीनी की कीमतें

*775. **श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादकों ने इस वर्ष जून में चीनी के मूल्यों में अग्रेतर कमी को रोकने में सहायता प्राप्ति के लिये सरकार से प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग द्वारा क्या मांगें रखी गयी थीं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) (1) कि चीनी का खुली बिक्री के वर्तमान और भविष्य के निकासी आदेशों की नियत-अवधि को तीस दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाये ;

(2) कि भविष्य में होने वाली खुली बिक्री की निकासी की मात्रा को 50,000 टन तक सीमित रखा जाये;

(3) कि चीनी की खुली बिक्री के अन्तर्राज्य व्यापार के सम्बन्ध में नियत प्रतिबन्धों में छूट दी जाये;

(4) कि चीनी के व्यापार में बैंक अन्तर 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये;

(5) कि चीनी की खुली बिक्री के लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये । व्यापारियों द्वारा स्तरीय चीनी के किस्म सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी हटा दिये जायें; और

(6) कि खुली बिक्री वाली चीनी के रद्द हुए कोटे को पुनः नियत किया जाये तथा उसे खुली बिक्री के लिये प्रदान किया जाये ।

(ग) इन मांगो में से कोई मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की है ।

Milk Crisis in Dehli

*776. **Shri Ramavatar Sharma** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an acute milk crisis has arisen in Delhi during the past some days due to non-supply of milk from Haryana and U. P.; ; and

(b) whether Government have formulated a scheme for increasing milk production in view of the annually recurring milk crisis in Delhi ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Some milk suppliers from U. P. and Haryana organised a strike from 27th to the 31st May, 1968 resulting in inconvenience to the public. Supplies of Delhi Milk Scheme were not affected by the strike.

(b) Four intensive cattle Development Projects at an investment of Rs. 30 lakhs each have been started in districts Meerut in U. P., Gurgaon and Karnal in Haryana and Bikaner in Rajasthan in milk shed of Delhi Milk Scheme. These programmes provide for intensive development of cattle by providing facilities for artificial insemination, veterinary aid, feed and fodder development and loans for milch cattle. Milk shortage is particularly acute during the summer months and in order to overcome shortage an order banning the manufacture of luxury products life cream casein, skimmed milk, khoya, rubree, paneer and milk sweets was imposed for a period of 2 months May, 15 to July 14, 1968. This helped in the increased supplies of milk becoming available during this period. It is proposed to meet the milk shortage every summer with a similar order.

Partial Decontrol of Sugar

*777. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleasad to state the impact of decontrolling of 40 percent sugar on the interests of farmers and sugar mills, respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) : The partial decontrol of sugar has benefited the sugarcane growers as they received prices for sugarcane higher than the minimum fixed by the Government. The sugar industry has been able to draw larger supplies of sugarcane in competition with gur and khandsari manufacturers resulting in prolongation of the crushing season and better utilization of capacity of the sugar industry.

जापानी सहयोग से मत्स्य पालन परियोजना

*778. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग से तटवर्ती क्षेत्र में एक मत्स्य पालन परियोजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां । एक जापानी फर्म के सहयोग से एक मत्स्य संबंधी परियोजना प्रारम्भ करने हेतु महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) महाराष्ट्र के तट से दूर गहरे समुद्र के संसाधनों का सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि महाराष्ट्र राज्य मात्स्यकी निगम और जापानी फर्म के सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये संयुक्त रूप से एक कम्पनी की स्थापना की जा सके । जापानी फर्म पोत और विशेषज्ञ उपलब्ध करेगी और सर्वेक्षण का कार्य व्यापारिक आधार पर संयुक्त रूप से किया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु भारतीय कार्मिक सर्वेक्षण कार्य से सम्बद्ध रहेंगे ।

सूरतगढ़ फार्म

*779. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़ फार्म के काफी बड़े भाग में हाल में बाढ़ के कारण पानी भर गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) रोक थाम के उपाय न करने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां । लगभग 18,000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में हाल में बाढ़ के कारण पानी भर गया था ।

(ख) 20,245 रु० की हानि का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) बांधों को मजबूत करके सतर्कता-विषयक उपाय किये गए थे, किन्तु गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाढ़ का बहाव अत्यधिक तेज था और बांधों में कुछ दरारें आ गईं ।

दिल्ली में ठेके के आधार पर चल रहे डाक तथा तार विभाग के कोष

*780. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के कुछ कोष ठेके के आधार पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान ठेकों की अवधि समाप्त होने पर इनको विभागीय कोषों में परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) यह एक सामान्य नीति रही है कि जिन डाकघरों में नकद प्राप्ति एक लाख रुपये से अधिक होती है वहां की कोष शाखाओं को ठेके पर चलाया जाये क्योंकि ये प्रबन्ध आर्थिक तथा प्रशासन के दृष्टि से सुविधा जनक पाये गये हैं।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

श्रम सम्बन्धी कानूनों की कार्यान्विति के लिये व्यवस्था

6324. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी कानूनों जैसे मजूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, काम के घंटों सम्बन्धी विनियमों आदि के रेलवे में ठीक तरह से पालन के लिए सरकार के अधीन कोई संगठन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठन में नियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उनके ग्रेड क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त श्रम कानूनों का ठीक तरह से पालन करने के लिये उन्हें इस संगठन में नियुक्ति से पूर्व या पश्चात् कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि हां, तो पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की अवधि का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कितने व्यक्तियों को अभी प्रशिक्षण दिया जाना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम काम के घंटों सम्बन्धी नियमों, मजूरी भुगतान अधिनियम और रोजगार अधिनियम जैसे श्रम कानूनों को रेलवे में लागू करने का कार्य मुख्य श्रमायुक्त के संगठन को सौंपा गया है। अधिकारियों के वर्ग और संख्या तथा उनके ग्रेड संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कारखाना अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

(ग) श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्यभार सौंपने से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु एक मास के लिए तैनात किया जाता है। बाद में उन्हें छोटी छोटी टोलियों में छः मास के

लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के अल्पकालिक समाज सेवक पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है। सहायक श्रमायुक्तों और प्रादेशिक श्रमायुक्तों को भी बारी-बारी श्रम प्रशासन में लगभग चार मास कि प्रशिक्षण के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत यूनाइटिड किंगडम या अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका भेजा जाता है। इन अधिकारियों तथा राज्य सरकार और सम्बन्धीय क्षेत्रों आदि के अधिकारियों को औद्योगिक सम्बन्धों कार्मिक प्रबन्ध, श्रम कानूनों को लागू करने आदि के बारे में सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए 1964 में औद्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थान (जिसे अब भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान कहा जाता है) शुरू किया गया। इस संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि 3 मास है। इस संस्थान में अब तक प्रशिक्षित किए गये अधिकारियों की संख्या 169 है और 17 अधिकारियों को अभी प्रशिक्षण देना बाकी है।

विवरण

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन क्रम
			रु०
1.	मुख्य श्रमायुक्त	1.	1800-100-2000
2.	उप श्रमायुक्त	3.	1300-60-1600
3.	प्रादेशिक श्रमायुक्त	13.	900-40-1100/50-2/1250
4.	सहायक श्रमायुक्त	46.	600-35-670 दक्षतारोध 35-950
5.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	122.	350-25-575

राज्यों में राशन व्यवस्था

6325. **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने अभी तक राशन व्यवस्था लागू नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सुधरी हुई खाद्य स्थिति के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि संविहित राशनिंग को और अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाये।

राज्यों को खाद्यान्नों की सहायता

6326. **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश (विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र) तथा केरल जैसे राज्य अभी भी खाद्यान्न की कमी के कारण पीड़ित हैं और केन्द्रीय सरकार इन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न देने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता

6327. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष त्रिपुरा में कितनी कृषि भूमि बाढ़ से जलमग्न हुई तथा इसके कारण विभिन्न प्रकार की फसलों को कितनी क्षति हुई है ;

(ख) क्या जल-मग्न भूमि वाले किसानों को विशेष किस्मों के बीज और उर्वरक दिये जा रहे हैं अथवा दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इन किसानों को बीजों और उर्वरकों की सप्लाई के लिये कितनी तथा क्या सहायता अथवा राज-सहायता दी गई है ;

(घ) क्या इन पीड़ित किसानों को ट्रैक्टरों तथा हलों की व्यवस्था करने के लिए भी कोई सहायता दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 0.172 लाख हैक्टेअर कृषि-गत भूमि को बाढ़ों से हानि पहुँची है। विभिन्न प्रकार की फसलों को निम्न प्रकार क्षति पहुँची है :–

ग्रोस	11,105	मीटरी टन
बोरो	2,956	,, ,,
जूट	511	,, ,,

इसके अतिरिक्त लगभग 0.025 लाख हैक्टेअर भूमि में अमन की पौध को क्षति पहुँची है।

(ख) से (ङ) प्रभावित कृषकों को बीजों, उर्वरकों, ट्रैक्टरों, टिलरों और राज्य सहायता के रूप में कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है। फिर भी ऐसे कृषकों को उर्वरकों, बीजों और राज सहायता के रूप में सामान्य सहायता दी जा रही है।

Modern Rice Automatic Plants

6328. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the modern rice automatic plants of the type imported from Japan are manufactured in India ;

(b) if so, the names of the places in India where they are manufactured ;

(c) whether any mill-owner in the private sector can import the aforesaid automatic plants from Japan directly ; and

(d) if so, how ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At present, the type of equipment imported from Japan, are not manufactured in the country. However, arrangements have been made to get this equipment manufactured in the country with foreign collaboration.

(b) These equipments are expected to be manufactured in the country by :—

(1) M/s. Damodar Enterprises, Calcutta ; and

(2) M/s. Binny Engineering Works, Madras.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Purchase of Gram in Rajasthan by Food Corporation of India

6329. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the maximum quantity of gram purchased in one day by the Rajasthan Branch of Food Corporation of India at Bandi-Kui Centre during this year ;

(b) the rates at which the said quantity of gram was purchased and the date on which purchased ;

(c) whether some complaints have been received against the officers concerned in regard to the said purchase of gram ; and

(d) if so, the details thereof as also of the enquiry conducted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) About 226.3 tonnes.

(b) Between Rs. 71 to Rs. 74 per quintal on 3rd June, 1968.

(c) A complaint was received making general allegation against Quality Inspector, Bandikui but not specifically with reference to the purchase made on 3-6-1968.

(d) After a surprise check some irregularities were noticed. The Officer who was a deputationist was reverted to the State Government immediately and a charge-sheet was sent to his Parent Department for necessary action.

भूख से मुक्ति परियोजना

6330. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत में कितनी, कौन कौन सी तथा किन किन स्थानों पर भूख से मुक्ति संबंधी परियोजनाएं चलाई जाती हैं ;

(ख) विभिन्न स्थानों पर इन परियोजनाओं में कितने विदेशी काम करते हैं और सरकार द्वारा इन पर वार्षिक कितना धन व्यय किया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितना धन व्यय किया गया है और प्रत्येक मामले में सरकार का कितना अंशदान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में भूख से मुक्ति आन्दोलन परियोजनाएं खाद्य एवं कृषि संस्थान द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं फिर भी 24 भूख से मुक्ति आन्दोलन परियोजनाएं, जिनके लिए विदेशी दानियों द्वारा दी गई सहायता, खाद्य एवं कृषि संस्थान की एजेन्सियों द्वारा प्राप्त होती है; का संचालन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। इन 24 परियोजनाओं की सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1951/68]

(ख) इन में दो परियोजनाओं पर दो विदेशी भी नियुक्त हैं : एक राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर स्थित, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य तकनीक प्रशिक्षण केन्द्र में तथा दूसरे कन्याकुमारी, मद्रास में स्थित कल्टामारन्ज की यन्त्रीकरण परियोजना में इन विदेशियों पर होने वाला व्यय उन्हें प्रयोजित करने वाले संस्थान देते हैं।

(ग) प्रत्येक योजना के लिए दानस्वरूप प्राप्त हुई या होने वाली राशि संलग्न सूची में प्रत्येक योजना के सामने अंकित है।

इसके अलावा प्राप्त करने वाली सरकारी ऐजेन्सियां या स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक रूप में आवश्यकता पड़ने वाली सुविधाओं जैसे भूमि, इमारतें, स्थानीय यन्त्र, व्यक्ति इत्यादि के रूप अपने हिस्से का चन्दा व्यय करती है जिसका नकद रूप में मूल्य वस्तु तथा स्थान स्थान पर निर्भर होता है।

कपास आयोग

6331. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपास की सघन खेती के कार्य की देखभाल करने के लिए एक कपास आयोग बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि

6332. **श्री गणेश घोष** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि उचित अधिकारियों के पास पूर्णतया जमा कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी प्रबन्ध काल में तथा सरकारी प्रबन्ध काल में क्रमशः जमा नहीं की गई राशि क्या थी ;

(ग) क्या इस राशि को उगाहने के लिये उनके मन्त्रालय ने कोई कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या औद्योगिक विकास तथा समयक कार्य मन्त्रालय की किसी कार्यवाही के कारण उपरोक्त भविष्य निधि वसूल नहीं की जा सकी थी ; और

(ङ) उनके मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं क्यों कि उच्च न्यायालय में कम्पनी के विरुद्ध दिवालिया होने का मामला लम्बित है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) बकाया रकम–

(i) उस समयावधि की जिसके दौरान प्रतिष्ठान गैर-सरकारी प्रबंधक के अधीन था । 10–08 लाख रुपये ।

(ii) उस समयावधि की जिसके दौरान प्रतिष्ठान प्राधिकृत नियंत्रक के अधीन था । 2–48 लाख रुपये

(ग) यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार से उठाया गया और उसके परिणामस्वरुप, कम्पनी के विरुद्ध वसूली और अभियोजन की कार्यवाही की गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इस मामले की छान बीन की जा रही है ।

नमक को शक्तिवर्धक बनाना

6333. **श्री को० सूर्यनारायण** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सम्पूर्ण जनता द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सामान्य नमक का अत्यावश्यक कैलशियम, आयरन, विटामिनों तथा प्रोटीनों, के साथ प्रबलीकरण के प्रभावी साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो नमक को शक्तिवर्धक बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कैलशियम, लोहा, और लामसीनी के साथ नमक के शक्तिवर्धन के बारे में तकनीकी तथा मूर्त रूप सम्भावनाओं के लिये कुछ परीक्षण अब किये जा रहे हैं । नमक को शक्तिवर्धन के लिये एक बड़े स्तर का साधन बनाने की सम्भावना इन परीक्षणों पर निर्भर करेगी ।

फल परिष्करण उद्योग

6334. **श्री को० सूर्यनारायण** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारा देश फल परिष्करण उद्योग के विकास के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा इस उद्योग के विकास के लिये किये गये विभिन्न उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है ?

(1) इस उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने तथा लाइसेंस वालों से अच्छे स्तर के फल तथा वनस्पति उत्पादों का निर्माण कराने के लिये एक फल उत्पाद आदेश, 1955 लागू किया गया है।

(2) फल उत्पाद आदेश योजना के अन्तर्गत काम करने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों की सहायता से तथा सहायक खाद्य मानक नियंत्रण के द्वारा सरकार नियंत्रण करती है तथा प्रत्येक परिष्करण कर्ता एकक को तकनीकी ज्ञान, उत्पादों के निर्माण, उद्योग के लिये उपकरणों का चयन, टिन-प्लेटों रसायनों आदि की सप्लाई सहित कच्चे माल की उपलब्धि, और उत्पादन को बढ़ाने, स्तर को ऊँचा करने तथा निर्यात को बढ़ाने के बारे में हर सम्भव सहायता दी जाती है।

(3) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से उपयुक्त सहकारी समितियों को फल और वनस्पति परिष्करण कर्ता एककों की स्थापना हेतु वित्त प्रदान करने का उपबन्ध है।

(4) उद्योग के लिये आवश्यक आम उपकरणों का देश में ही विकास किया गया है। इस उद्योग को उपकरणों रसायन तथा टिन–प्लेट का, जो कि देश में नहीं मिलते, आयात करने में भी सहायता दी जाती है।

(5) निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन भी दिये गये हैं।

(6) विभिन्न सरकारी निकायों तथा विभागों से इस उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञों तथा इस उद्योग के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो कि फल तथा बनस्पति परिष्करण उद्योग आदि के विकास के बारे में सरकार को सलाह देगी।

मक्का से तैयार किये जाने वाले पौष्टिक पदार्थ

6335. **श्री को० सूर्यनारायण:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मक्का का अच्छा उपयोग करने के लिए इससे सूजी, आटा, दलिया और दूसरे पौष्टिक पदार्थ बनाये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो मक्का से बनी वस्तुओं के उत्पादन और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का सूजी, आटा आदि के उत्पादन के लिये मकई पीसने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न गैर-सरकारी पक्षों तथा राज्य सरकारों, जिन्होंने मकई की पिसाई के कारखाने स्थापित करने में रुचि दिखाई है, को तकनीकी जानकारी तथा अनिवार्य उपकरणों के आयात के लिए सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

6336. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों की ओर गन्ने की कीमत के रूप में गन्ना उगाने वालों की मोटी रकम बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) चीनी मिलों से बकाया राशि वसूल करके गन्ना उत्पादकों को देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1967-68 में उत्तर प्रदेश में, चीनी के कारखानों द्वारा खरीदे गये गन्ने की 11914 लाख रुपये की कीमत में से 31 जुलाई, 1968 को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि 214 लाख रुपये थी।

(ग) राज्य सरकार को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध मुकद्दमें सहित अन्य सख्त कार्यवाही करने को कहा गया है।

दिल्ली और पंजाब के सीमावर्ती नगरों के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

6337. **श्री ए० श्रीधरन् :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से अमृतसर, कपूरथला और पठानकोट के सीमावर्ती नगरों के लिए सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था न की जाने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जब कि टेलीफोन की लाइनें जालंधर तक लगाई जा चुकी हैं, जो कपूरथला और अमृतसर तथा पठानकोट के रास्ते जम्मू और श्रीनगर से बहुत निकट है; और

(ख) इन नगरों का दिल्ली के साथ कब तक सीधे टेलीफोन सम्पर्क स्थापित हो जायेगा ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) और (ख) ज्योंही समाक्ष और माइक्रोवेव योजनायें पूरी होंगी, एस. टी. डी. प्रणाली भी धीरे लागू की जा रही है। दिल्ली-अमृतसर मार्ग पर एस. टी. डी. प्रणाली का आयोजन किया जा चुका है तथा वर्ष 1969 के अन्त तक इसके चालू हो जाने की सम्भावना है।

कपूरथला तथा पठानकोट टेलीफोन केन्द्रों में अभी स्वचालित व्यवस्था नहीं है। इन केन्द्रों में जब स्वयं-चालित यंत्रों से कार्य होने लगेगा तब इन स्थानों से दिल्ली तक सीधे टेलीफोन सेवा आरम्भ करने का विचार किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास योजना

6338. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वर्ष 1968-69 में मत्स्य विकास एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा और परिव्यय क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चौथी योजना में मत्स्य विकास की एक और योजना भी भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें और परिव्यय क्या हैं, और किन-किन स्थानों को मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जायेगा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य-पालन के विकास के लिए वर्ष 1968-69 की अपनी वार्षिक योजना में 35 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की थी। मुख्य योजनायें सघन मत्स्य पालन, सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान, डिम पोना का उत्पादन, जलाशयों में मत्स्य पालन का विकास, सामुदायिक विकास तथा व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम वाले खण्डों में सघन मत्स्य पालन कार्य, मत्स्य-संग्रह तथा बिक्री, अप्रयुक्त जल में मत्स्य उत्पादन आदि से सम्बन्धित हैं। ये प्रस्ताव अनुमोदित हुए थे तथा 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के बारे में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। शीघ्र ही इनके प्राप्त होने की आशा है।

डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का स्तर निर्धारित न किया जाना

6339. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 2 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बों में बन्द खाद्यपदार्थ का स्तर निर्धारित न किये जाने के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) डिब्बों में बन्द घी तथा "अजन्ता" गाढ़ी क्रीम के मानकीकरण न किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने यद्यपि यह कहा है कि उन्हें भारतीय उपभोक्ता परिषद से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि 200 ग्राम के डिब्बों में बिकने वाले 'आमुल' तैयार पनीर के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं कि उनमें वमनकारी दुर्गन्ध और स्वाद है।

इस समय डिब्बा-बन्द खाद्य पदार्थों के गुणप्रकार को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है। अधिकतर खाद्य पदार्थों के लिये न्यूनतम मानक खाद्य मिलावट निरोध नियम, 1955 के अधीन पहले से निर्धारित हैं। तथापि फलों तथा वनस्पतियों के उत्पादों के बारे में न्यूनतम गुणप्रकार तथा अनिवार्य मानक नियंत्रण के लिये फल उत्पाद आदेश, 1955 लागू है। जहां तक अन्य खाद्य पदार्थों का सम्बन्ध है जो कि "एगमार्क" तथा भारतीय

मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत ऐच्छिक मानक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं उनके लिये न्यूनतम् मानक निर्धारित हैं और क्योंकि ये दोनों अधिनियम अनुमति देने से संबंध रखते हैं, अतः उनके अधीन कोई अनिवार्य नियंत्रण भी लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि निर्मातागण स्वयं "एगमार्क" और भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) नामक अधिनियम के अधीन गुण प्रकार नियंत्रण योजना के अन्तर्गत कार्य नहीं करते।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फल वालों की दुकानों में काम के घंटे

6340. **श्री जुगल मंडल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ "शाप-इन्स्पेक्टर" इन्द्रा मार्केट, दिल्ली के निवासियों द्वारा संसत्सदस्यों से की गई इन शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने के लिए कि वहां फल-विक्रेताओं की सब दुकानें रात्रि के 8-30 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और व्यापार होता रहता है, 1 जनवरी, 1968 से 31 जुलाई, 1968 की अवधि में कभी वहां गये हैं;

(ख) यदि हां तो वह कितनी दुकानों पर गये और सब मामलों में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या दुकान संख्या 33, 36, 49, 63, 66, 67 और 68 चौबीस घण्टे खुली रहती हैं जिससे कि निवासियों को बड़ी असुविधा होती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 1 जनवरी 1968 से 31 जुलाई 1968 के दौरान श्रम निरीक्षकों तथा श्रम आयुक्त कार्यालय, दिल्ली के अन्य उच्च अधिकारियों ने सामान्य निरीक्षण के रूप में न कि किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप इन्द्रा मार्केट की 43 बार निरीक्षण किया। कानून के उल्लंघन के कारण 13 दुकानदारों पर मुकदमें चलाये गये।

(ग) ये फल विक्रेताओं की दुकानें हैं जो बाहर से आये हुये ग्राहकों तथा पल्लेदारों को 8-30 बजे रात्रि के बाद सोने के स्थान की व्यवस्था करती हैं। अभी तक दिल्ली के श्रम आयुक्त को इस इलाके के निवासियों की किसी असुविधा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

राजस्थान की चम्बल योजना

6341. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारत-संयुक्तराष्ट्र दल राजस्थान की चम्बल योजना की समस्याओं का हल खोजेगा ;

(ख) क्या यह दल चम्बल नदी के जल-तल को सुधारने के अतिरिक्त ऊबड़-खाबड़ भूमि को कृषियोग्य बनाने के लिये भी कार्यवाही करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस दल द्वारा हाथ में ली गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ;

(ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (एस० एफ०) की सहायता से चम्बल द्वारा सिंचित राजस्थ न के क्षेत्रों में भूमि तथा पानी प्रयोग तथा प्रबन्ध की परियोजना पर कार्य चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य, चम्बल परियोजना द्वारा सिंचित सिंचाई योग्य क्षेत्रों में, पायलट योजना के द्वारा भूमि तथा पानी सम्बन्धी कार्य के लिये व्यावहारिक साधनों का विकास करना है। इस के अतिरिक्त ऊसर भूमि के सुधार का कार्य केन्द्र की सहायता से राज्य सरकार अलग से कर रही है।

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात

6342. **श्री शङ्कर सूपकार** :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आहूजा आयोग की हाल की बात-चीत के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब गणराज्य से कुल कितनी मात्रा में चावल का आयात किये जाने की संभावना है ; और

(ख) लागत, बीमा भाड़ा सहित आयात की कुल लागत कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वर्ष 1968 में संयुक्त अरब गणराज्य से आयात के लिये 40 हजार मीट्रिक टन चावल खरीदा गया था।

(ख) सरकार का विदेशों से अभी और चावल खरीदने का विचार है, अत: संयुक्त अरब गणराज्य से खरीदे गये चावल के दामों की घोषणा करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

ट्रैक्टर के पुर्जों का आयात

6343. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिये आयात लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) प्रति वर्ष ऐसे कितने पुर्जों के आयात की आवश्यकता है और क्या ऐसे ट्रैक्टरों का अनुमान लगाया गया है जो पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण बेकार हो गये हैं ; और

(ग) इस आवश्यकता को देसी पुर्जों के निर्माण से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Satellite System for Development of T. V.

6344. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Television Specialist and Chairman and Chief Officer of the Communication Satellite Corporation has recommended that domestic 'Satellite

System' should be adopted for the purpose of developing television in India as has been done by U.S.S.R. and U.S.A.

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred in this connection ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No. The talks with the Chairman of the Communication Satellite Corporation, who visited India recently, were of a general nature covering the field of satellite communications. No specific proposal for setting up a domestic satellite communications system for development of T.V. in the country was discussed.

(b) and (c) Do not arise.

तमिल भाषा में टेलीफोन निर्देशिका

6345. **श्री यशपाल सिंह** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग, मुद्रण की सुविधाओं के अभाव में मद्रास के लोगों के प्रयोग के लिये तमिल भाषा में दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित करने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख) देश में कई स्थानों पर अंग्रेजी और हिन्दी में निर्देशिकायें प्रकाशित होती हैं। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी निर्देशिकायें प्रकाशित करने के कार्य में प्रगति हो रही है।

क्योंकि तमिल दिल्ली की प्रादेशिक भाषा नहीं हैं अतः दिल्ली के लिये तमिल भाषा में निर्देशिका प्रकाशित करने का विचार नहीं है।

Milk Supply in Parliament House Stalls

6346. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk being supplied at present at the Parliament House stalls is stale and is carried on from the previous day ;

(b) if so, whether Government would ensure the supply of fresh milk at these stalls ;

(c) whether it is a fact that in other Ministries and in the Parliament House, the employees are supplied milk only for one hour i.e. from 10 a.m. to 11 a.m.; and

(d) if so, whether Government would make arrangements to supply milk to the employees throughout the whole day ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Delhi Milk Scheme purchases milk from rural areas, and the process of procurement, processing and distribution inevitably takes some time. The quality of milk is, however, ensured by preservation at a low temperature. Fresh stocks of pasteurised milk are supplied daily to DMS Milk Stalls at Parliament House. Milk which may remain unsold at the close of the day however is preserved under refrigerated cold storage.

(b) This question does not arise in view of (a) above.

(c) Pasteurised Milk is not being sold at milk stalls (as distinct from milk depots) of the Scheme except at Parliament House. The sale of sterilised milk and other products is however open to all throughout working hours at all milk stalls except at the Stall near the Central Hall of Parliament House where for convenience of the Hon. Members of Parliament, sale of milk and milk products is restricted only to Members of Parliament. Sale of pasteurised milk is made to the employees of Lok Sabha Secretariat from the Milk Bar in Parliament House between 10.00 a.m. to 11.00 a.m. only.

(d) Pasteurised milk is being sold from milk depots of the Scheme located all over the city against milk tokens. Due to limitation of supplies sale of pasteurised milk at all milk stalls is unfortunately not feasible.

नील द्वीपों में विभाग द्वारा इमारती लकड़ी निकाले जाने पर लिया जाने वाला स्वामित्व

6347. **श्री के० आर० गणेश** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नील द्वीप, अंडमान में विभाग द्वारा इमारती लकड़ी निकाले जाने पर कितना स्वामित्व लिया जाता है;

(ख) मैसर्स कीनाल एंटरप्राइज़ से उनके नील द्वीप समूह के ठेके की अवधि में कितना स्वामित्व लिया जाता था, और

(ग) यदि स्वामित्व में कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नील द्वीप में विभागीय निकासी पर कोई रायलटी नहीं ली जाती। फिर भी, समुचित विभाग के कार्य-परिणामों पर पहुचने के लिये, प्रपत्र के आधार पर प्रपत्र-लेखे का समाकलन करते समय रायलटी का समंजन कर लिया जाता है। नील द्वीप में विभागीय निकासी का कार्य केवल 1968-69 में शुरु किया गया था और इस वर्ष को प्रपत्र लेखे को अक्तूबर 1969 में अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ख) सर्वश्री कीनाल एंटरप्राइज से उनके 22-6-63 से 21-6-68 तक के ठेके की अवधि में 35,709.92 घन मीटर व्यापारिक इमारती लकड़ी की निकासी पर 4,76,628.83 रुपये की रायलटी की उगाई की गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

6348. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुष्ठ रोगी होना निरर्हताओं की शर्तों में शामिल करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए आवश्यक विधेयक लाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, 8क, 9, 9क, 10,10क में वर्णित विभिन्न निर्हताओं में कोई शारीरिक रोग, अंगशैथिल्य या नियोग्यता नहीं आती हैं। कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रस्थापना न करने का कारण यह है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अधीन कदाचित् इस की प्रभावी ढंग से रोक थाम की जा सकती है भले ही इसे पूर्णतः ठीक न किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को वह रोग उग्ररूप में है तो वह किसी निर्वाचन में खड़ा होने की बात तक नहीं सोचेगा और निर्वाचक भी उसके लिए मतदान नहीं करेंगे। यदि रोग आरम्भिक अवस्था में है तो यह छिपाया जा सकता है और रोगी एक अभ्यर्थी के रूप खड़ा हो सकता है। चूंकि यह दूसरों को आसानी से लग जाने वाला सांसर्गिक रोग नहीं है अतः अन्य व्यक्तियों को विशेष खतरा नहीं है। यदि हम कुष्ठ रोग के विषय में विधि में संशोधन करते हैं तो हमें क्षय, कैंसर आदि जैसे बहुत से अन्य रोगों के बारे में भी वैसा ही करना पड़ेगा। किसी भी दशा में भयंकर रोग से पीड़ित कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति संसद् के सदनों या राज्य विधान मण्डलों के लिए निर्वाचित होना नहीं चाहेगा। चूंकि इस मामले का व्यावहारिक पहलू नगण्य है अतः किसी विधान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

भारतीय पत्तनों की अनाज उतारने-लादने की क्षमता

6349. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाज की स्थिति में सुधार होने तथा आगामी वर्षों में अनाज का आयात कम होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय पत्तनों की अनाज उतारने-लादने की क्षमता का, जिसकी वास्तविक आवश्यकता होगी, पुनर्निर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पत्तनों में अनाज उतारने तथा उसे गोदामों में रखने के लिये नये यंत्रीकृत सयंत्र खरीदने तथा उन्हें लगाने की व्यवस्था उसी के अनुसार की जा रही है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : विभिन्न पत्तनों की अनाज उतारने-लादने की अपेक्षित क्षमता तथा नये यंत्रीकृत संयंत्र खरीदने तथा उन्हें लगाने की आवश्यकता के बारे में पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाने की सम्भावना है।

बिहार में हरिजन परिवारों के पक्ष में भूमि का बन्दोबस्त

6350. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा के जिला कलेक्टर (भूमि सुधार) में 1 अक्टूबर, 1967

को उसी जिले में उजना, अंचल, कुशेश्वरस्थान नामक गाँव के 71 हरिजन परिवारों के पक्ष में 55 बीघे गरमाराऊआ भूमि का बन्दोबस्त करने का आदेश जारी किया था ;

(ख) क्या स्थानीय जमींदारों ने पुलिस की सहायता से जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध इन हरिजन परिवारों को इस भूमि पर शान्ति पूर्वक कब्जा करने से रोकने का प्रयत्न किया ; और

(ग) जिला कलेक्टर के उक्त आदेश को क्रियान्वित करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी बिहार सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

By-Election in Kokrajhar, Gauhati

6351. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain polling centres in Kokrajhar (Gauhati), votes for the Lok Sabha by-election could not be cast because some persons had staged 'dharna' there ; and

(b) if so, the action proposed to be taken against those persons ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) **Yes,** Sir.

(b) The necessary information is awaited.

दिल्ली में छात्रों द्वारा व्यवसाय चुनने के केन्द्र

6352. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल तथा कालेज की शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों तथा छात्राओं को अपने व्यवसाय चुनने में सहायता देने के लिये दिल्ली में अनेक सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को कम करने की दृष्टि से इन केन्द्रों द्वारा छात्रों तथा छात्राओं का किन किन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के आधार पर मार्गदर्शन किया जायेगा ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चू० जमीर) : (क) नौकरी चाहने वालों को और छात्रों को इस प्रकार का मार्ग-दर्शन, नियोजन कार्यालयों में स्थापित स्थायी व्यवसाय मार्ग-दर्शक अनुभाग और विश्वविद्यालय नियोजन सूचना और मार्ग–दर्शक केन्द्र, दिल्ली द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा प्रति वर्ष उच्चमाध्यमिक कक्षा का परीक्षा-फल निकलने के आस-पास, 'अपना व्यवसाय चुनिये' आन्दोलन के अन्तर्गत, दिल्ली प्रदेश शासन द्वारा उन छात्र-छात्राओं के लिए जो स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने जा रहे होते हैं, ऐसी सहायता देने के लिए तदर्थ रूप में सूचना केन्द्र स्थापित किए जाते हैं।

(ख) दिल्ली में विशेषकर तदर्थ रूप में स्थापित सूचना केन्द्र, नियुक्ति अवसरों से सम्बन्धित जानकारी और शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार करते हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों के नियोजन कार्यालयों में स्थापित व्यवसाय मार्ग-दर्शक अनुभाग, और विश्व विद्यालय नियोजन सूचना और मार्ग-दर्शक केन्द्रों द्वारा नौकरी चाहने वालों को, नियमित रूप में व्यवसायिक मार्ग-दर्शन दिया जाता है। कुछ राज्यों में इसके अलावा, विशेष व्यवसायिक मार्ग दर्शन कार्यक्रम चलाये गये हैं।

बिहार में फलोटिंग पम्पिग सैटों द्वारा भूमि की सिंचाई

6353. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समस्तीपुर से खगरिया तक बूढ़ीगंडक नदी के दोनों ओर भूमि की फलोटिंग पम्पिग सैटों की प्रणाली द्वारा सिंचाई करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ;

(ग) क्या इस योजना का दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में बागमती तथा खिरोई नदी तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी के कारखाने

6354. **श्री बलराज मधोक :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में चीनी के कारखानों के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और उनमें से कितने पूरे हो गये हैं तथा उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) देश में वर्तमान चीनी मिलों की स्थापित क्षमता कितनी है और 1967-68 के गन्ना पेरने के सीजन में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फरवरी, 1966 से जुलाई, 1968 के दौरान चीनी के 16 नये कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे, इनमें से निम्नलिखित तीन स्थानों पर कारखाने स्थापित किये गये हैं और उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है :

1. ढोकी, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
2. संगमनेर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)
3. उना, जिला जूनागढ़ (गुजरात)

(ख) वर्ष 1967-68 में चीनी उद्योग की स्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 34.69 लाख मीट्रिक टन है। चीनी कारखानों की स्थापित क्षमता 34.14 लाख मीट्रिक टन है।

Prices of Edibles in Delhi Hotels

6355. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of edibles made of cereals and of vegetables in the Government and private run Hotels and Canteens in Delhi are not changed as and when the prices of the cereals fluctuate ;

(b) whether it is also a fact that a plate of cooked vegetable costs four annas in an ordinary hotel irrespective of the price of the uncooked vegetable and, if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check such irregularities which occur from time to time so that people may not have to pay more ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Representations have been received by Delhi Administration regarding the continued charging of high prices by the hotels and restaurants particulary by those in New Delhi.

(b) Generally speaking it may not be available even at 4 annas per plate as no control is exercised over the price of cooked foodstuffs at present.

(c) A committee has been constituted by Delhi Administration with a view to advising it in the matter of fixation of rates of various items served in Hotels and Restaurants in Delhi.

टेलीप्रिण्टरों का निर्यात

6356 **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की एक फर्म के सहयोग से भारत में बनाये गये टेलीप्रिंटर विदेशों को निर्यात करने के लिये उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड द्वारा इटली के सर्वश्री ओलिवेति से किये गये सहयोग-करार के अधीन, 1970 तक टेलीप्रिण्टरों का निर्यात इन कुछ देशों के लिये ही अनुमत्य है : अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, लंका, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान और वियत-मिन्ह। 1970 के बाद हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड बिना किसी प्रतिबन्ध के, अपने उत्पादन किसी भी देश को निर्यात करने के लिये स्वतंत्र होगा। हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड को लंका सरकार से टेलीप्रिण्टर सप्लाई करने का क्रयादेश पहले ही मिल चुका है। इस क्रयादेश से विदेशी-मुद्रा-लाभ लगभग 2.07 लाख रुपये का रहेगा।

राज्यों में भूमि सुधार कानून

6357. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानून लागू करने में अब तक की गई प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है और इस मामले में पीछे रह रहे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या भूमि सुधार द्वारा कृषकों के जीवन तथा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का पुनरीक्षण करने के लिये एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भूमि सुधार सम्बन्धी कानून विभिन्न राज्यों में कार्यान्विति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है। फिर भी कुछ राज्यों में पाई गयी कमजोरियों तथा कठिनाईयों के रहते हुये भी काफी प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये, राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार कानूनों को शीघ्र और प्रभावपूर्ण रूप में लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को आंकने के लिये एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री तथा खाद्य एवं कृषि मन्त्री, योजना आयोग के (भूमि सुधार नियम) विभाग के अध्यक्ष और वे मुख्यमंत्री जो कि क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष थे, सदस्य थे। भूमि सुधार सम्बन्धी कानून के कार्यान्वित होने के विषय में समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट जन साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित कर दी गई है। इस समिति की खोजों और सुझावों में मुख्यमन्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है और खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा प्रभावोत्पादक तथा शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इस अवस्था में भूमि सुधार कानूनों की प्रगति की पुनरीक्षण करने के लिये एक और उच्च शक्ति समिति नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अंतर्जातीय विवाह

6358. **श्री दीवीकन :** **श्री सुभावेलु :**
श्री मथावन :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजनायें हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय को कम से कम आंशिक रूप से वहन करने का है जो इस बारे में प्रोत्साहन दे रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone Exchanges at Hoshangabad and East Nimad Districts of M. P.

*6359. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new telephone exchanges sanctioned for Hoshangabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh for the year 1968-69 ;

(b) the number of schemes for 1968-69 and 1969-70 in regard to which surveys have been conducted and are likely to be conducted ;

(c) whether Government propose to set up an office under a Sub-Divisional Office in East Nimad District in view of the expansion of this District and its population ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No new telephone Exchanges are proposed to be set up in East Nimad and Hoshangabad District during 1968-69.

(b) Two.

(c) Not at present.

(d) The East Nimad District is in the jurisdiction of Itarsi Sub-Division which also includes Betul District and a portion of Hoshangabad District. The re-organisation of the Sub-Division was carried out only in June, 68. For the time being it is felt that this sub-division can adequately meet the requirements of the areas in its jurisdiction. The administrative and developmental requirements of telecommunications services are reviewed regularly and as and when the developments justify, new sub-divisions would be formed.

Trade Unions in Madhya Pradesh

6360. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of trade unions in Madhya Pradesh at present ;

(b) the membership of each trade unions as in March, 1968 ;

(c) whether the accounts of the said trade unions are maintained and whether these accounts are audited ; and

(d) whether they submit their annual reports in time ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a), (b), (c) and (d) : The matter falls within the State Sphere.

Rehabilitation of Agricultural Labourers in M. P.

6361. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Madhya Pradesh State by the Planning Commission for the rehabilitation of the agricultural labourers during the Third Five Year Plan ;

(b) whether the allocated amount has been paid in full ;

(c) if not, the amount which remains to be paid ;

(d) whether the remaining amount is proposed to be included in the Fourth Year Plan ; and

(e) if not the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : A scheme for resettlement of landless agricultural families, with and estimated outlay of Rs. 91.50 lakh, was approved for Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan. On the basis of actual implementation of the scheme, the State Government claimed Central assistance totalling Rs. 41.50 lakh which was paid in full.

(c) to (e) : As Central assistance is reimbursed on the basis of the approved pattern of assistance and to the extent of expenditure actually incurred, the question of payment of any balance to the State does not arise. Further assistance for the spill-over portion of the scheme has been given as follows :—

1966-67	--	Rs. 13.97	lakh.
1967-68	--	Rs. 10.00	,,
1968-69	--	Rs. 15.00	,, (provisional allocation)

अन्दमान और निकोबार वनों के कर्मचारी

6362. **श्री के० आर० गणेश** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार बनों की केवल देखभाल, पुनः वृक्ष लगाने और रचनात्मक कार्यों के लिये प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर कुल कितना धन व्यय किया जाता है ; और

(ख) वनों के मुख्य संरक्षक से लेकर फोरेस्टर तक, वर्गवार उक्त प्रयोजनों हेतु कुल कितने प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी रखे गये हैं ; और उन पर वर्गवार कितना धन व्यय किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख): पूछी गई जानकारी अन्डेमान प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि विश्वविद्यालयों का योगदान

6363. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने के बारे में कृषि विश्वविद्यालयों के योगदान के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में और अधिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित किए गए है, अतः कृषि क्षेत्र में उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के बारे में कृषि विश्वविद्यालयों के योगदान के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष अनुमान नहीं लगाया गया है । फिर भी, भारत सरकार को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे कृषि विश्वविद्यालयों में अच्छी प्रगति हुई है जहां अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार संबंधी कार्य पूर्णतया समाकलित हैं ।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में राज्य सरकारों को निर्णय करना है । फिर भी, भारत सरकार चौथी योजना की अवधि में राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के विषय में सहायता देने को तैयार है ।

(घ) अभी तक केरल, आसाम तथा बिहार राज्य सरकारों ने ही चौथी योजना के दौरान अपने राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव दिये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की सहकारी मिलें

6364. **श्रीमती बी० राधाबाई :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में चावल की सहकारी मिलों में से कितनी स्वचालित मिलें हैं और कितनी पुराने ढंग की हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी चालू अवस्था में हैं और क्या वे मुनाफे पर अथवा घाटे पर चल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) अब तक जिन 143 सहकारी चावल मिलों को सहायता दी गई है, उनमें से केवल एक चावल मिल आधुनिक स्वचालित है और शेष 142 परम्परागत शेलर किस्म की हैं।

(ख) 143 सहकारी चावल मिलों में से 113 पूर्ण रूप से स्थापित की जा चुकी हैं और लगभग सभी की सभी चालू स्थिति में हैं। अधिकांश यूनिटों ने केवल गत वर्ष ही काम करना शुरू किया है और उनका काम कैसा रहा इसके बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

कृषि उपकरणों में आत्मनिर्भरता

6365. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश अभी भी आधुनिक कृषि उपकरण बनाने के मामले में आत्म निर्भर नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिक कृषि उपकरणों के निर्माण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) जी हां, आधुनिक वैज्ञानिक कृषि औजार कृषकों को उचित मूल्यों पर प्राप्त हो रहे हैं। सामान्यतः सुधरे हुये औजारों का निर्माण सार्वजनिक एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है, छोटे निर्माताओं की भी एक बड़ी संख्या सुधरे हुये कृषि औजारों का निर्माण कर रही हैं। मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राजकीय कर्मशालाओं में भी सुधरे कृषि औजारों का निर्माण किया जा रहा है। जिन कृषि औजारों को भारतीय कृषकों के लिये लाभदायक समझा जाता है उन्हें कार्य प्रदर्शन एवं परीक्षण के लिये आयात भी किया जाता है।

चावल के मामले में आत्मनिर्भरता

6366. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश अभी तक चावल के उत्पादन के बारे में आत्म-निर्भर नहीं हुआ है ;

(ख) इस समय देश में चावल की कितनी कमी है;

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिये आगामी कुछ वर्षों में विशेष उपाय किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश के भिन्न भागों में चावल की खपत के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में और इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि चावलों की मांग भी उसकी और अन्य खाद्यान्नों की उपलब्धि उनके तुलनात्मक मूल्य, आय का स्तर, आबादी में वृद्धि और शहरीकरण आदि के आधार पर कुछ सीमा तक घटती बढ़ती रहती है, उनकी ठीक जरूरतों और परिणामत: उनकी कमी की सीमा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि 1968 में कुल 4 लाख मीटरी टन चावल आयात करने की संभावना है ।

(ग) और (घ) : अधिक उपज देने वाली किस्मों और बहु फसली कार्यक्रमों के अधीन चावलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं । यह योजना बनाई जा रही है कि 1970-71 के अन्त तक अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों की काश्त के अधीन कुल 125 लाख एकड़ भूमि लाई जायेगी । आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में लगभग 85 लाख टन चावल का अतिरिक्त उत्पादन होगा । अधिक उपज देने वाले धान 1966-67 में 22 लाख एकड़ भूमि में और 1967-68 में 44.1 लाख एकड़ भूमि में उगाये गये थे । 1968-69 के लिये 85 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है ।

अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम वहां अपनाया गया है जहां सिंचाई की सुविधायें हैं या जहां सुनिश्चित वर्षा होती है । इसमें भाग लेने वाले किसानों को इसके लिये आवश्यक चीजें जैसे बीज, उर्वरक, कीट-नाशक दवाईयां ऋण आदि दिये जाते हैं । अधिक उपज देने वाले धानों की किस्मों के उत्पादन के लिये पैकेज प्रणालियों को अपनाने के लिये सिफारिशें करने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है । जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं वहां बहु फसलीय कार्यक्रम को 1967-68 से शुरू किया गया है और वहां धान की एक फसल की बजाये दो या तीन फसलें उगाई जा रही हैं ।

दिल्ली में नरायणा डिपू में अनाज रखना तथा निकालना

6367. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जून, 1968 से 31 जुलाई, 1968 तक की अवधि में खाद्य विभाग ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दिल्ली में नरायणा डिपू में अनाज को रखने तथा निकालने के शुल्क के रूप में हर्जाने के कारण होने वाली हानि के अतिरिक्त मजदूरों को 19636 रुपये का भुगतान किया था;

(ख) यदि यह काम ठेकेदार को दिया गया होता और उसको जो भुगतान किया जाता, क्या यह व्यय उस राशि से कै गुना है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। खाद्य विभाग ने ऐसा कोई भुगतान नहीं किया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में नरायणा डिपो पर अनाज का चढ़ाना उतारना

6368. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नरायणा डिपो पर अनाज के चढ़ाने उतारने सम्बन्धी करार के अनुसार, यदि ठेकेदार करार का पालन नहीं करता है तो उसे इस कार्य पर लगाई गई किसी अन्य एजेंसी को किये गये अतिरिक्त दरों पर भुगतान के लिये जिम्मेवार ठहराया जाता है परन्तु उसे अनाज पर विलम्ब शुल्क आदि के लिये जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब शुल्क के रूप में हानियों के लिए कौन जिम्मेवार है ; और

(ग) इन हानियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां, तथापि, ठेकेदार उन सभी लागत, हानियों, विलंब शुल्कों, घाट प्रभारों आदि के लिए जिम्मेवार है जिन्हें भारतीय खाद्य निगम ने ठेके के दौरान ठेकेदार की गलती के कारण दिया था।

(ख) चूककर्त्ता ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर काम करने वाले ठेकेदार अथवा एजेन्सी विलंब शुल्क के कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी है, न कि चूककर्त्ता ठेकेदार की गलती के लिए।

(ग) डिब्बों में निर्धारित अवधि में माल चढ़ाने और उसमें से उतारने के लिए हरेक प्रयत्न किया जाता है।

होशियारपुर में निष्क्रांत सम्पत्ति

6369. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि पंजाब में होशियारपुर जिले में निष्क्रांत भूमि का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है और वास्तविक खेतिहरों को, जो सरकार की देय सभी राशियां लगातार जमा कराते रहे हैं और जिन्होंने कानूनी तौर पर भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तंग किया जा रहा है और खेतों की जुताई के मामले में बाधाएं पैदा की जा रही हैं;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने खेतिहरों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात-प्रधान सहकारी परिष्करण उद्योग

6370. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-प्रधान सहकारी परिष्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) निर्यात-प्रधान सहकारी परिष्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1966–67 से चल रही है । चौथी योजना के दौरान इसको जारी रखने के सम्बन्ध में इस समय विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से, अपनी राज्य योजना की अधिकतम राशि के अतिरिक्त 100 प्रतिशत सहायता ले सकती हैं जो उसके द्वारा शेयर पूंजी अंशदान । ऋण के रूप में कृषि-परिकरण उद्योगों की ब्लॉक पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दी जाती हैं ।

शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिये उपग्रह संचार व्यवस्था

6371. **श्री यशपाल सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों तथा वैमानिक संचार के लिए भी देश में उपग्रह संचार व्यवस्था स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क), (ख) और (ग) : शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिये देश के भीतर एक उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करने का प्रश्न अभी विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है । अभी तक कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है । वैमानिक (एयरोनाटिकल) संचार के लिये उपग्रह-प्रणाली का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधान नहीं है ।

आसाम में कचार जिले में चाटला में बसाये गये शरणार्थी लोग

6372. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कचार जिले में चाटला में बसाये गये शरणार्थियों ने 5 मई, 1968 को उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां। मई, 1968 में पुनर्वास उपमन्त्री को आसाम के कचार जिले के दौरे के दौरान सात बसाये गये शरणार्थियों की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ।

(ख) सही स्थिति के बारे में उप-आयुक्त से पूछताछ की गयी ; आसाम सरकार के पुनर्वास सचिव ने भी जानकारी दी। यह बताया गया कि चाटला में बसाये गये शरणार्थी लोगों ने कुछ भूमि पर कब्जा करने के लिये स्वयं अपनी व्यवस्था की है और परिणाम स्वरूप कठिनाई में पड़ गये हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के हस्तक्षेप को आमंत्रित नहीं किया गया। यह स्थिति मौखिक रूप से उसी स्थल पर उपस्थित माननीय संसद सदस्य को बता दी थी। विस्थापित लोगों के मामले को सामान्य कानून के अन्तर्गत तय किया जायेगा जिसकी शरण वे लोग ले सकते हैं।

Allotment of Land to Non-Punjabi Refugees

6373. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the non-Punjabi refugees have communicated to Government that the question of allotment of land to them in Punjab and Haryana has been pending for the last 20 years ; and

(b) if so, the action taken by Government so far to redress their grievances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) Some representations have been received from and on behalf of non-Punjabi land claimants for the allotment of land to them in Punjab and Haryana States. The cases of those claimants who had applied before 30-6-64 have already been considered, and allotments have been made in almost all such cases. About 200 representations received subsequently are still under consideration in consultation with the State Governments.

Production of Pure Ghee

6374. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1937 the production of pure ghee was 2,30,00,000 maunds, while in 1957 it came down to 1,08,92,000 maunds ;

(b) the production of pure ghee in 1967 ; and

(c) the steps Government propose to take to increase the production of pure ghee ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c): The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Corporation for Development of Terai Region of U. P.

6375. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Bal Raj Madhok** :
Shri Sharda Nand : **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri Bharat Singh Chauhan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to form a Corporation for the development of the Terai region of Uttar Pradesh is under consideration ;

(b) if so, the details thereof : and

(c) the time by which it is likely to be implemented ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The Corporation would be a corporate body of seed growers and other project participants ; its primary activities would be processing, storage and marketing of seed. It would be organised on commercial lines and would be incorporated under the Indian Companies Act, 1956. The Corporation is likely to have an authorised capital of Rs. 2 crores. Necessary arrangements are being made to expedite the project.

Demands of Overseas Communications Service Employees.

6376. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Overseas Communications Service have made a demand for reconsideration of the question of overtime allowance in accordance with the recommendations made by the Second Pay Comission ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The matter is under Government's consideration.

Theft of Copper Wire in Moradabad

6377. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thefts of copper wire in Moradabad District of Uttar Pradesh are on the increase ;

(b) whether it is also a fact that there is a hand of Police and some Departmental employees therein ; and

(c) if not, why such thefts could not be checked so far in spite of constant efforts ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) No, We are not aware of any such collusion.

(c) Curbing of copper wire thefts is a law and order problem and the U.P. Government have been requested time and again to bestow special attention to the problem. The

P.M.G., U.P. has also been instructed to maintain close liaison with Inspector General of Police so that the culprits could be apprehended and the incidence of copper wire thefts minimised.

Import of Wheat

6378. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to import wheat inspite of sufficient wheat production this year ;

(b) if so, the quantity likely to be imported this year and the extent to which it would be less than that imported last year ; and

(c) the time by which import of foodgrains is likely to be stopped ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. Government propose to import wheat this year because the overall production of cereals is not sufficient and also to build up a buffer stock.

(b) According to the present assessment, it is likely that about 6.3 million tonnes of wheat will be imported during 1968. The quantity of wheat imported during 1967 was 6.4 million tonnes.

(c) It is proposed the reduce to quantum of imports gradually and to stop imports of foodgrains altogether when the country achieves self-sufficiency in food production.

Buffer Stock of Foodgrains

6379. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of buffer stock of foodgrains built this time in various States of the country ;

(b) whether it is a fact that inspite of these buffer-stocks, certain States would continue to be hit by scarcity of foodgrains ; and

(c) if so, the measures being adopted to face the situation of scarcity in such States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A buffer stock of about 3 million tonnes of foodgrains is being built this year both with the Central and State Governments.

(b) and (c) : Some of the States or certain pockets in some States may, as in earlier years, suffer from natural calamities like drought, floods etc. resulting in scarcity of foodgrains in such pockets. The buffer stocks both with the Central and State Governments will be utilized to the extent required for relieving distress in such States or pockets of States.

उड़ीसा में रायरंगूर उप-डाक-घरों के लिये भवन

6380. **श्री महेन्द्र मांझी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में मयूरभंज जिले के रायरंगूर के स्थान पर उप डाक-घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवनों का निर्माण करने के हेतु किसी भूमि का अर्जन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन भवनों का निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक घर भूतपूर्व राज्य भवन (स्टेट बिल्डिंग में स्थित है। आवास की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान डाक घर के भवन के आसपास की भूमि को पुनर्निमाण के लिये अर्जित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

टेलीफोन एक्सचेंज किराये पर लिये गये एक भवन में स्थित है जिसमें पर्याप्त स्थान है। इस समय टेलीफोन एक्सचेज भवन बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ज्यों ही सम्पत्ति, विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी त्यों ही डाक घर के लिये भवन का पुनर्निर्माण करने के बारे में कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

New Post Offices in Delhi

6381. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number and location of new post offices proposed to be opened in Delhi next year ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : Subject to availability of funds and fulfilment of departmental standards and suitable buildings being made available, 20 post offices are likely to be established in Delhi during the year 1969-70.

Location of the proposed offices are as follows :

(1) Sundershan Park
(2) Irwin Hospital
(3) Pratap Nagar
(4) Tagore Gardens
(5) Mansrover Gardens
(6) Chankyapuri
(7) Vayu Bhavan
(8) Lajpatnagar Double storey
(9) Saboli
(10) Friends Colony
(11) Shakti Khampur
(12) Guru Angad Nagar
(13) Manoj Gardens
(14) Chand Mohalla
(15) Kakrala
(16) Tughlakabad
(17) Laddo Sarai
(18) Ramhola
(19) Kamordinagar
(20) Niboth

हिन्द महासागर में मछलियों के मरने की संख्या

6382. **वेणी शंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में मछलियों के बड़ी संख्या में मरने को रोकने की आवश्यकता पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख): भारतीय समुद्र में बड़ी संख्या में मछलियों की मृत्यु एक आकस्मिक घटना ही समझी गई है। ये घटनायें महासागर के प्राकृतिक भूगोल से सम्बन्धित कारणों से हुई हैं जो प्रौद्योगिक विकास की वर्तमान अवस्था में मानव नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं हैं।

केन्द्रीय श्रमिक कल्याण निधि

6383. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री दी०चं० शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० के० मालवीय की अध्यक्षता में गत वर्ष सरकार द्वारा नियुक्त 18 सदस्यीय श्रमिक कल्याण समिति ने एक केन्द्रीय श्रमिक कल्याण निधि बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) श्रम कल्याण समिति ने अभी तक भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

अधिक उपज देने वाली फसलें

6384. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री दी०चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक उपज वाली फसलें उपभोग के लिए अच्छी नहीं हैं, उनके लिए अधिक पूंजी तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है और उनको कीड़े तथा रोग लगने की अधिक संभावनाएं हैं और वे कम मूल्य पर बिकती हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नसाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अधिक उपज देने वाले धान्यों की किस्में साधारणतः मानव आहार के लिये अच्छी हैं और प्रथागत किस्मों से अधिक पोषक हैं । धान की ताइनन 5 किस्में फिर भी घटिया होती है और उसमें पकवान के गुणों की कमी होती है अतः उपभोक्ताओं में प्रिय नहीं हैं । अधिक उपज देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये पकाने की विधियों में सुधार किया जा रहा है । विभिन्न पकाने की विधियों का प्रचार किया जा रहा है । साथ ही साथ अनुसंधान कार्यकर्ता ऐसी नई किस्मों का विकास करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें पकने के गुण, रंग और पोषक गुण आदि अच्छे हों । उदाहरणार्थ शर्बती सानोर, कल्याण सोना, सोनालिया और एस०-331 अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्में हैं जो कि हाल ही में विकसित की गई हैं जिसका अम्बर रंग है और इस लिये उपभोक्ता उन्हें शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं ।

अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों की किस्में उर्वरकों के अनुक्रियासील होती हैं और उन्हें प्रथागत किस्मों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरता की जरूरत होती है । इन किस्मों की काश्त करने वालों को अधिक लागत लगानी पड़ती हैं क्योंकि वे अधिक उपज देने वाले बीजों, अधिक मात्रा में उर्वरकों और कीट-नाशक दवाईयों का भी अधिक प्रयोग करते हैं । फिर भी क्योंकि प्रथागत किस्मों की तुलना में इन किस्मों से काफी अधिक उपज प्राप्त होती है अतः कृषक को प्रति एकड़ प्रथागत किस्मों की तुलना में इससे काफी अधिक लाभ प्राप्त होता है ।

स्थानीय किस्मों की तुलना में इन किस्मों के लिये दो या तीन गुणा रासायनिक उर्वरकों

का प्रयोग किया जाता है, अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों की किस्मों पर कीट और रोग अधिक आक्रमण करते हैं। इस को दृष्टि में रखते हुए, कृषकों को, पैकेट प्रणालियों को अपनाने की सिफारिश की जाती है कि वे प्रोफिलोटिक साधनों को निरन्तर अपनायें, ताकि कीटों और रोगों के विस्तार को टाला जाये। जब वास्तव में ऐसी घटनायें हो जायें तो उचित उपचार साधन प्रयोग में लाये जाते हैं ताकि बीजों और उर्वरकों पर लगी पूंजी से काफी धन प्राप्त हो सके।

कुछ क्षेत्रों में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों से कम दाम प्राप्त हुए है, क्योंकि इन्हें घटिया अनाज माना गया है। ऐसे जितने मामालों का भारत सरकार को ज्ञान हुआ उनके बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार किये गये और कदम उठाये गये या उठाये जा रहे हैं ताकि अधिक उपज देने वाली किस्मों को उचित श्रेणियों के समान माना जावे और उनके लिये लाभप्रद मूल्य निर्धारित किये जा सकें।

केरल सरकार को उपहार-स्वरूप प्राप्त गेहूं देना

6385. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल की बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों में मुफ्त वितरण करने हेतु केरल सरकार को 500 टन उपहार-स्वरूप प्राप्त गेहूं दिया है ;

(ख) क्या राजस्थान, बिहार और आसाम राज्यों से भी बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हाल ही की बाढ़ से प्रभावित लोगों में मुफ्त वितरण हेतु केरल सरकार को एक हजार मिट्रिक टन उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूँ दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आट्रेलिया की भेड़ों का आयात

6386. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने आगामी पांच वर्षों में आस्ट्रेलियाई भेड़ों के आयात के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार से कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सौदे के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ग) भेड़ों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग): पूछी गई जानकारी जम्मू तथा काश्मीर राज्य से इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

6387. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं की सहकारी समिति के प्रतीक के रूप में, स्थापित किये गये सुपर बाजार का प्रबन्ध सरकार के हाथों में चला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) समिति के नये सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) इस परिवर्तन से सुपर बाजार के सुधार में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं । सुपर बाजार को चलाना एक उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा जारी है ;

(ख) जी, हां ।

(ग) पहली मनोनीत प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 29 जून, 1968 को समाप्त हुआ ; अतः एक नई प्रबन्ध समिति गठित की जानी थी ;

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ;

(ङ) आशा है कि नई प्रबन्ध समिति के सदस्य अपने विविध अनुभवों से सुपर बाजार के कार्यकरण में सुधार करने की दिशा में कदम उठाएंगे ।

विवरण

1. श्री एस० डी० मिश्र, संसद सदस्य, 10, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2. सरदार बूटा सिंह, संसद सदस्य, 21, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य
3. श्री एल० सी० जैन; महा सचिव, इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन, नई दिल्ली ।	सदस्य
4. श्री एस० सी० छाबड़ा, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली।	सदस्य

5. डा० दुर्गा डवेलंकर,
निदेशक, लेडी इर्विन कालेज,
सिकंदरा रोड, नई दिल्ली। सदस्य

6. श्रीमती गीता कुमार.
16, गोल्फ लिंक रोड,
नई दिल्ली। सदस्य

7. श्री प्राण सभरवाल,
डी–11 / 89, पंडारा रोड,
नई दिल्ली। सदस्य

8. श्री एच० एस० लाथर,
केअर आँफ दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक,
31, नेताजी सुभाष मार्ग,
दिल्ली –6 सदस्य

9. श्री एस० एम० गोयल,
सचिव, आयोजना,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली। सदस्य

10. श्री डी० के० दास,
मुख्य नियंत्रक राशनिंग,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली। सदस्य

11. श्री एस० सी० दुआ,
पंजीयक, सहकारी समितियां,
दिल्ली। सदस्य

कोयला खानों में बोनस अधिनियम का लागू किया जाना

6388. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1965, 1966 और 1967 के लाभांश का अभी तक भुगतान नहीं किया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कोयला खान में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ; और

(ग) इन कोयला खानों में लाभांश अधिनियम लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1-52-68] जिसमें उन कोयला खानों के नाम, जिन्होंने लेखा वर्ष 1965 और 1966 के लाभांश का भुगतान नहीं किया है, तथा उनमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या दी गई है। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 19 के अनुसार लेखा वर्ष 31-12-1967 का बोनस 31-8-1968 तक देय है और इसलिए इस समय लेखा वर्ष 1967 के लिए कोई भी कोयला खान दोषी नहीं कही जा सकती।

(ग) लेखा वर्ष 1965 में 14 कोयला खानों पर तथा लेखा वर्ष 1966 में 3 कोयला खानों पर बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उल्लघंन के कारण पहले ही मुकदमें चलाये गये हैं। अन्य दोषी कोयला खानों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं और यह पूछा गया है कि उनके विरुद्ध बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही क्यों न की जाय। इन मामलों में दावे के प्रार्थना-पत्र दायर करने और अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

Bullocks for Cultivation :

6389. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that horses and buffaloes are not useful for cultivation purposes in the Indian climate and only bullocks are useful therefor ;

(b) if so, whether the price of bullocks has been going up after 1950 ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to take suitable measures to make available cheap and healthy bullocks to farmers ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In India horses are not used for cultivation. Buffaloes are used for cultivation under certain conditions, e.g., for paddy cultivation, particularly, in costal areas. Increasing use of buffaloes for cultivation and other draught purposes has been reported. Bullocks are generally considered to be more suitable for cultivation.

(b) and (c) : According to the available information the price of bullocks has been fluctuating according to their availability vis-a-vis the demand and the prices of feeds and fodder etc.

(d) Various cattle development schemes (pertaining to breeding, feeding and disease control) which are under implementation or are proposed to be implemented shortly with a view to improving the quality of livestock, will help in improving the draught quality and health of the bullocks.

Decrease in National Income Due to decline in production of Pure Ghee

6390. **Shri Brij Bhuhsan Lal :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the national income has been considerably decreased on account of the decline in the production of pure ghee after Independence ;

(b) if so, the total amount by which it has decreased ; and

(c) the measures proposed to be taken by Government for bringing it to the level of 1947 ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Per Capita Income

6391. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of increase envisaged in the per capita income of the rural areas and the entire country during the current annual plan ; and

(b) whether the target in regard to establishing Panchayati Raj at village, block and district levels during the current Annual Plan period would be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy : (a) If national income increases by 5%, as expected in the Annual plan 1968-69, per capita income for the country as a whole could go up by 2.5%. Separate estimates are not available for rural sector.

(b) No such target has been fixed.

Soya Beans

6392. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of soya beans being imported in the country every year and the cost (in foreign exchange) thereof;

(b) the brief particulars of the experiment conducted in the cultivation of soya beans in Jabalpur, Pantnagar and Rajasthan and the data collected as a result thereof ; and

(c) whether a programme to make India self-sufficient in soya beans is being implemented in the light of the experiments and experience ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) The quantity of Soya bean Seeds imported from U.S.A. during 1967-68 and 1968-69 and the cost thereof in foreign exchange are indicated below :—

Year	Quantity imported/ to be imported (in tonnes)	Foreign exchange sanctioned (in Rupees.
1967-68	12	19,815
1968-69	44 (42 tonnes already imported)	1,16,580

(b) Indian Council of Agricultural Research sanctioned an All India Co-ordinated Research Project on Soyabean with 10 centres including one each at Jabalpur and Pantnagar. Under the Project, experiments are being conducted at the different centres for evolving high yeilding varieties and for working out agronomic requirements of the crop particularly with regard to sowing time, method of sowing, spacing, etc. Work is also in progress on bacterial inoculation, pests and disease control and on weed control through the use of herbicides. As a result of the research work done under the Coordinated Research Project suitable varieties for the Indo-Gangetic Plains and for central parts of the country have been obtained. The two most important varieties are "Bragg" and "Clark-63" both imported from the U.S.A.

With regard to agronomic requirements conducted under the Project, conclusive results have not yet been obtained. It is, however, expected that necessary information on agronomic aspects will be available after the current crop season.

None of the 10 centres of the Coordinated Research Project on Soyabean is located in Rajasthan. However, seed multiplication has been taken up this year on 800 acres at the Suratgarh farm.

(c) Yes, Sir.

Accomodation for telephone exchange at Datia, Madhya Pradesh

6393. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the arrangements made for housing the Telephone Exchange in Datia, the district headquarter of Madhya Pradesh ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : The telephone exchange is located in a rented bulding owned by State Government, having sufficient accommodation.

Violation of Factories Act

6394. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 6947 on the 11th April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding cases of violation of the Factories Act in the factories under his Ministry has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : Assurance given to the Lok Sabha Unstarred Question No. 6947 for 11-4-68 has already been fulfilled, **vide** this Department's Office Memo. No. 11-1/68-Parliament, dated the 27th May, 1968, to the Department of Parliamentary Affairs a copy of which, alongwith the statement, is laid on the Table. **(Placed in Library. See No. LT-1947-68)**. This statement was laid on the Table of the House by the Department of Parliamentary Affairs on 29-7-68, **vide** SL. No. 25 of the Supplementary Statement No. IV.

Implementation of Assurances

6395. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the questions asked by Members of Parliament which were not replied on the dates on which their answers were required to be given and in respect of which Government assured to collect the requisite information and to lay on the Table since 22-5-1967 till to-date ;

(b) the number, out of them, whose replies were laid on the Table as also the number of those questions, in respect of which the requisite information is yet to be collected ;

(c) the number out of them, whose replies were given within sixty days of the receipt of their respective notices as also of those whose replies were not given within sixty days ; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the Ministries which did not furnish the required replies of the questions within 60 days of the receipt of the notices of the questions ?

Minister of Parliamentary Affairs (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 3234 assurances were given to the Lok Sabha from 22-5-1967 to 29-7-1968 in reply to Questions or in the course of Debates.

(b) Out of 3234 assurances, 1650 have already been implemented while another set of about 300 implementation reports is proposed be laid on the Table on 30.8.1968.

(c) Date of fulfilment of each assurrance is indicated in the statement laid on the Table of the House. After laying, the statements automatically stand referred to the Committee on Government Assurances which goes into this aspect viz. whether the assurrances are implementated within the prescribed time-limit. which has recently been raised from 2 to 3 months.

(d) The Ministries are constantly reminded and urged to implement assurances as expeditiously as possible.

सुपर बाजार, नई दिल्ली के कर्मचारी

6396. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सुपर बाजार, नई दिल्ली के बहुत से कर्मचारियों का सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ निकट के सम्बन्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उनका क्या सम्बन्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरु पदस्वामी) : (क) सुपर बाजार में लगभग 1,100 कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारियों से उनके सम्बन्धों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग

6397. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियोजक संघ ने हाल ही में एक मोनोग्राफ में यह दावा किया है कि स्वचालित यन्त्र लगाने से नयी नौकरियों की मांग तथा व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य विभागों में रोजगार के अवसर स्वचालित यन्त्र लगाने के फलस्वरूप होने वाली बेरोजगारी की अपेक्षा अधिक होंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस दावे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उद्योगों के व्यापक तथा तीव्र गति से विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सभी उद्योगों में स्वचालित यन्त्र लगाने के कार्य को तेजी से करने का सरकार ने निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने ऊपर (क) में उल्लिखित विचार में और इस सम्बन्ध में श्रमिकों के संगठनों के विचारों को भी नोट किया है ।

(ग) सरकार की नीति यह रही है कि स्वचालित यन्त्रों को चयनात्मक आधार पर और समाज-हित के अनुक्रम लगाया जाना चाहिए तथा उनके लाये जाने में कोई छंटनी नहीं की जानी

चाहिए और भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में अभिनवीकरण के बारे में निश्चित आदर्श- समझौते का ऐसे सभी मामलों पर पालन किया जाना चाहिए ।

गेहूं का बिक्री मूल्य

6398. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तुलनात्मक आयातित तथा देसी किस्मों के गेहूँ को राज्य सरकारों को उसी बिक्री मूल्य पर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप केन्द्र से राज्यों को सप्लाई की जाने वाली गेहूँ के राज्यों द्वारा देय मूल्यों में कुल मिलाकर वृद्धि हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अपने मूल प्राक्कलनों से कितनी अधिक राशि देनी पड़ेगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न किस्म के गेहूँ के प्रचलित फुटकर मूल्य क्या हैं और इस निर्णय के कारण उनके मूल्य प्रचलित मूल्यों से कितने कम अथवा अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी, हां ।

(ख) 17-6-68 से आयातित तथा देशी गेहूँ के लिये वर्त्तमान समान मूल्य निर्धारण से पहले केन्द्र से राज्यों को सप्लाई किए जाने वाले गेहूँ में प्रधानतः आयातित गेहूँ था, चालू मौसम के दौरान केन्द्रीय पूल के लिये देशी गेहूँ की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त करने से केन्द्रीय सरकार के लिए पूल के आधार पर बिक्री मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया जिससे कुछ किस्मों में जो हानि होती है उसका अन्य किस्मों को बेचने से लाभ कमाकर उसके साथ समायोजन हो सके । पूल के आधार पर इस प्रकार बिक्री मूल्य निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप आयातित गेहूँ के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और देशी गेहूँ के मूल्यों में गिरावट आ गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय स्टाक से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं का बिक्री मूल्य सभी राज्यों के लिए समान है । फुटकर बिक्री मूल्य राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के बिक्री मूल्य तथा ऊपरी खर्च के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं । 17-6-68 से केन्द्रीय सरकार द्वारा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यों में गेहूँ के फुटकर बिक्री मूल्य 17-6-68 से पूर्व राज्यों में प्रचलित फुटकर कीमतों की तुलना में सामान्यतः वही रहेंगे जो कि बिक्री मूल्य केन्द्रीय सरकार परिवर्तन करके निश्चित करेगी ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

6399. **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीनी मिल मालिकों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा के वार्षिक सामान्य सम्मेलन में श्री वी० एच० डालमिया द्वारा अध्यक्ष पद से दिये गए उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें चीनी पर से नियंत्रण पूरी तरह हटाने की मांग की गई है ;

(ख)यदि हाँ, तो उक्त संघ की उपर्युक्त बैठक में किन प्रमुख आधारों पर नियंत्रण हटाने की मांग की गयी थी; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) आगामी मौसम में चीनी पर से नियन्त्रण हटाने की मांग निम्न आधारों पर की गई है :—

(1) चीनी की वसूली की कीमत की तुलना में उसका मूल्य कुछ अधिक हो सकता है, परन्तु इसके मूल्य चीनी के खुले बाजार में वर्तमान भावों से तो कम ही होंगे ।

(2) नियन्त्रण हटाने पर गुड़ और खण्डसारी की कीमतों में पर्याप्त कमी हो जायेगी और इन दो वस्तुओं और चीनी के मूल्यों में पुनः सन्तुलन बन जायेगा ।

(3) इन दो वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने से मूल्यों के सामान्य ढांचे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

(4) सितम्बर, 1968 में जब गन्ने की खड़ी फसल की जानकारी मिल जायेगी तब आगामी वर्ष के लिये चीनी सम्बन्धी नीति पर विचार किया जायेगा ।

उड़ीसा में डाक-तार विभाग के डिवीजन कार्यालय के लिये भवन का निर्माण

6400. **श्री गु० च० नायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में क्योंझरगढ़ में डाक-तार डिवीजन कार्यालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कब तक आरम्भ होगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) मुख्य डाकघर के भवन तथा डिवीजनल कार्यालय के भवन के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की मंजूरी दे दी गई है ।

कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

(ख) जब इनके लिये स्थान ले लिये जायेंगे और धन उपलब्ध होगा, तो निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा ।

उड़ीसा में बारबील में टेलीफोन एक्सचेंजों और उप-डाकघर के लिये भवन

6401. **श्री गु० च० नायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में बारबील में उप-डाकघर की इमा-

रत, टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि अर्जित कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ; और

(ग) कार्य को हाथ में लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) (1) इस विभाग ने बारबील में डाकघर के भवन के निर्माण के लिये एक प्लाट अर्जित करने की कार्यवाही आरंभ कर दी है ।

(2) टेलीफोन एक्सचेंज किराये के भवन में है, जो कि इसकी वर्तमान आवश्यकताओं के लिये काफी है ।

(3) कर्मचारियों के लिये किराये के 5 क्वार्टर उपलब्ध किये गये हैं ।

(ख) तथा (ग) : जब भूमि अर्जित कर ली जायेगी तो डाकघर के निर्माण का कार्य आरंभ किया जायेगा ।

टेलीफोन एक्सचज के लिये भवन और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Unemployed Persons

6402. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons in 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, and 1967 ;

(b) the part of the country having the maximum number of unemployed persons ; and

(c) the steps being taken by Government to keep the unemployment problem under control ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) The only available information on the subject relates to the number of job-seekers who were on the Live Register of the Employment Exchanges. A statement is attached.

(b) No reliable data is available regarding the relative incidence of unemployment in each part of the country. However, the maximum number of job-seekers (4.41 lakhs) were on the registers of the Employment Exchanges in West Bengal.

(c) The various development schemes under the Five Year and Annual development Plans are designed to create maximum number of employment opportunities in keeping with the resources of the country.

Statement

Year	No. of job-seekers who were on the live register of employment exchanges at the end of the year
1962	23,79,530
1963	25,18,463

1	2
1964	24,92,874
1965	25,85,473
1966	26,22,460
1967	27,40,435

Strikes in Essential Services.

6403. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government feel that strike in essential public utility services should be completely banned and a standing and effective organisation should be established with the concurrence of workers for attending to their demands ;

(b) if so, the names of the utility Departments in which Government propose to ban strikes ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) (a) No proposal is under consideration for placing a complete ban on strikes in public utility services.

(b) Does not arise.

(c) The existing provisions in the Industrial Disputes Act, 1947 regarding resolution of industrial disputes and prohibition of strikes/lockouts without giving proper notice are considered adequate.

दोहरी फसल उगाना

6404. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में दोहरी फसल उगाने के लिये भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह मुख्यत: सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध होने पर निर्भर है ; और

(ग) क्या उस भूमि की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये विशेष कार्यवाही की गई है जिस में अब केवल एक ही फसल उगाई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 1967-68 के लिये बहुगुण सस्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 लाख एकड़ भूमि के अखिल भारतीय लक्ष्य की तुलना में लगभग 92 लाख एकड़ भूमि कृषिगत लाई जा चुकी है।

(ख) जी, हां। निश्चित वर्षा वाले क्षेत्र भी कुछ हद तक कृषि गत लाये जा चुके हैं।

(ग) बहुगुण सस्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में 2–4 फसलें उगाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जहां पर पहले कम फसलें उगाई जा रही थीं। यह फसलों की कम अवधि व अधिक उत्पादन शील किस्मों के शुरू करने से संभव हो सका है। बीजों व उर्वरकों की सप्लाई और बनस्पति रक्षा सेवाओं आदि के माध्यम से कार्यक्रम की सहायता की जा रही है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने सस्य प्रतिमानों के विषय में एक परिसंवाद का

आयोजन किया था जिसमें प्रत्येक राज्य को कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त सस्य प्रतिमानों का विकास किया गया था। ये सिफारिशें राज्य सरकारों को परिचारित कर दी गई हैं ये सिंचाई या सुनिश्चित वर्षा के एक सस्य वाले क्षेत्रों में उपयुक्त बहुगुण सस्य प्रतिमानों के विकास हेतु मार्ग दर्शन का काम देंगी।

"Go Slow" and "Work to Rule" in Banks and other Establishments

6405. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that employees of various establishments, particularly of Banks and Government Undertakings, resort to 'Go Slow' and 'Work to Rule' agitations without giving prior notice thus causing dislocation in public services and loss in production ; and

(b) if so, whether Government propose to amend relevant laws to consider such agitations as strikes ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Cases of resort to "go-slow" and "work to rule" without giving formal prior notice have occasionally come to notice in banking establishments.

(b) No such amendment is contemplated at present. The matter will be examined further, if necessary, on receipt of the Report of the National Commission on Labour.

Production of Foodgrains

6406. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the production of various varieties of foodgrains has been estimated on the basis of Kharif crop in the country this year ;

(b) if so, the details in regard to the production and procurement of different varieties of foodgrains ; and

(c) the steps taken to encourage the cultivation of high-yieding varieties ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. As the sowings of kharif corps are still in progress it is too early to give any quantitative estimates of the production of kharif foodgrains during the current year.

(b) Does not arise.

(c) The farmers participating in the High-Yielding Varieties Programme are assured adequate supply of inputs like seeds, fertilizers, pesticides and credit. The field extension agency has also been suitably strengthened at different levels to ensure proper supervision of the programme and for rendering technical guidance to the farmers. Besides, arrangements have been made to impart suitable training in the adoption of improved practices to the farmers as well as field workers before each crop season.

Jetsar Farm

6407. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the annual amount of profit earned or loss suffered by the Government farm at Jetsar since its inception ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The farm started functioning in 1964 and has not yet made any profit. The losses suffered by it from its inception are given below :

	(Lakhs)
1964-65	.. Rs. 1.44
1965-66	.. Rs. 3.70
1966-67	.. Rs. 2.79

The accounts for the year 1967-68 have not yet been finalized.

National Labour Commission.

6408. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on National Labour Commission till date ;

(b) the number of Study Teams constituted by the Commission so far ;

(c) the subject on which the National Labour Commission has submitted reports to Government and the total number thereof ;

(d) the reports, out of them, on which action has been taken and the nature of the action taken ; and

(e) the reasons for delay in implementing them ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The total expenditure on the National Labour Commission during 1966-67 and 1967-68 was about Rs. 12.01 lakhs.

(b) Thirty-eight.

(c) to (e) : The Commission has not so far submitted any report to Government. It does not propose to send any interim reports. According to its schedule it expects to submit its report in early 1969.

Hindi Officer in the Ministry of Communications.

6409. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of the Hindi Officer in his Ministry was filled on an ad hoc basis ;

(b) if so, when ;

(c) whether it is also a fact that such posts are required to be filled up through the U.P.S.C. ; and

(d) if so, the steps taken to fill up the same through the U.P.S.C. and when the post is likely to be advertised by the U.P.S.C. ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a)There are three posts of Hindi Officers, one in the Department of Communications and two in the Posts and Telegraphs Directorate. All the three posts were filled through the Union Public Service Commission.

(b) to (d): Do not arise.

Medical Treatment allowance to P & T Employees.

6410. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce medical treatment allowance as in England instead of the present practice of reimbursement of medical expenses as recommended by the Posts and Telegraphs Tariff Enquiry Committee in their recent report ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No such recommendation was made by the P & T Tariff Enquiry Committee in this regard.

(b) Does not arise.

Recruitment of staff in P and T Department to eliminate overtime allowance.

6411. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to recruit additional staff in the Posts and Telegraphs Department to eliminate Overtime Allowance altogether ;

(b) if not, whether Government propose to give any fixed daily allowance to the employees of Posts and Telegraphs Department ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) No.

(c) The quantum of work of urgent nature required to be performed on overtime basis is subject to considerable fluctuations from day to day and a fixed daily allowance as compensation would not be as suitable as the present system related to actual work as expressed in terms of time. Provision of additional staff may result in waste of man hours.

Hindi Officer in the Ministry of Labour and Rehabilitation

6412. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Hindi Officer in his Ministry was filed up on an ad hoc basis ;

(b) if so, when ;

(c) whether it is also a fact that such posts are required to be filled up through the Union Public Service Commission ; and

(d) if so, the steps taken to fill the same through the U.P.S.C. and when the post is likely to be advertised by the U.P.S.C. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) 8th February, 1968.

(c) The post is to be filled in accordance with provisions of the recruitment rules, which are in the process of being finalised.

(d) As soon as the recruitment rules for the post are finalised, recruitment will be made in accordance with those rules, and, if required under those rules, the U.P.S.C. will be requested to take action in the matter.

Educated Unemployed Youth

6413. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports regarding the employment of educated unemployed youths in the country ;

(b) whether it is a fact that Government have been able to give employment only to 1.30 lakh out of 10.83 lakh unemployed Graduates as per official figures ; and

(c) the steps taken by Government to provide employment to the remaining 9.53 lakh educated unemployed youths as per above figures ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) and (b) The only information available on the subject relates to Employment Exchange statistics according to which the number of educated job seekers on the Live Register of Employment Exchanges was 10,87,371 (7,14,148 Matriculates, 2,51,744 Higher Secondary/Intermediate/Under-Graduates and 1,21,479 Graduates including post Graduates) as on 31-12-1967. The number of educated work seekers placed in employment through Exchanges during the period January-December, 1967 was 1,51,443 (94,580 Matriculates, 30,178 Higher Secondary/Intermediate/Under-Graduates and 26,685 Graduates including post Graduates).

(c) The development of progressive and modern agricultural, cooperative, large scale, medium and small scale industries, industries based on Intermediate Technology, Development of infra-structure and social services together with some growth in general administration will provide a large volume of employment to the educated class.

अजमल खां रोड, देहली पर निष्क्रान्त सम्पत्ति की बिक्री

6414. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोलबाग, नई दिल्ली में अजमल खां रोड पर निष्क्रान्त संपत्ति का एक मूल्यवान प्लाट 12,000 रुपये से भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी बस्ती में ऐसे ही प्लाट, नीलाम द्वारा एक लाख रुपये से भी अधिक मूल्य पर बेचे गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्लाटों को नीलाम द्वारा नहीं बेचने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हाण) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्लाट सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी, जैसे नम्बर आदि, न मिलने पर वास्तविक स्थिति मालूम करना असंभव है ।

(ख) तथा (ग) : उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक टिकटों तथा मनीआर्डर फार्मों की कमी

6415. **श्री रा० कृ० सिंह** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई डाकघरों में टिकटों तथा मनीआर्डर फार्मों की कमी के समाचार मिले हैं और इस के फलस्वरूप लोगों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो टिकटों और डाक-सामग्री की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश में कुछ डाकघरों में टिकटों की अस्थायी कमी रही है । परन्तु किसी भी डाकघर में मनीआर्डर फार्मों की कमी नहीं है ।

(ख) समूचे देश में डाकघरों के लिये डाक टिकटों और डाक सामग्री को पर्याप्त मात्रा में छापने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पाद

6416. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने उत्पादों, अर्थात् दूध और घी को दिल्ली नगर निगम को प्रयोगशाला-परीक्षण के लिये देने से इनकार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके उत्पादों की किस्म के बारे में शंका व्यक्त की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो शुद्ध किस्म के उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, नहीं ।

(ख) कभी-कभी सन्देह किये गये हैं किन्तु वे निराधार सिद्ध हुए ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के पास उच्च योग्यता प्राप्त अधिकारियों के अधीन एक पूर्णतया-सुसज्जित क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला है । ये अधिकारी प्रक्रिया और विनिर्माण की सभी अवस्थाओं में दुग्ध तथा दुग्ध-पदार्थों की क्वालिटी को बनाये रखने के लिए कड़ा नियंत्रण रखते हैं ।

पश्चिम बंगाल में गहन कृषि कार्यक्रम

6417. **श्री ज्योतिमय वसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेज कार्यक्रम के नामक गहन जिला कृषि कार्यक्रम पश्चिमी बंगाल में कृषि उत्पादन में कोई सुधार नहीं कर सका है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार के कृषि और सी० डी० पी० विभाग द्वारा वर्दवान

जिले के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि पिछले छः वर्षों में 18,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में चावल की खेती की गई है फिर भी 1962-63 से प्रति एकड़ उपज की दर वस्तुतः स्थिर है ;

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के कृषि और सी० डी० पी० विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पश्चिमी बंगाल और वर्दवान जिले में अब तक पैकेज कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) 1962-63 के रवी मौसम से पश्चिम बंगाल के वर्दवान जिले में चालू है और 1967-68 तक जिले की कुल 6.99 लाख हैक्टेअर भूमि में से 1.85 लाख हैक्टेअर भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कृषकों ने कृषि के सुधरे तरीकों को अपनाने में अधिक रुचि लेनी शुरू की है। जिले में रासायनिक उर्वरकों की खपत जो 1962-63 में 10,020 मीटरी टन थी वह 1967-68 में बढ़कर 22,338 मीटरी टन हो गई है। इसी प्रकार सुधरे बीजों के प्रयोग और वनस्पति रक्षा सम्बन्धी उपायों के अपनाने में वृद्धि हुई है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रति हैक्टेअर उपज में वृद्धि नहीं हो सकी।

(ख), (ग) और (घ) : भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि और सामुदायिक विचार परियोजना विभाग से वर्दवान जिले के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वनस्पति घी का बाजार से गायब हो जाना

6418. **श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वनस्पति घी के मूल्य बढ़ाये जाने से बाजार से इसके पूर्ण स्टाक गायब हो जाते हैं और फैक्टरियों से सप्लाई बन्द हो जाती है या बहुत कम हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों और उत्पादकों के इस प्रकार के हथकण्डों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट की सूचना सरकार को नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

6419. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उद्योगों को और निर्माण कार्य को अपने हाथ में

लिए जाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए उनमें मन्त्रालय को औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय से क्या सहायता अथवा सहयोग मिलने की सम्भावना है ;

(ख) दोनों मन्त्रालयों के बीच समन्वय किस प्रकार किया जायेगा और कच्चे माल के वितरण का काम किस के पास रहेगा ;

(ग) क्या ऐसी उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्य संचालन के बारे में कोई योजना या मोटी रूपरेखा तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय और केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन की तकनीकी सलाह आवश्यक सीमा तक उपलब्ध है ।

(ख) सहकारिता विभाग और औद्योगिक विकास विभाग में आवश्यक सम्पर्क रखा जा रहा है ।

इस समय कच्चे माल के वितरण के लिए किसी केन्द्रीकृत प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है, जो अन्य लघु औद्योगिक सहकारी समितियों के समान ही उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

(ग) व (घ) : जी, हां । उपभोक्ता उद्योगों का विकास उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा करने के लिए जो मोटे-मोटे मार्गदर्शक सिद्धान्त सुझाए गए हैं, उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता उद्योगों
का विकास करने के लिए मोटे-मोटे मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. पाश्चात्य देशों में उपभोक्ता आन्दोलन को ताकत मिलने का एक प्रमुख स्रोत यह है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां, एकमुश्त खरीद करने के अलावा, उपभोज्य वस्तुओं के विनिर्माण का कार्य या तो सीधे अपने तत्वावधान में या अपने नाम से विनिर्माताओं के माध्यम से करती हैं। कुछ वस्तुओं के बारे में थोक तथा खुदरा बिक्री के स्तरों की अपेक्षा विनिर्माण के स्तर पर प्रमुख लाभ प्राप्त होता है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि भारत में भी उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में प्रवेश करें। साथ ही साथ इस प्रकार के प्रवेश के लिए बहुत ही सावधानी बर्तनी होगी। सबसे पहले इस बात का बचाव करना है कि उपभोक्ता उद्योगों के विकास से खुदरा बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दूसरे इस बात को मानना होगा कि कुछ क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं के विनिर्माण में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। अन्तिम बात यह कि उपभोक्ता सहकारी समितियां, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की, सामान्यतः प्रारम्भावस्था में हैं और इसलिए प्रायः खुदरा वितरण के कार्य के साथ-साथ उपभोक्ता उद्योग चलाने का भार उठाने की स्थिति में नहीं हो सकती हैं। इन पक्षापक्षों को देखते हुए उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रवेश का आयोजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन के अन्तर्गत, शुरू किए जाने वाले उद्योगों का और जिन सहकारी समितियों द्वारा ये उद्योग चलाए जाने हैं उनका चुनाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।

2. उपभोक्ता उद्योग शब्दावली का व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिए ताकि विनिर्माण उद्योग (उदाहरणार्थ कपड़े धोने का साबुन तैयार करना) तथा उपभोक्ता सेवा उद्योग (उदाहरणार्थ ड्राई क्लिनिंग, बिजली की वस्तुओं की मरम्मत की सुविधाएं, आदि) दोनों को इसमें शामिल किया जा सके।

3. निम्नलिखित उपभोक्ता उद्योगों के शीघ्र स्थापित करने के लिए अवसर उपलब्ध हैं:—

(1) मसालों का पीसना, (2) दाल मिलें, (3) कहवा पीसना, (4) कपड़े धोने का साबुन, (5) कापियां और (6) पौलिथीन बैग।

उपर्युक्त उद्योगों के अलावा निम्नलिखित किस्म के उपभोक्ता उद्योगों को चयनात्मक आधार पर शीघ्र चालू करने के लिए अवसर उपलब्ध हैं :

(1) घरेलू बिजली के यंत्रों की मरम्मत की सुविधाएं ;

(2) सिले सिलाए कपड़े ;

(3) महानगरों के अलावा दूसरे नगरों में छोटी बेकरियां ;

(4) बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां ; और

(5) ड्राई क्लिनिंग।

4. निम्नलिखित उपभोक्ता उद्योग, उनकी व्यवहार्यता, आर्थिक पक्ष, आदि के बारे में पूरी जांच-पड़ताल करने के उपरान्त, यथा समय चलाए जा सकते हैं :—

(1) यंत्रीकृत लांड्री

(2) वनस्पति घी

(3) फल तथा सब्जी विधायन

5. साधारणतया, कोई भी उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सहकारी समिति को सम्बन्धित पदार्थ के थोक और/अथवा खुदरा व्यापार का पर्याप्त अनुभव है। इससे सम्बन्धित सहकारी समिति को पदार्थ की किस्म की समस्याओं और व्यापार के दांव-पेचों के बारे में भीतरी जानकारी हो सकेगी।

6. आमतौर पर उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना निम्नलिखित स्तरों की उपभोक्ता सहकारी समितियों तक ही सीमित होनी चाहिए :—

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ।

(2) राज्य उपभोक्ता संघ।

(3) बड़े पैमाने के बहु-विभागी भण्डार।

7. जहां तक वनस्पति घी बनाने / फल व सब्जी विधायन जैसे खाद्यान्न विधायन उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कृषि उत्पादकों की सहकारी समितियों के आपसी सहयोग से स्थापित करने की सम्भाव्यता को ध्यान में रखना चाहिए।

8. मंत्रालय का उपभोक्ता डिवीजन विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों के बारे में उपयुक्त आदर्श योजनाएं तैयार कर सकता है। इन योजनाओं को परिचालित करते समय यह स्पष्ट कर दिया

जाना चाहिए कि उद्योगों की स्थापना के समय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आदर्श योजना में उपयुक्त हेर-फेर कर लिया जाना चाहिए। आमतौर पर आदर्श योजना काफी हद तक जीवन क्षम परियोजना के लिए बनाई जाएगी ; जहां-कहीं परिस्थितियां इजाजत दें वहां अधिक क्षमता की यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। प्रत्येक मामले में इस बात की जांच कर ली जानी चाहिए कि क्या सम्बन्धित सहकारी समिति के लिए उपभोक्ता उद्योग सीधे अपने तत्वावधान में स्थापित करने की आवश्यकता है अथवा क्या सम्बन्धित सहकारी समिति का काम सुस्थित विनिर्माता के साथ समझौता करके चल सकता है, ताकि वह अपेक्षित दर्जे की वस्तुएं सहकारी ट्रेड मार्क के साथ पहले से निश्चित मूल्य पर तैयार कर सके।

सामुदायिक विकास मंत्रालय का खाद्य मंत्रालय के साथ विलय किये जाने के परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास कार्य में

6420. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास मंत्रालय को समाप्त करके उसे खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में मिलाए जाने के बाद सामुदायिक विकास कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बीच सामुदायिक विकास खण्डों के कर्मचारियों की संख्या कम की गयी है या बढ़ायी गयी है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सामुदायिक विकास विभाग के बजट में कितनी कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जनवरी, 1966 में दोनों मंत्रालयों को परस्पर मिलाने के समय से जो प्रगति हुई है वह 1966-67 तथा 1967-68 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं।

(ख) कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए खण्ड कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने और दूसरे कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण पुनः करने की पहले वाली प्रवृत्ति राज्यों में विकसित हो रही आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप बनी रही।

(ग) हाल ही के वर्षों में सिब्बंदी व्यय में निम्नलिखित कमी हुई है :—

1966-67	—	10.75 प्रतिशत
1967-68	—	15.00 प्रतिशत
1968-69	—	4.75 प्रतिशत

अनाज रखने के गोदाम

6421. **श्री जी० एस० रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में सूर्यापेट में फालतू धान के संग्रह के लिये बड़े गोदाम बनाये गये थे जबकि उक्त क्षेत्र धान उगाने वाला क्षेत्र नहीं हैं;

(ख) ऐसे गोदामों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) भारत के अन्य भागों में ऐसे कितने गोदाम खाली पड़े हैं जिनमें खाद्यानों का संग्रह नहीं किया जा रहा है; और

(घ) जब वर्ष के किसी भाग में संग्रह करने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न नहीं होता है तो सरकार का ऐसे गोदामों को किस प्रकार प्रयोग करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सूर्यापेट (नालगोंडा जिला) में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदाम की 10,000 टन की क्षमता सभी प्रकार के खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं को रखने के लिये प्रयोग में लायी जाती है। जुलाई, 1968 के अन्त में गोदाम में वस्तुतः 95 प्रतिशत माल पड़ा था।

(ख) सूर्यापेट के गोदाम पर 14,48,728 रुपये (अन्तिम हिसाब अभी नहीं हुआ)

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का इस समय कोई भी गोदाम खाली नहीं पड़ा। 31 जुलाई, 1968 को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के जोरदार कार्यक्रम के अनुसार कुल क्षमता में से 85 प्रतिशत क्षमता का लाभ उठाया जा रहा था। इन भाण्डागारों में कुछ स्थान खाली रहता है, परन्तु वह समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों में रखने के लिये जब पर्याप्त मात्रा में खाद्यान न हो तब निजी लोगों द्वारा सहकार समितियों द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये अन्य कृषि उत्पादों, जैसे बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरण, और अन्य वस्तुओं को वहां रख जाता है।

द्वितीय श्रेणी की दूर-संचार इंजीनियरी सेवा द्वारा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के विरुद्ध पारित संकल्प

6422. **श्री सूरज भान :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जुलाई, 1968 को अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों के हुए सम्मेलन के पश्चात् द्वितीय श्रेणी की दूर संचार इंजीनियरी सेवा के संघ की जालन्धर शाखा ने हाल में एक संकल्प पारित किया है जिसमें अनुसूचित जातियों के सभी सरकारी कर्मचारियों की निन्दा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

चीनी की मिलें

6423. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में भारत में चीनी की 42 मिलों का चीनी को खुले बाजार में बेचने का कोटा व्यपगत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों में से उत्तर प्रदेश की कितनी मिलें हैं ;

(ग) इसके व्यपगत होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन मिलों को बहुत अधिक वित्तीय हानि होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में ऐसी चीनी मिलें 52 है जिन्होंने खुले बाजार में बेचने के लिये निर्धारित चीनी में से कुछ चीनी अभी रोक रखी है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे मिलों की संख्या 39 है ।

(ग) वह मात्रा व्यपगत हो गयी क्योंकि सम्बन्धित कारखानों ने चीनी को संगत आदेशों में उल्लिखित अवधि के अन्दर नहीं बेचा अथवा नहीं भेजा ।

(घ) यह जानकारी मौसम के अन्त में मालूम होगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का मूल्य

6424. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खुले बाजार में चीनी का प्रति क्विंटल मूल्य क्या है ;

(ख) यह मूल्य उसी चीनी के मद्रास, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में मूल्य की तुलना में कैसा है ;

(ग) इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) नियन्त्रण हटाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश में खुले बाजार में प्रति क्विंटल कुल कितना मल्य वसूल किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) यह बताया गया था कि 22 अगस्त, 1968 को कानपुर में चीनी का थोक विक्रय मूल्य 354 रुपये क्विंटल था ।

(ख) उसी दिन मद्रास, हैदराबाद तथा बम्बई में चीनी का थोक विक्रय मूल्य क्रमशः 318 रुपये, 300 रुपये और 340 रुपये प्रति क्विंटल था ।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में खुले बाजार में मूल्यों में अन्तर किसी विशेष समय में उन क्षेत्रों की मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है ।

(घ) 23 नवम्बर, 1967 को विक्रय के लिए दी गयी चीनी की तिथि से लेकर 23 जून, 1968 को विक्रय के लिये दी गयी चीनी की अवधि तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने खुले बाजार में औसतन 374.9 रुपये प्रति क्विन्टल मूल्य वसूल किया ।

मजूरी बोर्ड का पंचाट

6425. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड के पंचाटों को क्रियान्विति अनिवार्य करने के लिये कोई कानून बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्विति कराने के लिये अन्य क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानूनी तौर पर लागू करने के पक्ष तथा विपक्ष में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

भविष्य निधि कर्मचारी

6426. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के प्रश्न पर समूचे देश में भविष्य निधि कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रश्न पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों को डेप्युटेशन पर लेकर पदों को भरने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । ये विशिष्ट रूप से लेखा–अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध दिये गए थे ।

(ग) इस पर 21 अगस्त को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया तथा उनको यह बताया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए विभागीय लेखा सेवा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया है ताकि वे संगठन में लेखा अधिक री के पद पर नियुक्ति के पात्र बन सकें । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह भी सूचित किया गया कि जब तक वे विभागीय परीक्षा के परिणाम द्वारा लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं बन सकें । तब तक भर्ती नियमों के अनुसार संगठित लेखा सेवाओं से कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर स्थानांतरित करके नियुक्तियां की जाती रहेंगी ।

कर्मचारियों का प्रबंध में भाग लेना

6427. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने की योजना सरकार द्वारा त्याग दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं । परन्तु इस योजना का नाम बदल कर 'संयुक्त प्रबन्ध परिषद योजना' हो गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय 131 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों (44 सरकारी क्षेत्र में और 87 निजी क्षेत्र में) काम कर रही हैं ।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

6428. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कुछ प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ख) : श्रम जीवी पत्रकारों से संबन्धित मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को छोड़कर मजूरी बोर्ड की शिफारिशें कानून लागू नहीं की जा सकतीं इसलिए सरकार द्वारा दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खानों में सहकारी आन्दोलन

6429. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गए कोयला सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि कोयला खानों के मजदूरों को अधिकतम संख्या में सहकारी समितियों और भंडारों के अन्तर्गत लाने के लिए कोयला खान क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन को विशेष प्रयत्नों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग, न कि सरकार, विचार करेगी । सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें, जिनकी कि प्रतीक्षा की जा रही है प्राप्त होने पर ही विचार करेगी ।

फिर भी सरकार कोयला क्षेत्रों में सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देती रही है । 15 फरवरी, 1968 तक कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की पर्याप्त सहायता से सारे देश की कोयला खानों में 12 केन्द्रीय भण्डार, 373 प्रारम्भिक भण्डार, तथा 197 कोयला खान श्रमिक साख सहकारी समितियां कार्य कर रही थीं ।

कोयला खान मजदूरों के लिए उपदान

6430. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कोयला खानों सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह अनुरोध किया है कि कोयला खान मजदूरों के लिए उपदान की योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये, जिसकी सिफारिश कोयला उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने की थी ; और

(ख) यदि हां; तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग, न कि सरकार, विचार करेगी। सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही विचार करेगी।

उपदान योजना के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय निलम्बित रखा गया है, क्योंकि सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार की गई मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही है।

मई दिवस की सवेतन छुट्टी

6431. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई दिवस की श्रमिकों के लिए वेतन सहित छुट्टी घोषित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यानों की वसूली

6432. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि कमीशन एजेन्ट तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी सांठगांठ करके बहुत कम दामों पर अनाज खरीदते हैं तथा हिसाब किताब में उनकी खरीद निगम द्वारा निर्धारित मूल्यों पर दिखाई जाती है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है तथा मामलों का पता लगाया गया है तथा क्या वे आरोप सत्य सिद्ध हुए हैं; और

(ग) दोषी पक्षों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) : इनमें से कुछ शिकायतों की जांच की जा चुकी है लेकिन वे सत्य सिद्ध नहीं हुई हैं केवल एक मामले के अतिरिक्त जिसके संबन्ध में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

कुछ अन्य शिकायतों की अभी भी जांच की जा रही है। निगम कमीशन एजेंटों तथा सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। ताकि भविष्य में कदाचारों पर रोक लग सके।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल

6433. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उनके मंत्रालय के आदेश पर कितने प्रतिनिधि मंडल, मन्त्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ सरकारी खर्चे पर विदेश गए ;

(ख) प्रत्येक मामले में किन-किन देशों का दौरा किया गया और दौरे की अवधि कितनी-कितनी थी;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च किया गया तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ; और

(घ) प्रत्येक दौरे से सरकार को क्या यथार्थ लाभ हुआ है और यदि कोई करार दिये गए थे, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) से (ग)** केवल कृषि विभाग से संबन्धित सूचना सभा–पटल पर रख दी गई है, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1953-68] खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग के बारे में सूचना और कृषि विभाग के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जैसा कि सूची से पता चलता है ये प्रतिनिधि मंडल या तो विशेषज्ञों की तकनीकी बैठकों में या उन निकायों द्वारा बुलाये गए सम्मेलनों में गए जिनका भारत सदस्य है और इसलिए उन बैठकों में हिस्सा लेना अनिवार्य है। इन सम्मेलन और बैठकों के निष्कर्ष या निर्णय भारत में कृषीय विकास के लिए प्रशंसनीय महत्व के होते रहे हैं।

विधि मंत्रालय में सलाहकार समिति

6414. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में सम्बन्धित विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से हर एक को क्या काम सौंपे गए हैं;

(ख) हरएक समिति अथवा बोर्ड के सदस्यों में कितने अशासकीय हैं और कितने शासकीय;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन केवल एक ही अवधि के लिए किया जाता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य को कितनी अवधियों के लिए नाम निर्देशित किया जा सकता है और अवधि काल क्या है; और

(घ) वर्ष 1967-68 के दौरान इन संगठनों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1954-68]

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में सलाहकार समितियां और बोर्ड

6435. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बंधित विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों तथा अन्य इसी प्रकार

के संगठनों के नाम क्या हैं और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को क्या-क्या काम सौंपे गये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता है और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन एक ही बार के लिए होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नाम निर्दिशत किया जा सकता है और प्रत्येक नाम निर्देशन की अवधि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सूचना संकलित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

6436. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दाण्डिक अपराधों के कितने मामलों का पता लगाया गया है और प्रत्येक मामले में कितने सरकारी कर्मचारी हैं तथा बाहर के कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपे गये;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये थे और कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड मिला और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(घ) ऐसे अपराध न होने देने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सूचना संकलित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

खेतिहर मजदूरों के लिये मकान

6437. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों और निर्धन किसानों के कितने परिवारों के मकान ऐसी भूमि पर हैं जो दूसरे लोगों की हैं;

ख) देश में कितनी राज्य सरकारों ने देहाती क्षेत्रों में मकानों वाली भूमि उनके निवासियों के नामों में लिख दी है;

(ग) ऐसे कितने राज्य है जिन्होंने इस संबंध में अधिनियम बना रखे हैं जिन्हें अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया गया है;

(घ) क्या वर्ष 1969 के अन्त तक समूचे देश में देहाती क्षेत्रों में मकानों वाली समस्त भूमि को उन पर बसने वाले लोगों के नाम में लिखना अनिवार्य करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खेतिहर मजदूरों की ऋणग्रस्तता

6438. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है समूचे देश में लाखों खेतिहर मजदूर तथा गरीब किसान परम्परागत तथा गैर-कानूनी तौर से ऋणग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने कृषि मजदूरों तथा किसानों के ऋणग्रस्त होने का अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी ऋणों को जिनके सम्बन्ध में ऋण के रूप में ली गई राशि का भुगतान नकदी अथवा वस्तु के रूप में दुगुना किया जाता है समाप्त करने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार मूल राशि की दुगुनी राशि को किसी भी रूप में स्वीकार करने अथवा लेने को प्रजेय अपराध बनाने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को मालूम है कि समूचे देश में बहुत से कृषि श्रमिक तथा गरीब किसान ऋणग्रस्त हैं। किस सीमा तक वे परम्परागत तथा गैर-कानूनी तौर से ऋणग्रस्त है इस सम्बन्ध में कोई ठीक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सन् 1961-62 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किये गए ग्रामीण ऋण तथा विनियोग सर्वेक्षण के अनुसार देश में समस्त कृषकों का कुल ऋण 1,034 करोड़ रुपये था। इससे सभी किसानों के ऋण तथा ऋणग्रस्तता की सीमा का पता चलता है। कृषि श्रमिकों और गरीब किसानों के ऋणग्रस्तता के भाग के बारे में अलग से और राज्यवार अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) से (च) : कुछ राज्यों ने ऋण निवारण तथा धन देने वाली व्यवस्था सम्बन्धी अधिनियम पास किए हैं जिसके अनुसार कृषकों का परिरक्षण होता है और उन्हें सहायता मिलती है। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही अपने अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था की है जिसके अनुसार किसी भी हालत में मूल धन से दुगुने से अधिक राशि लेना दण्डनीय होता है।

बिस्फी ब्लाक का मुख्यालय

6439. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्लाक मुख्यालय के कार्यालय के लिए बिस्फी में इस समय बनाई जा रही इमारतें छतों को छोड़ कर पूरी हो चुकी हैं ;

(ख) क्या इस समय निर्माण कार्य बन्द पड़ा है और बनी हुई दीवारों को यदि शीघ्र पूरा न किया गया तो वे वर्षा से गिर सकती हैं या उनको क्षति पहुँच सकती है ;

(ग) क्या ब्लाक विकास समिति की पिछली बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया गया था कि वर्षा ऋतु के बाद ब्लाक मुख्यालय को बिस्फी में ले जाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अभ्रक मजदूरों द्वारा हड़ताल

6440. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरिडीह और झुमरीतलैया की अभ्रक की खानों के लगभग 10 हजार मजदूर पिछले पन्द्रह दिन से हड़ताल पर हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल करने वालों की क्या माँगें हैं और विवाद को समाप्त करने हेतु उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) गिरिडीह और झुमरीतलैया अभ्रक खानों के श्रमिकों ने कोई हड़ताल नहीं की ।

(ख) ऊपर के (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

अनाज की क्षति

6441. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गोदामों की कमी होने और वर्षा में भीगने और गलने तथा कीड़े मकोड़े द्वारा खाये जाने तथा ढुलाई में उतनी ही अधिक मात्रा में अनाज नष्ट हुआ है अथवा नष्ट होने की संभावना है जितनी मात्रा में उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) चालू वर्ष के पूर्वार्ध में तथा पिछले वर्ष की उसी अवधि में उपयुक्त कारणों से हुई अनाज की क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष अनाज को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा क्या अनाज को गोदामों में सुरक्षित रखने की उपलब्ध गोदाम क्षमता बहुत ही कम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, नहीं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जहाँ तक भविष्य में अनाज को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिये उठाये जा रहे कदमों का सम्बन्ध है 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4898 के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

वर्तमान आवश्यकताओं के लिये सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त भांडागार क्षमता उपलब्ध है।

अनाज के मूल्य

6442. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक फ़सल होने और एक और अच्छी फ़सल होने की आशा के बावजूद चावल तथा गेहूँ के मूल्यों में कोई विशेष कमी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मई तथा जून, 1968 में पृथक-पृथक प्रत्येक खाद्य क्षेत्र में अलग-अलग किस्म के चावल तथा गेहूँ के मूल्य क्या थे ;

(ग) क्या इन महीनों में किसी समय विभिन्न खाद्य क्षेत्रों में मूल्यों में अत्यधिक अन्तर रहा ;

(घ) यदि हां, तो किन्हीं दो क्षेत्रों में गेहूँ तथा चावल के मूल्यों में अधिकतम अन्तर कितना था और विभिन्न क्षेत्रों और कभी-कभी एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों के मूल्य में अत्यधिक अन्तर होने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) क्या मूल्यों में इस अन्तर को देखते हुए सरकार ने खाद्य क्षेत्र समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चावलों की कीमतों में मौसम के दौरान उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन गेहूँ की कीमतों में सामान्य रूप से गिरावट आई है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं।

[**पुस्तकालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी०** 1955/68]

(ग) और (घ) : जी हां, चावलों के सम्बन्ध में यह अन्तर अधिकतम 126.66 रुपये था और गेहूँ के सम्बन्ध में अधिकतम अन्तर 19.38 रुपये का था, विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में अन्तर किसी विशेष अनाज के उत्पादन, राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन, उपभोग की आवश्यकताओं, उपभोग-क्रय के ढंग तथा सरकार द्वारा वितरण आदि पर निर्भर करता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त चालू मौसम के दौरान इस अन्तर का कारण पिछले दो वर्षों में उत्पादन में भारी कमी तथा उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन आना है अर्थात् सस्ते कीमत की दुकानों की अपेक्षा खुले बाजार की माँग करना है।

(ङ) खाद्य क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति पर मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में पुनर्विचार किया जायेगा जो कि अगली खरीफ की फसल से पहले होगी। मौसम की मध्यावधि के दौरान खाद्य-क्षेत्र प्रणाली में परिवर्तन करना वांछनीय नहीं है।

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी उद्योग के कर्मचारियों की हड़ताल

6443. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी उद्योग के एककों के कर्मचारियों ने 17 जून, 1968 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मांगें क्या थीं ;

(ग) हड़ताल न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) मतभेदों को कैसे दूर किया गया था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

(घ) पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा की गई अपील के फलस्वरूप कर्मचारी संघों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया ।

विवरण

1. छंटनी रोकना और तालाबन्दी हुए तथा बन्द हुए इन्जीनियरी कारखानों को बिना कोई छंटनी किए पुनः चालू करना ।

2. जुलाई, 1963 से संशोधित संपरिवर्तन गुणक के आधार पर मँहगाई भत्ते की बकाया रकम की अदायगी तथा इन्जीनियरी प्रतिष्ठानों द्वारा जो त्रैमासिक आधार पर अदायगी करते रहे हैं उसी आधार पर वर्तमान देय रकम की अदायगी ।

3. इन्जीनियरी उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की शिफारिशों की शीघ्र अंतिम रूप देना ।

4. छोटे इन्जीनियरी प्रतिष्ठानों के लिए सातवें औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट की कार्यान्विति ।

5. काम छट जाने की हालत में विस्थापित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ ।

हड़ताल को टालने के लिए उठाये गये कदम

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने मागों पर समझौते की कार्यवाही की तथा लगातार अनेक बैठकें हुई । राज्य सरकार के प्रयत्नों तथा अपील के फलस्वरूप इन्जीनियरी फर्मो ने त्रैमासिक आधार पर मँहगाई भत्ते में संशोधन करना स्वीकार कर लिया ।

छंटनी तथा जरूरी छुट्टी को टालने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न सदनों तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति एक ऐसी मशीनरी बनाने के लिए बनाई जो सामूहिक छंटनी तथा सामूहिक जबरी छुट्टी के प्रश्न पर विचार करे । इस समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं । पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने के कारणों की जांच करने के लिए भी राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

इन्जीनियरी मजूरी बोर्ड से अपनी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना की गई है । इस समय इस रिपोर्ट के अक्तूबर, 1968 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

राजस्थान मरुस्थल का दिल्ली की ओर फैलना

6444. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान का मरूस्थल दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, एक पेड़ पौधे घास आदि वाला क्षेत्र बनाने का विचार है ताकि मरूस्थल को राजधानी की ओर बढ़ने से रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कब से विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता आ रहा हो। 1952 में भारत सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तान में वृक्षारोपण करने के बारे में सुझाव प्रस्तुत करने के लिये एक तदर्थ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने रेगिस्तान की सीमा के साथ-साथ 5 मील चौड़ी और 400 मील लम्बी हरी पट्टी स्थापित करने के लिये सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) : 1952 में जोधपुर में एक मरू वृक्षारोपण अनुसन्धान केन्द्र (जिसे पश्चात में केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान का नाम दिया गया) की स्थापना की गई थी। समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के विषय में प्रथम कदम के तौर पर इस अनुसन्धान केन्द्र ने पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गोदरा रोड से भण्डारा तक के लगभग 46 वर्गमील क्षेत्र में 2 से 5 मील चौड़ी और लगभग 40 मील लम्बी पट्टी तैयार करने का कार्य शुरू करके वहां वृक्षारोपण विषयक कार्य शुरू किया था। इस क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों की अवधि में हरी पट्टी बनाने के लिये अनेक बार प्रयास किये गये जो सफल न हो सके। शुष्कता, गर्मी, पाला, रेगिस्तानी चूहे तथा नाजायज चराई आदि ऐसे प्रमुख कारण थे जो इस असफलता के लिये जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। वन-विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा किये गये पुनर्विलोकन के आधार पर तथा उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुये 1966 के अन्त में इस परियोजना पर कार्य बन्द कर दिया गया।

फिर भी राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय विकास मण्डल की स्थापना की है।

Hindi Stenographers in the Labour and Rehabilitation Ministry

6445. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of those out of them reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in pursuance of the orders issued by the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether persons belonging to the said castes are working on all these reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) One.

(b) Nil.

(c) and (d) : Do not arise.

वन संसाधन परियोजनाओं के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

6546. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधन परियोजना के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और उन पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

चूहों द्वारा अनाज की क्षति

6447. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष हरियाणा, पंजाब, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में कुन्तक (रोडेन्ट) करोड़ों रुपये का अनाज खा जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में चूहे प्रति वर्ष अनुमानत: अनाज की कुल कितनी मात्रा खा जाते हैं तथा सरकार ने इन राज्यों में चूहों को नष्ट करने का कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में इस कार्य के लिये इन राज्यों को कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) और (ख)** : चूहे प्रति वर्ष किस राज्य में कितना खाद्यान्न नष्ट करते हैं, इस विषय में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूहे संक्रामित क्षेत्रों और गोदामों में काफी नुकसान करते हैं । बिलकुल तदर्थ रूप से लगाये गये अनुमानों के अनुसार चूहे प्रति वर्ष भारत में 100 करोड़ रु० की लागत का 24 लाख टन खाद्यान्न नष्ट कर देते हैं । चूहों के विनाश के लिए प्रभावशाली उपायों का विकास किया गया है और यह उपाय विस्तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों तक पहुँचाए जाते हैं । चूहों के विनाश के उपायों में चूहे मारने का जहर, गैस द्वारा मारना तथा पिंजरे में फंसाना आदि साधन सम्मिलित हैं। हरियाणा, पंजाब, बिहार और उड़ीसा समेत सभी राज्यों के कृषि विभाग नियमित रूप से खेतों में फसल खराब करने के दौरान चूहों के विनाश के लिए आन्दोलन चलाते हैं, इस कार्य के लिए चूहे मारने का जहर मुफ्त दिया जाता है।

(ग) 1968-69 में हरियाणा और पंजाब, प्रत्येक को डेढ़ लाख तथा उड़ीसा को एक लाख रू० की आर्थिक सहायता नियतन की गई है। इस सन्दर्भ में बिहार को दी जाने वाली सहायता भी, शीघ्र ही निश्चित की जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में नलकूप लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता

6448. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने खेती के लिए नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सहायता देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो 1966 और 1967 तथा 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही में कितनी सहायता मांगी गई तथा प्राप्त की गई है; और

(ग) वर्ष-वार वास्तव में कितने धन का प्रयोग किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : गैर सरकारी एवं राजकीय दोनों प्रकार के नलकूपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम का एक भाग है, अत: राज्य सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्षिक योजना पर हुए विचार-विमर्श के दौरान इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। बिहार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1966–67 के लिए नल-कूप संबन्धी एक कार्यक्रम हेतु 164 लाख रुपए का प्रस्ताव है, जो कि उनकी समस्त लघु सिंचाई कार्यक्रम के 978 लाख रुपए का एक भाग है। उस वर्ष बिहार के लिए लघु सिंचाई हेतु कुल 915 लाख रुपए का व्यय स्वीकार किया गया था। जिसमें से 143 लाख रुपये की रकम नलकूप के लिए थी। इसी प्रकार बिहार सरकार ने 1967–68 के लिए 467 लाख रुपए की लागत के एक नलकूप कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया था जबकि उन्होंने अपने समस्त लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये 1636 लाख रूपए रखे थे। परन्तु, उस वर्ष के दौरान राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम हेतु कुल 1234 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी। राज्य सरकार ने उस वर्ष नलकूप के लिए 190 लाख रुपए का बजट उपबन्ध किया था।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का नियतन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है, न कि कैलेन्डर वर्ष अथवा तिमाही के आधार पर।

(ग) राज्य सरकार द्वारा 1966-67 के दौरान 56 लाख रुपये व्यय होने की रिपोर्ट मिली है। 1967-68 में लगभग 210 लाख रुपये व्यय होने के संकेत मिले हैं।

बच्चों को मजदूर रखने पर प्रतिबन्ध

6449. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बालकों से मजूरी कराना निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो किस आयु तक तथा किस व्यवसाय में और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में अब कितने बालक मजूरी करते हैं, वे अधिकतर किस व्यवसाय में लगे हुए है, उन्हें क्या मजूरी मिलती है और उसके क्या सामाजिक लाभ हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, कुछ विशिष्ट व्यवसायों में।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में या किसी अन्य जोखम वाले काम में लगाना निषिद्ध है। ऐसे धन्धों का एक विवरण, जिनमें विभिन्न केन्द्रीय श्रम कानूनों के अन्तर्गत बच्चों को लगाना निषिद्ध है, संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1956-68]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के मधुबनी सब-डिवीजन में नये शाखा डाक-घर

6450. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 से जिला दरभंगा (बिहार) में मधुबनी सब-डिवीजन में कितने नये शाखा डाक-घर खोले गये हैं और कहाँ पर; और

(ख) नये शाखा डाक-घर खोलने के कितने मामले सूची में सम्मिलित हैं और ये किन-किन स्थानों के लिये है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं०कु० गुजराल) :

(क) तीन शाखा डाक-घर, अर्थात बेलहावर, मेलाम और मलांगिया।

(ख) शाहपुर, डुमरा, कलमा, सुलेमानी, फेन्ट, शिवहाली, छतरा, चम्पा, ककना, डारीमा और बानीगारा, में एक-एक शाखा डाक-घर खोलने के ग्यारह मामले जांचाधीन हैं।

उद्योगों में युक्तीकरण तथा स्वचालित मशीनों के प्रयोग के लिये द्विपक्षीय समिति

6451. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने तकनीकी परिवर्तन जिनमें उद्योगों को नया रूप देना तथा उनमें स्वचालित मशीनों का प्रयोग भी शामिल है सम्बन्धी सभी प्रस्तावों को जाँच करने के लिये एक संविहित द्विपक्षीय स्थायी समिति बनाने की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसे प्रस्तावों की जांच करने वाली एक ऐसी सांविधिक मशीनरी की स्थापना का सुझाव, जिसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ज्ञापन में किया गया, जो कि 18 जुलाई, 1968 को हुए स्थायी श्रम समिति के 28 वें अधिवेशन के समक्ष विचार-विमर्श के लिए भेजा गया।

(ख) स्थायी श्रम समिति के 28 वें अधिवेशन में विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्त भिन्न-भिन्न विचारों को नोट कर लिया गया है। कम्प्यूटरों के आयात करने के बारे में एक प्रक्रिया पहले ही विद्यमान है। स्वचालित मशीनें लगाने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक नीति निश्चित करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

6452 : **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण करने की कोई योजना सरकार ने तैयार की है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने बन्दरगाह बनाये जायेंगे और कहाँ-कहाँ पर ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कुल कितनी राशि खर्च करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह बनाने के लिये एक योजना तैयार की गई है।

(ख) इन बन्दरगाहों की स्थिति के लिये विचाराधीन स्थानों में बम्बई, गोआ, मंगलौर माल्पे, ट्यूटीकार्न, मद्रास, विशाखापट्टनम, प्रदीप, हल्दिया और पोर्टब्लेअर हैं। किन्तु बन्दरगाहों की स्थिति का निर्णय प्रत्येक स्थान की परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं के सूक्ष्म अध्ययन के बाद ही किया जायेगा।

(ग) इस विषय में अनुमान है कि लगभग 15 करोड़ रु० की राशि की आवश्यकता होगी।

नई चीनी मिलें

6453. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में स्थापित किये जाने वाले चीनी के प्रत्येक नये प्रस्तावित कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) इन कारखानों पर कितनी लागत का अनुमान है ; और

(ग) उनकी स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : चीनी के नये कारखाने स्थापित करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं है। लेकिन आशा की जाती है कि 1968–99 में पेरने के मौसम में लाइसेंस प्राप्त नये कारखानों में से 1.13 लाख मीट्रिक टन वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता वाले 6 कारखाने उत्पादन आरम्भ कर देंगे। इन कारखानों की कुल लागत का अनुमान लगभग 13.0 करोड़ रुपये है। उनके स्थापना स्थान और उनकी अनुमानित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	स्थापना स्थान और जिला महाराष्ट्र	वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता (लाख मिट्रिक टनों में)
1.	कालम्बर जिला नन्डिड	0.20
2.	थ्यूर, जिला पूना	0.20

गुजरात	
3. माधी, जिला सूरत	0.20
मैसूर	
4 हाल्लिखेद, जिला बिहार	0.19
5. कदरोल्लि तथा दास्तिकोप ग्राम, शम्मागांव तालुक, जिला बेलगाम	0.19
पंजाब	
6. नवान शहर, जिला जालंधर	0.15
जोड़	1.13

New Device for Manufacture of Khandsari

6454. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from Gopal Krishan Udyog Samooha, Kohlapur regarding the development of a new device costing Rs. 1-1.5 lakhs for production of Khandsari through limited use of vaccum pans ;

(b) whether is is also stated in the Memorandum that Khandsari Industry could be decentralised and encourage in villages by using the new device ;

(c) if so, whether Government would consider charging Excise Duty on Khandsari produced by this new device at rates not more than those applicable in cases where vaccum pans are not used in Khandsari production ; and

(d) the other facilities proposed to be extended to encourage the use of new device for Khandsari production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The memorandum referred to in the question has not so for been received in this Ministry.

(b), (c) and (d) : The questions do not arise.

Closure of Tatanagar Foundry, Jamshedpur

6455. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Tatanagar Foundry, Jamshedpur has been closed down since November, 1966 and 1400 workers have been rendered unemployed as a result thereof ;

(b) whether it is also a fact that Chairman of Industrial Tribunal, Bihar has given a clear award that the said closure is an illegal lock-out and the proprietor is responsible for the same ;

(c) whether it is also a fact that the Government of Bihar had taken a decision to the effect that in case the proprietor finds difficult to run the factory, the workers should form a Co-operative Society and run the factory and that Government should give a loan to them ; and

(d) if so, whether Government would give loan to the workers and help them run the said factory through a Co-operative Society ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Industrial Tribunal, Bihar, in its award dated 15th September 1967 held the closure as lock-out and awarded payment of full wages to workmen for the period they have been out of employment.

(c) and (d) : Joint discussions were held on the 23rd January, 1968 in which the representatives of the management asked for financial assistance to run the factory and also proposed to run it through a Labour Co-operative Society. The proposal is under examination of the Government of Bihar.

पश्चिमी बंगाल में कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े

6456. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा समूचे राज्य में कृषि और खाद्य उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का अनुमान लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है ;

(ख) क्या राज्य कृषि निदेशालय और राज्य सांख्यिकी विभाग द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों में कोई अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार द्वारा कृषि और खाद्य उत्पादन के अनुमान लगाने के तरीके में सुधार करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा पश्चिमी बंगाल परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक में दिये गये पश्चिमी बंगाल में 1967-68 के अनाज के उत्पादन (46 लाख टन) के आंकड़े प्रामाणिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख) कृषि और खाद्य उत्पादन में वृद्धि या कमी का अनुमान प्रत्येक वर्ष राज्य स्टेटिस्टिकल ब्यूरो द्वारा फसल कटाई के अनुभवों एवं नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता हैं और ऐसे उत्पादन के लिये अनुमानित आंकड़े, फसल कटाई अनुभव एवं स्थानीय एवं कृषीय क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर कृषि विभाग द्वारा भी तैयार किये जाते हैं। कभी कभी स्टेट स्टेटिस्टिकल ब्यूरो और कृषि विभाग द्वारा तैयार किये हुये आंकड़ों में अन्तर दिखलाई पड़ते है और ऐसे अन्तरों का कृषि विभाग और स्टेटिस्टिकल ब्यूरो के विशेष समाधान कर देते हैं।

(ग) दो एजेंसियों द्वारा तैयार किये आंकड़ों में अन्तर विशेषतया इसलिये हो जाता है कि उन्होंने आंकड़े तैयार करने के लिये भिन्न-भिन्न तरीके अपनाये हुये हैं।

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें, समस्त राज्य के लिये कृषि और खाद्य उत्पादन के अनुमान के तरीकों में समुचित सुधार-अपनाने के कार्य को बड़ा महत्व देती है। अतः कृषि और खाद्य उत्पादन के आंकन के तरीकों को सुधारने का प्रश्न राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जब तक समस्त राज्य के लिये पूर्ण क्षेत्र परिगणन का तरीका न अपनाया जा सके तब तक विद्यमान तरीके में कमी को दूर करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। और इस अभिप्राय के लिये राज्य द्वारा प्रायोगिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उपायों में सुधार सम्बन्धी अन्तिम निर्णय, प्रायोगिक सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

(ङ) 45 लाख मीटरी टन (46 लाख टन नहीं) के अनुमान का सबंध है अमान (शीत कालीन चावल) से है न कि समस्त धान्यों के उत्पादन से। 1967-68 के दौरान अमान चावल का यह अनुमान सरकार ने विश्वसनीय समझा है।

पूर्वी पाकिस्तान में अरब सम्पति सम्बन्धी आंकड़े

6457. **श्री देवेन सेन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रभावित पीढ़ियां, जिन्हें देश के विभाजन का अनुभव है और जो अपनी सम्पत्तियों से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी को दे सकती हैं, तेजी से समाप्त हो रही है, क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान में 50013 लाख विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) जी, नहीं। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का मामला अप्रैल 1950 के नेहरू-लियाकत पैक्ट के उपबन्धों से शासित होता है जिसके अन्तर्गत वे उस देश में छोड़ी हुई अपनी सम्पत्ति के बारे में अपनी सम्पत्ति के अधिकारों को रखते हैं। इसलिये पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का प्रश्न नहीं उठता।

निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम

6458. **श्री देवेन सेन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने उस देश को सदा के लिये छोड़ दिया है और वे उस देश में कभी वापिस नहीं जायेंगे तथा उनकी पैतृक सम्पत्ति जो अब पूर्वी पाकिस्तान सरकार अथवा वहां के लोगों के कब्जे में है, उस देश को मुफ्त उपहार में दी गई नहीं मानी जानी चाहिए, सरकार का उनकी अचल सम्पत्ति सम्बन्धी अप्रैल, 1950 के नेहरू–लियाकत अली समझौते के उपबन्धों पर पुनर्विचार करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के सामने मामला उठाया है कि वे अप्रैल, 1950 के नेहरू–लियाकत अली समझौते का सम्मान करें और ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे अल्पसंख्यक जातियां उसी देश में शान्तिपूर्वक रहती रहें।

उड़ीसा में झारसुगुडा में रेलवे डाक सेवा की डिवीजन

6459. **श्री रवि राय :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर जिले के झारसगुडा के स्थान पर रेलवे डाक सेवा की एक डिवीजन आरम्भ करने तथा पुरी हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ रेलवे डाक सेवा का एक डिब्बा जोड़ने का उन्होंने सभा में जो आश्वासन दिया था उस पर उन्होंने कोई अनुवर्ती कार्यवाही करनी आरंभ कर दी है ; और

(ख) यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) आश्वासन के अनुसार रेलवे डाक सेवा का एक डिवीजन आरम्भ करने तथा पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ रेलवे डाक सेवा का एक डिब्बा जोड़ने के प्रस्ताव की जांच की गई है । इसको अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि हावड़ा और हैदराबाद के बीच गाड़ी के समयों में 1-10-68 से परिवर्तन किया गया था और गाड़ी को पुरी से नहीं जाना था, इस कारण इस मामले की दुबारा जांच करने की आवश्यकता है।

खरीफ फसल

6460. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समय पर वर्षा न होने के कारण अधिकांश किसान अपनी खरीफ की फसल की बुवाई समय पर नहीं कर सके हैं और बाढ़ों से अधिकांश खरीफ फसल नष्ट हो हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप अनाज के उत्पादन में देश को बड़ा भारी धक्का लगने की आशंका है ;

(ग) क्या सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिए कोई प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार बाढ़ों से पीड़ित किसानों को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त अनुदान दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिमी मौनसून के देर से आने और कम वर्षा के कारण चालू वर्ष की खरीफ की फसल की बुवाई में 10 से 15 दिन तक का बिलम्ब हुआ तथापि, दक्षिण पश्चिमी मौनसून की अवधि 1 जून से 31 अगस्त, 1968 में वर्षा सामान्य थी या आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर और राजस्थान के कुछ भागों में जहां कि वर्षा सामान्य से भी कम थी, के अतिरिक्त देश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से भी अधिक थी । आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश के भागों में बाढ़ से कुछ सीमा तक फसलों की हानि होने की सूचना भी प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग) : चालूवर्ष में खरीफ की फसल का आकार खरीफ की शेष अवधि में मौसम

की प्रतिकूलता पर निर्भर करता है । अत: सूखे और बाढ़ से हुई हानि का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है । तथापि, सरकार परिस्थिति पर ध्यान रखे हुये है ।

(घ) वल केरल, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और गुजरात की सरकारें ही अभी तक चालू वर्ष में सहायता के लिए आई हैं । पश्चिमी बंगाल और राजस्थान की आवश्यकतायें हाल ही में आंकी गई हैं और केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी । गुजरात के सम्बन्ध में धन की आवश्यकता आंकने का कार्य एक केन्द्रीय दल द्वारा किया जायेगा जो कि शीघ्र ही राज्य की यात्रा पर जाने वाला है । वर्तमान वर्ष (1968–69) में बाढ़ सहायता व्यय (कृषकों को सहायता सहित) के लिये निम्न राशियां स्वीकृत की गई हैं :—

केरल —1 करोड़ रुपये

पश्चिमी बंगाल—1 करोड़ रुपये

किसानों के लिए ट्रैक्टरों के मामलों में आत्मनिर्भरता

6461. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण से किसानों की ट्रैक्टरों की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में उनके मन्त्रालय को सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों की ट्रैक्टरों की पूर्ण आवश्यता को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि विकास का एक प्राथमिक क्षेत्र है, अत: ट्रैक्टरों की उपलब्धता सहित कृषि विकास की विभिन्न मदों के लिए बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण करना पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है ।

(ख) प्रस्ताव है कि देश ट्रैक्टरों के उत्पादन को 1967–68 के 11,394 ट्रक्टरों की तुलना में 1968–69 के दौरान बढ़ाकर लगभग 20,000 ट्रैक्टर कर दिया जाए । मांग और आयात द्वारा देशी सम्भरण की रिक्तता को काफी हद तक पूरा करने का सुझाव भी है ।

चावल की पैदावार

6462. **श्री अब्दुल गनी दार** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चावल की पैदावार वर्ष 1967-68 की अपेक्षा बहुत कम होगी ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषत उन राज्यों के लिए जहां चावल खाने वाले लोगों की संख्या 60 से 90 प्रतिशत तक है क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) देश में वर्ष 1968-69 में चावल की कुल पैदावार के बारे में इतनी जल्दी कोई संकेत नहीं दिया जा सकता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा तथा राजस्थान में रेलवे के कब्जे में बेकार पड़ी खेती योग्य भूमि

6463. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे तथा राजस्थान में पश्चिमी रेलवे के कब्जे में इस समय ऐसी खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्र कितना है जो कि बेकार पड़ी है ; और

(ख) इस भूमि को रेलवे से लेने तथा खेती के लिए किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान और उड़ीसा को पशुपालन आदि के लिये केन्द्रीय सहायता

6464. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1967-68 में राजस्थान और उड़ीसा को राज्यों में (1) पशुपालन (2) दुग्धशालाओं तथा (3) मत्स्यपालन के लिए अलग अलग कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) राज्यों द्वारा इन योजनाओं पर अब तक तथा उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पशु पालन, डेयरी, और मत्स्य उद्योग सम्बन्धी राज्य योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यक्रमों के लिये निश्चित अधिकतम केन्द्रीय सहायता के आधार पर गुजरात और उड़ीसा सरकार को स्वीकृत राशियों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1957-68] । सहायता की अधिकतम सीमा के मुकाबले में व्यय के अनुमानित आंकडों पर ही राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता आधारित होती है, जिसका सम्पूर्ण वर्ष के व्यय के जांचे हुये आंकड़ों के आधार पर अन्तिम समायोजन किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक भेजे नहीं गये हैं ।

राजस्थान तथा उड़ीसा में गन्ने की खेती के विकास के लिये सहायता

6465. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में राजस्थान और उड़ीसा में गन्ने की खेती का विकास करने के लिये इन राज्यों को अलग अलग कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 1968–69 में इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ख) : 1958–59 से आरम्भ की गयी वित्तीय सहायता की संशोधित क्रियाविधि के अनुसार, राज्य योजनाओं की प्रयोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता विकास के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत जैसे 'कृषि उत्पादन' 'भूमि विकास' 'लघु सिंचाई' के अन्तर्गत प्रदान की जाती है और किसी विशिष्ट योजना के लिए नहीं दी जाती है। 1967–68 में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत जिसमें गन्ना उत्पादन भी सम्मिलित है, राजस्थान और उड़ीसा सरकारों की नियुक्त की गई राशि निम्न प्रकार थी।

राज्य	केन्द्रीय सहायता (रुपये लाखों में)	
	ऋण	अनुदान
राजस्थान	28.80	55.70
उड़ीसा	80.40	92.60

इन राज्यों को चालू वित्तीय वष में कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाये, इसका अभी तक अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है। तथापि, राजस्थान और उड़ीसा के लिये 'कृषि उत्पादन' शीर्षक के अन्तर्गत 1968–69 वर्ष के लिये क्रमश: 176.00 लाख और 250.00 लाख रुपयों के व्यय का अनुमोदन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

6466. **श्री हेमराज :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया देशी गेहूँ बड़ी भारी मात्रा में खुले में पड़ा खराब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे अच्छे गोदाम में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को हाल के कुछ महीनों में देशी गेहूँ की कोई सप्लाई नहीं की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरयाना एक ही गेहूँ क्षेत्र (जोन) में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Minor Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

6467. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of minor irrigation schemes submitted by the Government of Madhya Pradesh to the Central Government during the period from 1960 and March, 1968 for approval ;

(b) the names of those approved so far ;

(c) the names of schemes pending approval ; and

(d) the reasons for not approving them so far ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) **to** (**d**) : Minor Irrigation schemes, other than Centrally sponsored schemes, are State Plan Schemes which are drawn up, sanctioned and executed by the State Governments concerned, and are therefore not submitted for approval to the Central Government. The Plan proposals of the State Governments are however discussed annually in the meetings with the representatives of the Government of India. The Government of India provides Central financial assistance of State minor irrigation programmes in the light of the annual plan discussions and in accordance with the pattern approved therefor, subject to the ceilings fixed by the Planning commission/ Ministry of Finance.

The Government of Madhya Pradesh, submitted a Centrally sponsored scheme for Ground-water Surveys and Investigations which has been administratively approved for implementation during 1968-69 at a cost of Rs. 5.00 lakhs as 50% share of the Government of India. No Centrally sponsored scheme of minor irrigation of the Government of Madhya Pradesh is pending with the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

Re-Employment of Landless Agriculture Labour in Madhya Pradesh

6568. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Centrally sponsored scheme of providing re-employment to landless agricultural labour has been introduced in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the amount allocated to Madhya Pradesh for 1967-68 and 1968-69 for this purpose and the extent of success achieved so far ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) There is no Centrally sponsored scheme for providing re-employment to landless Agricultural Labourers. There is, however, a Centrally sponsored scheme for reclamation of waste lands and resettlement of landless agricultural labourers, which is in operation in Madhya Pradesh.

(b) For the year 1967-68, central assistance of Rs. 10 lakhs was sanctioned to the Government of Madhya Pradesh. For the year 1968-69, an allocation of Rs. 15 lakhs has been made for the same purpose. According to the latest information available in this Ministry, as on 31-3-68, an area of 79,529 acres of waste land has been reclaimed on which families of 11,157 landless Agricultural labourers have been settled.

Pre-Partition Money Order Claims Outstanding against Pakistan Government

6469. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of pre-partition money order claims, the credits in respect of which are still outstanding included in the list submitted by the Auditor-General, Lahore (Pakistan) to P. and T. Audit Delhi.

(b) whether Government have received any representation for such claims which are still outstanding and have been included in the above list ;

(c) whether it is a fact that Pakistan Government have informed the Government

of India that some money order claims in question have been paid in July, 1952 inspite of the fact that the payees and the remitters are both living in India ;

(d) if so, whether the Government of India have challenged the validity of such payments ; and

(e) whether such money order claims cannot be paid to the claimants on the indemnity bonds ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Money order accounts for the period prior to partition in respect of money orders issued from Post Offices now in Pakistan were maintained by the Deputy Accountant General, Delhi. The Deputy Accountant General, Delhi and not the Auditor General, Lahore (Pakistan) was required to prepare a list of money orders in respect of which credits were still outstanding. Therefore, no list of outstanding money orders issued prior to Partition was due to be received from the Auditor General, Lahore (Pakistan) by the P and T Audit, Delhi.

(b) According to the agreement reached with Pakistan at the Indo-Pakistan Conference in November, 1948, the initial liability in regard to pre-partition money orders outstanding on 31-3-48 devolved on the country in which the Post Office from where money orders were issued is located after Partition. Representations received for such outstanding claims would have been disposed of accordingly. In accordance with this decision, a list of money orders issued from Post Offices now in Pakistan in respect of which credits were outstanding with D.A.G. P and T, Delhi was furnished to Pakistan Audit in October, 1951. Claimants in respect of pre-partition money orders issued from Post Offices now in Pakistan, were instructed to prefer their claims with the Pakistan Administration.

(c) Enquiries made into a complaint relating to two money orders issued in Rawalpindi on 20-7-47 and 14-7-47 and payable in Poonch now under illegal occupation of Pakistan showed that the credits in respect of these two money orders were included in the list sent by the D.A.G., P and T Delhi to Pakistan. Consequent on a decision taken in 1960 according to which the country in which the claimant resides will accept the initial liability in respect of pre-partition money orders for which credits were outstanding, a reference was made to Pakistan Administration for settling the claim relating to the above two money orders. A reply was, however, received from Pakistan that payment had been made in respect of these two money orders by the issue of duplicates in 1952.

(d) No further enquiries could be made about the validity of the payments made by the issue of duplicate money orders as paid vouchers required for the purpose were not available and they had been destroyed in due course of time.

(e) The claim in respect of these two money orders cannot be satisfied even on indemnity bonds as credits are not outstanding. The payment on indemnity bonds is made only in regard to cases where the money is due but the identity of the payee cannot be clearly established.

राष्ट्रीय श्रम आयोग

6470. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री दामानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी

रिपोर्ट में सिफारिश की है कि यह वांछनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नियत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक राष्ट्रीय मजूरी आयोग स्थापित किया जाये;

(ख) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस आशय की सिफारिश सरकार से की है; और

(ग) क्या उस पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जी नहीं । अध्ययन दल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग, न कि सरकार, विचार करेगी । सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही विचार करेगी ।

Land Distribution in U.P.

6471. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 886 on the 25th July, 1968 and state the reasons for which the District-wise information for Uttar Pradesb has not been furnished by Collectors so far indicating the area of land acquired and distributed for cultivation after the imposition of ceiling on land holdings ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : A statement is laid on the Table of the House.

(**Placed in Library. See No. LT-1958/68**).

Crime Cases Relating to Food Department.

6472. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the statement laid on the Table on 29th May, 1968 in implementation of the assurance given in reply to the Unstarred Question No. 6364 on the 4th April, 1968 and state :

(a) the reasons for which 8 branches of the Crime Investigation Department, dealing with investigation of crimes pertaining to matter under the Department of Food, have been closed down with effect from the 1st March, 1968 ;

(b) the names and addresses of the persons who have been detected as criminals by the said Crime Investigation Department in cases of smuggling of foodgrains and hoarding etc ; and

(c) the names, designations and addresses of the persons (i) who have been awarded punishment by courts, (ii) who have been recommended for cancellation of their licences, (iii) who are under court trial and (iv) whose cases are being investigated into ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Information is being collected from the U.P. Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(b) and (c): Information will have to be collected from U.P. Government who will have to compile it from the concerned Districts. Even after information is compiled, the information will be bulky. It is submitted that the time and labour spent not be commensurate with the result sought to be achieved.

नंगल फर्टिलाइजर कर्मचारी संघ

6473. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नंगल फर्टिलाइजर कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कर्मचारियों की मांगे दी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं, और

(ग) कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

माडर्न बेकरी में लायसीनी का प्रयोग

6474. **श्रीमती तारा सप्रे** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलायी जा रही माडर्न बेकरी में प्रयोग में लाने के लिये लायसीनी खरीदने पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या इस की डबल रोटी को अधिक पोषक बनाने के लिये पोषणिक और खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों (क्रमशः हैदराबाद और मैसूर के) से सलाह की गई थी ; और

(ग) लायसीनी मिलाने और आस्ट्रेलिया के इस बारे में सूत्र को अपनाने से पहले सरकार ने भारत में पोषण के किन अधिकारियों से सलाह की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) माडर्न बेकरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रयोग में लाई गई लायसीनी को नीदरलैंड सरकार ने भारत सरकार को उपहार के रूप में दिया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में उनसे परामर्श नहीं किया गया था ।

(ग) लायसीनी को डबल रोटी में मिलाने के बारे में भारत के पोषण-विशेषज्ञों तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था । यह आस्ट्रेलियन सूत्र के अनुसार नहीं दिया गया है ।

Road Tax Charged on Trailors Attached to Tractors

6475. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri P. L. Barupal** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that road tax is not charged in most of the States in the country on the trailors attached to tractors ;

(b) whether it is also a fact that some tax is imposed on such trailors in Uttar Pradesh and Rajasthan ;

(c) whether a decision is likely to be taken not to impose tax on trailors even in Uttar Pradesh and Rajasthan on the basis of recommendations made at the meeting of Transport Development Council held in the last week of June, 1968 ; and

(d) if so, the time by which a decision would be taken in this regard ?

Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. However, several States grant concession in tax on tractor-trailor combination when they are used solely for transporting agricultural produce.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) : At the seventh meeting of the Transport Development Council held at Mysore on the 24th and 25th June, 1968, it was noted that several State Governments were already granting concession in tax on motor vehicles including tractor-trailor combinations used for agricultural purposes. The Council commended this practice to the other State Governments also. The Government of Uttar Pradesh have exempted tractor-trailor used for transporting agricultural produce from tax to the extent of two thirds of the amount leviable on such combinations. The Government of Rajasthan are levying a nominal tax viz. Rs. 20 for tractors and Rs. 40 for every trailor attached to a tractor. No distinction has been made in Rajasthan between tractor-trailors used for transporting the agricultural produce of owners of such combinations and that of other persons.

Tata Electric Locomotive Co. Workers

6476. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great discontentment among the workers in Tata Electric Locomotive Company since their grievances have not been redressed ; and

(b) if so, whether Government propose to appoint a Commission to enquire into the grievances of these workers ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) : As there have been frequent work stoppages in different sections of the Company, the Government of Bihar have under consideration a proposal to constitute a Court of Inquiry to enquire into the matter.

Lands with Tatas

6477. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be please to state :

(a) whether it is a fact that the Tata Company owns large tracts of lands in Jamshedpur ;

(b) whether it is not in contravention of law in view of the abolition of zamindari system in Bihar ;

(c) whether Government have received complaints to the effect that the Tata Company is taking such steps as will result in uprooting the persons settled in Jamshedpur ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) Lands in Jamshedpur were acquired for the Tata Iron and Steel Co. by the Government of Bihar under the Land Acquisition Act, 1894 for industrial purposes. These lands were exempted from the provisions of Bihar Land Reforms Act, 1950 by insertion of

Section 2-B under the Bihar Lands Reform Amendment Act, 1960. A proposal for bringing such lands within the purview of the Bihar Land Reforms Act is under consideration of the State Government.

(c) No.

(d) Does not arise.

खाद्यान्नों का संग्रह

6478. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों का संग्रह करने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये राज्यों को प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाती है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि खाद्यान्नों के संग्रह में प्रतिवर्ष होने वाली हानि को कम करने में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं किस हद तक सफल रही हैं ; और

(ग) वर्ष 1968–69 में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली नई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्नों के संग्रह के लिये दी गयी वित्तीय सहायता को बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1959–68] सहायता की व्यवस्था सामान्य रूप से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1968-69 के दौरान, केन्द्रीय सरकार का 2.15 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्नों के लिये संग्रह क्षमता बनाने का विचार है। राज्य सरकारों ने 403 ग्राम-गोदामों तथा 287 विपणन गोदामों के निर्माण के लिये अपने बजटों में केन्द्रीय सरकार से 80.223 लाख रुपये की सहायता का उपबन्ध कर रखा है।

संश्लिष्ट भोजन

6479. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स में 13 मई, 1968 को "कटिबन्ध के लिये संश्लिष्ट भोजन" शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में अनुचित दोषाहार को रोकने हेतु इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : ऐसे उत्पादों का इन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पहले ही विकास किया जा चुका है, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रथम खोज के कार्य किये हैं ; तथा अधिक प्रोटीन वाले खाद्यों का उत्पादन करने के लिये हमारे देश के पास काफी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। तथापि परीक्षण हेतु उस उत्पाद का एक नमूना मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रयोगशाला से प्राप्त कर लिया गया है।

प्रमाणित बीज का उत्पादन

6480. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारी फसल के बावजूद प्रमाणित बीज का प्रति एकड़ उत्पादन कम रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1967–68 की अवधि में प्रमाणित बीजों के उत्पादन और विधायन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल-पर रख दी जायगी।

फिर भी कहा जा सकता है कि प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्य राज्यों के कृषि विभागों का है। राष्ट्रीय बीज निगम, भारत सरकार का संस्थान है और वही संकर किस्मों के बीज की सप्लाई के लिये जिम्मेदार है। वह इस समय सारे देश के लिये (सिवाय गुजरात और उत्तर प्रदेश के) बीजों का प्रमाणीकरण कर रही है। उत्पादकों, खेतों और उत्पादन आदि के अन्य पहलुओं के चुनाव के बारे में राज्यों के कृषि विभाग कार्य कर रहे हैं।

काले धब्बे वाला मैक्सीकन गेहूं

6481. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काले धब्बे वाला मैक्सीकन गेहूँ मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस गेहूँ की किस्म को सुधारने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं, और

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों को हिदायतें दी गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नहीं, अभी तक मनुष्यों द्वारा इस किस्म के गेहूँ खाने से स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के बुरे प्रभाव के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) अभी तक रोग ने कोई गम्भीर कठिनाई पैदा नहीं की है, किन्तु फिर भी इस रोग का प्रतिरोध करने वाली किस्मों के विकास के लिये कार्य चल रहा है। कुछ लम्बी भारतीय किस्में,

जिनमें इस रोग के प्रति काफी प्रतिरोध हैं, का मैक्सीकन गेहूँ के साथ गुणन संम्मिलन में प्रयोग किया गया है और आशा है कि इसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली **वामन** किस्मों में 'काले निशान' के प्रति पर्याप्त प्रतिरोध होगा।

(ग) राज्य सरकार सन् 1967-68 में हुई बीमारी की घटना से पहले ही परिचित है। इस बीमारी के प्रति प्रतिरोध रखने वाली गेहूँ की किस्मों का विकास करने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के केन्द्रों में प्रजनन के कार्य का एक उचित कार्यक्रम बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का पुनर्वास

6482. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के श्री माओ शास्त्री समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका से अब तक कितने भारत-मलक व्यक्ति भारत आये हैं; और

(ख) उन्हें किन-किन स्थानों में बसाया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) भारत श्री लंका समझौता, 1964 के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1968 तक 5497 लोग श्री लंका से भारत लौटे हैं।

(ख) ये व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा से, पिछले चार वर्षों में भारत आये हैं, भारत में आकर ये लोग अपने मनपसन्द स्थानों में इधर-उधर बिखर गये हैं तथा राज्य सरकारों के पास उनके रहने सहने के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा, वह इस जानकारी को प्राप्त करने के परिणामों से कहीं अधिक होगा।

F.C.I. Stock of Wheat and Paddy in Gangapur

6483. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an old stock of several thousand bags of wheat and paddy belonging to the Food Corporation of India is lying in Gangapur City in Rajasthan ;

(b) if so, the reasons therefor and the quantity of wheat and paddy in stock separately ; and

(c) whether these foodgrains have become unfit for human consumption ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Except for a small residuary stock of about 71 tonnes of old paddy, no other old stocks of wheat and paddy belonging to the F. C. I. is lying in Gangapur City. This paddy was purchased by the Corporation under the right of pre-emption on behalf of the State Government and is lying

unmilled because due to fall in prices the State Government is not lifting the rice made out of this paddy.

(c) No, Sir.

Installation of P.C.Os. and Telephone Exchanges in Rajasthan

6484. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several schemes about installation of telephone exchanges and Public Call Offices in Rajasthan, particularly in Jaipur Division are lying in cold storage because of the shortage of telephone equipment wires and poles ; and

(b) if so, the action being taken by Government to meet this shortage ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): No. Equipment for 35 small automatic and 6 manual exchanges have already been allotted to the Rajasthan Circle and are in various states of progress. Schemes for P.C.Os. which have been sanctioned are also in satisfactory progress.

There are some shortages in respect of wires and cables and the deptt. is taking action to procure these.

हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचन

6485. **श्री रा० को अमीन : श्री नन्दकुमार सोमानी :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में हाल के मध्यावधि निर्वाचन में प्राधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बारे में कई ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्राधिकारियों के इस अभिकथित हस्तक्षेप के बारे में कोई जाँच कराई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, हां ।

(ख) से, (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1969-68)

राज्यों में खाद्य का उत्पादन

6486 : **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में असन्तोषजनक वर्षा के परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितना खाद्य उत्पादन कम हुआ है;

(ख) बहुत से क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ों के कारण खाद्य उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ग) 1968-69 के लिये विभिन्न खाद्यानों के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यों पर उत्पादन में हुई कमी का क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अभी 1968 69 में खाद्यानों के उत्पादन के बारे में कोई परिमाणात्मक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि देश के अधिक भागों में अभी तक बुवाई हो रही है।

(ख) सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय द्वारा 26-8-68 को लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत दूसरे पूरक विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) उपरोक्त (क) में दिये उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

Schemes for Increasing Milk Production

6487. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the views of experts, the vegetarians should take on an average 30 ounces of milk per capita to get the required quantity of Protein while the present average is only ten ounces ; and

(b) if so, the schemes proposed to be included in the Fourth Five Year Plan to increase the production of milk three times for the present population and to produce more milk for the increasing population and the estimated target fixed thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

(b) It is not considered feasible to increase milk production in the IV Five Year Plan to a level higher than 6 ounces per capita per day. The Estimates Committee of the 3rd Lok Sabha in their 110th report had made the following observations :—

> "The Committee hoped that concerted efforts will be made to increase the production of milk in the country so that the minimum requirement of 6 ounces (170 gms.) per capita may be achieved in the IV Plan period." The need for increasing the production of milk for the increasing population is well reeognised. Both the Central and State Governments have taken up a number of schemes on cattle and dairy development under the Five Year Plans. Some more important cattle development schemes which have a direct bearing on milk production are :—

1. All India Key-Village Scheme.
2. Intensive Cattle Development Scheme.
3. Cross Breeding Scheme.
4. Feeds and Fodder Development Scheme.
5. Goshala Development Scheme.
6. Calf Rearing Scheme.
7. Strengthening and expansion of Livestock Farms.
8. Cattle Shows and Milk Yield Competition.
9. Wild and Stray Cattle Catching Scheme.
10. Disease Control Programme.

(a) Increase in number of veterinary hospitals and dispensaries.

(b) Rinderpest Eradication Scheme.

(c) Expansion of Biological Products laboratories for production of vaccines and sera.

With the implementation of these schemes proposed in the IV Five Year Plan, milk production may go up to 31.5 million tonnes. Thus the daily per capita availability of milk may increase from the present level of 135 gms. to 145 gms. by the end of 1973-74 when the human population is expected to be approximately 600 million.

Ayesha Tractor India Ltd. Faridabad

6488. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tractors being manufactured and sold by Ayesha Tractor India, Limited, Faridabad are of old design and of inferior quality ; and

(b) if so, the reasons for selling Ayesha tractors of inferior quality at a high price ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**): (a) The Government have not received any complaint that the tractors manufactured by Eicher Company, Faridabad, are of old design and of inferior quality. They are being manufactured to the design of a reputed foreign manufacturer.

(b) Does not arise.

Compensation for Acquiring Land

6489. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleasad to state :

(a) whether it is a fact that compensation is not paid to farmers at market price on acquiring their agricultural land, where as price is paid at market rates on the nationalisation of an industry ; and

(b) if so, the reasons therefor and the future policy to be adopted by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) In accordance with Section 23(1) of the Land Acquisition Act, 1894, compensation for lands acquired for public purpose, including agricultural land, is paid on the basis of the market value on the date of publication of the notification under Section 4(1). In addition, the land-owner is paid solatium at 15% of the market value.

(b) Does not arise.

ट्रैक्टरों का किसानों को किराये पर दिया जाना

6490. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है "कि काश्तकार के लिये भूमि" कानूनों के परिणाम स्वरूप जमीनों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाने के कारण छोटे एककों के मालिक खेती के लिये ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते;

(ख) क्या ऐसे छोटे किसानों के लिये जो आजकल बैल अथवा खेतिहर मजदूरों की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, सरकार का विचार जिला-कस्बों में ट्रैक्टर किराये पर देने की व्यवस्था करने का है;

(ग) यदि हां, तो विचाराधीन किसी ऐसी योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भूमि की प्रति एकड़ निम्न औसत उपलब्धि और छोटे खेतों की संख्या का बाहुल्य भूमि पर आबादी के अत्याधिक दबाव के कारण है। जिस सीमा तक भूमि सुधार तरीके स्वामित्व एवं खेती करने के संकेन्द्रण को कम करते हैं, उस उप पार्श्वीय दल में कृषकों के अनुपात को यह कम करता है। अतः भूमि सुधार तरीके छोटे खेतों की संख्या बढ़ाने के जिम्मेदार नहीं होते। जोत-विखण्डन की समस्या खेत के औसत आकार या जोतों के उपविभाजन से स्पष्ट है जहाँ स्वाम्याधिकार खेती के उप विभाजन के लिये सहभागीदारों में विभाजित हो जाते हैं, जहाँ स्वामी द्वारा अधिकृत भूमि को विभिन्न काश्तकार करते हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि जोत-विखण्डन मशीनी खेती में बाधा डालता है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिये कितने ही राज्यों में जोतों की चकबन्दी का कार्यक्रम हाथ में ले लिया गया है।

(ख) एवं (ग) : अनेक राज्यों में राजकीय क्षेत्र में स्थापित किये गये कृषि उद्योग-निगम को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे किराये पर ट्रैक्टर सेवासुविधायें प्रदान करें। विस्तृत योजनायें तैयार की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

खेमकरण में लोगों का पुनर्वास

6491. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान खेमकरण में नष्ट हुए निजी मकानों की क्या संख्या है ;

(ख) सरकार द्वारा पुनः निर्मित निजी मकानों की संख्या अथवा उन मकानों के पुनर्निर्माण के लिये सरकार द्वारा दी गई नकद सहायता की धनराशि क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि जिस ढंग से पुनर्वास का कार्य चल रहा है, उस पर सैकड़ों मकान-मालिक बड़े निराश हैं तथा बहुत ही शिकायतें कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस समय तक इन पीड़ितों को पुनर्निवास मिल जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) अगस्त–सितम्बर, 1965 में हुए भारत-पाक संघर्ष में खेम-करण कस्बे में 1640 गैर सरकारी मकान टूटे थे अथवा नष्ट हुए थे।

(ख) सरकार ने अपनी योजना के अन्तर्गत टूटे अथवा नष्ट हुए मकानों की मरम्मत अथवा पुनर्निमाण के लिये केवल आर्थिक सहायता दी है तथा यथार्थ में निर्माण कार्य मकान मालिकों को

ही स्वयं करना है। इस योजना के अधीन अब तक 1546 मकानों के लिये कुल 33.03 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

(ग) और (घ) जब कि आवास सम्बन्धी इस कार्य-क्रम के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे 90 मामले हैं जिनमें मकान बनाने की सहायता के दावेदारों ने निष्क्रान्त सम्पत्ति पर कब्जा किया हुआ था। अभी हाल ही में उनके दावों के बारे में निश्चय किया गया है तथा उनको भी आवास सम्बन्धी सहायता प्रदान की गई है। आशा है कि अक्तूबर, 1968 के अन्त तक उन्हें आवास सम्बन्धी सहायता की पहली किश्त प्राप्त हो जायेगी। दूसरी किश्त का भुगतान इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक मकान आधा बन गया है।

भारत के विदेशों में दूतावासों में वैज्ञानिकों की नियुक्ति

6492. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय को विदेशों में भारतीय दूतावासों में कुछ वैज्ञानिक नियुक्त करने के लिए लिखा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र राज्य चावल मिलें

6493. **श्री देवराव पाटिल** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के लिये सरकार ने कितनी चावल मिलों की मंजूरी दी है और राज्य सरकार द्वारा जिलेवार उनके आवंटन का ब्योरा क्या है ;

(ख) उन में से कितनी चावल मिलें सहकार समितियों को आवंटित की गई ; और

(ग) नई चावल मिलें स्थापित करने के बारे में महारा य की माँग क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार हर राज्य में धान के मिलों की स्वीकृति नहीं देती। धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम 1958 के अधीन धान के मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने के अधिकार राज्य सरकारों को दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य को 64 धान मिल आबंटित किये गये। इनका जिलावार आबंटन इस प्रकार हुआ ; भंडारा—10, चन्द्रपुर—9, नागपुर—7, कोलाबा—14, नासिक—3, धूलिया—1, उस्मानाबाद—1, पूना—3, सातारा—2, संगली—1, कोल्हापुर—5, अहमद नगर—1, अलीभाग—2, थाना—4 तथा वर्धा—1

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, नये धान मिल स्थापित करने के लिये

लाइसेंस प्रत्यायुक्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं, केन्द्र द्वारा नहीं। तथापि महाराष्ट्र सरकार ने प्रार्थना की है कि खाद्य निगम द्वारा स्थापित किये जा रहे नये नमूने के धान-मिलों में से एक मिल उस राज्य में स्थापित किया जाये; परन्तु उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

Development of Ware-Houses in Rural Areas

6494. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether schemes for the development of ware-houses for farmers in rural areas for proper storage of agricultural products, particularly foodgrains have been prepared ;

(b) whether an assurance was given by him in Parliament last year to implement such schemes ; and

(c) if so, when the schemes are likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The following schemes are either already in progress or likely to be implemented shortly :—

(i) A programme for constructing warehouses by the cooperatives and marketing societies under the Centrally aided State Plan Schemes/Centrally Sponsored Special Development (Crash) Programme for construction of small godowns is in progress. Upto the end of 1967-68, godowns with a capacity of 2.5 million tonnes had been constructed under this programme. These included 3,500 mandi level and 15,000 rural godowns. Proposals for the Fourth Plan under this programme are being formulated.

(ii) Two schemes have been prepared in the nature of pilot projects. One of these is for U.P. in collaboration with the Pesticides Association of India and the State Government for providing 20 metal bins of 6 tonnes capacity each to farmers as a gift. The other is in collaboration with the Freedom From Hunger Campaign and Agriculture University, Andhra Pradesh for improving storage conditions in four villages of Andhra Pradesh. The former scheme has already been implemented and the latter will commence shortly.

ज्वार का अधिकतम खरीद मूल्य

6495. **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने ज्वार की खरीद के लिए ज्वार का अधिकतम खरीद मूल्य निश्चित कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने कृषि जिन्स मल्य आयोग की इन सिफारिशों पर विचार किया है कि ज्वार के लिए निश्चित किया गया अधिकतम मूल्य हटाया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी नहीं। निश्चित मूल्यों पर क्रय किया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र के ज्वार के अधिकतम खरीद मूल्य निश्चित नहीं किये गए हैं। अतः इन्हें हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के डाकघरों में स्थान तथा सुविधाओं का अभाव

6496. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, विशेषकर पुरानी दिल्ली में डाकघरों में जिन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वे इन डाकघरों में बढ़े हुये काम काज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि कई डाकघर किराये पर लिए गये पुराने तथा अनुपयुक्त मकानों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो बढ़े हुए काम काज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा दिल्ली नगर में पुराने डाकघरों के लिए उपयुक्त मकानों का प्रबन्ध करने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली के डाकघरों में आधारभूत डाक सुविधायें प्रदान की जाती हैं। तथापि, विशेष रूप से पुरानी दिल्ली में स्थानाभाव के कारण बड़ी कठिनाई है।

(ख) जी हाँ।

(ग) (1) इस समय तंग स्थानों में चल रहे डाकघरों के लिए किराये पर यथोचित मकान लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ; तथा (2) वर्तमान डाकघरों में भोड़ को कम करने के लिए अन्य डाकघर खोले जा रहे हैं।

वन एवं ईंधन के काम आने वाले वृक्ष लगाना

6497. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में गांवों में बड़े पैमाने पर वन एवं ईंधन के काम आने वाले वृक्ष लगाने संबंधी कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित होगा अथवा इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी भाग लिया जायेगा ;

(ग) कार्यक्रम को किन राज्यों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि कार्यक्रम में राज्यों द्वारा भी भाग लिया जाता है तो इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) कृषि विभाग द्वारा स्थापित वन विज्ञान सम्बन्धी सब-ग्रुप ने अस्थाई तौर पर 500 लाख रु० के खर्च का सुझाव रक्खा है। किन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) : अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Labour Officers

6498. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5610 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether the Labour Officers, who have been continuously working in the Central Pool, Delhi for the last more than four years, have since been transferred ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) Out of the five officers who had exceeded their term of 4 years in one establishment in Delhi, two Officers have since been transferred and have joined their new posts ; the transfer orders of the third have been issued but his employers have pleaded for a little more time until a substitute in his place can be recruited by them through the Union Public Service Commission. As for the two remaining officers, as already stated in reply to question No. 5610, their shifting at this stage will not be of advantage to the officers of the Pool.

Complaints re.delay of Telegrams and Trunk Calls

6499. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the usefulness of ordinary telegrams and ordinary trunk calls when even urgent telegrams and trunk calls are delayed inordinately ;

(b) whether complaints have been received about slackness in the efficiency of Posts and Telegraphs Department for the last several years ;

(c) whether it is a fact that even Members of Parliament have to wait for a long period in order to contact their home towns and the constituencies ; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Ordinary telegrams and ordinary trunk calls are useful on account of their cheaper rates as compared to the rates for urgent telegrams and trunk calls. Telegrams or trunk calls are not delayed inordinately except on congested routes and during periods of interruptions, especially on routes involving one or more transit stations.

(b) Complaints about slackness are in fact showing a downward trend. The percentage of complaints regarding delay in delivery of telegrams to the total traffic was 0.035 in 1965-66, 0.037 in 1966-67 and 0.026 in 1967-68. Similar improvement has been noticed in respect of trunk calls also. The percentage of complaints regarding delay to trunk calls to the total number of complaints against the telephone service has decreased from 3.55 during the quarter ending on 30-6-67 to 1.62 during the quarter ending on 31-3-68.

(c) No preferential treatment is accorded to Members of Parliament as such and their calls suffer delay to the same extent as other traffic of similar categories.

(d) Action to improve the flow of traffic is being taken by providing large blocks of circuits subject to availability of resources through co-axial and Microwave systems, by introduction of point to point STD and National subscriber Dialling Service and by making provision of direct circuits to various places.

Import of Foodgrains Under PL.480.

6500. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the date by which a decision would be taken to stop the import of foodgrains under PL.480 in view of the improvement of the food situation in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (**Shri Annasahib Shinde**) : It is the view of the Planning Commission that all imports of foodgrains under concessional terms such as under PL. 480, should cease within the next three years. Government welcomes the approach of the Planning Commission and no concessional imports of foodgrains are envisaged beyond 1970-71.

मार्ग में खाद्यान्नों की क्षति

6501. **श्री ओंकार लाल बोहरा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर पड़े रहने तथा खुले डिब्बों में ढुलाई के कारण खाद्यान्नों की इस वर्ष कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) इनको गोदामों में एकत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) इस वर्ष रेलों में ढुलाई में नष्ट हुए खाद्यान्नों का पूरा अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। फिर भी यह क्षति रेल द्वारा ढोये गए माल की मात्रा में 0.15% से अधिक नहीं होगी।

(ख) विभिन्न स्थानों को भेजे गए खाद्यान्नों को भली प्रकार एकत्रित किया गया है।

Sugar and Sugarcane Production

6502. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the facilities being extended to the sugar mills in Uttar Pradesh for increasing sugar production ; and

(b) the steps being taken to increase irrigational facilities with a view to increase sugarcane production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) The following facilities have been extended to the sugarcane mills in India including those in Uttar Pradesh during 1967-68 for increasing sugar production :--

(1) They are being permitted to sell about 40 per cent of the sugar produced during 1967-68 for sale in the open market.

(2) A rebate of 50 per cent of the basic excise duty on sugar has been allowed to factories on such production of sugar from 1st October 1967 to 30th September, 1968, as is in excess of 80 per cent of the production achieved during the period from 1st October, 1966 to 30th September, 1967.

(b) : (1) The State Government is earmaking funds both for loans and subsidy for increasing irrigational facilities in sugarcane areas.

(2) A number of institutions e.g. Land Development Bank, Agro-Industrial Co-operative Banks, Agricultural Co-operative and Commercial Banks advance loans to the farmers for minor irrigation works.

(3) State Government proposes to prepare a special scheme for minor irrigation in gate areas of the sugar factories and in important centres. The scheme is proposed to be financed through Land Development Banks.

House Building Cooperative Societies in Delhi

6503. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of House-Building Co-operative Societies in Delhi at present, the terms and conditions on which land has been allotted to them and also those to which loans have been advanced ; and

(b) the action taken so far against the societies which have indulged in malpractices in the name of housing Co-operatives ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There are 285 House Building Cooperative Societies in Delhi at present. No loans have been advanced to any society under the housing loan schemes of the Central Government.

The rates at which lands are allotted to a society vary from one area to another depending upon the cost of acquisition and other factors. The land is given in the beginning to the society only on a licence to enter upon the land in terms of the agreement under which the society is required to carry out the development within a period of three years in accordance with the layout and service plans sanctioned by the competent local authority. After the development of land has been carried out by the society in accordance with the sanctioned plan and a certificate to this effect has been obtained from the competent local authority, perpetual lease is executed in favour of the society after which the society submits its proposals for allotment of land to its individual members who fulfil the conditions of allotment. The individual members are required to execute an affidavit that he/she does not own a house/plot in Delhi, New Delhi, or Delhi Cantonment either in his/her name or in the name of his/her wife/husband or depending children. After the execution of the sub-lease the lease hold rights of the plot pass on to the individual. In the perpetual sub-lease it is **inter alia** provided that the sub-lease will not be permitted to sell his/her/or create any interest in it without the approval of the Lt. Governor.

(b) In cases of irrigularities, coming to notice, enquiries were instituted and where embezzlement or misappropriation of funds was detected, cases were reported to the police for further action. In appropriate cases action was taken in accordance with the Cooperative Societies Act/Rules in force in Delhi.

Production of Foodgrains in Bihar

6504. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foodgrains production in Bihar is less than the requirement of that State ;

(b) if so, the quantity by which the production of foodgrains falls short of the annual requirement of that State ;

(c) whether it is a fact that the Kharif and Rabi Crops were very good in Bihar last year ;

(d) whether the food production was more than the requirement in Bihar last year ;

(e) if so, the quantity of surplus foodgrains produced ;

(f) whether surplus production has shown its impact on the market prices ; and

(g) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) **and** (b) : Requirements of foodgrains depend upon a number of factors, such as, changes in population, variations in consumption level of the people on account of the rise in per capita income, food habits of the people and the availability of subsidiary and substitute foods. In India, all these factors are constantly changing. In view of this and in the absence of any scientific surveys regarding consumption of foodgrains, it is difficult to estimate requirements even of the country as a whole and not to speak of any individual States. However, on the basis of the pattern of Government distribution of foodgrains during the last few years, it can be said that taking all foodgrains together production in Bihar has been less than the requirements of that State, though the quantity by which the production fell short of the annual requirements cannot be estimated with any degree of accuracy.

(c) : Yes, Sir.

(d) **and** (e) : On the basis of Government distribution, production of foodgrains in Bihar last year was not more than the requirements.

(f) **and** (g) : With the good production, though it cannot be said to be surplus to requirements, market prices of foodgrains came down substantially. A statement giving wholesale market prices of foodgrains at selected centres of Bihar is attached.

(Placed in Library, See No. LT-1961-68)

कम्प्यूटरों का आयात

6505. **श्री जुगल मन्डल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से कम्प्युटरों के आयात के सम्बन्ध में किसी नई योजना को मन्जूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) संगणकों का आयात करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की जांच करने की प्रक्रिया श्रम और रोजगार विभाग में अक्तूबर, 1966 से चली आ रही है ।

इस प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रोनिक संगणक का आयात प्राधिकृत करने से पहले श्रम और रोजगार विभाग से परामर्श करना आवश्यक है । किसी प्रतिष्ठान द्वारा संगणक के प्रस्तावित आयात

के सम्बन्ध में सरकार को सूचना प्राप्त होने पर, उस प्रतिष्ठान में आंकड़ा तैयार करने वाली पहले ही लगाई गई मशीनों, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, संगणक से कराये जाने वाले कार्यों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं से किए जा रहे कार्य की मात्रा, इसमें कितना कार्य मशीनों से और कितना कार्य हाथों से किया जाता है, तथा संगणक लगाने से वर्तमान रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में सही सूचना एक निर्धारित फार्म में एकत्र करने के लिए कार्यवाही की जाती है। स्थानीय प्रबन्धकों, कारखाना स्तर की यूनियनों, संबन्धित केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगणन तथा राज्य श्रम आयुक्त से भी परामर्श किया जाता है। जब श्रम और रोजगार विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संगणक आयात करने की आवश्यकता है और यह कि आयात से रोजगार स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वित्त और वाणिज्य मन्त्रालयों से विदेशी मुद्रा दिलाने और आयात लाइसेन्स जारी करने के बारे में सिफारिश की जाती है।

बनों पर आधारित उद्योगों का विकास

6506. **श्री जुगल मंडल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों पर आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वनों पर आधारित बड़े उद्योगों का विभाग जैसे प्लाईवुड, फायबोर्ड, कण-तख्ते दियासलाई कागज, लुग्दी तथा अखबारी कागज के विकास का काम योजनाबद्ध आधार पर लिया गया है। निम्नांकित तालिका में, वर्ष 1950-51, 1967-68 में इन उद्योगों के उत्पादन, तथा वर्ष 1973–74 में अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है :

उद्योग का नाम	इकाई	1950-51	1967-68	1973-74
प्लाईवुड	घन मीटर	20,412	105,868	210,000
फायर बोर्ड	मीट्रिक टन	—	*12,485	40,000
कण तख्ते	मीट्रिक टन	—	*7,720	40,000
दियासलाई	50 तालियों वाली 10 लाख डिब्बियां	3,900	8,323	11,500
कागज तथा गत्ता	हजार टन में आंकड़े	114	625	960
अखबारी कागज	"	—	31	260
रेयन के स्तर की लुग्दी	"	—	56,869	150

*इन दोनों उद्योगों में वर्ष 1961 में उत्पादन आरम्भ हुआ था। उस वर्ष फायर बोर्ड का उत्पादन 9,000 टन तथा कण-तख्ते का 740 टन हुआ था।

(2) देश में संसाधनों तथा संबद्ध वन-आधारित उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से वन संसाधनों का पूंजी लगाने से पूर्व सर्वेक्षण करने के लिये एक परियोजना स्वीकार की है। इस परियोजना की रिपोर्ट सम्भवतः इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेगी।

आदिवासियों से धान की वसूली

6507. **श्री कार्तिक उरांव :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि जलपाईगुड़ी जिले के समुक्तला ब्लाक के आदिवासी मुजारों को कोई मूल्य दिये बिना ही उनसे धान की वसूली की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खण्ड विकास अधिकारी घर वालों की अनुपस्थिति में मकानों के दरवाजे तोड़कर धान एकत्रित कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिम जातियों के शिक्षित लोगों के लिये चाय बागानो में और सरकारी दफतरों में रोजगार

6508. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और आसाम में चाय बागानों के क्षेत्रों के आदिम जातियों के शिक्षित युवकों को पश्चिम बंगाल तथा आसाम के सरकारी कार्यालयों और चाय बागानो के कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है;

(ख) यदि हाँ, तो आदिम जातियों के शिक्षित युवकों को रोजगार के समुचित अवसर दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय पश्चिम बंगाल और आसाम सरकारों के कार्यालयों में और चाय बागानो के कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या में आदिम जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत है ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चू० जमीर) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के बारे में उपलब्ध विवरण संलग्न है। असम के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार, सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिये, चाय बागानों के क्षेत्र के आदिम जाति के उम्मीदवार और राज्य के दूसरे क्षेत्रों के आदिम जाति के उम्मीदवारों में कोई भिन्न-भेद नहीं करती। उनके अनुसार, राज्य में आदिम जाति के शिक्षित उम्मीदवारों की कमी है जिससे सरकारी सेवाओं में आदिम जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान कुछ अंश तक भरे नहीं जाते हैं।

(ख) आदिम जाति के शिक्षित युवकों को उपयुक्त रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित उपाय अपनाये हैं अथवा अपनाने का सुझाव दिया है।

(1) पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) और अन्य सरकारी सेवाओं में वर्ग II, III और IV के पद, जिनके वेतनमान 650/-रुपये प्रति माह तक हैं, पांच प्रतिशत तक आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित कर दिए गये हैं।

(2) प्रत्येक विभाग में आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति को सम्भव बनाने के लिए, सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के सुझाव पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

(3) चाय बागानों के क्षेत्र में आदिम जाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति सहायता दिलवाने के लिए रोजगार सेल स्थापित करने का सुझाव भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) 31 मार्च, 1966 को पश्चिम बंगाल सरकारी कार्यालयों के कुल कर्मचारियों में आदिम जाति के उम्मीदवारों का प्रतिशत।

पद	कुल कर्मचारी	आदिम जाति के कर्मचारी	
		संख्या	प्रतिशत
(1) राजपत्रित पद	7,743	20	0.26
(2) अराजपत्रित पद (वरिष्ठ सेवा)	165,560	2,009	1.76
(3) अराजपत्रित पद (अवर सेवा)	81,563	1,578	1.90

धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उड़ीसा सरकार का विधान

6509. श्री **कार्तिक उरांव** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एक अधिनियम पारित किया है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करके, उस पर दबाव डाल कर या 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के धर्मपरिवर्तन को दाण्डिक अपराध बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी संगृहीत की जा रही है।

Mid-Term Eleetions in West Bengal, U.P. and Bihar

6510. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the Election Commission have fixed dates for holding mid-term Elections in West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar ;

(b) if so, the dates on which these Elections would be held ;

(c) whether the Election Commission have consulted the various political parties in each of these States before fixing the dates ;

(d) if so, the opinions expressed by the various parties and the names of the political parties which had been called from each State for consultation ;

(e) whether in the meetings held with the political parties, discussions were also held in regard to conducting the elections in a free and impartial manner ;

(f) if so, the details thereof ; and

(g) the estimated expenditure to be incurred on the elections in each State ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) and (b) The Election Commission has tentatively decided to hold the poll in the State of West Bengal in November, 1968 and in the States of Uttar Pradash and Bihar in February, 1969. The exact dates of the poll have not yet been finalised.

(c) Yes, Sir.

(d) In West Bengal all the political parties and groups except one unrecognised party-namely Revolutionary Communist Party of India (Tagore) agreed to the poll being held in November, 1969.

In Uttar Pradesh and Bihar there was unanimous agreement that the mid-term elections should be held in February, 1969.

Invitations were sent by the Chief Electoral Officer of the States concerned to all the political parties/groups, both recognised and unrecognised, to attend the meetings. Names of the parties/groups which attended the meetings are :--

(A) West Bengal :

1. Indian National Congress.
2. Communist Party of India.
3. Communist Party of India (Marxist).
4. Swatantra Party.
5. Bhartiya Jana Sangh.
6. Praja Socialist Party.
7. Samyukta Socialist Party.
8. Forward Block.
9. Bhartiya Kranti Dal.
10. Revolutionary Socialist Party.
11. Bharatiya Depressed Caste League.
12. National Party of Bengal.
13. Jharkhand Party.

14. Progressive Muslim League.
15. Workers Party of India.
16. People's Democratic Front.
17. Forward Block (Marxist).
18. Lok Sevak Sang.
19. Revolutionary Communist Party of India.
20. Hindu Mahasabha.
21. Indian National Democratic Front.
22. Revolutionary Communist Party of India (Tagore).
23. Socialist Uunit Centre.
24. Bolshevik Party of India.
25. Independent Front.

(B) **Bihar** :

1. Indian National Congress.
2. Communist Party of India.
3. Communist Party of India (Marxist).
4. Praja Socialist Party, Bihar.
5. Samyukta Socialist Party (Two groups).
6. Bhartiya Jana Sangh.
7. Reputlican Party of India (Two groups).
8. Jharkhand Party (two groups).
9. Backward Classes Party of India (Bihar State Unit).
10. Backward Classes Party of India (two groups).
11. Shoshit Dal (two groups).
12. All India Jharkhand Party.
13. Socialist Unity Centre.
14. Forward Block.
15. Jankranti Dal, Bihar.
16. Bhartiya Kranti Dal, Bihar (three groups).
17. Lokantrik Congress, Bihar.
18. Janta Party, Bihar.
19. Good Men's Party.
20. Akhil Bhartiya Richhne Vang.

(C) **Uttar Pradesh** :

1. Indian National Congress.
2. Bhartiya Jana Sangh.
3. Samyukta Socialist Party.
4. Praja Socialist Party.
5. Swatantra Party.
6. Communist Party of India.

7. Communist Party of India (Marxist).
8. Bhartiya Kranti Dal.
9. Republican Party of India.
10. Republican Party of India (Ambedkerite).
11. Socialist Party.
12. Forward Block.
13. Mazdoor Parishad.
14. Shri Harish Chandra Singh Ex.M.L.A.
15. Shri Ram Chandra Vikal, Ex. M.L.A.
16. Shri Chandra Bali Singh, Ex. M.L.A.

(e) and (f) The meetings were convened mainly to discuss the suitable time for holding the mid-term election. In the course of discussions, references were also made about other matters like preparation of electoral rolls, setting up of polling stations, conduct of elections in free and fair manner etc.

(g) The estimated expenditure to be incurred on the elections in the States of West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar would be roughly of the order of Rs. 0.60, 1.25 and 1.00 crore respectively.

Arrears of Telephone Charges due from the Former News Agency

6511. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrears on account of telephone charges to the tune of Rs. 3,30,845 are due from the former news agency named U.P.I. which has now merged with the agency named U.N.I. ;

(b) if so, the reasons for accumulation of such huge arrears and the persons responsible therefor ;

(c) whether it is also a fact that Government have written off the said amount on the 8th May, 1968 ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Obviously, the reference is to the U.P.I. against which there were arrears. The U.P.I. have long been liquidated and the P & T have no information of its having been merged with the U.N.I.

(b) The U.P.I. were running into financial difficulties and the efforts of the Government to see that the agency improved its financial position, were not successful.

(c) Yes.

(d) On account of the amount becoming irrecoverable due to the inability of the Liquidator to pay.

राज्यों को मूल बीजों की सप्लाई

6512. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य 'मूल' (फाउन्डेशन) बीजों की सप्लाई के बारे में कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम, को नई-नई किस्मों के बीजों का विकास करने का कार्यक्रम आरम्भ करने के निदेश दिये गये हैं ;

(ग) क्या इस योजना से राज्यों की बीज सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी रहेगी और इस स्थिति का किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम के पास जो कि मूल बीजों की संकर किस्मों आदि की सप्लाई के लिए उत्तरदायी है, उनके स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार समस्त राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए मूल बीजों का पर्याप्त स्टाक मौजूद है। फिर भी, हाल ही में जारी की गई गेहूँ की नई विकसित अम्बर-रंग की किस्मों के मूल बीजों की कुछ कमी है।

(ख), (ग) और (घ) : राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्साहवर्द्धक नई किस्मों के पूर्व-विनिर्मुक्त प्रवर्धन के कार्य को करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सिफारिश पर निकट भविष्य में जारी करने की सम्भावना है। समुचित क्षेत्रों में बिना-मौसम में भी प्रवर्धन हेतु इन बीजों का सम्भरण किया जाता है जिससे कि किसी किस्म की विनिर्मुक्ति के लिए ठीक पाए जाने पर, विनिर्मुक्ति के समय उसके काफी मात्रा में बीज उपलब्ध हो सकें।

गेहूँ के मूल्य में वृद्धि

6513. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू महीने में दिल्ली, पंजाब और अन्य स्थानों पर गेहूं के मूल्य बढ़ने जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) वर्षा के कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के फलस्वरूप मन्डियों में माल न आने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है।

बड़े नगरों में खाद्यानों का राशन हटाना

6514. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बहुत अच्छी होने से बहुत बड़े नगरों में खाद्यान पर से राशन हटाने में कहाँ तक सहायता मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो उन नगरों के नाम क्या हैं जहाँ राशन हटाया गया है ;

(ग) क्या राशन की दुकानों से दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा इस बीच में बढ़ा दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य स्थिति में सुधार हो जाने के फल-स्वरूप दिल्ली, कानपुर तथा हैदराबाद—सिकन्दराबाद में कानूनी राशन व्यवस्था के स्थान पर खाद्यानों के नियंत्रित वितरण की प्रणाली लागू कर दी गई है ।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जहां कानूनी राशन व्यवस्था है, वहां खाद्यान्न की मात्रा बढ़ा कर प्रति वयस्क व्यक्ति 2500 ग्राम प्रति सप्ताह कर दी जाये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि ऋण

6515. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति लाने के संकल्प के संदर्भ में कृषि के लिए ऋणों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने ग्रामीण ऋणों के लिए अधिक धनराशि नियत करने और देहाती इलाकों मे वर्तमान ऋण संस्थाओं को व्यापक बनाने की वाँछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1968-1969 के लिए कृषि ऋणों के लिए कितनी अतिरिक्त राशि नियत की गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस बारे में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ग्रामीण ऋणों के लिये अधिक धनराशि देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान ऋण संस्थाओं का भी विस्तार करने की आवश्यकता पर सरकार ने विचार किया है । अतः कृषि-ऋणों के भुगतान के लिये विभिन्न साधन अपनाये गये हैं । सहकारी ऋण संस्थाओं के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के लिये ऋण प्रदान करने हेतु अन्य संगठनों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । व्यापारी बैंकों द्वारा स्थापित कृषि वित्त निगम द्वारा भी कृषि-कार्य क्रमों हेतु सहायता की जाने की आशा है । व्यापारी बैंक भी प्रत्यक्ष रूप से, तथा परोक्ष रूप से सहकारी समितियों द्वारा, किसानों को ऋण देगें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में, वर्तमान ऋण-संस्थाओं का विस्तार करने के बारे में फसल ऋण प्रणाली, स्थिरता तथा विशेष बट्टे खाते के ऋणों हेतु सुरक्षित धनराशि के लिये योगदान, सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों के शेयर कैपिटल के लिये धन तथा प्रबन्ध हेतु उप-दान देने आदि अनेक उपाय किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं ताकि मूल रूप से अधिकाधिक ऋण प्राप्ति के लिये सहकारी

ऋण व्यवस्था सशक्त की जा सके। सहकारी संस्थाओं की सदस्यता को बढ़ाने के लिये भी अभियान चलाया गया है। संस्थाओं को स्थायी बनाने के लिये सिद्धान्त बनाये गये हैं तथा उनका पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रयोगात्मक रूप में यह अनुमान लगाया गया है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये अल्पावधि ऋणों की धनराशि वर्ष 1967 68 के 400 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1968-69 तक 450 करोड़ हो जायेगी। इसी प्रकार सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के ऋणों की धनराशि के वर्ष 1967-68 के 78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में 100 करोड़ रुपये तक हो जाने की आशा है।

यह अनुमान है कि वर्ष 1968-69 के अन्त तक कृषि क्षेत्र को व्यापारी बैंकों द्वारा दिये गये वित्त की धनराशि कुल 300-400 करोड़ रुपये हो जायेगी। भारत सरकार भी राज्य सरकारों को वर्ष 1968-69 में कृषि सामग्री, जैसे कि बीज, कीट नाशी दवाईयों ऊर्वरकों के क्रय के लिये तथा तकावी ऋण के एक भाग के लिये 105 करोड़ रुपये के अल्पावधि अग्रिम ऋण दे सकती है।

(ग) असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेश मणिपुर तथा त्रिपुरा में, जहाँ कि सहकारिता आन्दोलन अपेक्षाकृत कम है, कृषि ऋण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए एक कानून अर्थात् "राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968, जिससे कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऐसे निगम स्थापित करने की अनुमति होगी, संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निगमो की स्थापना के लिये आगे कार्यवाही की जायेगी।

Installation of Computers

6516. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the Government Offices in which the computers have been installed during the past five years and the number of powers computers among them ;

(b) the names of the Offices who have opposed the use of these machines and the offices in which retrenchment has been effected as a result thereof ; and

(c) the number of employees rendered jobless as a result of introduction of computers during the said period ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House. According to available information, introduction of computers has not resulted in any retrenchment.

Use of Hindi in Ministry of Law

6517. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the whole work is being done in Hindi in his Ministry ;

(b) if not, the progress made in this respect as compared to the last three years ;

(c) whether legal books have been translated into Hindi in the Ministry of Law ; and

(d) if not, the number of books which are still to be translated ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) The main functions of the Ministry of Law consist of tendering of legal advice and the drafting of legislation. Legal advice is usually given on the files of the respective Ministries/Departments of the Government of India which refer them to this Ministry. There is hardly any scope for the officers and staff for noting and drafting in Hindi on such cases. So far as the drafting of Bills, Ordinances, etc., is concerned, until Parliament otherwise provides by law under article 348 of the Constitution, such drafting is to be done in the English language under that article. Notes in other Ministries and Deparuments are recorded in English language. The courts, especially the superior courts give their decisions in that language. It will not be possible to transact the entire business of the Ministry of Law in Hindi till (i) Hindi is adopted on a wide scale for noting at all levels in other Ministries and Departments of the Government of India, (ii) the courts throughout the country, including the Supreme Court and the High Courts start writing judgments in Hindi (ii) substantial progress is made in the translation of statutes and statutory instruments in Hindi, and (iv) the officers and members of staff not only of this Ministry but of other Ministries also acquire thorough knowledge of legal terminology in, and have sufficient ommand over, Hindi and the drafting officers of the Legislative Department, who are also drawn from non-Hindi speaking States, acquire mastery of the methods and technique of legislative dratting in Hindi. Much progress has, however, been made towards achieving the ultimate objective. The Official Language (Legislative) Commission, a Standing Commission of legal experts is engaged in the task of preparation of authoritative texts of Central Acts, Rules, Regulation etc., in Hindi. The Commission also prepares Hindi translations of Bills introduced in Parliament. To the extent possible, Hindi is used in the transaction of business of the Ministry of Law, including the Official Language (Legislative) Commission, in the following items of work :

(a) Translation of Statutes, Rules, Orders, etc., into Hindi.

(b) Resolutions, non-statutory notifications, administrative reports are issued for publication in the Gazette of India in English and Hindi **simultaneously**.

(c) Replies to the letters received in Hindi from Hindi-speaking States and members of the public are invariably given in Hindi or sent out with a Hindi translation thereof.

(d) There is no restriction on the Hindi knowing employees to carry on their routine work in Hindi wherever possible.

(e) This Ministry also complies with the orders of the Government in regard to the progressive use of Hindi to the extent possible.

It is, however, not possible to calculate the exact percentage of increase in the use of Hindi in the Ministry of Law from year to year over the last three years.

(c) and (d) : The Official Language (Legislative) Commission has so far prepared authoritative Hindi texts of 95 Central Acts running into 2,603 pages out of the total of 13,500 pages of Central Acts to be translated. Out of the said 95 Central Acts, authoritative texts of 56 Acts have been published. As regards the preparation and publication in Hindi of law books, the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Law and the Central Hindi Advisory Committee under the Chairmanship of the Prime Minister, have recommended that production of text-books which are essentially required for teaching law upto the LL.B. standard, should be taken up first. The steps to be taken in this behalf are under active consideration.

Food Procurement in U. P.

6518. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint from U. P. to the effect that the Officers of the Food Corporation of India purchased foodgrains from farmers at low price from the Ist June, 1968 to-date, but have shown in receipts Rs. 75-78 per quintal ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the prices which were prevalent in U. P. markets during that period and the prices at which foodgrains were purchased by the Food Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaint is being looked into.

(c) Two statements are attached. **(Placed in Library. See No. LT-1962-68).**

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भुवनेश्वर का कार्यालय

6519. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भुवनेश्वर के कार्यालय के कर्मचारियों ने गत जून में कलम-बन्द हड़ताल तथा भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या थीं तथा क्या समझौता हुआ ;

(ग) क्या समझौता होने के बाद कर्मचारियों का 3 जून से ले के 5 जून तक का वेतन काट लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि, भुवनेश्वर के प्रादेशिक कार्यालय में 3 जून से 10 जून, 1968 तक कलम-बन्द हड़ताल रही थी।

(ख) यह मांग की गई थी कि क्षेत्रीय आयुक्त की छुट्टी के दौरान प्रवर अधिकारी के हक की अवेहलना करते हुए, प्रवर अधिकारी को उस क्षेत्र का वर्तमान कार्यभार संभालने को कहा जाए। यह मांग स्वीकार नहीं की गई।

(ग) **और (घ)** : यह निर्णय किया गया कि कलम-बन्द हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का कोई वेतन न दिया जाय, क्योंकि वे उन दिनों का वेतन पाने के अधिकारी नहीं थे जिन दिनों वे स्वेच्छा से काम पर नहीं आए थे या प्राधकृति छुट्टी पर न थे।

सूखे के कारण आन्ध्र प्रदेश में चावल की फसल को हानि

6520. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण चावल की खड़ी फसल को हानि पहुंचने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी फसल क्षतिग्रस्त होने की संम्भावना है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) राज्य सरकार की प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश में मानसून के आगमन और वर्षा में देरी होने के कारण राज्य के विभिन्न भागों में खरीफ की फसलों की बुवाई में 10-15 दिन की देरी हुई है। उत्तर पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अब तक (1 जून से 21 अगस्त तक) राज्य में वर्षा कम हुई है। अभी इस वर्ष के उत्पादन में होने वाली कमी के बारे में कुछ कहना कठिन है क्योंकि ऋतु के शेष भाग में मौसमी परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक केन्द्रीय टीम ने 30-3-68 से 3-4-68 तक राज्य का दौरा किया था और टीम के अध्यक्ष ने भी सूखे की परिस्थिति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता की सिफारिश के लिये राज्य का जून में पुनः दौरा किया था। दूसरे दौरे के बाद, इस वर्ष वर्षा के आगमन में विलम्ब होने के कारण सहायता धन राशि की अन्तिम सीमा 1-4-68 से 1-11-68 तक 5.08 करोड़ रुपये से 6.50 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई है। इस वर्ष राज्य के लिये 3.00 करोड़ रुपये का एक ऋण और 1.5 करोड़ रुपये का एक अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया गया है। टीम की सिफारिश को दृष्टि में रखते हुये, अधिक सहायता व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायेगी। राज्य में सूखा स्थिति एवं केन्द्रीय सहायता की मात्रा का पुनरांकन के लिये एक केन्द्रीय टीम शीघ्र ही भेजी जा रही है।

Use of Hindi in Ministry of Food

6521. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 2/29/68-OL dated the 6th July, 1968 has been received in his Ministry ;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken on paragraphs 3,4,5,6 and 7 of the said Memorandum ;

(c) whether action is proposed to be taken to the effect that noting and drafting regarding Hindi Training Scheme and regarding all the Administrative work relating to messengers, L.D.C's and U.D.Cs may be done in Hindi ; and

(d) if so, when ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) Copies of the Ministry of Home Affairs instructions have been circulated in all the Departments of the Ministry proper and also to their Attached and Sub-ordinate Offices. Detailed examination and implementation of the same may take some time. However, action on the following lines has already been and is being taken with reference to paragraphs 3 to 7 of the Ministry of Home Affairs Memo :--

Para-3 : The Ministry of Food, Agriculture, CD and Cooperation as well as the majority of their Attached and Sub-ordinate officers have Hindi knowing staff in their Establishments.

Para-4 : Instructions already exist that employees of the Departments etc. should be permitted to use either Hindi or English for official notings etc.

Para-5 : Most of the forms etc. used in the Ministry have been got translated into Hindi and they are being printed in bilingual form.

Para-6 : The strength of the Hindi Units has been augmented and arrangements made for translation of documents from one language to another, Several Hindi typewriters have been purchased while more will be purchased, when the availabilty proves inadequate.

Para-7 : Trainees are regularly being deputed for training in Hindi teaching typewriting stenography courses.

(c) Central Government employees are already free to use either Hindi or English language for noting and drafting. Instructions of the Home Ministry also exist to the effect that general orders regarding terms and conditions of service of Class IV employees, charge sheets and instructional orders concerning them and replies to petitions received from them in Hindi are to be issued in Hindi in addition to English. These instructions are being complied with as far as practicable.

(d) Does not arise.

खेतिहर कृषि भूमि के स्वामी के रूप में

6522. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 7 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि अभी तक 80 प्रतिशत खेतिहर भूमि के स्वामी नहीं बने हैं, सरकार का विचार राज्य सरकारों को उन कारणों की जांच करने के लिये कहने का है जिनसे उनमें अनिश्चितता बढ़ रही है और उत्पादन के क्षेत्र में सुधार नहीं हो रहा है ;

(ख) योजना आयोग द्वारा उपस्वामित्व अधिकारों पर विचार करने से इन्कार करने का क्या कारण है जबकि वे खेतिहरों के पक्ष में और मालिकों की इच्छा पर है ; और

(ग) क्या योजना आयोग इस बारे में राज्य सरकारों के विचार आमन्त्रित करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1961 की गणना के अनुसार कृषिगत जोतों की 23.56 प्रतिशत भूमि को खेती के लिये पट्टे पर दे दिया था और स्वामित्व अधिकार अभी प्राप्त होने हैं। भूमि सुधार के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बहुत से राज्यों ने काश्तकारों को राज्य के सीधे सम्पर्क में लाने के लिये और उन्हें स्वामित्व अधिकार देने के लिये कदम उठाये हैं। आशा है कि इन उपायों के परिणाम-स्वरूप कृषक लोग खेती में धन लगाने के लिये प्रोत्साहित होंगे और जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ख) जोत की सुरक्षा और काश्त करने वाले व्यक्ति में स्वामित्व का अधिकार निहित करना (जैसी कि पंचवर्षीय योजनाओं में, उल्लिखित है) भूमि सुधार का आधार है। आधार भूत उद्देश्यों से विमुख होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिये भूमि सुधारों के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार आमन्त्रित किये जायेंगे।

खेती योग्य परती भूमि

6523. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की पुष्टि कराने को कोई जिम्मेदारी अनुभव नहीं करती कि जनता को ताल्लुक मुख्यालयों में निर्वाध रूप से जानकारी प्राप्त हो ; और

(ख) यदि सरकार के पास धन नहीं है तो उन गैर सरकारी पार्टियों को कृषि योग्य परती भूमि न देने के क्या कारण हैं जिनके पास खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए धन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मामले में सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया समझती है। यद्यपि भूमि राज्य का विषय है, तथापि भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए कृषि योग्य बेकार भूमि के बारे में निश्चय करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में बेकार भूमि के सम्बन्ध में विशेष सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए नियतन सम्बन्धी नियमों के अनुसार भूमि भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा अन्य लोगों में वितरित की जाती है। इन नियमों में नियतन के लिए कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं। कई मामलों में गैर-सरकारी पार्टियां भी जिनके अपने साधन हैं खेती योग्य बेकार भूमि का सुधार कर रही हैं। फिर भी सरकार ऐसी गैर सरकारी पार्टियों को दी जाने वाली किसी विशेष रियायत के हक में नहीं जो सब बातों के अलावा सीमा-व्यवस्थाओं को कम करती है।

निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं के लिये परिवहन सुविधाओं का उपबन्ध

6524. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **विधि मंत्री** 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मतदान केन्द्रों से दो मील से अधिक दूरी पर स्थित कुछ गांवों के लिये परिवहन सुविधाओं का उपबन्ध करने अथवा कम से कम उस सड़क पर परिवहन सम्बन्धी परमिट जारी करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि जब सरकार के लिये पहचान पर्चियां जारी करना निषिद्ध है तो यह बात अभ्यर्थियों पर तो और भी अधिक लागू होनी चाहिये ;

(ग) क्या सरकार पहचान पर्चियां जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाने और मतदाता सूची में मतदाता संख्या का पता लगाना केवल अपने अधिकारियों पर छोड़ने का विचार कर रही है ; और

(घ) निर्वाचन पुस्तिकाओं में पहचान पर्चियों के निर्देश के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) निर्वाचन विधि और नियमों द्वारा कोई अभ्यर्थी मतदाताओं को पहचान पर्चियां देने के लिए अपेक्षित नहीं है।

(ग) जी, नहीं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पहचान-पर्चियों में साधारणतया निर्वाचक से सम्बद्ध भाग का संख्यांक और उसका निर्वाचक नामावलि संख्यांक तथा उसे आबंटित मतदान केन्द्र दर्शित होता है। मतदान आफिसरों द्वारा उसका प्रयोग केवल निर्वाचक नामावलि की

चिह्नित प्रति में निर्वाचक का नाम शीघ्रता से ढूंढने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, न कि पहचान के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए मतदान केन्द्रों पर अन्य इन्तजाम किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अनुदेश निकाले गए हैं कि इन पर्चियों पर कोई नारे या किसी प्रकार की आग्रहपूर्ण बातें मुद्रित नहीं होनी चाहिएं। यदि कोई मतदाता पहचान पर्ची नहीं लाता है तो मतदान आफिसर निर्वाचक नामावलि मे उसका नाम आवश्यक पूछताछ करके ढूंढेगा।

(घ) पहचान पर्चियां देने के लिए कोई कानूनी आधार नही है। ये पर्चियां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनके अपने हित मे दी जाती हैं और पुस्तिकाओं में इनके प्रति निर्देश इसलिए किया गया है कि इस पद्धति का प्रयोग स्वतः अभ्यर्थियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।

डाक टिकटों से आमदनी

6525. **श्री लोबो प्रभु** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से नई डाक दरें लागू हुई हैं तब से डाक शीर्षक के अन्तर्गत कितनी आमदनी हुई है ;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की आमदनी कितनी थी ; और

(ग) यदि आमदनी में कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं और क्या पुरानी दरों को पुनः लागू करने का सरकार का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय डाक-दरों में क्रमशः 15 मई, 1968 तथा 1 जून, 1968, से संशोधन किया गया था। डाक-टिकटों के शीर्षक के अन्तर्गत जून 1968 में प्राप्त राजस्व 4.67 करोड़ रुपये था।

(ख) जून, 1967 में यह राशि 4.03 करोड़ रुपये थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चावल को विटामिनों से पौष्टिक बनाना

6526. **श्री को० सूर्यनारायण**:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से देश अपने चावल को आवश्यक विटामिनों और खनिजों से पौष्टिक बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में चावल के पौष्टिक तत्वों में सुधार करने के लिए ऐसे किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक जांच भी की गई हैं।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

6527. **श्री को० सूर्यनारायण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले चालू की गई चीनी की मिलों से पता चला है कि आधुनिक मशीनों के लगाने से उपलब्ध धान में से निकलने वाले चावल की मात्रा में 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है और कि मिलों में यान्त्रिक डायर्स के प्रयोग, चावल का थोड़ा उबालने तथा उसको उचित प्रकार से रखने से उत्पादन में यह सारी अतिरिक्त वृद्धि की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिक औद्योगिकी का लाभ उठाकर देश में चावल की मिलों को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम को शीघ्र आरम्भ करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आधुनिक चावल मिल की कुशलता के बारे में अब तक किये गए अध्ययनों से प्रतीत होता है कि आधुनिक कुटाई–मशीन द्वारा ही परम्परागत शैलर तथा हलरों की तुलना में क्रमश: 2 तथा 6% की औसतन अतिरिक्त प्राप्ति की जा सकती है । सेलीकरण, सुखाने तथा एकत्रण द्वारा उपलब्ध होने वाले उत्पादन **में अतिरिक्त वृद्धि करने** के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम देश में धान के मिलों का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों वाले 24 आधुनिक धान-मिल स्थापित कर रहा है ।

चौथी योजना में और अधिक आधुनिक धान मिल स्थापित करने तथा वर्तमान मिलों में आधुनिक तकनीक लागू करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

शीघ्रगामी आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु भारत में ही तैयार आधुनिक मिल उपकरण प्राप्त करने के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं । परमिटों तथा लाइसेन्सों की शर्तें निर्धारित करने के लिये अधिकार प्राप्त करने हेतु धान मिल उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन किया जा रहा है ताकि नये तथा वर्तमान धान मिल नये तकनीक तथा आधुनिक मशीनें अपनायें ।

दिल्ली में एक सुपर बाजार खोलना

6528. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थित होगा और इसे कब खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलने के लिए सरकार किन बातों से प्रेरित हुई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हाँ, एक प्रस्ताव दिल्ली सुपर बाजार के विचाराधीन है ।

(ख) कहाँ और कब तक एक और सुपर बाजार खोला जायेगा, के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलने का निर्णय कोआपरेटिव स्टोर लि०, जो सुपर बाजार को चलाता है, ने दूसर क्षेत्रो के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया है ।

Regional Director of E.S.I.C. of Gujarat Area.

6529. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that discriminatory treatment is meted out to the Class III Harijan employees of the office of Regional Director of Employees State Insurance Corporation of Gujarat area in the matter of giving them promotions and in providing them with opportunities to work against higher posts ;

(b) whether it is a fact that the Harijan employees were recently reverted from the posts against which they were working and the employees junior to them were appointed against their posts ;

(c) whether it is also a fact that the Director General of the Corporation discriminated against those employees and committed a number of administrative irregularities in respect of them ; and

(d) whether Government propose to hold on inquiry into this matter ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No discriminatory treatment has been meted out to Class III Harijan employees of the Office of the Regional Director of Employees' State Insurance Corporation, Gujarat in the matter of promotion to higher posts.

(b) One Head Clerk, belonging to a Scheduled Caste who was officiating as Insurance Inspector on a purely temporary and ad-hoc basis was recently reverted to his substantive post on a candidate duly approved by the departmental promotion Committee becoming available. This was according to the rules.

(c) No.

(d) Does not arise.

गन्ना का मूल्य

6530. **श्री स० अ० अगड़ी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गन्ने का कितना न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है तथा महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को कितना मूल्य दिया है तथा 1967-68 के सीजन के लिये चीनी की प्राप्ति कितनी रही ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सहकारी चीनी मिलों के मामले में चीनी कारखानों द्वारा अपने सदस्यों को केवल पेशगी मूल्य ही दिये जाते हैं तथा अन्तिम रूप से मूल्य का निर्णय तो वर्ष के अन्त में होता है । संयुक्त स्कन्ध चीनी मिलों के मामले में, मुख्य रूप से सप्लाई करने वाला महाराष्ट्र राज्य फार्मिंग निगम लिमिटिड है तथा मिलों द्वारा निगम को दिये जाने वाले मूल्य का मामला न्यायाधीन है ।

सरकारी विभागों द्वारा टेलीफोन बिल न चुकाये जाना

6531. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन के बिलों का भुगतान न करने के कारण 1967–68 में भारत सरकार के किन-किन विभागों के टेलीफोन काट दिये गये थे; और

(ख) क्या इसके बारे में कोई जांच की गई है और क्या सरकार को देय राशि का भुगतान न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन संख्या के क्रम से लेखा तैयार किया जाता है और उपभोक्ताओं की श्रेणी, जैसे, सरकारी, गैरसरकारी आदि के क्रम से नहीं । अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित विभागों से मिल सकती है, डाक व तार विभाग से नहीं ।

घरेलू ईंधन के रूप में जलाने की लकड़ी

6532. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 1150 लाख मीटरी टन ईंधन घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है; और

(ख) क्या वन संसाधनों के संरक्षण तथा स्वास्थ्य को होने वाली हानि को रोकने के लिये कस्बों में ईंधन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने तथा महानगरों में उसका प्रयोग बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 1965 में घरेलू ईंधन के रूप में लगभग 1020 लाख मीटरी टन जलाने की लकड़ी का प्रयोग किया गया था ।

(ख) कोई ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में दुग्ध वितरण केन्द्र

6533. श्री **सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पहले सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में के० ब्लाक में, एक दुग्ध वितरण केन्द्र स्थापित किया गया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस केन्द्र ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, पास के दूध डिपु न० 625 पर पड़ने वाले आवश्यकता से अधिक कार्यभार को हल्का करने के लिये यह डिपु बनाया गया था । इसके बाद डिपु न० 625 पर दूध के वितरण

में भ्रष्टाचार की शिकायतें आने पर दूध के टोकनों को भली प्रकार राशन कार्ड से चैक किया गया। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप इस डिपु के कोटे से 100 बोतलें कम कर दी गईं और बचत के दृष्टिकोण के कारण से बटवारे की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत नहीं हुई।

Revenue Earned and Expenditure Incurred by Government on Post Offices in Gorakhpur District

6534. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the amount of money earned by Government from each of the Post Offices in Gorakhpur District of Uttar Pradesh during the year 1966-67, item-wise ; and

(b) the amount of mony spent on each of those Post Offices by Government during 1966-67, item-wise ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communtications (Shri I. K. Gujral) : **(a) and (b)** : Statistics showing the income and expenditure are not maintained post office-wise.

Scientific Examination of Fertility of Cultivable Land :

6535. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have not so far conducted any scientific examination of fertility of cultivable land in the country ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) if the scientific examination have been couducted, the details of the result thereof ; and

(d) whether the fertility of Indian soil is comparatively less or more than that of in the U.S.A., U.S.S.R., Canada and Australia ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

In fact 58 soil testing laboratories, which have already been established all over the country, have tested soil samples extensively and examined fertility status of Indian soils.

(b) Does not arise.

(c) A statement indicating the percentage of soils testing low, medium and high in respect of the three major plant nutrients is given in the statement for different States.

(Placed in Library. See No. LT-1963-68).

(d) Exact comparison of soil fertility of India as a whole, with other large countries like U.S.A., which have a number of different soils, both rich and poor, is not possible. However, it is known that the average fertiiity of Indian soil is comparatively less than that of any country in the temperate zone (U.S.A., U.S.S.R. Canada etc.).

दानेदार चीनी की उत्पादन लागत

6536. **श्री स० म० अगड़ी** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में 1966–67 तथा 1967–68 में दानेदार चीनी की उत्पादन लागत कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैसूर, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1966-67 में चीनी का उचित उत्पादन मूल्य वही था जो निर्धारित कारखाना-निकास मूल्य था—यथ —

	रुपये प्रति क्विन्टल
1. मैसूर	
(एक) भाग क में शामिल किये गये कारखाने अर्थात् बेलगाम जिले में	133.62
(दो) भाग ख में शामिल किये गये कारखाने—अन्य कारखाने ।	142.31
2. महाराष्ट्र	132.56
3. आन्ध्र प्रदेश	161.57

वर्ष 1967-68 में सरकार निर्धारित मूल्यों पर उगाही के रूप में उत्पादन का केवल 60 प्रतिशत ले रही है और शेष 40 प्रतिशत को खुले बाजार में बिक्री के लिये छोड़ रही है और उस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। उगाही चीनी का मूल्य अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3 ग) के अनुसार निकाली गई उत्पादन लागत के आधार पर, चीनी जांच आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 5 क्षेत्रों के लिये और सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य, औसत वास्तविक वसूली तथा चीनी कारखानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त सीजन की अवधि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

निर्धारित कारखाना-निकासन मूल्य इस प्रकार हैं :—

	रुपये प्रति क्विन्टल
क्षेत्र 1. जिसमें मैसूर राज्य में उगरखुर्द, संकेश्वर, होस्पेट, काम्पली और मुनीराबाद स्थित 5 चीनी कारखाने, आन्ध्र प्रदेश में शंकरनगर तथा निजामाबाद स्थित दो कारखाने और गुजरात तथा महाराष्ट्र स्थित चीनी के सभी कारखाने शामिल हैं ।	139.02
क्षेत्र 2. जिसमें मैसूर राज्य तथा आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्र 1 में शामिल किये गये चीनी कारखानों को छोड़कर चीनी के अन्य कारखाने और मद्रास राज्य, उड़ीसा राज्य तथा केरल राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी चीनी कारखाने शामिल हैं ।	153.85

मैसूर के रायचूर जिले में श्री लंका से प्रत्यावर्तित लोगों को बसाना

6537. **श्री स० अ० अगड़ी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय नागरिकों को मैसूर के रायचूर जिले में बसाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो रायचूर जिले में कितने प्रत्यावर्तित लोगों के बसाये जाने की सम्भावना है;

(ग) कितनी भूमि पर बसाने का विचार है तथा वह भूमि कहां पर है; और

(घ) उन्हें बसाने सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कौन सी सुविधायें प्रदान करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और(ग) पूर्व पाकिस्तान से हाल में आये लोगों को बर्मा में अथवा श्री लंका से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रजनों के 900 कृषक तथा 90 गैर-कृषक परिवारों को मैसूर में रायचूर जिले के सिंधनूर तालुक में तुंगभद्रा परियोजना के क्षेत्रान्तर्गत गैर-सरकारी लगभग 5020 एकड़ जमीन पर बसाने का विचार है ।

(घ) तैयार कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त परियोजना में 3000 एकड़ भूमि को वर्ष 1968-69 में पुनर्वास कृषकरण संगठन के पूर्णतः यंत्रीकृत एकक द्वारा कृषि योग्य बनाया जायेगा, लगभग 2020 एकड़ शेष भूमि को वर्ष 1969-70 में कृषि योग्य बनाने की योजना है ।

प्रवासी प्रत्यावर्तित परिवारों को ग्रुप-फार्मों में बसाने का विचार है और प्रत्येक ग्रुप में 20 परिवार होंगे । ग्रुप-फार्म योजना के अन्तर्गत, सरकार उपकरणों, बीजों, उर्वरकों, खादों तथा कृषि के साधनों के रूप में तकनीकी सलाह, मार्ग दर्शन तथा वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था करती है, जबकि भूमि की वास्तविक खेती की जिम्मेदारी ग्रुप पर होती है । प्रत्येक कृषक परिवार को खेती योग्य लगभग 5 एकड़ भूमि के आबंटन के अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को मकान आदि के लिये लगभग 1/3 एकड़ भूमि आबंटन कर का विचार भी है । आवास गृह, बैलों, कीटनाशक पदार्थों, रख-रखाव सहायता, पीने के पानी की सुविधाओं, शिक्षा सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं आदि की व्यवस्था भी की जायेगी । उपरोक्त मकानों तथा अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त, गैर-कृषक प्रवासी प्रत्यावर्तित परिवारों को; आवश्यक व्यापार व्यावसायिक ऋण आदि दिये जायेंगे । इन विभिन्न सुविधाओं पर खर्च का कुछ अंश सरकार वहन करेगी और शेष राशि प्रवासियों/प्रत्यावर्तियों से सुविधाजनक किस्तों में वसूल की जायेगी ।

Delhi-Bhopal and Delhi-Indore Telephone Lines

6538. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone lines between Delhi and Bhopal and Delhi and Indore generally remain out of order ; and

(b) the steps taken to make them work more efficiently ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) Does not arise.

दिल्ली के पहलादपुर गांव में पेय जल का टंक

6539. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के अलीपुर ब्लाक में पहलादपुर (बांगर) गांव में पेयजल के टैंक के निर्माण की एक योजना पांच वर्ष पहले मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी खर्च करने तथा भूमि के रूप में जनता से अंशदान प्राप्त

होने और पाइप लाइन बिछाने और छिद्रण कार्य करने के बाद इस योजना को त्याग दिया गया है;

(ग) किन परिस्थितियों में और किस अवस्था पर इस योजना को त्याग दिया गया; और

(घ) कब तक और किन परिस्थितियों में इस योजना को पूरा करने के लिये कार्य आरंभ किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) से (घ)** : जी नहीं । गाँव पहलादपुर में 28 दिसम्बर, 1965 को नलकूप का कार्य पूरा हो गया था । इस नलकूप का, पहलादपुर के अतिरिक्त बाड़वाला, शाहाबाद और दौलतपुर गावों को पानी का वितरण करने के लिये प्रयोग करने का प्रयोजन है । नलकूप में 30 फुट की गहराई से 10,000 गैलन पानी प्रति घंटा देने की क्षमता है । इस नलकूप से उपरोक्त गाँवों को पानी वितरण करने के लिए 3.49 लाख रु० लागत की एक योजना विचाराधीन है । आशा है इस योजना पर दिसम्बर 1968 में कार्य आरम्भ होगा और आरम्भ होने के बाद एक साल की अवधि में रा हो जायेगा ।

Telegrams Booked in Hindi

6540. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telegrams booked in Hindi in the country so far since January, 1967 ; and

(b) the number of telegrams sent in Hindi to foreign countries ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The number of telegrams booked in Hindi since January, 1967 up to June, 1968 is of the order of 8-Lakhs.

(b) Facility for transmission of telegrams written in Devnagri scripts to foreign countries does not exist.

Trunk Call Facilities at Public Call Offices

6541. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Public Call Offices in the country at present wherefrom trunk call messages can be sent ; and

(b) the number of such public call offices proposed to be started by Government in 1968-69 ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 2825

(b) As per existing plan, 400.

कोयम्बतूर में अपना टेलीफोन रखिये व्यवस्था

6542. **श्री रमानी :** **श्री नायनार :**

श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर नगर में 'अपना टेलीफोन रखिये' व्यवस्था आरम्भ करने के पश्चात् केवल कुछ ही उपभोक्ताओं ने वहां नये टेलीफोनों की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यवस्था के आरम्भ होने के पश्चात् इसके लिये कितने कनेक्शन रखे गये थे और कितने कनेक्शन दिये गये;

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार के टेलीफोन न लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार शेष कनेक्शनों को अविलम्ब दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 'अपना टेलीफोन रखिये' योजना के अन्तर्गत केवल 107 आवेदकों ने टेलीफ़ोनों की मांग की किन्तु उनमें से 30 आवेदकों ने बाद में मना कर दिया ।

(ख) 'अपना टेलीफोन रखिये' योजना के अन्तर्गत आवंटन के लिये 100 कनेक्शन अलग रखे गये थे । अब तक केवल 69 कनेक्शनों का उपयोग हुआ है ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना के अन्तर्गत जो राशि जमा करनी पड़ती है उसे देने के लिये आवेदक तैयार नहीं थे ।

(घ) ऐसा तय किया गया है कि अपर्याप्त मांग के कारण यदि इन आरक्षित कनेक्शनों का आगामी 3 महीनों में उपयोग होने की संभावना न हुई, तो उन्हें इस सम्बन्ध में नियमों के अनुसार "नॉन ओ० वाई० टी०" वर्गों को आबंटन के लिये धीरे-धीरे दे दिया जाये ।

झरिया में खनन कार्य

6543. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया नगर के नीचे खनन कार्य हो रहा है ;

(ख) क्या झरिया नगर के निवासियों ने अपनी नागरिक संस्था के माध्यम से खनन सुरक्षा के महानिदेशक को अभ्यावेदन दिया है जिसमें आग लग जाने की आंशका व्यक्त की गयी है;

(ग) क्या उन्होंने गैर-सरकारी खनन विशेषज्ञों तथा प्रमुख नागरिकों द्वारा झरिया नगर के नीचे चल रहे खनन कार्य की जांच करने की मांग की है ;और

(घ) इस मांग के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ) : कुछ समय से झरिया नगर के कुछ निवासी इस डर से आन्दोलन करते रहे हैं कि नगर के नीचे चल रहे खनन कार्य के कारण नगर की सुरक्षा खतरे में है ।

नगर निवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा खान के कार्यस्थलों को देखने के लिये सुझाव देते हुए खान सुरक्षा महा निदेशक और सरकार को अभ्यावेदन दिये गये थे । इस प्रकार के एक निरीक्षण की व्यवस्था की गई । इस विषय पर 20 नवम्बर, 1967 को लोक सभा में आधे घन्टे की एक बहस भी हुई । स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के लिये श्रम मन्त्री, श्री बेनी शंकर शर्मा, संसद् सदस्य के साथ 5 जुलाई, 1968 को झरिया नगर में गये । श्रम मन्त्री ने ईस्ट भुगतडीह कालियरी के पुराने कार्यस्थलों के एक भाग को देखा, किन्तु श्री बेनी शंकर शर्मा को प्रबन्ध के

प्रतिनिधियों, खान सुरक्षा के महानिदेशक और इस मन्त्रालय के उच्च पदाधिकारियों ने पुराने तथा नये कार्यस्थलों को भी दिखाया। नीचे स्तम्भों की मोटाई और खनन सम्बन्धी दशायें सन्तोषजनक पाई गई। यद्यपि खान सुरक्षा महानिदेशक ने यह पहिले ही स्पष्ट बता दिया कि इन खनन कार्यों के कारण भूमि-धंसाव या आग लगने का कोई भय नहीं है, किन्तु फिर भी श्री शर्मा से इस बारे में आगे विचार-विमर्श करने के फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि खान सुरक्षा के महानिदेशक को विशेष हिदायतें भेजी जांय जिससे नगर की सुरक्षा के खतरे के लिये कोई शंका न हो। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक को निम्न हिदायतें दी गई हैं :

(क) कोयला निकालने के लिये कोई विस्फोट की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोयला केवल हाथों की सहायता से निकाला जायेगा।

(ख) यदि कोई चट्टान या पत्थर हो, तो केवल एक समय में एक धमाका, और वह भी दिन में, किया जाना चाहिए।

(ग) खान का महीने में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(घ) अन्त में जब खान को बन्द करने का प्रस्ताव हो तो, आग से तथा धंसाव से बचने के सभी सुरक्षा एहतियात (रेत-भराव सहित) खान छोड़ने की आज्ञा देने से पहिले बरतने चाहिए।

(घ) झारिया भूमस्थ नगर के नीचे स्तम्भों को मजबूती से रखना चाहिए और उनमें से कोई कोयला नहीं निकालना चाहिए।

(च) झारिया नगर के जिसमें कि झारिया कस्बे के नीचे काम चालू है, 15 से 20% से अधिक कोयला नहीं निकालना चाहिए।

यह भी स्वीकार किया गया है कि खान में सभी विस्फोटों की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को खान प्रबन्धको द्वारा या तो विस्फोट के पहले अथवा विस्फोट के तुरन्त बाद सूचना दी जायेगी।

वन संसाधनों में धन लगाने से पहले सर्वेक्षण करने की परियोजना में जासूसी की कार्यवाहियां

6544. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वन संसाधनों में धन लगाने से पहले सर्वेक्षण करने की परियोजना में, जो भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना और खाद्य तथा कृषि संगठन का एक संयुक्त उपक्रम हैं, स्वीडन के कुछ विशेषज्ञों की जासूसी की कार्यवाहियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत के वन संसाधनों का पता लगाने के लिये यह परियोजना भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सैनिक मानचित्र प्राप्त करती रही है और इन विशेषज्ञों द्वारा उत्तरी, दक्षिणी तथा सामरिक महत्व के अन्य संवेदनशील स्थानों और ठिकानों का पता लगाने के लिये उड़ानें की गई थीं ;

(ग) क्या इन विशेषज्ञों द्वारा कुछ विदेशों के लिये अपने जासूसी के कार्य में इन मानचित्रों का प्रयोग किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो देश की सुरक्षा को कायम रखने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञों को, जो वन संसाधनों में धन लगाने से पहले सर्वेक्षण परियोजना में काम कर रहे हैं, केवल वही नकशे दिये गये हैं और उन्होंने केवल उन्हीं उड़ानों में भाग लिया है जिन्हें उचित अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से उचित ठहराया है।

(ग) जी, नहीं। फिर भी एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित खाद्य तथा कृषि सगठन के विशेषज्ञों के विरुद्ध अभियोगों पर उचित अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

वन संसाधन परियोजनाओं का विनियोजन

6545. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन संसाधन परियोजनाओं के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण शुरू करने का उद्देश्य क्या था और इस परियोजना में भारत सरकार का अंशदान क्या है ;

(ख) इस परियोजना में कार्य करने वाले भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना में धोखेवाजी तथा सार्वजनिक धन के गबन के मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जाँच कराई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) परियोजना का लक्ष्य संसाधनों का सर्वेक्षण करना था ताकि कच्चे माल की उपलब्धि के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो जाये और साथ ही साथ शहतीरी प्राप्त करने की समस्याओं पर खोज भी की जाये, विभिन्न वन उत्पादनों के लिये वर्तमान और भविष्य बाजार और वन उद्योग स्थापित करने के लिये सब सम्बन्धित तथ्यों पर विशेष कर गुद्दे और कागज के उद्योग आदि के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना है।

सेवाओं और सम्भरणों के रूप में भारत सरकार का 3½ साल के लिये अंशदान 90 लाख रु० का है।

(ख)

विदेशी विशेषज्ञ	भारतीय
1. डा० इ० जी० फरेडन	1. श्री एस० एच० महालाहा
2. डा० एच० वी० हानले	2. श्री इ० एस० दास
3. श्री वी० ऐ० सहांगाव	3. श्री वी० के० सेठ
4. श्री यू० वालस्टरोल	4. श्री आर० बी० केले
5. श्री इ० पकानन	5. श्री एम० एस० टोमर

6. डा० ऐ० जे० नास
7. श्री ऐ० वाइस्टरोम
8. श्री आइ० जोनासैन

अपनी कार्यविधि को पूरा करने के बाद परियोजना छोड़ कर चले गये हैं।

6. श्री वाइ० एस० राव
7. श्री के० वी०एल माथुर
8. श्री टी० सी० एम०सिंह
9. श्री वी० एन० गनगोली
10. श्री सी० चन्द्रारोकरन
11. श्री जे० पी० कपूर
12. श्री आर० प्रताप बहादुर
13. श्री पी० एम० संगाल
14. डा० के० डी० सिंह

(ग) से (ङ) : परियोजना के सरकारी राशि के बारे में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य तथा कृषि संगठन की राशि के आदान प्रदान के बारे में नई दिल्ली स्थित कार्यालय में कुछ सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह पता चला है कि खाद्य तथा कृषि संगठन इस बारे में जांच कर रहा है।

वन संसाधन परियोजनाओं के विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

6546. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधन परियोजना के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और उन पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग

6547. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय को कर्मचारियों के किस वर्ग से आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार का कर्मचारियों के सभी वर्गों की मांग पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि सरकार किसी वर्ग की मांग स्वीकार करने में असमर्थ है तो क्या वह सब वर्गों की कम से कम उनको नौकरी का अवसर प्रदान करने की मांग को स्वीकार करेगी : और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का, बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से, व्यय करने वाले सभी मंत्रालयों पर यह जोर देने का प्रस्ताव है कि न्यूनतम मजूरी पर आधारित कार्य का अनुमान तैयार करें ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) औद्योगिक श्रमिकों को आवयकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी दिलाने की सामान्य मांग की गई है।

(ख) राष्ट्रीय आय के वर्तमान स्तर पर अर्थ-व्यवस्था, आवश्यकता के आधार पर सभी वर्गों के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी की अदायगी करने का भार नहीं रह सकती। यहां तक कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने, जिसने कि 1957 के अपने 15 वें अधिवेशन में यह सिफारिश की कि औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिये, ऐसे दृष्टांतों को मौजूद होना स्वीकार किया जहां इसे क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव हो सकती है।

(ख) और (घ) : सभी श्रमिकों को काम दिलाना संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। इसलिए रोजगार के अवसर पैदा करना विकास योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में से है। इन योजनाओं की क्रियान्विती केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य निकायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

6548. **श्री आदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धीमोमेन कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस तारीख से इन सिफारिशों को क्रियान्वित करना आरम्भ किया था ;

(ग) क्या श्रमिकों को 15 अगस्त, 1967 से सिफारिशों को क्रियान्वित करने की तिथि तक की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, आंशिक रूप से।

(ख) नवम्बर, 1967 से।

(ग) 48,119 रु० की आंशिक अदायगी 28 अक्टूबर, 1967 को की गई।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों द्वारा प्रबंधकों से सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कराने के लिए प्रयास जारी हैं।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

6549. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाग की संजीवनपुर कोयला खानों के प्रबन्धकों ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ;

(ख) उन्होंने उन सिफारिशों को किस तारीख से क्रियान्वित करना आरम्भ किया था ;

(ग) क्या कर्मचारियों को 15 अगस्त, 1967 से सिफारिशों की क्रियान्वित की तारीख तक की बकाया राशि का भुगतान किया गया है ;

(घ) कर्मचारियों की कुल कितनी राशि देनी बकाया है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ; आंशिक रूप से ।

(ख) 19 नवम्बर, 1967 से ।

(ग) और (घ) : बकाया मजूरी जो कि लगभग 21.000 रु० बतायी गई है, की अदायगी करने के दिशा में 12, 615 रु० की दो तदर्थ किश्तें अक्टूबर, 1967 में और जुलाई, 1968 में अदा की गईं ।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धी मशीनरी के अधिकारी द्वारा प्रबन्धों से सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कराने के लिए अनुनय किया जा रहा है ।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

6550. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 21 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कोयला खानों में जिन्होंने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया, उन्हें क्रियान्वित कराने के लिये सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस मामले पर कोयला खनन संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ 12 अगस्त, 1968 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया । संयुक्त कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गई कि वे दोषी कोयला-खानों के मामलों की जांच करें, इन सिफारिशों और क्रियान्वित कराने के लिए उनसे अनुनय करें ।

कोयला खान मजूर बोर्ड की सिफारिशें

6551. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम नगर कोयला खान (आई० एस० सी० ओ०) के प्रबन्धकों ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ;

(ख) उन्होंने इन सिफारिशों को किस तारीख से क्रियान्वित करना आरम्भ किया ;

(ग) क्या 15 अगस्त, 1967 से लेकर क्रियान्वित किये जाने की तारीख तक की बकाया धन-राशि कर्मचारियों को अदा कर दी गई है ;

(घ) कर्मचारियों को कुल कितनी धन-राशि देय है : और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां, आंशिक रूप से। साप्ताहिक मजूरी वाले श्रमिकों के लिए 5-11-1967 से और मासिक मजूरी पाने वाले श्रमिकों के लिए 1–11–1967 से ।

(ग) जी हां, आंशिक रूप से ।

(घ) लगभग 1,53,0001/- रु० (एक लाख और त्रेपन हजार रुपये)।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के अधिकारी, प्रबन्धकों से मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित कराने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं।

कोयला खान मजदूरों के लिये जूते

6552. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कोयला खानों ने अपने श्रमिकों को जूते दिये हैं ;

(ख) प्रत्येक खान में कितने श्रमिकों को जूते मिले हैं ; और

(ग) किन-किन कोयला खानों ने श्रमिकों को अभी तक जूते नहीं दिये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अक्टूबर, 1967 से कोयला खनिकों को सुरक्षा जूतों की सप्लाई अनिवार्य कर दी गई। तब से 31. 3. 68 तक 81,517 श्रमिकों को जूते दिये गये हैं। खानों की सूची, जिसमें विस्तृत विवरण हो, अभी उपलब्ध नहीं है। पास शुदा नमूने के चमड़े के जूते तो में उपलब्ध हैं परन्तु कैन्वस के जूते, जिन्हें सुमिता प्रबन्ध के कोयला खानों की प्राकृतिक दशाओं हजार के कारण पसन्द करते हैं उपलब्ध नहीं हैं अतः अनुपालन के सम्बन्ध में स्पष्ट स्थिति का पता कैन्वस जूते के मार्केट में आने के बाद चलेगा। आशा है कि एक शू कम्पनी शीघ्र ही भारी मात्रा में कैन्वस के जूते बनाने का काम हाथ में ले लेगी ।

कुछ कोयला खानों में अनधिकृत खनिक होस्टल

6553. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय होस्टल समिति ने सामला–मन्दरंबोरी कोयलाखान और मधुजोर कोयला खान के अनधिकृत खनिक के होस्टलों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन खानों में उन्हें बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सामला मंदेरबोनी कालियरी और मधुजोर कोलियरी में खनिक होस्टलों को मान्यता देने के प्रश्न पर केन्द्रीय होस्टल समिति द्वारा दोनों कोयला–खानों के प्रबन्धकों से परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कैम्पों में कोयला खानों के मजदूर

6554. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बारह कोयला खानों में से प्रत्येक के कैम्पों में कितने मजदूर रह रहे हैं ; और

(ख) इन कैम्पों को समाप्त करने के लिये जून, 1968 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) विषय यह है कि क्या और किन स्थितियों में ऐसे अनधिकृत होस्टलों को मान्यता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय होस्टल समिति द्वारा निर्मित उपसमिति ने खनिक होस्टलों के लिए मानक निश्चित किये हैं और खान सुरक्षा महा निदेशक की अध्यक्षता में स्थापित मूल्यांकन समिति ने खनिक होस्टलों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में एक संहिता बनाये हैं।

पंजाब में खाद्यान्नों और उर्वरकों का विक्रय

6555. **श्री जी० एस० रेड्डी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में विक्रय समितियों को खाद्यान्नों और उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उतारने और चढ़ाने के लिए अपनी परिवहन व्यवस्था करने के लिए सुविधायें दी गयी हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना विभाग ने ट्रक खरीदने के लिए ऋणों की स्वीकृति दी है और कुछ चुनी हुई समितियों को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी हैं ;

खाद्य तथा कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने विपणन समितियों को ट्रकों की खरीद के लिए ऋण नहीं दिये हैं। तथापि राज्य सरकार ने विपणन समितियों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उनकी अंश पूंजी में धन लगाया है।

केरल में चोरबाजार में चावल की बिक्री

6556. **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोट्टयम में केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा दिए गए इस आशय के भाषण के समाचार की ओर दिलाया गया है जैसे कि 10 अगस्त, 1968 को मलया मनोरमा में प्रकाशित हुआ है। कि केन्द्र द्वारा केरल को दिये गए चावल का कुछ भाग मार्क्सवादियों और संयुक्त मोर्चे में उनके सहयोगियों द्वारा चोर बाजार में बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विधि मन्त्री से यह पता लगाया है कि यह वक्तव्य देते समय उनके पास क्या प्रमाण था ;

(ग) क्या विधि मन्त्री ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह प्रमाण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब

शिन्दे) : (क) मलया मनोरमा में प्रकाशित समाचार को सरकार ने देखा है किन्तु उसे सही नहीं पाया गया। केन्द्रीय विधि मन्त्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया ?

(ख) से (घ) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

6557. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार वेल्लाथूवल, चित्तीरापुरम, देवी कुलभ कट्टाप्पना और अय्यापान कोयल जैसे स्थानों पर काम करने वाले डाक तथा तार घर कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि **हां**, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) और (ख) जहां तक वेल्लाथूवल तथा चित्तीरापुरम का सम्बन्ध है, डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को कोई परियोजना भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि इन स्थानों पर परियोजनायें काफी समय पहले पूरी हो चुकी थीं। वे संचालन भत्ता जो केवल संचालन कर्मचारियों को दिया जाता है, पाने के हकदार भी नहीं हैं।

देवी कुलम, कट्टापाना तथा अय्यापान कोयल के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सन्शोधन

6558. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ संशोधन करने पर विचार करने के लिए सितम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों का अधिवेशन बुलाया है ; और

(ख) क्या प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों की रायें प्राप्त की है ?

विधि मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद युनुस सलीम) : (क) जी नहीं, किन्तु निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आफिसरों का सम्मेलन उटी में बुलाया है।

(ख) जी नहीं।

समाचार-पत्र उद्योग में कार्य करने की शर्तें

6559. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम** तथा **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने समाचार पत्र उद्योग के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये काम करने की शर्तों के सम्बन्ध में एक ही कानून बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की सिफारिश की है। परन्तु इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

त्रिपुरा में सहकारी समितियों का परिसमापन

6560. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सहकारी आर्थिक विकास क्षेत्र में कार्य कर रही अधिकांश सहकारी समितियाँ पिछले आठ वर्षों में दीवालिया हो गई हैं।

(ख) यदि हां, तो उस संघ राज्य क्षेत्र में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे सहकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) इन सहकारी उपक्रमों के परिसमापन के मुख्य कारण क्या थे;

(घ) इन उपक्रमों को परिसमापन से बचाने तथा उनमें पुनः गतिविधि लाने में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ङ) 1968–69 की योजना तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) : से (घ) : 685 समितियों में से केवल 48 परिसमापन के अन्तर्गत लाई गई हैं; ब्योरा इस प्रकार है :

औद्योगिक सहकारी समितियां	–	22
उपभोक्ता सहकारी समितियां	–	4
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	–	15
परिवहन सहकारी समितियां	–	2
कृष्येतर ऋण समितियां	–	2
डेरी सहकारी समिति	–	1
मत्स्यपालन सहकारी समिति	–	1
पर्यवेक्षी संघ	–	1
		48

परिसमापन कार्यवाही इसलिये आवश्यक हो गई थी क्योंकि इन समितियों ने सदस्यों की रुचि के अभाव में तथा परिचालन व्यय अधिक होने के कारण काम करना बन्द कर दिया था। इन्हें पुनः चालू करने का विचार नहीं है। परिसमापन के अन्तर्गत की समितियों के क्षेत्र की देखभाल उन चल सकने वाली अथवा चल सकने की सम्भावना वाली समितियों द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह क्षेत्र सौंपा गया है।

(ङ) इस सम्बन्ध में पहली अगस्त, 1968 को सभा में उत्तर दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के (ग) भाग की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Agro-Industrial Corporation, Lucknow

6561. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agro-Industrial Corporation, Ashok Marg, Lucknow (U. P.) has given licence to supply Czech, Zetor tractors in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that the first instalment of 100 tractors has already been received and distributed by the Corporation ;

(c) whether it is also a fact that not even one out of these 100 tractors has been distributed in the Banda district ;

(d) whether Government would ensure the supply of these tractors to Banda district as per its quota from the first instalment as well as from the second instalment which is due shortly ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The U. P. State Agro. Industrial Corporation Ltd. had entered into an agreement with the State Trading Corporation of India Ltd. for the distribution of Zetor-2011 Tractors in U. P.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The distribution of the first instalment of 100 tractors was confined to applications received upto the 31st December, 1967. No Zetor-2011 Tractor could be distributed in the Banda Distt. as no application was received from that Distt. till then.

(d) For the reason indicated above, it was not possible to allot any Zetor-2011 tractor to the Banda District out of the first instalment. However allotment out of the second instalment of tractors due shortly, on the basis of the applications received from Banda District is under consideration of the Corporation.

Use of New Varieties of Improved Seeds in Bihar

6562. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a comparative study regarding the use of the new varieties of improved seeds in Bihar ;

(b) if so, which of the two varieties namely Taichung Native and I.R. 108 gives more yield per acre in Bihar notwithstanding soil varieties there ;

(c) whether Government have contemplated any steps to acquaint farmers with the knowledge acquired through this comparative study ; and

(d) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) The information has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha, when received.

केरल को चावल की सप्लाई के बारे में केरल के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा जारी की गई कविता

6563. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा केरल की चावल की सप्लाई के बारे में जारी की गई तथा "पैट्रियट" में दिनांक 15-8-68 को प्रकाशित एक कविता की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रकिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) : 15 अगस्त, 1968 के पैट्रियट में प्रकाशित विज्ञापन को सरकार ने देखा है।

(ख) केरल को बाहर से चावल की सप्लाई हर महीने भिन्न-भिन्न मात्रा में होती रही है, जो भारत सरकार के पास उपलब्धता तथा कमी वाले अन्य राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने की आवश्यकता पर निर्भर थी। इस मामले में कोई भेद-भाव नहीं बरता गया जैसा कि इस विज्ञापन में आरोप लगाया गया है। खाद्य सम्बन्धी वाद-विवादों तथा केरल को चावल की सप्लाई सम्बन्धी प्रश्नों पर संसद में कई बार स्थिति स्पष्ट की गई है।

कृषि अनुसंधान कार्य

6564. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बुनियादी तथा व्यावहारिक कृषि अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और उन के द्वारा अब तक प्राप्त की गई सफलताओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या शुल्क खेती के बारे में भी कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि पर मूल और व्यावहारिक अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थानों के अधीन और उन के उप-केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के कृषि विभागों के कृषि अनुसंधान संस्थानों में, जो सारे देश में स्थित है, किये जा रहे हैं। उन में से कुछ प्रमुख नाम तथा वे कहां स्थित हैं सूची में दिये गये हैं (पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1964/68)

शीघ्र हाल के सालों में कृषि अनुसंधान में जो प्रमुख परिणाम प्राप्त किये है उन में अधिक उपज देने वाली किस्में और खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों में, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, गन्ना, आलू, पटसन, कपास और कई अन्य सम्मिलित है, संकरणों का प्रजनन है।

भूमि विज्ञान, अगरोनोमी, उर्वरके तथा उन के प्रयोग, सिंचाई तथा खरपतवार आदि पर रासायणिक नियन्त्रण, कीट नाशक दवाईयों के प्रयोग से कीटों तथा रोगों की रोक थाम और साथ ही सब्जियों तथा फलों में सुधार के बारे में कुछ उपयोगी अनुसंधान भी किये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कुछ अन्य स्थानों पर कृषि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने के लिये न्यूकलियर शक्ति प्रयोग करने के बारे में भी अनुसंधान हाथ में लिये गये हैं।

(ख) हां।

विभिन्न कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले अनुसंधानों के अतिरिक्त सूखी खेती और भूमि और पानी संरक्षण के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन 8 भूमि संरक्षण अनुसन्धान केन्द्रों पर खोज की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

बलीहारी कोयला खान में ठेके के श्रमिक

6565. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बली हारी कोयलरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कुसुवा, धनबाद की बलीहारी कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला खान में ठेके पर श्रमिकों को रखना आरम्भ कर दिया है तथा स्थायी कर्मचारियों की संख्या 700 से घटाकर 50 कर दी गई है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने स्वयमेव वर्त्तमान एकमात्र कार्मिक संघ की मान्यता समाप्त कर दी है और कार्मिक संघ के कार्यालय तथा आस्तियों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है ;

(ग) क्या श्रमिकों के विरोध के बावजूद प्रबन्धक कम राशि दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ;

(ख) यह सूचित किया गया है कि हिन्दुस्तान खान मजदूर संघ की मान्यता इस आधार पर वापिस ले ली गई कि उसका बहुमत समाप्त हो गया था। सरकार के पास कार्मिक संघ के कार्यालय तथा आस्तियों पर बल-पूर्वक अधिकार किये जाने के बारे में सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के उत्तरों को दृष्टि में रखकर यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के उद्योगों में न्यूनतम वेतन

6566. **श्री ओंकार लाल बेखा** : **श्री रामचन्द्र जे० अमीन** :
श्री किकर सिंह : **श्री द० रा० परमार** :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न कारखानों तथा उद्योगों में न्यूनतम मजूरी तथा वेतन-मान क्या है ;

(ख) उन कारखानों और उद्योगों के क्या नाम हैं जहां न्यूनतम मजूरी दी जाती है ; और

(ग) उन कारखानों और उद्योगों के क्या नाम हैं जहां न्यूनतम मजूरी नहीं दी जाती है और इस के क्या कारण हैं ; तथा इसे लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बी० सी० सी० कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल की नोटिस

6567. **श्री द० रा० परमार** : **श्री रा० की० अमीन** :
श्री किकर सिंह : **श्री रामचन्द्र जे० अमीन** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम कर्मचारी यूनियन (रजि०) दिल्ली ने अपनी मांगों के प्रपत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, सुल्तानपुर, गुड़गांव रोड, मेहरौली, नई दिल्ली, के प्रबन्धकों को दिनांक 20 मई, 1968 को हड़ताल की सूचना दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रबन्धकों को हड़ताल का कोई नोटिस नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वचालित मशीनों का प्रयोग

6568. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 जुलाई, 1968 को स्वाचाचित मशीनों के बारे में दिल्ली में हुए त्रिक्षीय सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए ;

(ख) क्या यह सच है कि कालटैक्स के कर्मचारियों को पुन: काम दिला दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कालटैक्स के 106 कर्मचारियों का बैठे रहो, काम न करो प्रदर्शन गत 21 महीनों से जारी है,

(घ) क्या यह सच है कि कालटैक्स के प्रबन्धकों द्वारा उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) स्वचालन विषय पर,स्थाई श्रम समिति के 18 जुलाई, 1968 को हुये 28 वें अधिवेशन में विचार-विमर्श हुआ था। इसके मुख्य निषकर्षों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां, लेकिन इसमें शरीक कर्मचारियों की संख्या 96 है।

(घ) और (ङ): हर मामले का निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न सफल नहीं हुए। अब सरकार ने एक जांच कमीशन स्थापित किया है जो अन्य बातों के साथ कालटैक्स (इंडिया) लि० और गैर-सरकारी क्षेत्र की अन्य दो तेल कम्पनियों के रजिस्टर में पहली जनवरी, 1960 को और बाद के वर्षों में इसी तारीख को फालतू हुये कर्मचारियों की संख्या तथा कर्मचारियों के फालतू होने के कारणों और औचित्य एवं फालतू कर्मचारियों इत्यादि की व्यवस्था के बारे में अपनाये गए तरीकों इत्यादि की जांच करेगी। आयोग की रिपोर्ट मिलने पर सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

विवरण

स्वचालित मशीनों के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी बहस हुई, जिसमें विभिन्न पक्षों ने स्वचालन के बारे में अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की।

2– श्रमिकों के प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि चूंकि देश में बहुत बड़ी बेकारी फैली हुई है तथा टैक्नोलोजिकल और पूंजी साधन कम हैं, इसलिये सामान्य नीति स्वचालन के विरुद्ध होनी चाहिए। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि स्वचालित मशीन लगानी अनिवार्य समझी जाय तो उसकी अनुमति अपवाद के रूप में दी जा सकती है। ऐसी अनिवार्यता और स्थितियों का, जिनके अधीन ऐसे अपवादों की अनुमति दी जाय, ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा। स्थायी श्रम समिति का एक छोटा सा अध्ययन दल बनाया जाय जो मार्ग-दर्शन की अपेक्षित रूप-रेखा तैयार करे। इस अध्ययन-दल में विशेषज्ञ भी रखे जाये। यह अध्ययन-दल मार्ग दर्शन की जो रूप- रेखा तैयार करे वह स्थायी श्रम समिति या भारतीय श्रम सम्मेलन के सामने स्वीकृति के लिए रखी जानी चाहिए। जब तक ऐसी रूप रेखा तैयार होती है, तब तक स्वचालित मशीनें न लगाई जांय और जहां स्वचालित मशीनें लगाई जा चुकी हैं, वहाँ नियोजकों को उन्हें प्रयुक्त न करने के लिए कहा जाय।

3– दूसरी ओर नियोजकों के प्रतिनिधियों ने यह आधार लिया कि कुछ प्रतिष्ठानों के कार्य की विस्तृतता और पेचीदगी को देखते हुए सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कम्प्यूटर लगाना एक आवश्यकता बन गई है। अभिनवीकरण से उत्पन्न समस्यायें निपटाने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में जो प्रक्रिया निश्चित हुई है उसी के अनुसार ऐसी स्वचालित मशीनों के लगाने से स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के फालतू होने से सम्बन्धित समस्या निपटाई जा सकती है। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वचालन से आखिरकार अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक रोजगार उत्पन्न होता है। इसलिए वास्तविक विचारणीय प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि स्वचालित मशीनें लगाई जानी चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि उनके लगाये जाने से जो श्रमिक फालतू होंगे उनकी समस्या को निपटाने के लिए क्या उपाय किये जांय। यह वांछनीय नहीं समझा गया कि टेक्नोलौजी के युग में भारत प्रगति के मुख्य दौर से दूर चला जाय और जब उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रतियोगिता करनी है तो उसमें स्वचालन का प्रयोग आवश्यक होगा। नियोजकों का यह विचार था कि बड़ी संख्या में लोगों के बेकार होने का भय अकारण है, क्योंकि स्वचालन की प्रक्रियायें थोड़े ही प्रतिष्ठानों में शुरू की गई हैं और उद्योग के वर्तमान उपलब्ध साधन बड़ी संख्या में स्वचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी जब कोई छंटनी न हो और जब कारखाना स्तर पर यूनियन और नियोजक दोनों सहमत हों, तो कम्प्यूटर लगाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

4– महाराष्ट्र के श्रम मन्त्री ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र में स्थायी श्रम समिति की एक त्रि-पक्षीय उप समिति बनाई जानी चाहिए जो स्वचालित मशीनों के लगाने के बारे में नीति का मार्ग दर्शन करे। इस समिति को विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित किये गये मार्ग-दर्शन के अन्दर सम्बन्धित सरकार को स्वचालित मशीने लगाने के हर प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या कम्प्यूटर लगाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस उप समिति को समय-समय पर स्वचालन के प्रभाव का सामान्य पुनरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नीति सम्बन्धी मार्ग-दर्शन पर वास्तव में कहाँ तक क्रियान्विति हो रही है।

5– अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में अभिव्यक्त विचारों को नोट कर लिया गया है और सरकार इस विषय पर विचार करते समय उन्हें ध्यान में रखेगी। इस बीच, जो प्रक्रिया कम्प्यूटरों के आयात करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच के बारे में चालू है, वह जारी रहनी चाहिए।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक सस्थान

6569. **श्री के० आर० गणेश** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के औद्योगिक संस्थानों में काम कर रहे अस्थाई औद्योगिक कर्मचारियों, जिनको पेंशन पाने योग्य घोषित किया गया है, के सेवान्त अधिकार क्या हैं ;

(ख) क्या एक वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाने पर वे पारिवारिक पेंशन के हकदार होते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): शासन के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की व्यवस्था तथा संचालन को विभागीय रूप से किया जाता है। कोई और सरकारी क्षेत्र के स्वायन्त प्रतिष्ठान अथवा निगम नहीं है। इन्डीयन आयल कोरपोरेशन की एक छोटी शाखा काम कर रही है लेकिन वह मुख्यायुक्त के प्रशासनिक नियन्त्रण में नहीं है। भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सारे सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अस्थाई औद्योगिक कर्मचारी जो कि नियमित वेतन-मान पर हैं तथा जिन्हें मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है, 1 नवम्बर 1959 से नौकरी में रहते हुए मरने पर, अथवा अवकाश अथवा छंटनी अथवा अयोग्यता की हालत में सेवा के हर पूरे वर्ष के पीछे 1 मास के वेतन की दर पर यदि उसकी मृत्यु / अवकाश / नौकरी से निकाले जाने अपंगता के समय 10 वर्ष से कम की सेवा न हो, सेवान्त लाभ के हकदार हैं।

स्थायी होने पर कर्मचारियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत आने का अधिकार है। पेंशन योजना को ही पसन्द किया है और जो पेंशन लाभों को चुने हैं उन पर भारत सरकार के नये पेंशन नियम, जिनका समय–समय पर संशोधन किया गया है लागू होंगे और ऐसे कर्मचारी जिनको इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिवार पेंशन योजना के लाभों के हकदार हैं औद्योगिक कर्मचारी, जो ग्रेच्युटी के हकदार नहीं हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सेवान्त-लाभों के हकदार हैं। अस्थाई औद्योगिक कर्मचारी, जिसकी एक वर्ष की सेवा हो, मृत्यु की हालत में परिवार पेंशन के हकदार नहीं हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे

6570. **श्री के० आर० गणेश** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में औद्योगिक कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या इन द्वीपसमूहों में भविष्य निधि आयुक्त का एक पृथक कार्यालय स्थापित करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : अन्डमान वन विभाग के अंतर्गत एक प्रतिष्ठान में कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को लेखों के वार्षिक विवरण न भेजने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामले पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जांच कर रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, कि वह एक अलग कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त समझी जाय ।

Paucity of Accommodation in R.M.S. Buildings

6571. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the workers have to face many difficulties due to lack of accommodation in the R.M.S. buildings at Patna, Arrah, Sahibganj, Mokameh, Jasidih and Kiul Stations ;

(b) whether the Minister of State had given an assurance to give due attention towards this aspect ; and

(c) if so, the action so far taken in this regard and reasons for the delay ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The question of making good the shortage of accommodation has been continuously under consideration with a view to removing the difficulties of the staff.

(b) and (c) : Construction work of R. M.S. Building at Patna has been included on out of turn basis for 1968-69 and those at Sahibganj, Arrah and Kiul have been included in the priority programme of the Railway Board to be phased during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72. Mokamah and Jasidih R.M.S. Building works, have been included in the Fourth Five Year Plan of the P & T Department and are being pursued with the Railway Board.

निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के विचार

6573. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिये निर्वाचनों के संचालन को सुधारने के लिये राजनैतिक दलों से उनके विचार पूछती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1967 के साधारण निर्वाचनों के बाद राजनैतिक दलों के कोई अधिवेशन बुलाए गए हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं। किन्तु निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित मामलों पर राजनैतिक दलों से परामर्श करता है ।

(ख) आयोग ने राजनैतिक दलों की मान्यता और प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन से सम्बन्धित नियमों का पुनर्विलोकन करने के लिए राजनैतिक दलों और समूहों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 4 मई, 1968 को दिल्ली में बुलाया था। आयोग ने हरयाणा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में भी राजनैतिक दलों से परामर्श किया था ।

Distribution of Fertilizers to Farmers

6574. **Shri Y. S. Kswah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of agencies proposed to be entrusted with the distribution of fertilizers

produced by the Fertilizer plants in the country among the farmers at State, District and Tehsil levels ; and

(b) whether Government propose to the 'Panchayat' units the work of selling fertilizers to the farmers at district, tehsil and village level ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): In December, 1965, Government had decided that fertiliser plants would, for a period of 7 years from its start of commercial production, have the freedom to organise their own distribution and to fix prices for their products, subject to Government having the option of taking over 30% of the production. The manufactures, therefore, make their own distribution arrangements through cooperatives and other dealers of their choice for that stock which is not taken over by the Government. The material taken over by Government together with the imports is placed at the disposal of the State Governments. Organisation of internal distribution is the concern of the State Governments. The Government of India do not suggest to the States any particular agency for discharging this function.

Relief to War-affected People

6575. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that relief measures have been taken for war affected people in border areas of Punjab ;

(b) whether other border States have also taken a decision to give relief to war-affected people ; and

(c) whether Government propose to contribute in these relief measures ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c): Yes.

Aid to Farmers in Bihar for Installing Diesel Pumping Sets

6576. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for which the practice of giving 25 per cent Government aid to the farmers in Bihar for installing diesel pumping sets and for boring purposes has been discontinued ;

(b) whether Government had, before taking this decision, considered the salutary effect of the said aid on the development of agriculture and the incentive it afforded to the farmers ;

(c) the amount Government would have to spend in Bihar in case 25 to 50 per cent aid was given to the farmers in the said connection ;

(d) whether Government would reconsider their decision regarding the discontinuance for the said aid ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e) : The information is being collected from the Government of Bihar and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

आंध्र प्रदेश में सूखा

6577. **श्रीमती वी० राघाबाई :** **श्री जी० एस० रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में समय पर वर्षा नहीं होने के कारण तथा खाद्यान्न के उत्पादन की कमी के कारण इस वर्ष उत्पन्न सूखे की स्थिति से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो सूखे की स्थिति से उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या सुरक्षा उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नागार्जुनसागर परियोजना क्षेत्र के मध्य श्रेणी के किसानों की खाद्य उत्पादन सम्बन्धी शीघ्र आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन्हें उर्वरक तथा 'एग्रो-मशीनें' सप्लाई करके उनकी सहायता करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एवं (ख) : मानसून के आगमन में कुछ देरी हुई है और वर्षा अपर्याप्त हुई है जिसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में खरीफ की फसलों के बोने में 10–15 दिन की देरी होने के समाचार मिले हैं। अभी इस वर्ष, खाद्यान्न उत्पादन में ह्रास के द्वारे में कोई परिमाणात्मक विचार देना संभव नहीं है। क्योंकि ऋतु के शेष भाग में मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सरकार परिस्थिति पर ध्यान दिये हुये है और जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, अपेक्षित खाद्यान्न आन्ध्र प्रदेश को भेज दिये जायेंगे।

(ख) राज्य सरकार से नागार्जुन प्रयोजना क्षेत्र में किसानों की सहायता के विषय में कोई भी विशेष प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। हां, केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य में सूखा सहायता के लिये 6.50 करोड़ की ऋणसीलिंग में से एक 3.00 करोड़ रुपए का ऋण एवं एक 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकार को दे दिया गया है।

ध्योर कापासरा कोयला खान (धनबाद) में दुर्घटना

6578. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री भगवान दास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 तथा 30 मार्च, 1968 को रात को धनबाद के निकट ध्योर कापासरा कोयला खान में मलबे के नीचे बहुत से व्यक्ति जीवित दब गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति दबे थे ;

(ग) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक ने उन्हें बाहर निकालने के लिये कोई कार्यवाही की थी ;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों की जानें बचाई गई ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण था ; और

(च) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी गई और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : दिसम्बर, 1966 में खान सुरक्षा महानिदेशक ने मुग़मा कोयला क्षेत्र में प्योर कापासरा खान के कार्यस्थलों की हालत अस्थिर होने के कारण मजदूरों की भर्ती रोक दी। तब से वह खान बन्द रही। फिर भी कार्यस्थलों से चोरी से कोयला निकालने के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक ने गुप्त रूप से पता लगाया। चूंकि इस बन्द खान के मालिक का पता नहीं लग सका, इसलिये सिविल तथा पुलिस के सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में यह लाया गया कि जमीन के नीचे कार्य-स्थलों की दशा अत्यन्त खतरनाक है। इस क्षेत्र के खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक ने मार्च, 1968 में आसपास के कोयला खानों के प्रबन्धकों की एक बैठक यह निश्चय करने के लिये बुलाई कि चोरी से कोयला निकालकर ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति से वे कोयला न खरीदें और प्रबंधक इस पर सहमत हो गये। दिनांक 29/30 मार्च, 1968 की रात को जब चोरी से पहिले निकाला हुआ कोयला जो सतह पर इकट्ठा किया हुआ था, एक मोटर ट्रक में लादा जा रहा था तो 30 मीटर लम्बा और 30 मीटर चौड़ा जमीन का एक टुकड़ा नीचे धंस गया। 30 मार्च, 1968 को सूचना मिलने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के दो अधिकारी घटना स्थल पर गये और उन्होंने अपने को भारी खतरे में डाल कर जमीन के अन्दर कार्य-स्थलों का ऊपर से गिरे हुए मलवे के किनारों तक निरीक्षण किया। उन्होंने मलबे के नीचे दबे हुए किसी व्यक्ति का भी कोई चिन्ह नहीं देखा। उसके बाद खान सुरक्षा के उप महानिदेशक ने भी निरसाचट्ठी पुलिस स्टेशन के आफिसर-इनचार्ज तथा थानेदार के साथ इस मामले में पूछ-ताछ की, किन्तु मलबे के नीचे किसी व्यक्ति के दबे होने का कोई प्रमाण नहीं पाया।

Preparation of Nutritious Meals in the Country

6579. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any arrangement have been made in the country for the development and preparation of nutritious meals ;

(b) the number of States in which such scheme has been implemented ;

(c) whether any financial assistance has been received from abroad for the purpose ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development aud Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) 15 States.

(c) Assistance in the form of nutritious foodstuffs has been received from UNICEF, CARE and USAID.

(d) About 400 million pounds of food commodities such as corn flour, corn flakes, bulgar wheat, rolled wheat, soyabean oil and milk powder are provided annually by CARE Organisation for feeding programmes. The USAID have also furnished free of charge foodgrains and groundunt flour for the production of 28,000 tonnes of Balahar. The UNICEF has assisted the feeding programmes with supply of skimmed milk powder.

हरियाणा में एक बूचड़खाना की स्थापना के विरुद्ध प्रदर्शन

6580. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 14 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंडली गाँव में हुए आन्दोलन के बारे में हरियाणा सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या बूचड़खाने को उस गाँव से हटाने का निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 14 मार्च, 1968 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 630 के उत्तर में हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा भेजा गया विस्तृत उत्तर की एक प्रति सभापटल पर रख दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1965-68]

(ग) मास प्रक्रिया सम्बन्धी कारखानों की स्थापना राज्य का विषय है, अतः यह मामला हरियाणा की सरकार के अधीन है ।

खाद्य नीति

6581. **डा० रानेन सेन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने तथा उसके फलस्वरूप खाद्य भण्डार की स्थिति में सुधार होने की बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार का विचार वर्तमान खाद्य नीति में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रत्येक फसल के आरम्भ में मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से खाद्य नीति निर्धारित की जाती है । वर्तमान रबी की फसल के लिये नीति निर्धारित करते समय रबी की अच्छी फसल से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर पर्याप्त रक्षित भण्डार बनाने के लिये देश में अधिकतम वसूली करने पर जोर दिया गया था ।

(ख) आगामी खरीफ की फसल से पहले जब फसल की सम्भावना की स्थिति स्पष्ट होगी, होने वाले मुख्य मन्त्री सम्मेलन के बाद वर्तमान नीति में परिवर्तन के बारे में निर्णय किया जायेगा ?

Agro-Industrial Corporation

6581-A. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of States in which Agro-Industrial Corporation has come into being and the number and nature of production units established by the Corporation ;

(b) the names of the States where the Corporation is establishing factories for manufacturing tractors, power-tillers and other agricultural implements ; and

(c) when the production is expected to start ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Agro-Industries Corporations have been set up in 12 States viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab, U. P. and West Bengal. The details of the number and nature of production units established by some of the Corporations are as under :--

Haryana :

The Corporation has taken up production of cattle and poultry feed.

Maharashtra :

The Corporation has taken up the establishment of following factories/plants :

(i) Cattle Feed Compounding Factory at Aeray.

(ii) Poultry Feed Compounding Factory at Chinchwad.

(iii) Super-phoshate Plant at Rasayani.

(iv) Two N.P.K. Granular Fertiliser Plants, dovetailed with the Super Phosphate Plant at Rasayani.

(v) Maize Milling Plant at Pimpri.

Punjab :

The Corporation has taken up the programme for multiplication of seed near Phillau.

Uttar Pradesh :

It has taken over the Talkatora Workshop in Lucknow for the production of agricultural implements and for the assembly of imported tractors. To start with for the assembly programme, the Corporation has been allotted 1,000 numbers of Zector-2011 tractors which are being imported in SKD condition. It has also taken over the fruit processing and preservation factory in Daliganj.

(b) and (c): None of the Corporation has at present any programme for the manufacture of tractors and power tillers. However, the U.P. State Agro-Industrial Corporation has a programme for the assembly of imported tractors. The first batch of 20 Zector-2011 tractors is expected to be assembled shortly. The Corporation has taken up production of agricultural implements. The Haryana Corporation has under consideration a programme for the assembly of imported tractors and manufacture of agricultural implements.

National Pay Commission

6581-B. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the study team on the Iron and Steel Industry has suggested to the National Commission of Labour that it is in the interest of the country to appoint a National Pay Commission ; and

(b) if so, Government reaction thereto ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b): The Study Group on Iron and Steel Industry has suggested that it may be desirable to have a National Wage Commission to examine the question of fixing a national minimum wage for

different sectors like the agricultural sector, the unorganised sector and the organised sector. The Study Group's report has been submitted to the National Commission on Labour and not to the Government. Government would consider the matter only after receiving the recommendations of the Commission.

Agricultural University for Haryana

6581-C. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Agricultural University in Haryana ;

(b) whether it is also a fact that Haryana did not get any representation in the Punjab Agricultural University at the time of partition of Punjab ; and

(c) if so, the action taken by Government to give Haryana its due representation and to establish an Agricultural University in the Haryana State ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. There is a campus of the Punjab Agricultural University at Hissar in Haryana.

(b) Presuming that the reference is to the representation on the Board of Management of the Punjab Agricultural University after division of erstwhile State of Punjab it may be stated that Haryana is represented on the Board of Management of the Punjab Agricultural University.

(c) The question of giving Haryana its due representation does not arise in view of (b) above.

Action to establish a separate Agricultural University in Harayana is to be initiated by the State Government.

कार्बेट नेशनल कार्क (उत्तर प्रदेश)

6581-घ **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रामनगर के निकट कार्बेट नेशनल पार्क में बहुतायत में पाये जाने वाले विभिन्न किस्मों के पशु-पक्षियों का तेजी से विनाश किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि इस आखेट निषिद्ध क्षेत्र में किन कारणों से वन्य पशु पक्षियों का विनाश हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस आखेट निषिद्ध क्षेत्र में वन्य-पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) से (घ)** : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वन्य पशु-पक्षी आखेट निषिद्ध क्षेत्र काजीरंगा

6581-ङ **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिकारी लोग चोरी छिपे काजोरंगा के वन्य पशु-पक्षी आखेट निषिद्ध क्षेत्र में वर्षों से गेंडों तथा अन्य संरक्षित पशुओं को मारते रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आखेट निषिद्ध क्षेत्र में हाल में होम गार्ड के कर्मचारियों तथा चोर शिकारियों के बीच हथियारों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने पशु मारे गये हैं ;

(घ) इस मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो इस आखेट निषिद्ध क्षेत्र के पशु-पक्षियों के जीवन की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अड़तालीस गैंडे ।

(घ) गोलियां चलने से सात व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ङ) अधिक गृहरक्षकों की नियुक्ति कर, आखेट निषिद्ध-क्षेत्र में पहरा और कड़ा कर दिया गया है ।

Applicants Seeking Admission in Government-Aided Industrial Training Centres in Uttar Pradesh

6581-F. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of candidates who submitted applications to the Government-aided Industrial Training Centres in Uttar Pradesh in 1966-67, 1967-68 and upto July, 1968, the number out of them who got admission and the number who passed ;

(b) the number out of them who belonged to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes, respectively ;

(c) the syllabus, number of seats, qualifications for admission, duration of training course and conditions for admission in each of the said training centres ; and

(d) the amount of Government aid received by each of the said training centres ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) to (c) : Information asked for in respect of the Industrial Training Institutes under the Craftsmen Training Scheme is given in the Statement, placed on the Table of the House.

[Placed in Library. See No. LT-1966-68]

(d) Rs. 2.242 Crores during 1966-67 and Rs. 1.382 Crores during 1967-68 have been given as Central assistance viz. 60% of the total expenditure. Institute-wise details are not available.

पढ़े लिखे बेरोजगार

6581-छ **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के अन्त में हाई स्कूल अथवा उच्च परीक्षा पास बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी,

(ख) इन व्यक्तियों को नौकरी दिलवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर): (क) इस सम्बन्ध में जानकारी केवल नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या द्वारा उपलब्ध है जो कि दिसम्बर, 1967 के अन्त में 10,87,371 थी ।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के विभिन्न कार्य-क्रम बेरोजगारों, जिनमें पढ़े-लिखे लोग भी शामिल है, को रोजगार के बढ़े हुए अवसर जुटाने के लिए, बनाये गये हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि के 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1966-67 के संशोधित अनुदान और वर्ष 1967-68 के बजट अनुदान

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा वर्ष 1966-67 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 1967-68 के बजट अनुमानों की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1941/68]

(2) 6 जून, 1968 को गुजरात के पंचमहल जिले की सर्वोदय स्टोन माईन में घातक दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति । (पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1942/68]

(3) 18 जुलाई, को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के 28 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखो गई । देखिये संख्या एल० टी० 1943/68 ।

बंगाल आवारागर्दी (संशोधन) अधिनियम

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बंगाल आवारागर्दी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 23) की एक प्रति जो दिनांक 7 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 1944/68]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियों और जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रमाणित लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को

जारी की गई उदघोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां और जिला परिषदों अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनानों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(क) उत्तर प्रदेश जिला परिषदें (समितियों का गठन) (पहला संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 27 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या 1801 बी /तैतीस II–1 (60)-66 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उत्तर प्रदेश जिला परिषदें और क्षेत्र समितियां (बजट और सामान्य लेखे) (संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 15 अप्रैल 1963 की अधिसूचना संख्या 2344-बी तैतीस –2–III·66 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) उत्तर प्रदेश जिला परिषदें (विभागाध्यक्ष) नियम, 1968, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या 2481-बी / तेतीस-II-1 आर 66 में प्रकाशित हुए थे।

(घ) उत्तर प्रदेश जिला परिषदें (सरकारी अधिकारियों द्वारा कतिपय पदों के धारण के लिये शर्तें तथा निबन्धन) नियम, 1968, जो दिनांक 23 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या 2480–बी / तैतीस -II-125-62 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1945/68]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी.1946- 68]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति के प्रतिवेदन के बारे में सरकारी संकल्प

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): मैं सरकारी संकल्प संख्या सी 2-8 (7) /67-पी टी (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के पेश किये जाने की अवधि बढ़ाई गई सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1947/68]

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति आदि का 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) एक भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) ऊपरके प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1948/68)

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी. एस. आर. 1487 जो दिनांक 13 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) पश्चिमी बंगाल चावल (वहन नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश 1968 जो दिनांक 20 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1547 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1948/68]

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गयी उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल 1968 की उद्घोषणा, की उद्घोषणा बारा परिवर्तित के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अप्रैल, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच- 1086 बारह बी-1073/68 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1948/68]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2746 की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूँ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री स० च० सामन्त (तालुक) : मैं याचिका समिति की छब्बीसवीं से छत्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

राज्य सभा से सन्देश
Messages from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है।

(एक) कि लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 1968 को पास किये गए बिहार विनियोग विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 26 अगस्त, 1968 को पास किए गए विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 26 अगस्त, 1968 को पास किये गए विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 27 अगस्त, 1968 को पास किए गए उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

याचिका समिति
COMMITTE ON PETITIONS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री स० चं० सामन्त: (तामलुक) मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

साक्ष्य

श्री स० चं० सामन्त: मैं याचिका समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

———

तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No 539.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): 19 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर में सभा पटल पर एक विवरण रखा गया था जिसमें उन संसद् सदस्यों के नाम दिये गये थे जो फरवरी से जुलाई, 1968 की अवधि में विदेश गये थे। यह सूची वित्त मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक को सिफारिश किये गये अनुमति पत्रों के आधार पर तैयार की गई थी और यह अनुमान लगाया गया था कि सम्बन्धित सदस्यों ने उन अनुमति पंजों का लाभ उठाया होगा। जब सदस्य इस तरह की जानकारी वित्त मंत्रालय को न दें तो वित्त मंत्रालय यह कैसे जान सकता है कि अमुक सदस्य ने उसका लाभ नहीं उठाया है। हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि श्री वेंकटासुब्बया ने यह दौरा नहीं किया। इसलिये उनका नाम सूची से निकाला जाना है। श्री मौर्य का नाम भी सूची से निकाला जाना है क्योंकि वह अब संसद् सदस्य नहीं रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): मुझे तो इस बारे में लिखित उत्तर को देखने से पहले पता ही नहीं था कि इस तरह की जानकारी देनी होती है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Shri Raj Narain did not undertake his tour of East Germany. Correction to this effect has not been made in the statement yet. Secondly, when Shri Maurya has ceased to be a member of Lok Sabha for the last 1.1/4 years how his name finds a place in the List ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बारे में पता लगाऊंगा और यदि कोई गलती होगी तो उसे दुरुस्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री राज नारायण के बारे में भी पता लगाकर सभा को सूचित करें।

———

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) 20 अगस्त, 1968 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देते हुए डा० राम सुभग सिंह ने मुझ पर निराधार आरोप लगाये थे। मैं उनके बारे में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

वे आरोप ये हैं।

(एक) उन्होंने कहा था : "आपने उसे आवास समिति के सभापति के पास भेजने के लिए कहा है"

वास्तव में बात यह है कि मैंने अपने तथा अपने परिवार के लिये पर्याप्त स्थान के आवंटन के लिये आवास समिति के सभापति को एक पत्र लिखा था जिसकी प्रतियां निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री तथा संसद् कार्य मंत्री को भेजी गई थीं।

(दो) उन्होंने कहा था : "आप मेरे पास आते हैं और सदस्यों के वेतन को बढ़ाने की मांग करते हैं।"

मैंने किसी से भी सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने के लिये नहीं कहा। इस प्रयोजन के लिये स्थापित की गई अनौपचारिक तथा औपचारिक समितियों के कार्यवाही वृत्तान्त से यह पता लगाया जा सकता है कि मैं ऐसे प्रस्ताव का कड़ा विरोधी रहा हूँ।

(तीन) उन्होंने कहा : "आप प्रतिदिन मुझसे मिलते हैं और कोई न कोई रियायत देने के लिये कहते हैं।"

संसद् सदस्य तथा अपने दल का सचेतक होने के नाते मैं बहुत से मंत्रियों तथा सदस्यों और दलों के सचेतकों से मिलता रहता हूँ परन्तु मैं मंत्री महोदय के पास अधिक नहीं जाता। मैं पिछले $1\frac{1}{2}$ मास में केवल एक बार उनके पास गया हूँ। मैंने उनसे किसी व्यक्ति विशेष के लिये रियायत नहीं माँगी है।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैंने जो कुछ कहा है मैं उस पर दृढ़ हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर मामला है। आप इसे अपने ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं।

श्री रंगा : मुझे यहीं पर यह कहने का अधिकार है। मंत्री द्वारा एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और सदस्य ने उन पर आपत्ति की है। और मंत्री महोदय खेद प्रकट करने के लिये भी तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को समाप्त नहीं कर रहा हूँ। माननीय सदस्य मुझे लिखें मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : एक वाक्य का वक्तव्य देकर मंत्री महोदय

की छट्टी कर दी गई है । उन्हें यह भी नहीं कहा गया कि वह माननीय सदस्य के वक्तव्य का अध्ययन करें। कठिनाई यह है कि मंत्री तो केवल सदस्य के कथन का खंडन करने की कोशिश करता है । सत्र समाप्त होने जा रहा है और आप श्री रंगा को लिखकर देने के लिये कह रहे हैं । क्या साल के अन्त में हम यह भावना लेकर जायें कि श्री बसु ने एक वक्तव्य दिया था जिसका कि मंत्री महोदय ने प्रतिवाद किया था और कि अब हम नहीं जानते कि वस्तु स्थिति क्या थी ?

(अन्तर्बाधाये)

श्री० पी० राममूर्ति (मदुरै) : एक माननीय सदस्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और माननीय मंत्री द्वारा इनका प्रतिवाद किये जाने के बावजूद मंत्री महोदय अपनी बात पर दृढ़ है । सच्चाई जानने के लिये कोई तरीका निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप सम्बन्धित नियम बताकर मामले को उठा सकते हैं ।

श्री रंगा : हमें आशा है कि अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय को निदेश देंगे । मैंने कहा था कि उनको झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिये। इस विशेष मामले में मंत्री महोदय अभी भी अपनी बात पर दृढ़ हैं। मेरा निवेदन है कि आप सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

कच्छ निर्णय के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377 RE. KUTCH AWARD

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the last week of the last session of the Lok Sabha I wanted to move a motion regarding conflicting views expressed by the Government spokesman in the House and by the Under Secretary of the Ministry of External Affairs in the affidavit. Shri Lal Bahadur Shastri made it very clear on the 11th May, 1965 that Kanjarkat, Byas Bet and Chadbet are part of Kutch and that we are not going to depart from this stand. But it has been stated in the affidavit that this area was in our adverse possession.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है ।

Shri Madhu Limaye : I am giving this statement with your permission. It is also on the agenda.

विधि मंत्री : (**श्री गोविन्द मेनन**) : उनका कहना यह है कि इसको अगले सत्र में लिया जाये ।

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है । अतः श्री मधु लिमये को इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला न्यायालय में हैं अतः इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती । मेरा विचार था कि माननीय सदस्य केवल वक्तव्य ही देना चाहते हैं । इसमें

सन्देह नहीं कि यह मामला कार्य सूची पर है परन्तु मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूँगा कि वह इसको आगे न बढ़ायें ।

Shri Madhu Limaye : I am not going against the rules. I am not discussing the merits of the case.

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये यह कहना कठिन है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : नियम 186 के अन्तर्गत यदि कोई मामला न्यायालय के समक्ष हो तो उसको यहाँ नहीं उठाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी भी मामले को आप की अनुमति के बिना नहीं उठाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं अनुमति नहीं देता तो यह मामला कार्य सूची में कैसे आ जाता । अनुमति देकर मैंने गलती की ।

श्री तिरुमल राव . (काकिनाडा) : श्री मधु लिमये को इसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : The matter could not be taken up on the previous occassion as the hon. Law Minister raised an objection saying that the matter is sub-judice. He also stated that it cannot be discussed in the House according to rules. Shri Govind Menon not only refused to lay a copy of the affidavit on the Table but he also raised an objection on laying a copy of the said affidavit by me.

On the 9th May you allowed me to place a copy of the affidavit on the Table of the House. You also stated that discussion on the notice of motion should be postponed untill the court has delivered its judgement. You had also stated that the matter is of public importance.

After the judgement of the Delhi High Court. I again gave notice of my motion which you admitted and circulated amongst the members.

Many times I demanded in the committees as well as in the House that preference should be given to my motion keeping in view your decision. But the hon. Minister of Parliamentary affairs did not give any attention to it for 33 days and he went against your ruling. This matter came before the Supreme Court on the 26th August and it has issued the following order :-

"Upon pursuing the petition and the accompanying documents and upon hearing the petitioner in person the court directed the issue of Rule Nisi, to be connected with other Kutch Matter. No ex-parte stay. But notice of motion may be taken out.

It means that it cannot be discussed here as the matter has become sub-judice once again.

I want to know from the hon. Minister of Parliamentary Affairs whether he was not dilly dallying the matter deliberately ? I would now request that after the judgement of the Supreme Court discussion on my motion may be allowed in the next session by giving preference to it and we should be given an opportunity to express our feelings and views.

(इस अवस्था पर दर्शक (महिला) दीर्घा में कुछ गड़बड़ी हुई)

(At this stage there was some disturbance in the visitor's (Ladies) Gallery)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् आपको इस पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है ।

विदेश विवाह विधेयक पर संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : JOINT COMMITTEE ON FOREIGN MARRIAGE BILL

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : 13 अगस्त को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए परिचालित कर दिया गया था । माननीय सदस्यों द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई थी उनको दूर कर दिया गया है । अतः मेरी प्रार्थना है कि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि उनको सभा की अनुमति है ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Mr. Speaker, I want to rise on a point of order. Yesterday a motion was put forward by Shri Salem. He wants that House should again give its decision on the motion which was decided by the House on 13th August. Now that is no longer before the House as the House has already given its verdict on that. That cannot be raised again by a member or by a minister. So it should be withdrawn. He can bring a new motion before the House and House will give its verdict on that.

अध्यक्ष महोदय : कल यह बात स्पष्ट हो गई थी कि प्रस्ताव को पहले परिचालित नहीं किया था तथा इस विषय को श्री श्री निवास मिश्र ने यहां उठाया था । कुछ नाम गलत लिखे गये थे अब उन्हें ठीक किया जा रहा है । श्री अब्दुल गनी दार ने इस पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे । जो सदन के सामने हैं ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, I withdraw my amendments. The hon. minister has no regard for the women.

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

The amendments, were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ । प्रश्न यह है कि :

(एक) कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए लोक-सभा में 13 अगस्त, 1968 को पेश किये गए प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

(क) 'श्री सी. एम. कृष्ण' के स्थान पर 'श्री एस. एम. कृष्ण' **रखिये,**

(ख) 'श्री लषण लाल कपूर' के **स्थान पर**

'श्री लखन लाल गुप्ता 'रखिये' और

(दो) कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का उक्त प्रस्ताव, संशोधित रूप में, पास किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

पंजाब तथा पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक तथा पंजाब सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RELATION TO PUNJAB AND PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

अध्यक्ष महोदय : मैं पंजाब सम्बन्धी उद्घोषणा का सांविधिक संकल्प तथा पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक दोनों को एक साथ चर्चा के लिए रखता हूँ। इन दोनों पर मतदान अलग-अलग होगा। इनके लिए 3 घन्टे समय है परन्तु यह महत्वपूर्ण मामले हैं, इस कारण समय कुछ बढ़ाया जा सकता है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अनुसार सभा के सामने एक समय दो प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पूर्व भी आपने मेरी बात स्वीकार की थी तथा श्री बाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करके ही दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा की थी। यदि नियमों का उल्लंघन होता रहा तो आगे पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी। मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा हो सकती है। परन्तु इन पर मतदान अलग-अलग होगा।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री यशवन्त राव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 23 अगस्त 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री यशवन्त राव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि पंजाब राज्य के विधान मंडल की विधियाँ बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राष्ट्रपति को 21 अगस्त को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में पंजाब के राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में संवैधानिक सरकार चलाना संभव नहीं है। वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है। इस लिए उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

पंजाब में 8 मार्च, 1967 को 8 दलों की सरकार का गठन हुआ। कुछ समय पश्चात कांग्रेस दल में से छः विधायक संयुक्त मोर्चा सरकार में जा मिले। अगले महीने कुछ व्यक्ति संयुक्त मोर्चे से कांग्रेस में जा मिले। नवम्बर में 17 विधायकों ने संयुक्त मोर्चा छोड़ा तथा कांग्रेस दल की सहायता से सरकार बना ली, इस सरकार को अल्पसंख्यक सरकार तथा जनता पार्टी सरकार कहते थे। उसके पश्चात जो भी हुआ वह सब को विदित है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।** Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हमने यह नहीं छुपाया है कि अल्प संख्यक सरकारों के कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। संसार के कुछ देशों में इस प्रकार के प्रयोग सफल हुये हैं परन्तु यहां ऐसा नहीं हो सका।

सरकार की अस्थिरता का प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण कांग्रेस दल ने अपना समर्थन समाप्त कर दिया। राज्य पाल ने मुख्य मंत्री से तथा कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे में सरकार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री से भी कहा कि क्या उनमें से कोई मजबूत सरकार बना सकता है परन्तु उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस स्थिति राज्य में पाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।

चुनाव आयोग द्वारा प्रबन्ध करने के बाद हम वहां चुनाव करायेंगे। जब तक अत्यावश्यक नहीं होगा हम राष्ट्रपति राज्य की अवधि नहीं बढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प की सदन द्वारा स्वीकृति की प्रार्थना करता हूँ।

इस विधेयक का उद्देश्य पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को विधायिनी शक्तियां सौंपने का है। यह इस प्रकार का पांचवा विधेयक है और अब इस सम्बन्ध में ब्योरा देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। राष्ट्रपति पंजाब सम्बन्धी विधायिका शक्तियों का उचित प्रयोग कर सकें, इस प्रयोजन के लिये हमारा एक ऐसी सलाहकार समिति बनाने का विचार है जिसमें पंजाब के माननीय सदस्य तथा दूसरे राज्यों के सदस्य सम्मिलित हों और जो विधायी उपबन्धों के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श दें। हमने पहले ही ऐसी परम्परा बना रखी है कि जिस उद्देश्य के लिये इस समिति का गठन किया गया है उसके अतिरिक्त सामान्य तथा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी उस समिति में चर्चा करने दी जाये ताकि वह आम जनता के विचारों से परिचित रहे।

यह समितियां बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सभा से सिफारिश करता हूँ कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 23 अगस्त, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

Shri Yujna Datt Sharma (Amritsar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill. The Governor has, in his report, said that ever since the formation of Gill Ministry in Punjab, a state of political instability has arisen there as a result of which the present situation has developed. The Governor has rightly stated that Gill Ministry is a minority Government backed by 17 members only and therefore, this ministry cannot continue for along time. But we are sorry to say that why did he wait for so long a period when he was aware of such a state of affairs. The President's rule should have been imposed nine months ago in the Punjab. If such an action had been taken in time, the maladministration in and corruption now prevalant in the Public life of the state could have been avoided. The Central Government is responsible for turning the office of the Governor into a politial office in the event of fall of non-Congress Government's in the State. The Governor

is supposed to look after the constitutional interests, but he has been made a political tool at the hands of the Central Government.

The Gurnam Singh Government has been ideal of all the non-Congress Governments set up in the country. That Government had the backing of the public but when Shri Gurnam Singh came to know that his Government has been reduced to a minority Government as a result of crossing of floor, he tendered his resignation as a true democrat should have done. But the lust for power of the Congress party has increased to such an extent that they helped in the formation of Government in Punjab of a party that had a backing of only seventeen members.

I would like to draw your attention to the state of affairs that has been created in the Punjab and I would like to quote a few instances in that connection. General Mohan Singh is a congress legislator. In order to wean him away from Shri Gian Singh Rarewala 1,000 quintals of wheat of PV-18 variety was purchased from him at a price of Rupees 175 per quintal for which the market rate then prevailing was Rs. 76 per quintal. He was allowed to earn a profit of Rs. 75,000 in order to cause a sabotage within the Congress. A sum of Rs. 35,000 was due from him on account of taccavi loan. When a lady Magistrate went to recover the amount due, a Gorkha employee of the General came out naked and told her to do what she liked. When the lady Magistrate wanted to lodge the report, her report was not registered.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lak Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Yujna Dutt Sharma : The opposition parties of Punjab had submitted a memorandum regarding the irregularities of Chief Minister Mr. Gill. The home Minister should conduct an enquiry regarding allegations contained in the memorandum.

A Junior Deputy-Commissioner has been appointed on the Public Service Commission on a salary of Rs. 2750 P. M. All such irregularities should be removed. If such irregularities continue, they will prove harmful to the state. All such cases, which the Government have instituted against innocent persons, should be withdrawn in order to remove political ill will in the state. In order to boost the morale of Government services all the government orders which are not justified should be withdrawn.

There might be certain difficulties in the way of holding mid-term elections but I feel that inspite of that elections can be held within six months.

श्री देविन्दर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। पंजाब में बनी अल्पसंख्यक सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग समाप्त हो गया है। पंजाब की समूची जनता को इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि उन्हें गिल और उसके साथियों के प्रशासन से छुटकारा मिला है। जनता दल की अल्पसंख्यक सरकार ने 9 मास तक जो कुशासन किया है उसके परिणाम का सामना हमें बहुत लम्बे समय तक करना पड़ेगा। जनता दल के शासन के दौरान सार्वजनिक व्यवहार की एक नई आचरण संहिता बनी। भ्रष्टाचार का एक नये तरीके से विस्तार किया गया।

अल्पसंख्यक दल के इस नौ महीनों के शासन में पंजाब को जो कुछ सहन करना पड़ा, उसका आधुनिक इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं मिलतीं ।

सब से अच्छी बात यह थी कि जब 1967 में पंजाब में किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तब राज्य में पुनः चुनाव कराये जाने चाहिये थे । गिल सरकार के पूर्ण कुप्रशासन के कारण पंजाब की जो बुरी हालत हुई, उसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और राजनैतिक दृष्टि से उस राज्य को पुनर्निर्माण करना होगा । हमें पंजाब की जनता के साहस को फिर से बनाना होगा तथा लोकतन्त्रात्मक मूल्यों में उनकी आस्था का पुनर्निर्माण करना होगा । जनता दल ने भ्रष्टाचार को राज्य की नीति बना कर सार्वजनिक साहस का स्तर निम्नतर कर दिया है ।

मैं गिल एण्ड कम्पनी के गुनाहों की कोई सूची नहीं दे रहा न ही उनके गुनाहों को क्षमा करता हूँ परन्तु जैसा कि श्री यज्ञ दत्त शर्मा ने कहा है मैं यह कहना चाहता हूँ कि गिल सरकार के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा दलों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में ज्ञापन पर कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि उस पर कार्यवाही न की गई तो इसका अर्थ यह होगा कि देश में प्रत्येक स्थान पर पदाधिकारियों को समय से लाभ उठाने तथा फिर उसके परिणामों से बच निकलने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जनता का विश्वास भंग करने के लिये पद से हटाना या त्यागपत्र दे देना या पदच्युत कर देना ही पर्याप्त दण्ड नहीं है । अधिक बड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता है ताकि दूसरे राज्यों में ऐसी प्रवृत्ति न बढ़ने पाये ।

जब पंजाब में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में पूर्ण आर्थिक स्थिरता पैदा हो गई, प्रशासन पूर्णतया खराब हो गया और संयुक्त मोर्चे द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को अपने साथ मिलाने के अनुचित प्रयत्न होने लगे तो कांग्रेस ने सरकार बनाने का श्री गिल का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे समर्थन दिया । यह एक प्रयोग था और वह असफल रहा है । ऐसे विभिन्न दलों के जैसे-तैसे मेल से जो सरकारें बनती हैं उनके बारे में प्रयोग असफल रहे हैं । हमें इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि न केवल ऐसे व्यक्तिगत सदस्यों पर जो एक दल को छोड़कर दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं, अपितु ऐसे दलों पर भी जिनके सिद्धान्त पृथक-पृथक होते हैं तथा जो सरकार बनाने के लिये एक दूसरे के साथ मिलने का प्रयत्न करते हैं, क्या प्रतिबन्ध लगाये जायें ।

जब तक कि सम्बन्धित दलों में चुनाव लड़ने के लिये कम से कम राजनैतिक कार्यक्रम पर सैद्धान्तिक आधारों पर चुनाव से पूर्व ही समझौता न हो जाये तब तक मिली जुली सरकारें नहीं बननी चाहिये । सार्वजनिक जीवन को साफ रखना सभी दलों का कर्त्तव्य है ।

यह आश्वासन दिया गया है कि पंजाब में चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे । जनता के निर्णय में अपना पूर्ण विश्वास होने के कारण मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): यह पांचवां राज्य है जहां राट्रपति शासन लागू किया गया है । राष्ट्रपति शासन का अर्थ यथार्थ में कांग्रेस का शासन ही है ।

इस समय भारत तीन भागों में बटा हुआ है । एक भाग में सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, दूसरे में गैर-कांग्रेसी सरकार का शासन है और तीसरे राष्ट्रपति का शासन है । अच्छा यह होता जब यह तीनों लोगों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने में प्रतिस्पर्द्धा करते परन्तु हो इसके विपरीत ही रहा है, वे एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुये हैं ।

[श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुये
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

उत्तर क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद अब कांग्रेस अपने सारे प्रयत्न अन्य गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने में लगायेंगी। परन्तु वे इस काम में सफल नहीं हो सकते क्योंकि उड़ीसा मध्य प्रदेश और मद्रास के लोग साहसी हैं और वे अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस को यह भ्रम था कि वह सत्ता में बनी रहेगी परन्तु पिछले चुनावों से उनका यह भ्रम दूर हो गया है। उनकी पुनः सत्ता प्राप्त करने की अभिलाषा से ही देश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है।

अपने दल का स्वार्थ देखने के स्थान पर देश का हित सर्वोपरि है, चाहे सत्ता में कोई भी हो उसका कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि वह लोगों की इच्छा का पालन करे। इन नौ राज्यों के लोग चाहते थे कि वहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें बनें। परन्तु कांग्रेस ने लोगों की इस अभिलाषा के साथ खिलवाड़ किया। सत्तारूढ़ दल को इन सरकारों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहिये था किन्तु इसके विपरीत उन्होंने गैर-कांग्रेसी सरकारों का चलना ही दूभर कर दिया है। इन सरकारों के गिरने का मुख्य कारण दल-बदली है। पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस के कुछ विधायक सत्तारुढ़ संयुक्त मोर्चे में चले गये क्योंकि वे सत्ता के भूखे थे; कुछ समय बाद इन दल-बदलुओं ने अपनी सरकार बनानी चाही और इस उद्देश्य से वे अपने पुराने सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करने गये और इस प्रकार गिल सरकार बनी। अन्य राज्यों में भी यही नीति अपनाई गई। कांग्रेस अपने दलगत हित के लिए राष्ट्र के हित को ताक पर रखने का संकोच नहीं करती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में व्यक्तियों की बजाय दल किन्हीं विचारधाराओं पर आधारित होने चाहिये और लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में दो प्रमुख दल ही होने चाहिये। इस समय देश में कई दलों की सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासनतंत्र की तरह की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

आशा है वहां पर जल्द ही मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे और इन चुनावों में केवल दो ही दल भाग लेंगे। इनमें से एक दल सरकार बनायेगा और दूसरा दल विरोधी दल के अपने कार्य को निभायेगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आज सरदार प्रताप सिंह कैरों की याद ताजा हो जाती है। उन्होंने कहा था कि वह पंजाब का और बटवारा करने के कतई पक्ष में नहीं है और यदि किसी दिन इसको बांटा गया तो यह दिन पंजाब में रहने वाले सभी लोगो के लिए बड़ा ही अशुभ दिन होगा। ये शब्द किसी ज्योतिषी के नहीं अपितु एक ऐसे महान व्यक्ति के हैं जो बहुत बड़े देशभक्त थे। उनकी प्रशासनिक सूझबूझ की प्रशंसा न केवल हमारे जैसे छोटे लोग ही करते हैं। परन्तु महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी भी क्या करते थे। उन्होंने पंजाब में स्थिरता बनाये रखने के लिए फूट डालने वाले तत्वों को इस प्रकार दबाया कि वे उनके काल में सिर नहीं उठा सके। यही कारण है कि आज पंजाब राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से देश भर में दूसरे नम्बर पर आता है। हरियाना को संयुक्त पंजाब में ही बने रहने का गर्व था।

परन्तु गत छः महीनों में जो कुछ वहां हुआ है उसको देख कर हमें नतमस्तक होना पड़ता है।

Unfortunately President's rule has to be imposed in Punjab. Late Pratap Singh Kairon, former Chief Minister of Punjab was the best administrator and he formulated his policies

keeping in view the interest of the farmers. The Gill Government was also following a similar policy but after sometime he became puppet of capitalists. In view of this it was difficult for the congress party to support Gill Government. As a result thereof Shri Gill had to resign. President's rule was imposed only when no other party came forward to form the Government. The action of congress party was fully justified. The Punjab is a prosperous state of India and we want that there should be a stable Government in that State. I am also of the view that there should be one party in power as S.V.D. Governments have proved to be a failure.

It is understood that a consultative committee is being formed for Punjab as in case of U. P. and West Bengal I would suggest that this committee should be equipped with some powers this committee should function as Mini-parliament.

The month of February would be best for elections in Punjab, otherwise it would be difficult for the farmers to cast their votes.

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : आज जो लोग विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, वही लोग लोकतंत्र को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं। जो व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास रखता है वह अपने देश में नजरबन्दी शिविरों को सहन नहीं कर सकता।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कांग्रेस दल गिल सरकार का समर्थन करके एक प्रयोग कर रहा था। वास्तव में कांग्रेस दल को इस बात का विश्वास हो जाना चाहिये कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। उन्हें विरोधी पक्ष के रूप में कार्य करके यह सिद्ध कर देना चाहिये था कि उन्हें जनता का अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिये। परन्तु उन्होंने शक्ति की लालसा के वशीभूत होकर पंजाब और बिहार में कठपुतली सरकारों का समर्थन किया।

कांग्रेस दल संयुक्त मोर्चा सरकारों की सदा आलोचना करता रहा है और उनका उपहास करता रहा है। परन्तु क्या विभिन्न दलों द्वारा मिलकर सरकार बनाना कोई पाप है? उदाहरण स्वरूप केरल सरकार पिछले दो वर्षों से प्रशासन को सुचारु रूप से चला रही है।

परन्तु बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकारों को टिकने नहीं दिया। कठपुतली सरकारों का समर्थन करने से कांग्रेस की शक्ति की लालसा प्रकट होती है। यह देश का दुर्भाग्य है। वास्तव में हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे।

जब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस दल पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना सकता तो उन्हें राष्ट्रपति का शासन तत्काल लागू कर देना चाहिए। परन्तु वे समय का लाभ उठा कर कुछ सदस्यों को अपने दल में मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है।

यह बड़ी विचित्र बात है कि कांग्रेस के लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन से लोगों को राहत मिली है। क्या यह बात उनके लोकतंत्र में विश्वास की द्योतक है? क्या इसका अर्थ यह है कि जनता को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? इन्हीं बातों के कारण मैं इस देश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में चिन्तित हूं।

श्री गु० सि० ढिल्लों (तरनतारन) : जब हम पंजाब के मामलों के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें उस दुर्भाग्य पूर्ण राज्य की स्थिति की तुलना उन अन्य राज्यों से नहीं करनी चाहिये जहां

राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गयी है। पंजाब पहले धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था और फिर दूसरी बार भाषायी आधार पर अथवा क्षेत्रीय आधार पर तथा अन्य कई बातों पर विभाजित हुआ है।

जब हम पंजाब की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो हम बड़ी भारी गलती करते हैं कि शायद वहां की राजनीति विशुद्ध रूप से आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर आकार ग्रहण करे और यही कारण है कि स्वतंत्र दल अथवा अन्य दलों के सदस्य वास्तविक स्थिति को जानने के बजाय उन विचारों पर बल दे रहे थे।

सरदार प्रताप सिंह कैरों के प्रशासन के बारे में यहां कहा गया, वह एक बड़े दृढ़ शासक थे, उनमें योग्यताएँ थीं और उनमें गुण और दोष दोनों थे, लेकिन उनके बाद आज राज्य में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। आज वह स्थिति नहीं है जो पहले थी। हरयाणा पंजाब से पृथक हो गया है। जो लोग यह समझते हैं कि पंजाब की राजनीति बहुत स्पष्ट और सादी है वह गलती पर हैं।

भाषायी वाद विवाद के आवरण में साम्प्रदायिक झगड़े खड़े हुए लेकिन इसका कारण वास्तव में भाषा नहीं है अपितु कुछ और भी है। मेरे विचार से स्वतंत्र पार्टी, एस० एस० पी० अथवा पी० एस० पी० में से कोई भी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगा। कांग्रेस को भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है भले ही पहले कुछ वर्षों तक उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त था, हम उस दल का स्वागत करेंगे जो सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर आधारित होगा। हमें उस दल का शासन स्वीकार होगा जो हमें यह आश्वासन देगा कि वे साम्प्रदायिक तत्व को निकाल बाहर करेंगे और आर्थिक नीतियों पर आधारित शुद्ध प्रगतिशील समाजवादी राज्य की स्थापना करेंगे।

पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् हमने देखा कि प्रधान दल समान रूप से सन्तुलित थे, कांग्रेसियों की संख्या 48 थी और बहुमत के लिये केवल 53 अपेक्षित थे। केवल 5 सदस्यों की कमी थी। विपक्षियों ने इसका लाभ उठाया और तब कुछ दल-बदलु विरोधी दल में शामिल हो गये तथा संयुक्त मोर्चा (यूनाइटिट फ्रन्ट) कायम किया। जिस दौरान वहाँ संविद का शासन था यह उल्लेखनीय है कि वे किसी एक सम्मिलित कार्यक्रम के लिये सहमत नहीं हुए और प्रत्येक दल अपनी वैयक्तिक नीतियों को चलाना चाहता था। समाजवादी दल कुछ श्रमिक सुधार करना चाहता था लेकित जनसंघ उसके विरुद्ध था। जनसंघ कुछ और सुधार चाहता था लेकिन दूसरों ने उसका विरोध किया। बेचारे गुरनाम सिंह की दशा डांवाडोल थी। तब कुछ दल बदलुओं ने अन्य राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों के साथ दल बदल किया और उन्होंने अचानक यह घोषणा की कि वे एक 'जनता-दल' बनाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश 'जनता' शब्द का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह घोषणा की कि भविष्य में वे गांधी जी की नीति तथा गाँधी दर्शन से मार्ग दर्शित होंगे और कांग्रेस शासन का अनुसरण करेंगे। इस बात से काँग्रेस कुछ ललचा गई और उसने श्री गिल को सरकार बनाने का मौका दिया। अपनी कार्यावधि के दौरान श्री गिल का आरम्भ अच्छा था। कांग्रेस दल के लिये भी अल्प संख्यक दल अथवा अल्प संख्यक सरकार का समर्थन करना एक नई बात थी। इसे अल्पसंख्यक दल कहना मिथ्या नाम देना है वास्तव में, इसे दल बदलुओं का समूह कहना चाहिये। हमने सोचा था कि अगर वे कांग्रेस की नीतियों का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें अवसर दिया जाय। लेकिन वे भूमि-सुधार के मामले में सहमत नहीं हो सके। कांग्रेस ने पंजाब में भूमि की अधिकतम सीमा 30 एकड़ निर्धारित कर रखी थी। गिल सरकार के कुछ

मंत्रियों ने जनता के सामने कहा कि वे उस नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं और इस उच्चतम सीमा को पहले की भांति 40 या 50 एकड़ निर्धारित करना चाहते हैं। कांग्रेस परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लिये बचनबद्ध थी और उसने एक बड़े भाग का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था और केवल दो क्षेत्र ही बचे थे। लेकिन अचानक गिल सरकार ने इसके विपरीत कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी। इससे अल्पसंख्यक सरकार के समर्थकों को क्षोभ हुआ। कांग्रेस दल उसको पूर्ण समर्थन न दे सका क्योंकि हम सदा सचेत रहते थे कि गिल सरकार द्वारा लोकहित को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, यह बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने अपना समर्थन उचित समय पर वापिस लिया। चाहे उन्होंने बड़ी भूल की अथवा प्रयोग किया, मैं मानता हूँ कि उस राज्य के इतिहास में यह बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण अवधि थी।

मैं राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूँ। इस बात को देखते हुये कि किस प्रकार सेवाओं को हतोत्साहित किया गया तथा किस प्रकार प्रशासन प्रक्रिया का उपहास किया गया, राष्ट्रपति शासन को, प्रशासन में सुधार लाने के लिए तथा लोगों में सरकारी तंत्र में विश्वास पैदा करने के लिये, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। यदि हम इस समय भी असफल हो गये तो हमारे पास अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राज्य मंत्री महोदय ने हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कांग्रेस दल तथा अल्पसंख्यक समूहतों के बीच पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब राज्यों में कुछ महीनों के लिये जो दिखावटी मैत्री हुई थी वह केवल राजनैतिक प्रयोग था।

इस बात को सभी जानते हैं कि इन सारे महीनों में इन अल्प संख्यक सरकारों को बिना उत्तरदायित्व के शक्ति प्रदान की गयी। कांग्रेस दल इसके लिये उत्तरदायी था क्योंकि बिना कांग्रेस के समर्थन के ये अल्प संख्यक समूह एक दिन भी नहीं टिक सकते थे। अब कई साथी जो दलबदल के बारे में आंसू बहा रहे हैं, मैं दलबदल के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप जानते हैं कि किस दल में यह दलबदल नहीं हुआ और किस दल में यह कार्य अधिकतम हुआ है।

जो दल विचार धारा की दृष्टि से दृढ़ होता है उसमें कम दलबदल होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि विभिन्न विचार धाराओं वाले दलों पर जिनका कोई सम्मिलित कार्यक्रम नहीं होता प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में संयुक्त मोर्चा चुनाव लड़ेगा और कई मामलों में जीतेगा भी। लेकिन वे एक सम्मिलित कार्यक्रम पर आधारित होंगे। पिछले चुनावों के पश्चात लोगों की भावनाओं से पता चलता था कि वे एक गैर-कांग्रेसी बहुमत चाहते थे। मैं पूछता हूं कि लोग एक ही ऐसे दल के शासन को क्यों सहन करें जिसमें कई परस्पर विरोधी विचार धारायें हैं, और जो परस्पर झगड़ते रहते हैं? वह विभिन्न दलों से बने संयुक्त मोर्चा दल से कैसे अच्छा है?

मंत्री महोदय को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि जब तक कांग्रेस ने सोचा कि गिल सरकार का समर्थन करने से धीरे-धीरे वे शक्ति में आ जायेंगे, उन्होंने उसका समर्थन किया और जब उन्होंने बात अपने विपरीत होते देखी तो तब पीछे हट गये। अब इस प्रकार का बहाना बनाने से कोई लाभ नहीं कि वे एक राजनैतिक प्रयोग कर रहे थे।

राज्य का प्रशासन केवल बड़े अधिकारियों द्वारा ही नहीं चलता अपितु इसमें अल्प वेतन

भोगी कर्मचारियों का भी हाथ होता है। गिल सरकार ने इनके लिए क्या किया है, सरकार और कर्मचारियों के मध्य जनवरी, 1967 को एक करार हुआ था जिसके अन्तर्गत सरकार को पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस देना था परन्तु सरकार ने इसको क्रियान्वित नहीं किया, फलस्वरूप कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, इस पर गिल सरकार ने उन पर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। 150 व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के अपराध में बर्खास्त कर दिया। 200 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, 98 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस केस हैं। रोडवेज कर्मचारियों के यूनियन के महासचिव को जेल में बन्द कर दिया गया और उन पर यह अभियोग लगाया गया कि वे षड़यन्त्र द्वारा श्री गिल की वैध सरकार का तख्ता उलटाना चाहते थे। करीब 2,000 कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस महीने की 20 तारीख को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधि-मण्डल संसद भवन में मन्त्री महोदय श्री चव्हाण से मिलने आया था। मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। यह केन्द्र की जिम्मेवारी है कि वह कर्मचारियों के साथ न्याय करें जिससे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के मन में विश्वास उत्पन्न हो और इस प्रकार वे प्रशासन को उचित ढंग से चलाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

गिल सरकार को बर्खास्त करने के बाद अगर ज्ञापन में लगाए हुए अभियोगों की जांच नहीं की जाएगी तो जनता का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जायगा। वह यह समझेगी कि सरकार भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। श्री गिल ने विधान सभा के कई कांग्रेसी सदस्यों को विशेष सुविधायें, परमिट, लाइसेंस देकर खरीद लिया था और उनको अवांछनीय तरीकों से धन बटोरने की अनुमति दी थी। इसकी जांच करनी होगी।

गुप्तचर विभाग में कई हेर-फेर किए गए और उनका प्रयोग श्री गिल ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने में किया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं के विरुद्ध मनगढ़न्त अभियोगों को लगाया गया। परन्तु किसी ने भी इस बारे में कुछ न कहा। श्री गिल ने विधान सभा के कक्ष में सादे वस्त्रों में पुलिस और गुण्डों को आने दिया और उनका प्रयोग विधान सभा के अहाते में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए किया गया, पंजाब में पुलिस का शासन चल रहा था और वहां का शासन तंत्र भ्रष्ट हो चुका था। पंजाब में चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिये। इसी बीच जांच आयोग की स्थापना करनी चाहिये जो इन अभियोगों की जांच करे और देखे कि सरकारी कर्मचारियों को अपने अधिकार प्राप्त हों और उनके प्रति अन्याय न हो।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The Congress won 48 seats during General Election in Punjab whereas various political parties secured less seats. To-day in the State of President rule the United Front say that the people are with them. But the result of General Election has itself shown that the people are with the Congress. No party had the power to secure the number of seats that Congress won. Six or seven parties were organised to form United Front. Shri Lachman Singh Gill was an effective Minister in the Ministry of Shri Gurnam Singh. At that time the Jan Sangh and Communists had no grouse Shri Lachman Singh Gill. They did not mind when some Congressmen defected to their side and they were offered ministership. At that time the Communist and Jan Sangh bought them over by offering high posts. But now when some of their members defected to Congress, they began to think that defection is not good. They began to quarrel among themselves after a rule of nine months. Actually the United Front Government was the combination

of different ideologies and due to this everyone has his own say in the administration. Shri Lachman Singh Gill was regarded a thorough gentleman and Sant Fateh Singh always backed him. But when Shri Gill joined Congress due to some differences with the United Front Government, then he was regarded a very bad man. Shri Gill declared that he wanted to run the administration on the basis of his experience and the Congress gave him a chance. The opposition parties began to shout against him.

I ask the leaders of Jan Sangh and Communists why they did not say against Shri Gill when he was in their Ministry. At that time he was regarded a very honest but as soon as he joined the Congress, all the opposition leaders started venomous propaganda against him. The opposition parties have created a 'Tamasha'. One who join the opposition party, he is regarded as good but no sooner he joins the Congress, the opposition parties declare him a dishonest.

Recently, in Punjab, such a situation took place that eleven M.L.A.s wanted to join the Congress. As such the Congress was in clear majority to form a Government in Punjab, but the Congress High Command and some Members of Parliament and Congress M.L.A's decided not to form Government in Punjab. All the concerned should go to the public and ask for votes. In other words there should be fresh election and those who come out with flying colours should form a stable Government. Unless and until there is a stable Government, no progress can be achieved.

The people have understood that there can be no United Front Government, because they have different ideologies and due to this it is very difficult to pull on the administration smoothly.

The Jan Sangh and Akali Dal should take it for granted that by forming United Front Government of different ideologies, they cannot run the administration. I congratulate the Government for proclaiming President's rule in Punjab, because there was no other way out.

सार्वजनिक दीर्घा की घटना

INCIDENT IN THE PUBLIC GALLERY

सभापति-महोदय : श्री एस० एम० जोशी ।

श्री नाथपाई : महोदय, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करें । नियम 387-क के अन्तर्गत यह कहा गया है :

"अध्यक्ष द्वारा इस विषय में प्राधिकृत सचिवालय का कोई पदाधिकारी किसी अजनबी को, जिसे कि वह सभा के परिसर के किसी भाग में, जो सदस्यों में अनन्य उपभोग के लिये रक्षित है, देखे या जिसका वहाँ होना उसे बताया जाये, और ऐसे किसी अजनबी को भी, जिसे सभा के परिसर के किसी भाग में प्रविष्ट कर लिया गया हो, जो स्वयं दुर्व्यवहार करे अथवा अध्यक्ष द्वारा नियम 386 के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों का जान-बूझ कर उलंघन करे या सभा की बैठक के समय नियम 387 के अन्तर्गत जब अजनबियों से बाहर जाने को कहा जाये, तो बाहर न जाये, सभा के परिसर से हटा देगा अथवा अभिरक्षा में ले लेगा ।"

सभापति महोदय, सार्वजनिक दीर्घा में जो दुखद घटना घटी उसके बारे में आपको भी मालूम है ।

सुरक्षा गार्डों की उन कठिनाइयों को हम समझते हैं जिनका सामना उनको सभा की कार्यवाही में अजनबियों द्वारा खलल को रोकने के लिये करना पड़ता है। लेकिन दीर्घा में सुरक्षा स्टाफ के आदमियों द्वारा उस युवती के साथ हाथा पाई करने के कार्य से कोई भी खुश नहीं था। सुरक्षा स्टाफ़ में और अधिक महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिये। जिस प्रकार उस युवती को खींच कर बाहर निकाला गया उस तरीके से शायद आप भी खुश नहीं थे। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में एक सरकारी वक्तव्य दिया जाये कि बात क्या हुई थी और उस युवती के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया।

सभापति महोदय : मैं सरकार को आपके विचारों से अवगत कराऊंगा।

पंजाब संबन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प तथा पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTIONS RE. PROCLAMATION IN RELATION TO PUNJAB AND PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL Contd.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I congratulate the Government for proclaiming President's rule in Punjab because there was no other alternative.

We want democracy in this country but it is not a thing to be purchased from the market. In such a large country of ours, which is the largest democracy in the world, it is not easy to make it a success.

Congress ruled for about twenty years but people were now fed up with that rule for some reasons. Therefore the Congress was defeated and their majority vanished. But there was no homogeneous party in the States to run the administration like DMK in Madras State. In these circumstances it was our duty to give a good and sound Government. Today we do not want President's rule but rule of the people, and on these lines we formed Fronts and as a result non-Congress rule came in the country. That rule could not last longer. But we should learn lesson from that also. That non-Congress rule was not also so bad as is being told. One good result of the non-Congress Government was that the ill-will and the communal feelings between the Sikhs and Hindus were removed, and the brotherly relations were restored.

The way Gurnam Singh's Ministry was dismissed and the minority Government was supported was far from fair. Now you are also realising this fact. That was a wrong experiment. That has not helped the people. In future, there should be no such experiment. The big party should not support a minority party to form the Government. Jana Sangh and Communist cannot rule by joining hands together, but as the people desired so it happened. The public demanded a non-Congress Government. We advise that in future there should be no experiment of "Shikhandi" Government. It has harmed the country. The area of Punjab is very important for our country and for the defence and safeguard of our freedom there should be a stable Government. There should be healthy trends in that State. We should make efforts to establish democracy in that State.

The Home Minister has done nothing so far for the Government servants who were victimised by the Gill Ministry. But now there is President's rule. Therefore, justice should be given to them.

Every body says that Gill's administration was bad and corrupt. The complaints against Mr. Gill should not be taken lightly and a Judicial Commission should be appointed to go into all these cases and the defaulters should be punished.

With these words I support the motion.

सार्वजनिक दीर्घा में घटना के सम्बन्ध में
RE. INCIDENT IN THE PUBLIC GALLERY

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या बना ? आप सभा को उसके बारे में कब सूचित करेंगे ? हम पूरा विवरण चाहते हैं ।

सभापति महोदय : मैं पत्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ । एक स्त्री नारे लगा रही थी और वहाँ से हटा कर उससे पूछताछ की जा रही है । आज अन्यथा कल प्रातः उसके बारे में सूचित कर दिया जायेगा । शायद उसे अब तक छोड़ भी दिया गया हो ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, I rise to support the resolution before the House.

The Congress party has given a democrative form of Government to the country. But after the election of 1967, we found parties like Jan Sangh, Akali Dal and Communists who were sworn enemies of each other came together and formed Government in Punjab. The Government of Sardar Gurnam Singh stopped supplies of foodgrains to the Himachal Pradesh. Because of such divisions that Government fell.

It was succeeded by Gill Ministry. Congress supported that Ministry on experimental basis. We wanted democracy to have deeper roots. Now some allegations have been made against the working of that Government. The Governor of Punjab has made a statement that he received complaints against that Government even when that Ministry was in office but he did not take any action as he himself was just a Constituional head. On reading this statement I want the Home Minister to vest the Governors with more powers so that they may take immediate action when allegations are made against a Government in power.

I am sorry when I see the State of affairs in Punjab now. I can tell Shri Inderjit Gupta that his Communist party would not cut much in this line in the coming elections.

The policy of Jan Sangh is self contradictory in the States of Punjab, Haryana and Chandigarh on the issue of Chandigarh.

I want the Government to have the allegations made against the Gill Government investigated by an impartial authority.

I support the resolution.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : इस समय हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं । यह पांचवां राज्य है जहाँ राष्ट्रपति राज्य लागू किया गया है । देश में तीन प्रकार के राज्य हैं । एक वे जिनमें कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है; दूसरे वे जहां गैर-कांग्रेस सरकार कार्य कर रही हैं तथा तीसरे वे जहाँ राष्ट्रपति का शासन है ।

गत चुनाव में जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध निर्णय दिया । अब वे दोबारा शासन में आना चाहते हैं ।

जब से पंजाब में गिल सरकार बनी वहाँ अराजकता फैल गई। राजनीतिक हितों के कारण गिल सरकार को लाया गया था। गिल सरकार के समय प्रशासन का मनोबल नीचे चला गया। वहाँ 2000 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया तथा 9000 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया। जेलों में उनको पीटा गया। वहाँ का बजट केवल 2 मिनट में पास हो गया जैसा कि अब तक कहीं नहीं हुआ था। मेरी पहली मांग यह है कि एक उच्च सत्ता प्राप्त समिति नियुक्त की जाये जो गिल सरकार के इन सब मामलों की जांच करे।

दूसरे जो मुकदमे लोगों को तंग करने के लिये चलाये जा रहे हैं वे वापिस लिये जायें। मैं यह भी मांग करता हूँ कि शीघ्र अति शीघ्र वहां चुनाव कराये जायें।

Shri Kikar Singh (Bhatinda) : Sir, I am thankful to the Government for the promulgation of President's rule in Punjab.

We saw that Sardar Gurnam Singh had united Hindus, Muslims and Sikhs in a manner as was done by Maharaja Ranjit Singh. But the Congress party would not tolerate him.

My second request is that immediate action should be taken on the memorandum presented to the Government against Gill Government. Congress party has always indulged in dividing people and has encouraged defections.

Those Ministers who belong to Punjab and have now joined the Central Government have never voiced the true grievances of the people of that area. The budget of Punjab was passed in just 15 minutes. The High Court rightly candemned them.

The three Prime Ministers of India are noted for their following achievements :

1. Shri Jawahar Lal Nehru got constructed canals and tubewells.
2. Shri Shastriji got manufactured arms. But Smt. Indira Gandhi has served the Indian people by* *

I am thankful to you for the promulgation of President's rule and I welcome that.

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय पंजाब में जो राजनीतिक नाटक हुआ है उसने भारत की जनता को एक मार्ग दिखाया है। अब दल बदलने वालों को भी सबक सीखना चाहिये।

राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन को बताया कि गिल सरकार ने बहुत से लोगों को परमिट आदि दिये तथा बहुत से कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये और उनकी पदोन्नति की। वहाँ कानून तथा व्यवस्था समाप्त हो गई परन्तु इस पर उन्होंने कार्यवाही इस कारण नहीं की क्यों कि वे एक संवैधानिक अध्यक्ष हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उन्होंने उन शिकायतों को केवल मुख्य मंत्री के पास भेज दिया।

मुझे पता लगा है कि ऐसे मामलों की जाँच के लिये राज्य पाल ने एक छोटा सा विभाग स्थापित किया है। मेरी मांग यह है कि इसकी पूरी जाँच हो तथा एक जाँच आयोग स्थापित किया जाये।

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*Expunged as ordered by the Chair.

मैं पंजाब में पाशविक राज्य का एक उदाहरण देता हूँ। प्रजा समाज वादी दल के वहां के एक नेता श्री कृष्ण एक बार लुधियाना में पुलिस थाने में जनता की शिकायत लेकर गये जहां उन्हें पुलिस के डी० एस० पी० ने हथकड़ी लगवाई तथा उनका मुंह काला करके नगर के बीच से निकाला और उनकी पिटाई की। मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जाँच हो तथा अपराधी अधिकारियों को दंड दिया जाये।

श्री अमरसिंह सहगल (बिलासपुर) : महोदय श्री किंकर सिंह ने अपने भाषण में श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। मैं चाहता हूँ कि उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : जो शब्द प्रयोग किये गये हैं उन्हें हटाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनकी जांच करूँगा और यदि वे असंसदीय हैं तो उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जायेगा।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): Sir under rule 110 I want to raise a point of order. This Bill is to be replaced by a new Bill and moreover it will strengthen the hands of bureaucracy. It should be withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह बात नहीं उठाई जा सकती।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Sir, the Governor in his report has stated that the Congress party lent its support to Gill Government and those legislations were drawn tagether not by any ideological affinity but by a desire to gain political power.

Sir overnight a new party was formed because the Congress people wanted power. The result was obvious.

Today we find that Congress has been divided within itself. In Punjab also some Congressmen are supporting Gill Government while others are opposing it. Shri Gill used to say that he can at any time bring some Congressmen in his own Group. Such was the State of affairs of Congress in Punjab.

Now I would like to draw your attention towards the advisers that have been appointed for Punjab affairs. One is the Chief Secretary of Madhya Pradesh and the second is the Chairman of State Trading Corporation. As far as the former is concerned he was involved in Bastar affairs. So is the case of the latter. Both of them are discredited persons.

As there was no Session of the Punjab Assembly hence the necessity to do a lot of legislative work has been felt. In this connection I would like to suggest that the Consultative Committee consisting of Members of Parliament should be given free rights.

I would also like to suggest that all the illegal action done by Gill Government should be declared null and void. At the same time I would like to suggest that Governmental enquiry should be made in regard to the memorandum given by opposition parties.

At the end I would like to say that as per assurance given by the Home Minister the difficulties of the Government employees especially Transport employees of Punjab should be removed.

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I have been the Member of the Punjab Assembly for more than ten years. I would like to make it plain that I am not in favour of President's rule anywhere in India. If at all they had a complaint against Shri Gill they could have filed a suit against him in the court of law. I would like to know what prevented

the Government to take action against Shri Gill. But as he had defected and joined their party so that prevented the Government to take action against him.

Lord Hastings and Lord Clive established their rule in India with their wisdom and diplomacy but when they committed mistakes punishment was awarded to them. Similarly an enquiry should be instituted against Shri Gill if he has committed atrocities on the people. If there were complaints against Shri Gill he should have been sued in the court of law but by imposing President's rule in Punjab the rules of democracy have been violated. Instead of imposing President's rule the culprit concerned should be punished. Only then the democracy could be saved.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि इस सभा के सभी वर्गों ने तथा इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने पंजाब की विधान मंडलीय कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिये सलाहकार समिति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव का तथा विधेयक का समर्थन किया है। चूंकि इस प्रस्ताव के बारे में कोई खास बात नहीं कही गई है इस लिये मैं इस के विस्तार में न जाता हुआ केवल माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। श्री श्रीचन्द गोयल ने अल्पमत सरकार का समर्थन करने के बारे में कांग्रेस दल की आलोचना की थी परन्तु वह इस बात को भूल गये हैं कि अल्पमत सरकार का समर्थन करने की प्रथा उनके दल जनसंघ ने उस समय कायम कर दी थी जब उसने हरियाणा में अल्पमत की सरकार का समर्थन किया था। उस समय तो इस कार्यवाही को अच्छा समझा गया था परन्तु अब जब कि कांग्रेस दल ने ऐसा किया है उसे बहुत बुरा बताया गया है। अतः माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसे मामलों पर विचार करते समय राजनीति को बीच में न लाया करें।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री लक्ष्मण सिंह गिल के बारे में भी यह चीज है। मैं उनके पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु सच्चाई तो यह है कि जब तक वह संयुक्त मोर्चा सरकार में रहे तब तक उन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति कहा गया परन्तु संयुक्त मोर्चा सरकार से अलग होने पर जब उन्होंने अपना मंत्रिमण्डल बना लिया तो उनके बारे में यह कहा जाने लगा कि वह अच्छे व्यक्ति नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी सदस्य पसन्द नहीं करेगा। इस लिये मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे मामलों पर विचार करते समय हमें किसी भी व्यक्ति के दोषगुणों पर विचार करना चाहिये तथा राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये।

मैंने अपने भाषण के आरम्भ में ही कहा था कि हम चाहते हैं कि पंजाब में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायें। इसके लिये हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि वह राजनीतिक दलों से परामर्श करें और जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराने की तारीख निश्चित करे।

मुझे पुनः इस बात का खेद है कि श्री गोयल ने राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्हें उन अधिकारियों के पुराने इतिहास का कैसे पता चला है। जो अधिकारी यहां उपस्थित न हों उनकी निन्दा करना हमारी प्रथा के प्रतिकूल है। इसके अलावा सलाहकारों की नियुक्ति के बारे में सरकारी तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। यदि घोषणा हो भी गई होती तो भी उनकी अनुपस्थिति में उनके खिलाफ कोई बात कहना उचित नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि यदि वह सलाहकारों के काम को देखें तो वह कभी उनकी आलोचना करने का साहस नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 23 अगस्त, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि पंजाब राज्य के विधानमंडल की बिधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड दो को विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड दो विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 पर कुछ संशोधन है।

श्री अब्दुल गनीदार : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 4, और 5 प्रस्तुत करता हूं।

I don't like that there should be President's rule in any State. That has been imposed in the State of Punjab. The Congress was defeated in the last elections and now the Congressmen say that they will get a very good majority there, but my submission is that they should wait upto 30th November when the election result will show whom the people like.

It has been said that a Consultative Committee will be formed which can help the President in framing rules. In my amendment I have moved that that Committee should be a sort of small Assembly which should be taken into full confidence.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 के सभी संशोधन सभा के समक्ष रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक

CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने तथा कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई तथा प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् —

श्री नीतिराज सिंह, श्री विद्या चरण शुक्ल, श्री अंकिनीडू, श्री एस० एम० सिद्दह्या, श्री छ० म० केदरिया, श्री अनिल कु० चन्दा, श्री असगर हुसैन, श्री मानवेन्द्र शाह, श्री बसुमतारी, श्री० यशवन्तराव चव्हाण, श्री जयपाल सिंह, श्री हेम राज, श्री जगन्नाथ राव जोशी, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री लोबों प्रभु, श्री अ नमल खां, श्री ईरा सेझियान, श्री जे० एच० पटेल, श्री बासुदेवन नायर, श्री राममूर्ति, श्री एम० मुहम्मद इस्माइल, श्री पी० विश्वम्भरन, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

श्री श्री चन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैंने दो प्रस्ताव पेश किये हैं । एक तो यह कि विधेयक को सार्वजनिक राय लेने के लिये परिचालित किया जाये तथा दूसरा प्रस्ताव यह है कि इसे संयुक्त समिति को सौंपा जाय । वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् के द्वारा दिये गये निर्णय को लागू करना है । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेर (कोजीकोड) : मैंने भी इस विधेयक को परिचालित करने अथवा उसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। आज सुबह मैंने अध्यक्ष महोदय से बातचीत की थी तथा उन्होंने मुझे कहा था कि वह इस बात का ख्याल रखे गये कि मुस्लिम लीग दल के नेता श्री मुहम्मद इस्माइल को इस समिति में लिया जाये। अतः मेरा प्रस्ताव है :

"कि श्री एम मुहम्मद इस्माइल का नाम संयुक्त समिति में शामिल किया जाये।"

श्री विद्याचरण शुक्ल :मुझे उनका नाम शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसके लिये श्री कुन्टे का नाम निकालना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को पहले सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि "दत्तात्रय कुन्टे" के स्थान पर "श्री एस. मुहम्मद इस्माइल" का नाम रखा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रस्ताव, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

The motion, as amended, was adopted.

आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास के भागों में सूखे के हालात से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS IN ANDHRA PRADESH, PARTS OF MYSORE AND MADRAS.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पें वेंकटासुब्बया द्वारा सूखे की स्थिति के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के बारे में चर्चा होगी।

श्री क० नारायण राव (वोब्विली) : इस विषय के महत्व को देखते हुए इस का समय बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक समझा गया तो समय बढ़ा दिया जायेगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।** MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आन्ध्र प्रदेश मैं मैसूर तथा मद्रास के भागों में अभुतपूर्व सूखे के हालात से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाय।"

यह बड़ी विचित्र सी बात है कि आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में, जिसे अन्नापूर्णा के नाम से पुकारा जाता है, अनाज की कमी है। परन्तु यह वास्तविकता है। आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र गम्भीर रूप से सूखा-ग्रस्त हैं परन्तु इस बार केवल उन्हीं क्षेत्रों में सूखा नहीं पड़ा है। इस बार आन्ध्र प्रदेश के सारे के सारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है। 151 तालुकों के 17,340 ग्रामों में, जिनकी आबादी 1 करोड़ 28 लाख हैं, अकाल पड़ा है। इन तालुकों में से 65 तालुकों में पुनः दूसरे वर्ष सूखा पड़ा है। इसके अलावा इस वर्ष वर्षा भी बहुत हुई है जिसके परिणामस्वरूप फसलें नष्ट हो गई हैं।

63.55 लाख एकड़ की तुलना में केवल 21.81 लाख एकड़ में पौधे लगाये गये हैं। अगर समय पर बर्षा न हुई तो धान की पैदावार 50 प्रतिशत तक गिर जायेगी। चावल का उत्पादन 1967-68 के 33.8 लाख टन की तुलना में 11 लाख टन तक गिर जायेगा जो 70 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में खाद्य उत्पादन में गिरावट का कुल मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है।

खेतीहर मजदूर व उपांत किसानों जो पीड़ित जनसंख्या का एक तिहाई भाग है उनके सामने भयंकर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार के चिन्ह बहुत से स्थानों में दृष्टि गोचर हो रहे हैं जहां भूखे लोग खाद्यान्नों को लूटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे राज्य के कानून व व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है।

दूसरी समस्या पानी की है। काफी संख्या में कुंए सुख गए हैं। दूर-दूर से पानी लारियों में भरकर ऐसे स्थानों में लाया जा रहा है जहाँ कि पानी की बहुत कमी है, पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है। छोटी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई के लिए टैंक सब सूख गए हैं। जलाशय भी धीरे-धीरे सूख रहे हैं। इन अभागे लोगों को राहत देना बहुत ही आवश्यक है राज्य सरकार के पास सीमित साधन होने के कारण वह लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं दे सकती।

इन सबके बावजूद इस बात से आशा बंधती है कि हमारे पास विशाल मात्रा में भूमिगत जल है परन्तु दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक तरीके से इस पर अबतक कोई खोज नहीं हुई हैं। "रिग" द्वारा इसमें क्रांतिकारी परिवर्त्तन लाये जा सकते हैं। इससे न केवल पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है अपितु सिंचाई के लिए स्थाई हल भी निकल सकता है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरफ उचित ध्यान दे और शीघ्र ही रिग और फालतू पुर्जे खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करे।

काफी कठिनाइयों के बावजूद भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जो 3.13 लाख टन देने का वायदा किया था उसको पूरा किया।

राज्य सरकार को हर संभव आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि लोगों में क्रय-शक्ति बढ़े। इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार और योजना आयोग ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है इन सबके बावजूद कुछ इस प्रकार के राहत के कार्य हाथ में लेना चाहिए जो स्थायी हों। राज्य के कुछ जिलों में भंयकर अकाल पड़ता है जैसे रायलसीमा, करनूल आदि। कुछ जिलों में हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है, 1952-53 में रायलसीमा में भयंकर अकाल पड़ा, इस पर सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया, अकाल को पूर्णतया समाप्त करने के

उद्देश्य से नागार्जुन सागर तुगंभद्रा परियोजनाएं स्वीकृत की गई। स्थायी राहत के लिए नागार्जुन-सागर, पोचमपद और तुंगभद्रा आदि परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाय।

बड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को बिना किसी देर के हाथ में ले लेना चाहिए।

आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों ने इस समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए जोर दिया जिसके परिणाम स्वरूप योजना आयोग ने इसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये का व्यय रखा, परन्तु मेरे विचार में इस समस्या को सुलझाने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं होगी।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को गम्भीरता से देखे और अकाल से पीड़ित राज्यों को वित्तिय सहायता दे। केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि इस मामले को राज्य सरकार अपने ही साधनों से सुलझाये।

देश के अकाल ग्रसित क्षेत्रों का विकास करने का प्रश्न काफी समय से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है परन्तु ठोस रूप से कुछ नहीं किया गया है, सूखा ग्रसित क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है जिसमें नए कुएँ खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत करना, भूमिगत जल साधनों का विकास करना, बिजली से चलने वाले पम्प-सेट्स देना, गांवों में बिजली देना, पीने का पानी सप्लाई करना आदि है।

मुझे आशा है कि सरकार अकाल को समूल नष्ट करने के लिए उचित ध्यान देगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा है कि आंध्र प्रदेस, मद्रास, मैसूर महाराष्ट्र आदि अकाल से ग्रसित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अकाल के पीड़ितो की समस्या को राष्ट्रीय स्तर से सुलझाये ताकि वे लोग अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ यथा शीघ्र कंधे से कंधा मिलाकर विकास के पथ पर चल सकें।

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये स्थानापन्न प्रस्ताव हैं क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कों० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री तु० म० सेट (कच्छ) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : (विशाखापतनम्) मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं श्री पें० वेंकटासुब्बया द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैसूर और आंध्र प्रदेश की समस्याएँ एक हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि केन्द्रिय सरकार को उन लोगों को यथासम्भव राहत देनी चाहिए जो बहुत ही कठिनाई में है।

मैसूर एक गरीब राज्य है और उसकी हर तरफ से उपेक्षा की गई है, वहां केवल एक या

दो सिंचाई परियोजनाएँ हैं और उनका भी अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। 21 जिलों में से 19 जिले भयंकर सूखे से ग्रसित हैं। जनता को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहाँ केवल मोटे अनाज जैसे बाजरा, राही आदि की पैदावार की जाती है गेहूँ व चावल उन्हें त्यौहारों के दिनों में ही मिलते हैं। पिछले वर्ष सूखा पड़ा था और इस वर्ष वर्षा ही नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण कोई बुआई नहीं हुई है; कृषि सम्बन्धी कार्य रोक दिये गये हैं और सब फसल सूख गयी है जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ है, खरीफ की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है, और अब अकाल धीरे-धीरे आ रहा है।

कृषि सम्बन्धी कार्य के रुक जाने से उसमें लगे हुए भूमिहीन कृषक मजदूर बेकार हो गये हैं, उनके लिये अब कोई रोजगार का साधन नहीं रहा है इसलिये अब वे गाँवों को छोड़कर रोजगार की तलाश में इधर-उधर जा रहे हैं, सारे गाँव सूने व उजाड़ हो गए हैं। चारे की कमी होने से पशु मर रहे हैं, पीने के पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ के कुएँ वर्षा पर आधारित हैं।

मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि अगर शीघ्र राहत की कार्यवाही नहीं की गई तो वहाँ भयंकर अकाल पड़ सकता है। सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य केन्द्र खोलना चाहिए ताकि वहाँ से लोगों को मुफ्त भोजन मिल सके अगर ऐसा न किया गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जा सकती है।

ऐसा कहा जा सकता है कि इस कार्य को राज्य अपने आप कर सकती है, पर सीमित साधनों की वजह से राज्य सरकार ऐसा करने में असमर्थ हैं। क्योंकि उसके पास कोई धन नहीं है अतएव उसे केन्द्र सरकार की ओर ताकना पड़ता है, मैसूर सरकार ने केन्द्र से इस कार्य के लिए 19 करोड़ शीघ्र राहत के रूप में माँगा है, मुझे आशा है कि सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार करेगी।

उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में वर्षा बिलकुल नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप कोई बुआई नहीं की गई है, वहाँ पानी के अभाव में धान नहीं उगाया जा सकता, राज्य सरकार ने इन्द्रावती परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा है, अगर यह पूरी हो जाती है तो करीब 4 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है और इसकी अलावा विजली भी पैदा की जा जा सकती है।

उड़ीसा के किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अगर शीघ्र ठोस कदम न उठाया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है अतएव इसको राजकीय संकट समझकर उपाय खोजना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेंगल राया नायडू।

श्री चेंगल राया नायडू : मैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से आया हूँ, विजयानगर साम्राज्य के शासन काल में यह बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था। अंग्रेजों के आगमन से यहाँ सिंचाई के सब साधन समाप्त हो गए, उन्होंने इस क्षेत्र की परवाह नहीं की और यहाँ अकाल पड़ने आरम्भ हो गए।

जब कांग्रेस सत्ता में आई तब इस क्षेत्र के किसानों को यह आशा बँधी कि अकाल को अब स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकेगा, आज बीस वर्ष बीत गए परन्तु हमारे वित्त मंत्री और केन्द्र के दूसरे अधिकारियों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1951 और 1952 में

रायलसीमा में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस समय प्रधान मंत्री नेहरू वहाँ की हालत देखने आये, उन्होंने वहाँ अमीर किसानों को दलिया केन्द्रों से मुफ्त में बंटने वाला दलिया लेते देखा, इस क्षेत्र के लोगों की दयनीय हालत को देखकर श्री नेहरू ने ऐसे ठोस कदम उठाने को कहा जिससे कि अकाल का स्थायी हल निकल सके। परन्तु अब तक कुछ न किया गया, आंध्र प्रदेश की सरकार भी अपने सीमित साधनों के कारण इस दिशा में कोई विशेष कार्य कर सकने में असमर्थ है, अतएव केन्द्र सरकार को शीघ्र ही राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिए ताकि राहत का कार्य आरम्भ किया जा सके, पीने के पानी की बहुत कमी है और टैकटों द्वारा हर जगह पानी ले जाना मुश्किल है, इसलिये राज्य सरकार को 'रिग' दिये जायें जिससे कुओं से अधिकाधिक मात्रा में पानी निकाला जा सकता है, केन्द्र को अधिकाधिक मात्रा में धन के रूप में आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि लोग सस्ते मूल्य पर अनाज खरीद सकें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : It is not proper to try to minimise the problem of flood-affected areas by saying that India is a vast country and it is possible that a certain part of the country might be affected by floods and another part might be affected by famine. There are certain parts of the country which are always famine-stricken. Jaisalmer, Barmar and parts of Bikaner in Rajasthan and Rayalseema in Andhra Pradesh are such parts. The problem will not be solved by preparing of famine code alone. A permanent commission should be set up to find out the areas which are perpetually in the grip of famines, to find out the causes thereof and to find out a permanent solution.

For the last 40 to 50 years the property of forest Department is being damaged heavily. There is still scarcity of drinking water in certain areas. The Government should give the highest priority to this matter. We lay emphasis on the question of need of afforestation but nothing has been done in this regard.

Even twenty years after the independence of the country, the problem of drinking water could not be solved. In the state of Mysore, there are a number of tanks in which water used to be collected during the Maharaja's regime. They are not properly maintained now. They can be used for the purpose of irrigation after carrying out necessary repairs. Tumkur, Chihamgulur Kolar, and Dharwar are famine-affected areas. Shri D. D. Sathe Programme Officer of Planning Commission has suggested that the Central Government should help the State Government in every possible way.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से इस देश में सूखे की स्थिति एक सामान्य बात हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार को तुरन्त ही स्थायी उपाय निकालने चाहियें। यह समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक हम इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर आपात की स्थिति के स्तर पर तथा युद्ध की स्थिति के आधार पर हल नहीं करेंगे। सरकार को राष्ट्रीय सूखा सहायता कोष स्थापित करना चाहिये जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर वहाँ शीघ्र सहायता पहुँचाई जाये। यही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।

हम इस सभा में इस बात पर बल देते रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य नीति अपनाई जानी चाहिये। दुर्भाग्य से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

मैंने पिछले सप्ताह अपने राज्य मैसूर में कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है, वहाँ स्थिति बहुत गम्भीर है तथा लाखों लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गावों में लोग दस-दस मील की दूरी से पीने का पानी लाते हैं। इन गावों में 'रिग' उपलब्ध कराये जाने चाहिये ताकि वहाँ कुएँ खोदे जा सकें।

दुर्भाग्य से सरकार ने वन लगाने की आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं दिया है, विश्व की वन सम्पत्ति की तुलना में हमारी वन सम्पत्ति का स्तर कम है, हमें अपनी वन सम्पत्ति बढ़ाने के लिये तुरन्त उपाय करने चाहिये।

सूखे की परिस्थितियों में हमारी तुरन्त आवश्यकता पेयजल की होती है। अधिकांश ग्रामों में सभी कुएँ सूख गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि खाद्य तथा कृषि मंत्री इस तथ्य की ओर ध्यान देंगे।

भूमि संरक्षण एक और ऐसा विषय है जिस पर हमें विचार करना होगा। केन्द्र की ओर से इस काम के लिये कुछ धन का उपबन्ध हर वर्ष किया जाता है। तथापि यह राशि, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, अपर्याप्त है, इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे राज्य मैसूर की सिंचाई की क्षमता 9 प्रतिशत से भी कम है। इसी कारण मैं इस सभा में इस बात पर बल देता रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपये से अधिक सभी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनायें माना जाना चाहिये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय सरकार को इसे ध्यान में रखना चाहिये।

इस सूखे की परिस्थिति के कारण अधिकांश कृषक अपने ऋण लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके साथ ही सभी सहकारी समितियां इन ऋणों के भुगतान के लिए आग्रह कर रही हैं। रिजर्व बेंक को आदेश दिया जाना चाहिये कि इन कृषकों से ऋणों की वसूली स्थगित की जाये तथा साथ ही इस क्षेत्र में पीड़ित कृषकों को उदारता से ऋण दिये जाने चाहिये। राज्य सरकार राजस्व की वसूली स्थगित नहीं कर सकेगी क्योंकि राज्य की आय का सब से बड़ा साधन भूराजस्व है। अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस मामले में राज्य की सहायता करे।

सूखे के दौरान खाद्यान्न के सम्भरण के प्रश्न को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ऐसे अधिकांश क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों तथा निर्धन कृषकों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो रहा है। खाद्य तथा कृषि मन्त्री को इस मामले में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करके वहां जितना भी अधिक खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, भिजवाना चाहिये।

मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उन सभी राज्यों में जहां सूखे की गम्भीर स्थिति है। वहां इस प्रश्न को आयात की स्थिति के आधार पर हल किया जाये तथा आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा तथा बिहार जैसे राज्यों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

मैसूर सरकार ने भारत सरकार से 20 करोड़ रुपये का अनुदान देने के लिए प्रार्थना की थी। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने अभी तक केवल 1.25 करोड़ रुपये ही दिये हैं। यह राशि पर्याप्त नहीं है तथा उससे लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी।

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : मैं श्री वेंकटासुब्बया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूँ। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयां इतना अधिक हैं कि राज्य के पास उन्हें दूर करने के लिये पर्याप्त धन नहीं हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिक सहायता करनी चाहिये।

हमारे क्षेत्र में कभी तो भारी वर्षा होती है और कभी सूखा रहता है, जैसा कि आजकल

हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जल जमा करने के लिये कई तालाब बनवाये थे ताकि यदि वर्षा न हो तो उस जल का प्रयोग किया जा सके। रामनाथपुरम जिले के सभी तालाब तथा झीलें 1,000 वर्ष से अधिक पहले बनाई गई थीं। न तो अंग्रेजों के शासन में और न ही कांग्रेस के शासन काल में उन्हें सुधारने के लिये कोई कार्य किया गया था। अब उसकी ठीक देखरेख नहीं की जा रही है, इस कारण उनमें रेत जमा हो गई है और इसके परिणामस्वरूप वर्षा होने पर उनमें पानी जमा नहीं हो पाता। यदि तामिलनाड के इन सभी तालाबों से रेत निकाल दी जाये तो सूखे का प्रभाव अवश्य कम हो जायेगा। इस प्रयोजन के लिये मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने एक 'वृहत योजना' बनाई है जिसमें एक अरब रुपये के व्यय का अनुमान है। परन्तु दुर्भाग्य से केन्द्र से इतनी कम राशि मिली है कि हमें यह कार्य पूरा करने में कई पीढ़ियां लगेंगी। मन्त्री महोदय को इस वृहत योजना के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

कुछ क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी है। भारतीय मन्त्री को इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारे राज्य में भूमिगत जल का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। हमारे कुएं इतने गहरे हैं कि एक कुएं पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक व्यय करना पड़ता है। अतः सरकार को लोगों की सहायता करनी चाहिये। हमारी राज्य सरकार ने राज्य की सूखे की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ तदर्थ अनुदान देने की व्यवस्था की थी। यद्यपि इसके लिये अधिक राशि की आवश्यकता है, तथापि सूखे की परिस्थितियों के कारण होने वाली अधिक भारी राष्ट्रीय हानि पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : सूखे की गम्भीर स्थिति ने आन्ध्र प्रदेश पर बुरा प्रभाव डाला है। मैं प्रधान मन्त्री को बताना चाहता हूँ कि केवल हमारे राज्य में ही 17,340 ग्रामों, 151 तालुकों तथा 10 जिलों पर प्रभाव पड़ा है।

1880 में जब दुर्भिक्ष आयोग की नियुक्ति की गई थी तो उन्होंने इस प्रश्न की जांच करके कुछ क्षेत्रों को स्थायी अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। अब सरकार को एक स्थायी निकाय तुरन्त नियुक्त करना चाहिये जो इन प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से बचा सके। जब भी कहीं सूखा होता है, हम केन्द्र के पास दौड़े आते हैं, प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री से मिलते हैं और हमें कुछ तदर्थ राशि दी जाती है जो कि पर्याप्त नहीं होती है। इसलिये, मेरा सुझाव है कि इस प्रयोजन के लिये स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये।

यदि आन्ध्र प्रदेश पर सूखे का प्रभाव पड़ेगा तो समूचे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आन्ध्र प्रदेश ही फालतू चावल उगाने वाला क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में चावल का आयात अधिक करना पड़ेगा। अतः प्रधान मन्त्री को स्वयं इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के कथनानुसार 17,000 ग्रामों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है। कम से कम 10 लाख लोगों को सहायता देनी होगी और यह राशि जून तक 42 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी। देश के 5 अथवा 6 राज्यों में भारी सूखा पड़ा है। यह एक गम्भीर समस्या है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिये।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Whenever the question of famine, scarcity and draught is raised, it is brushed aside by saying that it is a common feature in Barmer, Jaisalmer and Bikaner. The drought is in its accute form in Rajasthan. There have been no rains in certain

areas for the past seven years. It is impossible to imagine the sufferings of the people of my district. I would first of all request the Prime Minister and Shri Jagjiwan Ram to send a few M. P's to Barmer, Jaisalmare Bikaner, Jalore and Jodhpur. The Prime Minister should also those areas herself so that she could seriously understand the problem. Those areas are tour deficient in the matter of drinking water as also that of foodgrains. Cattle of good breed are dying in Barmar, Jaisalmer, Bikaner and other affected areas. 1.5 lakh cows died in Jaisalmer district alone during the last two months.

By digging seventy tubewells exploratory Tubewells Organisation has proved that drinking water is available in those areas. The Government of Rajasthan cannot meet the expenses of digging of tubewells. Exploratory Tubewells Organisation should be asked to continue its work there. The Government of Rajasthan has formulated a scheme to provide the water to the villages through tubewells. The Central Government should extend financial assistance to the State Government for the immediate implementation of this project.

The whole of the 700 miles area of Rajasthan which borders with Pakistan is badly affected by famine. The people have been reduced to a skeleton of bones due to paucity of food and water. The problems of that area should be attended to immediately in the interest of the security of the country.

Shri Rao should accede to the demand made by all the Members of Parliament from Rajasthan and the centre should take over the work of Rajasthan Canal Project since the Government of Rajasthan is not in a position to handle this work. The Government will not be able to develop the border areas and meet the draught situation unless and untill Rajasthan Canal project is implemented expeditiously. The Central Government should help the state by arranging for fodder, drinking water and seeds.

श्री ईश्वर रेड्डी (कडप्पा): अकाल द्वारा उत्पन्न समस्यायें इतनी अधिक हैं कि अपने मामूली साधनों के साथ कोई भी राज्य इस समस्या को हल नहीं कर सकता। केन्द्रीय सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की मदद करने के अपने दायित्व को इन वर्षों में नहीं निभाया है। बाढ़ नियंत्रण के लिये एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। इसी तरह अकाल उन्मूलन बोर्ड की स्थापना भी होनी चाहिये। बाढ़ तथा अकाल दोनों ही एक समस्या के दो रूप हैं और प्रकृत्ति के प्रकोप का परिणाम है।

हमारे देश में कुछ जातियों तथा आदिम जातियों को, जिनका आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया जा रहा था, अनुसूचित घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें कुछ विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इसी तरह भूखे से प्रभावित क्षेत्रों को तथा पिछड़े क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये तथा सरकार को उनके विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। अब भी केन्द्रीय सरकार को एक अकाल उन्मूलन बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये। अकाल को दूर करने के लिये एक क्रम-वार कार्यक्रम तैयार करना चाहिये तथा कुछ ही वर्षों में समूचे देश में सहायता देनी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश के बारे में प्रस्तावक महोदय ने तथा श्री विश्वनाथन ने जो कुछ कहा है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। आन्ध्र में ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। लगभग दो करोड़ व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए हैं। केन्द्रीय सरकार कुछ खाद्यान्न दे सकती है। परन्तु पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था कैसे होगी। रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में सामान्य परिस्थितियों में भी पेय जल की कमी रहती है। सूखे के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। इस स्थिति का सामना करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तुरन्त रिग उपलब्ध कराने के लिये कहा है।

रिगो के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक रिग नहीं आते तब तक लोगों को पानी किस प्रकार सप्लाई किया जावे। मेरा निवेदन है कि इस काम के लिए कुछ लारियों तथा टैंकों से काम लिया जाना चाहिए।

वर्षा न होने के कारण पर्वत आदि भी सूखे पड़े हैं और उन पर घास तक नहीं हुई। अतः केन्द्रीय सरकार को चारा सप्लाई करने की तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा पशुधन नष्ट हो जायेगा। प्रत्येक तालुक में चारे का एक डिपो खोला जाना चाहिए।

तंगबदरा हाई लेवल कनाल पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अकालग्रस्त क्षेत्र की सारी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को तुरन्त एक अरब रुपये सहायता के रूप में देने चाहिए।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं संशोधन संख्या 7 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मेरा निवेदन है कि मद्रास के बाद शब्द राजस्थान पढ़ा जाये। इस बार अभूतपूर्व अकाल पड़ा है और राज्य सरकारें इसका मुकाबला करने में असमर्थ है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकारों की सहायता करे। हमें देश के कुछ भागों में पड़ने वाले निरन्तर अकाल तथा आने वाली बाढ़ का कोई स्थायी हल निकालना चाहिए। इस मामले में नदी घाटी परियोजनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। मैंने कल माननीय मन्त्री पर मगर नदी के जल का पूरा लाभ उठाये जाने के लिए जोर दिया था। मेरे अपने क्षेत्र बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जेलोर और बाढ़मेर को गम्भीर स्थिति का सामना है। राजस्थान में अभूतपूर्व सूखा पड़ा है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को चारे तथा पानी की सप्लाई का प्रबन्ध करना चाहिए। पहले ही बहुत पशुधन नष्ट हो चुका है।

ऐसे भी समाचार मिले हैं कि राजस्थान के कुछ भागों में लोगों को दो दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है। यदि यह समाचार सच हैं तो यह बहुत शोक का विषय है। आशा है कि ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

चारे के शिविर खोले जाने चाहिए और इसके लिए हमें रेलवे सहित संचार के सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि अगले सात दिनों में वर्षा नहीं होती तो चारे की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

राजस्थान नहर का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए। राजस्थान नहर तथा लिफ्ट चेनल पर अकाल के दिनों में काम किया जाना चाहिए। सस्ती मजूरी उपलब्ध होगी। लोगों को अकाल के दिनों में काम पर भी लगाया जा सकेगा। हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान नहर का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार यह काम करने में असमर्थ है। मै आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री इस ओर कुछ कार्यवाही करेंगे।

गांवों में अनाज की दुकानें खोलने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी तथा लोगों की यथासम्भव सहायता करेगी ताकि लोग कठिनाई पर काबू पा सके।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): जब कभी भी देश के किसी भाग में बाढ़ आती है अथवा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है सम्बधित राज्य सरकार कह देती है कि उसके पास धन नहीं है।

देश के एक अथवा दूसरे भाग में सूखे की स्थिति बनी हुई है। इन कठिनाईयों का सामना करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। आंध्र में बाढ़ स्थिति की जांच के लिए मिला समिति बनाई गई थी, परन्तु पता नहीं इस समिति का क्या बना। इस बार समूचे आंध्र प्रदेश में 1950-52 से भी अधिक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो।

आंध्र प्रदेश के किसान पंजाब के किसानों की तरह मेहनती तथा कृषि के नये तरीके अपनाने के इच्छुक हैं। वे पानी सप्लाई की योजनाओं के लिए धन भी देने के लिए तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार को कोरे आश्वासन न देकर कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री नम्बियार (तिरूचिलापल्लि) : मद्रास के कुछ जिलों में भी सूखे की सी स्थिति बनी हुई है। पिछले सप्ताह तिरूचिलापल्लि में कुछ वर्षा हुई हैं। यदि अगले कुछ दिनों में वर्षा नहीं होती तो मद्रास राज्य के एक बड़े भाग में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

भारत जैसे देश में ऐसी कठिनाईयाँ उत्पन्न होती रहेंगी। देश के एक भाग में यदि बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार को मास्टर प्लान बनाना चाहिए। यदि इसके लिए धन नहीं है तो सरकार को इसके साधन ढूंढने चाहिए। पी० एल० 480 तथा अन्य निधियों का लाभ उठाकर सरकार को देश में अकाल को समाप्त करना चाहिए तथा बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए जिससे कि हम अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन कर सके। माननीय मन्त्री ने मुझे बताया था कि यदि उनको आवश्यक धन दिया जाये तो वह अनाज के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। यह लाखों लोगों के दुःखों का प्रश्न है अतः, सरकार को इन दुखों को दूर करने के लिए कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

आंध्र में सूखे के समाचारों तथा मेरे अपने क्षेत्र में वर्षा न होने से मूल्य बढ़ने आरम्भ हो गये हैं। समझ में नहीं आता कि हम इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेंगे।

रामानाथापूरम् में लगातार सूखा पड़ने से आधा क्षेत्र मरुस्थल बन गया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। हमने केन्द्रीय सरकार से 14 करोड़ रुपये के भुगतान की तिथि को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की है ताकि इस धन को सिंचाई योजनाओं पर लगाया जा सके। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुई है। मेरा निवेदन है इस मामले में राजनीति से काम नहीं लिया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों से चाहे वहां किसी दल की सरकार हो, समान व्यवहार करना चाहिए।

कोयम्बतूर जिले में स्थिति बहुत गम्भीर है। पालाडाम के एक सम्मेलन में इस क्षेत्र का अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है इस क्षेत्र में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार को हमारी सहायता करनी चाहिए। हमें इकट्ठे बैठ कर इस बात पर विचार करना है कि आवश्यक साधन किस प्रकार जुटाये जायें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज देश के 16 राज्यों में से 7 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, आसाम के भाग पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के भागराजस्थान तथा उड़ीसा और गुजरात के अनेक भाग सूखाग्रस्त हैं। उत्तरी उड़ीसा के भाग बाढ़ ग्रस्त है। इस प्रकार हमें दोहरे दुख का सामना है।

यदि हम आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार ने 1 66-67 तथा 1967-68 की अल्प अवधि में बिहार को सूखे तथा अकाल की सहायता के रूप में 52 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी है। गुजरात को 5 करोड़, मध्य प्रदेश को 21 करोड़ से भी अधिक, राजस्थान को 15 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश को 7 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। मेरे विचार में पिछले 20 वर्ष में सिंचाई पर 1600 करोड़, बाढ़ नियन्त्रण पर 180 करोड़ तथा अकाल सहायता आदि के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है दो वर्षों में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अकाल सहायता के रूप में 28 लाख टन अनाज दिया गया है।

पिछले चार वर्षों से पश्चिमी उड़ीसा को सूखे की स्थिति का सामना है, गंजम, कोरापुर और आन्ध्र प्रदेश के पास के क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र को भी गत चार अथवा पांच वर्ष से सूखे की स्थिति का सामना है। लोग इस क्षेत्र में भूख से मर रहे हैं परन्तु राज्य सरकार इस बात को स्वीकार करने से इन्कार करती है।

मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये विशेष 'सेल' ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है। मैं यह भी जानना चाहता हुं कि केन्द्रीय सरकार ने कमी वाले तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है। क्या यह पायलट परियोजना कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार राजस्थान तथा सूखाग्रस्त रहने वाले राज्यों के सभी भागों के लिए बनाया जा रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा यदि वह इस पर प्रकाश डाले।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस समय अनेक नाम हैं। आप लोग नई बातें कह सकते हैं। पुरानी बातों को दोहराने का कोई लाभ नहीं। यदि आप लोग बैठ सकें तोमुझे समय को आधा अथवा पौन घन्टा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री तिरुमल राव : आधे घण्टे की चर्चा को इसके बाद उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा को आज समाप्त किया जाना चाहिये। मेरे विचार में प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट लेने चाहिये।

श्री तु० मू० सेट (कच्छ) :।मेरे नाम में एक स्थानापन्न प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम सूची में नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मन्डया) : अध्यक्ष महोदय देश को एक बार फिर सूखे की स्थिति का सामना है और देश के एक बड़े भाग में अकाल की सी स्थिति है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हम देश की 5 अथवा 6 राज्यों से भी अधिक राज्यों में अकाल की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या यह सरकार की नीति की असफलता नहीं है। सरकार ने गत 20 वर्ष में अकाल को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है। सरकार पिछले 20 वर्षों में सूखे और अकाल की स्थिति को दूर करने के लिए व्यवस्था करने में असफल रही है। न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, मद्रास और मैसूर में भी लाखों व्यक्तियों को इस भीषण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैसूर विधान सभा में विरोधी दल के नेता ने हाल ही में कहा है कि राज्य में एक करोड़ से भी अधिक लोगों का अकाल की परिस्थितियों का सामना है। मैसूर सरकार ने इस संकट का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय

सरकार से 20 करोड़ रुपये मांगे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि वह केवल 2.30 करोड़ रुपये ही दे सकेगी। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अधिक सहायता करनी चाहिए। यदि कोई भूख से मरता है तो यह केन्द्रीय सरकार के लिए यह एक शर्म की बात है।

यदि सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो उड़ीसा में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी लोग भूख से मरेंगे। लोगों को पूरी खुराक नहीं मिलती हैं क्योंकि उनमें चीजें खरीदने की क्षमता नहीं है अत: इस स्थिति का सामना करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।

हमने प्रधान मन्त्री को सूखाग्रस्त कुछ क्षेत्रों का दौरा करने का प्रार्थना की ताकि वह स्वयं लोगों की कठिनाइयों को जान सकें। मैं चाहता हूं कि अन्य केन्द्रीय सरकार के मन्त्री इन क्षेत्रों का दौरा करें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगो को नैतिक प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे मन्त्री लोग मंत्रिमण्डल को रिपोर्ट दे सकेंगे ताकि इस मानवीय संकट का सामना करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेंगलराया नायडू द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा उठायी जानी है। परन्तु मेरे विचार में आज ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। अत: इस चर्चा को कल उठाया जा सकता है। आज चल रही चर्चा को समाप्त होने तक 7.30 बज जायेंगे।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली): मैं यह अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं लोगों के दुखों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ हो सकता है कि भविष्य में भी लोगों के दुखों तथा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें बाध्य होना पड़े।

समूचे आंध्र प्रदेश को आज सूखे की स्थिति का सामना करना है। अत: यह भारत के इतिहास में एक अनोखी बात है। यदि राज्य के किसी भाग को दुख की स्थिति का सामना होता तो राज्य सरकार स्वयं अपने साधनों से इसका मुकाबला कर सकती थी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति बिल्कुल उलटी है क्योंकि समूचे राज्य में सूखा पड़ा है अत: इसका मुकाबला करना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है। कुछ जिलों में तो बिलकुल भी वर्षा नहीं हुई है। एक भी फसल नहीं हो सकी, अनेक किसान समुदाय निराश्रित हो गये हैं।

पानी का स्तर गिर जाने से उत्पादन दर भी कम हो गई है। मूंगफली जैसी शुष्क फसलों की खेती भी नहीं की जा सकी। अत: यह कहा जा सकता है कि फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं। इस संदर्भ में इस स्थिति का सामना करने में राज्य सरकार की क्षमता को ध्यान में रखना होगा।

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : The matter is worth considering. The problem in Andhra is very serious. The crops could not be cultivated on about 40 percent area due to shortage of water.

We should try to solve the drought problem in Andhra as early as possible.

The survey conducted in the year 1961, revealed that out of the total drought area sixty percent is in Andhra. We should take such steps that we may be able to tackle these problems well in future. We should provide fodder for the cattle and grain for the people. Today people are not in a posion to purchase grain.

It is, therefore, necessary that employment should be provided to them so that they may be able to purchase grain. Their demand for Rs. 50 crores for relief should be granted.

The law and order situation has deteriorated. In case there is no rain, the position will worsen further. Government should take steps to solve the problem.

The projects on Godavari should be completed. We have been pressing for disilting for the last two years. This year there is no water in that project. Government should sanction the amount necessary for that project.

The Kadam Project iu Adilabad was constructed to irrigate 65,000 acres of land, But it is not able to irrigate even 25,000 acres of land. It will not serve its purpose unless a North Canal will be provided from Pochampad Project.

The construction work on the Swaran Project is not progressing due to sanctioning of small amount for it. Some unimportant schemes like expansion of Steel Plants etc. can be delayed and the amount meant for them may be diverted for that project.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सभा के सब ओर सहायता के लिये पुकार सुनाई पड़ रही है। अभी कुछ वर्ष पूर्व गुजरात, राजस्थान और आसाम में बाढ़ आई थीं। पिछले वर्ष सूखा पड़ने से बिहार में अकाल पड़ा। इस बात की खुशी है कि इसका हल करने के लिए सदस्यों ने स्थायी धनराशि और संस्था का सुझाव दिया है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को अखिल भारतीय अकाल तथा बाढ़ और बीमा निधि की स्थापना के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों को 100 करोड़ रुपये का अंशदान करना चाहिये।

बिहार और उत्तर प्रदेश में आये संकटों की तुलना में वर्त्तमान संकट अधिक गम्भीर है। इन परिस्थितियों में सरकार यदि अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो कर सकती है। सरकार को संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से सहायता करने का अनुरोध करना चाहिये।

सरकार द्वारा सहायक ऋण और गैर-सरकारी ऋणों की अविधी को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि गैर-सरकारी साहूकार किसानों को परेशान न करें और सहकारी समितियों को गरीब किसानों की भूमि को बेंचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सरकार को अधिक से अधिक रिग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

अकाल पीड़ितों की सहायता करने का कार्य शीघ्रता से आरम्भ किया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को सामाजिक संस्थाओं से सहायता लेनी चाहिये।

राजस्थान में नहर आदि से पानी की व्यवस्था न होने के कारण फसलें सूख रही हैं।

रयालसीमा को अकाल जोन स्वीकार किया गया है। उसके कुछ भागों सिंचाई योजनाएँ चालू की गई हैं। फिर भी वहां के लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार, तेलंगना और श्री काकुलम के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में मछेरों को पीने का पानी मिलने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सब फलोद्यान सूख रहे हैं। नारियल के पेड़ सूख रहे हैं।

वहां पर लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस लिये स्थायी निधि की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त इसके लिए कृषकों के समान संगठन की भी आवश्यकता है। जानवरों के चारे के लिये भी स्थायी प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि अकाल की परिस्थिति में हम जानवरों के चारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकें।

किसानों का काम दिया जाना चाहिये । यदि आज धन मिल जाता है तो सरकार कुओं को गहरा कर और नये कुएँ बनाकर तथा तालाबों की सफाई और तालाब बनवाकर किसानों की सहायता कर सकती है ।

सरकार को ये सब कार्य करने चाहिये ।

पहले एक संस्था अखिल भारतीय अकाल तथा बाढ़ बीमा निधी हुआ करती थी लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया था । हम इसकी वर्षों से मांग करते रहे हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

आसाम में लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है । क्या सरकार उनके लिये कुछ नहीं करेगी ? क्या भारत सरकार का दायित्व अपनी जनता को संकटों से बचाना नहीं है ।

भारत सरकार को इस मामले पर गैर-राजनीतिक तरीके से और एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करना चाहिये । सरकार का विश्व को यह भी संतुष्ट करना चाहिये कि यह केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं है बल्कि अन्तरराष्ट्रीय समस्या है । अतः विश्व को इस मामले में हमारी सहायता करनी चाहिये ।

सहायता के लिये प्राप्त हुये धन का ईमानदारी से लोगों की सहायता के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये ।

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) :यह ज्ञापन मैसूर सरकार ने बंगलौर का भ्रमण करने वाले अध्ययन दल को दिया था । इसके कुछ भाग का मैं उल्लेख करूंगा । श्री निज्जालिंगप्पा जो उस समय मुख्य मंत्री थे लिखते हैं :

"यदि इसी बीच केन्द्रीय सरकार स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये राज्य सरकार के लिये कम से कम 10 करोड़ रुपये की शीघ्र व्यवस्था करदे तो, मैं बहुत अभारी हूंगा ।

केन्द्रीय सरकार को यह पत्र 1 फरवरी, 1968 को लिखा गया था ।

हाल ही में भूमि सुधार आयुक्त और सरकार के सचिव श्री स्वामी नाथन ने 23 जून, 1968 को एक पत्र में यह लिखा था :

"यदि राज्य सरकार न्यूनतम आपत् कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित करना चाहती है तो राज्य के कठिन वित्त साधनों को देखते हुये भारत सरकार द्वारा राज्य को शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये"

क्या सरकार कोई अकाल संहिता बनाना चाहती है जिसमें भूख से होने वाली मौतों की स्पष्ट व्याख्या की गई हो ? क्या सरकार अपनी सारी ताकत और धन सिंचाई पर लगाना चाहती है जो कि सूखा और बाढ़ को दूर करने का एक मात्र हल है । दूसरी समस्या चारे की है । क्या सरकार चारे का आयात करना चाहती है या पशुओं के लिये कृत्रिम खाद्य बनाने का नया तरीका खोज रही है ।

Shrimati Lakshmi Kanthamma (Khamman) : Andhra has always been supplying food to other States. It is unfortunate that Andhra has to face serious famine this year. Food grains have to be supplied by other States. Even the drinking water is not available at certain places.

*मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित

*English Translation of the speech delivered in Kannad

In Some provinces the rabi crops have not been sowed even. Crops worth 450 crores of Rupees have been destroyed. This loss is unbearable for an agricultural State. In these circumstances the Central Government should provide assistance to the state on large scale. Some assistance is being given. But that is inadequate. Wells should be made useful for irrigation. Boring rigs should be supplied for this purpose. Necessary foreign exchange should be arranged for importing those rigs.

The Government should provide milo for the people at subsidised rates.

The Government should try its best to save Andhra from the famine.

सार्वजनिक दीर्घा में हुई घटना के बारे में
RE: INCIDENT IN THE PUBLIC GALLERY

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई आज सुबह सार्वजनिक दीर्घा में हुई घटना के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे वाच एण्ड वार्ड आफिसर से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

"आज लगभग 12.35 बजे दो कुमारी प्रवीणा दावे और कुमारी वीना वोहरा नामक दर्शकों, जिन्हे संसद सदस्य श्री टी० एम० सेठ ने सार्वजानिक दीर्घा के लिये कार्ड जारी करने की सिफारिश की थी, ने नारे लगाकर सभा की कार्यवाही में बाधा डाली। उन्हें वाच एण्ड वार्ड के दो अधिकारियों ने ऐसा करने से तुरन्त रोका। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और वे नारे लगाती रहीं। इस बीच वाच एण्ड वार्ड की दो महिला सदस्याओं ने हस्तक्षेप किया। लेकिन उनका अनुरोध सुनने की बजाये कुमारी वीना हिंसा पर उतर आईं और इसने वाच एण्ड वार्ड ऐसिसटेंट की कलाई पर काट लिया। अन्त में उसे जबरदस्ती उठाकर दीर्घा से बाहर निकाला गया। कुमारी दावे स्वयं ही दीर्घा से बाहर निकल आई। श्री टी० एम० सेठ की उपस्थिति में दिये गये वक्तव्य में उन्होंने वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों पर उनके साथ जबरदस्ती करने का कोई आरोप नहीं लगाया है।

कुमारी प्रवीणा और कुमारी वीना वोहरा को सायं चार बजे छोड़ दिया गया।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

कि राज्य सभा ने अपनी 29 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिये, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा के सदस्य श्री गणेशी लाल चौधरी को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है।

आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर और मद्रास के कुछ भागों में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव-जारी
MOTION RE. SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS IN ANDHRA PRADESH AND APRT OF MYSORE AND MADRAS contd.

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में हमेशा सूखा पड़ता है। परन्तु इस वर्ष यह सूखा पूरे राज्य में पड़ा है। यह एक अभूतपूर्व बात है क्योंकि

पिछले 20 वर्षों में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा है। परन्तु मुझे खेद है कि हमारी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार तब तक कोई कार्यवाही नहीं करती जब तक कोई समस्या गम्भीर रूप न धारण कर ले। वे राजनीति की तुच्छ समस्याओं में उलझे रहते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। समाचार पत्रों मे भी चेकोस्लेवेकिया आदि के समाचार भरे पड़े हैं जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में ठीक प्रकार से समाचार नहीं दिये गये हैं। मेरा अनुरोध यह है कि हमें विदेशी मामलों की अपेक्षा अपनी समस्याओं पर अधिक विचार करना चाहिये।

मैं यह चाहता हूँ कि समस्त राज्य में सूखे के प्रभाव पड़ने के कारणों का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धान किया जाना चाहिये। इस प्रकार की स्थिति पिछले सौ वर्षों में कभी भी पैदा नहीं हुई है। फिर इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। यदि सूखा एक भाग में पड़े तो दूसरे भागों से खाद्यान्न भेजा जा सकता है। परन्तु इस बार तो समस्त राज्य पर इसका प्रभाव पड़ा है।

आन्ध्र के मुख्य मन्त्री ने 42 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध किया है। परन्तु यदि यह धन-राशि दी भी जाये तो क्या राज्य सरकार उसका उपयोग रचनात्मक और लाभप्रद कार्यों के लिये कर सकती है ? इस धन-राशि से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सकती है परन्तु मेरे विचार में सहायता देते समय केन्द्र के सामने दीर्घावधि दृष्टिकोण होना चाहिये।

अब मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूँ। हमें ड्रिलिंग के लिये रिगों की बहुत आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार को ये रिग भारत के भूविज्ञान सर्वेक्षण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, सेना और अन्य साधनों से उधार के रूप में उपलब्ध करने चाहिये। ये रिग संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के पास भी उपलब्ध हैं। ये ब्रिटेन तथा अन्य स्थानों से विमान द्वारा तत्काल उठाये जा सकते हैं। यदि रचनात्मक ढंग से उपयोग करने के लिये ये उपकरण सप्लाई नहीं किये जाते तो यह धन-राशि और ऋण देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। रिग खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जानी चाहिये।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को ड्रिलिंग के लिये सही स्थानों का पता लगाने के लिये भूवैज्ञानिकों भूभोतिकीविदों तथा काफी संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की सेवायें उधार देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त राहत कार्यों को तेज करने केलिए से ना की जीपे तथा ट्रक दिये जाने चाहिये। आवश्यक सुविधाओं के अभाव मे 20 जिलों में राहत कार्य करना असम्भव है। अतः अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को कुछ सहायता तत्काल भेजनी चाहिये।

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : पश्चिम गोदावरी जिले के 75 प्रतिशत क्षेत्र में पानी का अभाव है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को ब्यौरा भेजा है। जिस राज्य में अनाज का भण्डार रहता था आज उसका मुख्य मन्त्री यहां पर अनाज मांगने के लिये आया है। वह इस प्रयोजन के लिये सभा मंत्रियों के पास जा रहे हैं। मैं सब से अनुरोध करता हूँ कि वे आंध्र प्रदेश की सहायता करें।

Shri G. Venkataswamy (Siddipet) : I may state that large areas of Andhra Pradesh are worrst affected by drought. The people of that area are just praying for rain. The only reply we get here is that they will consider the matter. In fact Central

Government should take stepts to deal with the situation created as a result of famine. Government should try to get second hand rigs. Government should remove the hurdle of foreign exchange. I would further request the Government to take all the relief measures well in advance in order to avoid unfortunate situation in the part of the country.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस उपयोगी बाद-विवाद में भाग लिया है। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने अपने तर्कों में राजनीति का प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि बिहार गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, जहाँ गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं, सूखे की स्थिति पैदा होने पर केन्द्रीय सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्हें जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, वह उन्हें भेजी गयी थी। हम सभी भारतीय हैं और इस लिये हमें इस प्रकार की समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण बातें भी कही गयी है कि कुछ क्षेत्रों में भूख के कारण कुछ मौतें हुई हैं। माननीय सदस्यों को विश्वास रखना चाहिये कि चाहे सूखे की समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम किसी को भूख के कारण नहीं मरने देंगे। किसी भी राज्य सरकार ने हमें इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है कि उनके राज्य में भूख के कारण किसी की मृत्यु हुई है।

हमारा देश इतना बड़ा है कि हर वर्ष देश के किसी न किसी भाग में कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले वर्ष रिकार्ड उत्पदान के बावजूद देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी थी। तब भी हमने राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता भेजी थी।

इस वर्ष की स्थिति से केन्द्रीय सरकार काफी चिन्तित है। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कमी होने के कारण सहायता देना तकनीकी दृष्टि से राज्य का विषय है और फिर हमें संवाधानिक उपबन्धों के अनुसार ही अपने देश में काम करना होता है। अतः राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये और निश्चय ही वे बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं।

दुर्भाग्य से इस वर्ष कुछ दक्षिणी राज्यों, राजस्थान तथा कुछ अन्य राज्यों में वर्षा कम हुई है। परन्तु अभी सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कई बार बाद में वर्षा हो जाती है और स्थिति में सुधार हो जाता है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और मूल समस्या के साथ निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं जो वर्षा की कमी के कारण पैदा हुई है।

हमारे देश में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ बार-बार सूखा पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों के लिये स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिये। इस लिये सर्वप्रथम हमें दीर्घावधि समाधान ढूंढना चाहिये। परन्तु दीर्घावधि उपाय किये जाने तक हमें अल्पावधि उपाय भी करने होंगे। माननीय सदस्य शायद यह महसूस करते हैं कि हम दीर्घावधि उपाय नहीं कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने के लिये कई दीर्घावधि उपाय किये हैं। बहुत से राज्यों में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गयी है। जब इन परियोजनाओं का काम पूरा हो जायेगा तो उन क्षेत्रों को निश्चय ही राहत मिलेगी।

फिर राजस्थान नहर बन जाने से राजस्थान के अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिलेगी। बड़ी तथा मध्य दर्जे की सिंचाई योजनाओं से मोटे तौर पर 25 से 30 प्रतिशत क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। जिन क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई योजनाएँ सम्भव नहीं हैं, वहां पर हम छोटी सिंचाई

योजनाओं को महत्व तथा प्राथमिकता दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में काफी विचार विमर्श कर लिया है। इसी प्रयोजन के लिये हमने कुछ ऐसे राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया था जहाँ बार-बार सूखा पड़ता है। इस सम्मेलन में भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि केवल राष्ट्रीय योजना बना कर ही इन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक सार्थक योजना बनाने के लिये शीघ्र ही इन क्षेत्रों के भूगर्भीय और प्राकृतिक संसाधनों का गम्भीर सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इस सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विशेषज्ञों का पूरा लाभ उठाना चाहिये। मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के पश्चात योजना आयोग तथा हमारे मन्त्रालय ने भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था और कई कार्यवाहियाँ की थी।

भारत सरकार के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय किया गया है। सर्वप्रथम हमने राज्य सरकारों से कहा था कि वे उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें जहां हर तीन वर्ष के बाद सूखा पड़ता है। इस दृष्टिकोण से एक योजना बनायी गयी है और हमने सभी राज्य सरकारों को भी योजना बनाने के लिये लिखा है जिससे इन क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई की बड़ी मध्यम दर्जे की तथा छोटी प्रायोजनाएँ आरम्भ की जा सकें।

सभापति महोदय : क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये साधन जुटायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार के साधन सीमित हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण यह है कि ऐसी योजनाओं के लिये योजना में उल्लखित सीमा से अधिक धन राशि भी दी जा सकती है।

जहां तक तत्काल राहत देने का सम्बन्ध है, हमारा दृष्टिकोण बिलकुल व्यावहारिक है। जैसे ही कोई राज्य सरकार हमें यह सूचना देती है कि उनके किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है, तो केन्द्रीय सरकार की ओर से एक दल उस क्षेत्र का दौरा करने के लिये भेजा जाता है। इस पर भी आपत्ति की गयी है कि केन्द्रीय सरकार के दल को क्यों भेजा जाये। परन्तु स्थित का ब्यौरा जानने के लिये यह कार्यवाही आवश्यक है।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद): मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें कभी नहीं जाना चाहिये। उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये·····(**व्यवधान**)

खाद्य तथा कृषि मंत्री (**श्री जगजीवन राम**) : प्राकृतिक आपत्तियों के लिये प्रत्येक राज्य सरकार के बजट में कुछ धन-राशि की व्यवस्था की जाती है अतः वे तत्काल राहत कार्य आरम्भ कर सकते हैं। उससे अतिरिक्त सहायता के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार के बजट में इस प्रयोजन के लिये कुछ धन-राशि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती। केन्द्रीय दल तो राज्यों की आवश्यकताओं का हिसाब किताब करता है। उसके बाद उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाती है। यदि राज्य सरकार को कोई कठिनाई हो तो केन्द्रीय सरकार उन्हें अग्रिम धन-राशि देती है। इसलिये धन के अभाव के कारण कोई राहत कार्य नहीं रुकना चाहिये।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त हम राज्यों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। अगस्त और सितम्बर में आन्ध्र प्रदेश को काफी मात्रा में अनाज भेजा गया था। हमने यह भी कहा है कि यदि सूखे की स्थिति के साथ निपटने के लिये और भी मोटे अनाज की आवश्यकता हो तो भी हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसी प्रकार मद्रास और मैसूर के लिये भी काफी अनाज की व्यवस्था की गयी है। मेरे विचार में राज्य सरकारें इस व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं।

फिर पिछले वर्ष भी मैसूर और मद्रास में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। केन्द्रीय दल वहां गया और उन्होंने कुछ सीमा निर्धारित की थी। उसमें से 3 करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 1.5 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में आन्ध्र प्रदेश को दिये गये हैं। उसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के लिये आज फिर एक एक करोड़ रुपया भेजा गया है।

जब हमें पता चला कि आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है तो मंत्री महोदय ने स्थिति का अध्ययन करने के लिये कृषि मंत्रालय के सचिव को हैदराबाद भेजा था। उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, हम उनके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। जहाँ तक आन्ध्र प्रदेश को रिग सप्लाई करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, वे हमारे देश में बनाये जाते हैं। परन्तु उनके आयात के लिये विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होगी तो हम राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने उद्योग मंत्री को पहले ही लिख दिया है कि जिस प्रकार के रिग यहां पर नहीं बनते, आन्ध्र प्रदेश के लिये ऐसे 50 रिगों के आयात के लिये अनुमति दी जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा भी दी जानी चाहिये। मैं स्वयं भी हैदराबाद गया था और हमारा प्रयत्न यह है कि ई० टी० ओ० के संचालन और राज्य सरकार की गतिविधियों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का कोई स्थायी समाधान निकल आये। अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वहां की स्थिति हमारे नियंत्रण में है और हम जनता को अधिक से अधिक राहत देंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस समस्या के महत्व पर प्रकाश डाला है। चर्चा के दौरान दिये गये विभिन्न सुझावों का सार यह है कि इस विकट समस्या के साथ निपटने के लिये एक राष्ट्रीय योजना और एक समिति या आयोग भी बनाया जाना चाहिये। श्री रंगा ने यह भी सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय बीमा निधि और एक वृहद योजना बनायी जानी चाहिये और इस प्रकार की समस्याओं के साथ कारगर ढंग से निपटना चाहिये। मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्रियों की सिफारिशों का उल्लेख किया है।

यह सम्भव है कि सितम्बर मास में वर्षा हो परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं श्री शिन्दे की इस भावना की सराहना करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र को ज्वार और माइलों देने के लिये तैयार है परन्तु स्थिति यह है कि आन्ध्र प्रदेश उसे खरीद नहीं सकता है। अतः इस बात पर विचार किया जाना चाहिये और राज सहायता वाला अनाज भी सप्लाई किया जाना चाहिये।

जहां तक अकाल को समाप्त करने की प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आंकड़ों की कमी नहीं है। कई आयोग भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अतः मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये जिससे सरकार के लिये आगामी सत्र तक सिंचाई की दीर्घकालीन व्यवस्था

करना सम्भव हो सके। मुझे विश्वास है कि आवश्यक रिगों का आयात करने के लिये सरकार विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करेगी।

सर्वश्री जे० एम० इमाम, को० सूर्यनारायण और तु० मु० सेट द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

THE SUBSTITUTE MOTIONS MOVED BY SARVASHRI J. M. EMAM, K. SURYANARAYANA AND T. M. SHETH WERE BY LEAVE WITHDRAWN

सर्वश्री तेन्नेटि विश्वानाथम, ज्योतिर्मय बसु, दिनकर देसाई और डा० कर्णी सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The substitute motions moved by Sarvashri Tenneti Viswanathan, Jyotirmay Basu, Dinkar Desai and Dr. Karni Singh were put and negatived.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 30 अगस्त, 1968/8 भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 30, 1968 / Bhadra 8, 1890 (Saka).

Tirth Raj Press, Allahabad